राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 1] नवम् विधान सभा के प्रथम सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या 10

मंगलवार,

दिनांक 27 मार्च, 1990

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खां।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा

77. **श्री जुबेर खां** (रामगढ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर के कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा में क्या-क्या अनुसंधान किये गये हैं तथा इनसे अलवर जिले के कृषि कार्यों में क्या लाभकारी परिणाम निकले हैं ?

(2) क्या कृषि विश्वविद्यालय की विस्तार योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को नई शाखा खोलकर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) आई. सी. ए. आर. से प्राप्त धनराशि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा में कितनी-कितनी व कब-कब अब तक दी गई है और यह राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) :

(1) कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा (अलवर) में मुख्यतः बाजरा, सरसों, जौ, चना व अरहर पर अनुसंधान अधिक उपज से संबंधित पहलुओं पर चल रहा है।

(i) बाजरे पर फोरेट कार्बोफ्युरान (phorate Carbofuran) के प्रयोग से जड़ चूसक संडी (Root Bug) का प्रकोप रोका जा सकता है।

(ii) 50 किलो प्रति हैक्टेयर गंधक के उपयोग से सरसों की उत्पादन क्षमता सन्तोषजनक पाई गई है।

(iii) जौ की किस्म आर. डी. 915 से 43.00 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज हुई।

(iv) 60 किलो प्रति हैक्टेयर फॉस्फोरस डालने से मसूर की उपज में भी बढ़त रही।

(v) अरहर की इक्रीसेट (हैदराबाद)

(श्री दिग्विजय सिंह)

की कम समय में पकने वाली किस्में 25 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक उपज दे सकती है तथा इसके बाद गेहूं लेने की सम्भावनाओं पर शोध कार्य लिया जावेगा।

कई नई प्रजातियों पर कार्य चल रहा है। इन सभी अनुसंधान कार्यों से अलवर जिले के कृषकों को लाभ पहुंच रहा है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां अलवर को विभिन्न वित्तीय वर्षों से सहायता केन्द्रों पर चल रहे शोध कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि व शोध परियोजना पर खर्च की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार है। आई. सी. ए. आर. के द्वारा दी गई राशि के बारे में विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस अनुसंधान केन्द्र में कुल कितना स्टाफ है और उस स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या क्या है? दूसरा आपने जो नये कॉलेज खोलने के बारे में कहा है "जी नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता" इसके क्या कारण हैं यह बताने की कृपा करें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने स्टाफ की क्वालिफिकेशन्स और कितना स्टाफ, यह जानकारी नहीं पूछी थी, फिर भी आवश्यक हो तो क्वालिफिकेशन्स क्या-क्या हैं वह मैं आपको बतला दूंगा और आपको जानकारी दे दूंगा। जहां तक नये कृषि कॉलेज खोलने का प्रश्न है इस वक्त हमारे पास न तो कोई प्रस्ताव आये हैं और न वित्तीय स्थिति के आधार पर नया कॉलेज खोलना सम्भव ही है।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, इस अनुसंधान केन्द्र में पिछले 4 वर्षों में, जो मंत्री महोदय, ने आंकड़े दिये हैं, कुल राशि आवंटित की गयी थी 27,65,707.00 रु. और तनख्वाह और भत्तों पर खर्च हुआ, 43,01,577.00 रुपये। जहां तक मेरी जानकारी है इस अनुसंधान केन्द्र में प्रोफेसर स्तर के लोग भी हैं, लैक्चरार स्तर के लोग भी हैं, इन्स्पैक्टर स्तर के लोग भी हैं। तो इस अनुसंधान केन्द्र को सिर्फ तनख्वाह देने के लिए खोला गया है या वहां के लोगों को कोई सुविधा देने के लिए भी? उधर के तमाम जिलों में, चाहे भरतपुर हो, अलवर हो, धौलपुर हो, कोई भी इस तरह का कॉलेज नहीं है जहां कृषि का विषय छात्र पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें।

नम्बर दो, जो आज मूल समस्या है, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो कृषि से संबंधित कोई काम नहीं हो सकता। और मैं जहां तक समझता हूं इस रिसर्च इन्स्टीट्यूट में आज तक जो मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं, कि ज्वार की फसल भी बढ़ गयी, अरहर की फसल भी बढ़ गयी, बाजरे की फसल भी बढ़ गयी, लेकिन क्या कभी आज तक इस अनुसंधान केन्द्र ने यह सुझाव दिया है कि पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, पानी की जो समस्या है, पानी की वजह

(श्री जुबेर खां)

से फसल में जो कमजोरी आ रही है, उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। मैं जहां तक समझता हूं, मेरे क्षेत्र में यह अनुसंधान केन्द्र राजनीति का केन्द्र बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सरकार से कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, या सूचना देना चाहते हैं ?

श्री जुबेर खां : सूचना भी देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, और आपके माध्यम से पूछना भी चाहता हूं कि जनता का पैसा व्यर्थ जा रहा है, इनके पास कोई सुझाव हैं या नहीं कि इस केन्द्र को सही ढंग पर लाया जाय। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वह बिलकुल सही है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा काफी हो रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1984 से यह योजना लागू हुई और 1984 से लेकर 1989 तक करीब 5 वर्ष हुए हैं, इसके साथ-साथ मैंने स्वयं ने भी विभाग से कहा है कि आपके अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं और उससे काश्तकारों को कितना लाभ पहुंचा है, इसका कोई फीडबैक मिला है या नहीं मिला है। यह सर्वे अभी वह नहीं कर पाये हैं। मैं आपको निवेदन कर सकता हूं कि निश्चित रूप से इसका किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि यह अनुसंधान तो अभी तक इन्होंने अपने सेन्टर पर ही किये हैं और उसके बाद जो नतीजे निकले हैं वह आपके सामने हैं। उसका प्रचार प्रसार करेंगे और काश्तकारों को जानकारी होगी तो निश्चित रूप से अनुसंधान केन्द्र का लाभ मिलेगा।

जहां तक ओवरहैड एक्सपेन्डिचर के एक्सेस का सवाल है, वह तो समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो जो कमिटेड एक्सपेन्डिचर है, उसका स्वतः ही इम्पेक्ट होता है, तो देना पड़ता है, इसमें कोई विशेष गलत बात नहीं है।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे जालौर जिले के अन्दर भी एक कृषि अनुसंधान केन्द्र है और एक कृषि विज्ञान केन्द्र है। जालौर जिले में ईसबगोल दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, वहां फसल भी ज्यादा पैदा होती है और किसानों को फायदा होता है, तो वह सब्जेक्ट खोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आपकी सूचना हो गई। श्री जगतसिंह दायमा।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा ववश्चन है कि जिसके ऊपर सरकार गौर फरमाये तो बहुत लाभ किसानों को मिल सकता है। इसके साथ–साथ अगर एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया जाय तो वहां पर विद्यार्थी एडमिशन लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बिल्डिंग है, सारे इन्स्ट्रुमेन्टस् हैं, वहां पर लेक्चरार हैं, पूरा पैसा आपका खर्च हो रहा है, अगर इसके

(श्री जगतसिंह दायमा)

साथ-साथ एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोल दिया जाये तो सरकार पर उसका कोई भार पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ तीन या चार लैक्चरार आपको लगाने पड़ेंगे, इतना भार अवश्य पड़ेगा, बाकी सारी फोर्मेलिटीज और आवश्यकताएं यह अनुसंधान केन्द्र पूर्ति करता है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर कॉलेज की जो फेसिलिटीज और आवश्यकताएं होनी चाहिए क्या नौगावां कृषि अनुसंधान केन्द्र उनकी पूर्ति करता है। अगर करता है तो सरकार को क्या ऐसी बात है जो वहां पर कॉलेज खोलना नहीं चाहती। आप विचार कर लें। अगर खुल जाये तो उस इलाके को फायदा होगा। पूर्वी राजस्थान में ऐसा कोई एग्रीकल्चर कॉलेज भी नहीं है जिसमें इस प्रकार की पढ़ाई की जा सके। इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि वहां यदि कोई खर्चा नहीं हो किसी प्रकार का, तो क्या सरकार वहां पर कॉलेज बनाने का विचार रखती है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अभी एग्रीकल्चर कॉलेज की बात कही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिसर्च सेण्टर है, रिसर्च सेण्टर का कालेज खोले जाने से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अनुसंधान केन्द्र तो अनुसंधान केन्द्र के रूप में ही काम करेगा और उसमें कोई कॉलेज खुल जाये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। खैरथल में जैसे कॉलेज है, उसको अगर हम कन्वर्ट करने जायें तो सरकार इसके प्रस्ताव पर अलग से विचार करेगी। कुल मिलाकर राज्य में अभी 9 रिसर्च सेण्टर्स हैं और उनकी उपशाखाएं करीब 24 हैं। जो 9 रिसर्च सेण्टर्स हैं, अगर सभी जगह यह मांग आ जायेगी तो यह बहुत असम्भव बात है, सरकार कर नहीं पायेगी।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, जो सेण्टर गवर्नमेंट ने यहां पर स्टडी टीम अपाइण्ट की थी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यह जो रिसर्च सेण्टर हैं, उसकी परफार्मेंस ठीक नहीं है ! उसके क्या कारण हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ? दूसरा, यूनिवर्सिटी तो है बीकानेर में और रिसर्च सेन्टर जयपुर में है तो कण्ट्रोल यूनिवर्सिटी का है या डाइरेक्ट जयपुर के रिसर्च सेण्टर का है ? और जो पैसा आता है डाईरेक्ट यूनिवर्सिटी के नाम से आता है, उसका अलाटमेण्ट परफार्मेंस के आधार पर करते हैं या वैसे ही नम्बर के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं ? यह मेरे प्रश्न हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, अस्पताल जो ऐसे हैं जहां रिसर्च भी हो रही है और वहां अस्पताल भी चल रहे हैं, अगर रिसर्च भी होती रहे अस्पताल भी चलता रहे....

श्री अध्यक्ष : दायमा जी आप बिराजें। आपका सवाल नहीं था। आपने सूचना दे दी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर साहब ने जो रिसर्च सेण्टर्स की बात कही है कि जो उनका उद्देश्य था वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे

(श्री दिग्विजय सिंह)

हैं, मेरे ख्याल में मुख्य सवाल इसी बात का था। रिसर्च सेण्टर जिस काम के लिये हैं उनका पूरा उपयोग हो रहा है। उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अब भी कई ऐसे सेण्टर्स हैं जहां उन रिसर्च सेण्टरों के जरिये जितना काश्तकारों को ज्ञान या उपयोग मिल जाना चाहिये था वह नहीं मिल पाया और उसके लिये आज मैंने डाई-रेक्टर रिसर्च सेण्टर से बात की है कि सारी स्थिति को दुबारा देख करके इस प्रकार की व्यवस्था करें कि काश्तकारों को रिसर्च सेण्टर्स के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ पहुंचे और वह पूरा उपयोग उन रिसर्च सेण्टर्स का ले सकें। खास तौर से नौगावां का जो रिसर्च सेण्टर है इसके जरिये सरसों का जो उत्पादन हुआ है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेण्टर दुर्गापुरा में स्थापित है उसके जरिये सरसों का जो उत्पादन हुआ है, वह हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान में सबसे ज्यादा बढ़ा है। और पहले दर्जे के ऑयल सीड्स के उत्पादन में राजस्थान आया है। उसका मुख्य कारण यह रहा है कि रिसर्च सेण्टर के माध्यम से काश्तकारों को काफी ज्ञान और लाभ पहुंचा।

श्री अध्यक्ष : वह यह पूछ रहे हैं कि यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कण्ट्रोल होता है या आपके डाइरेक्ट्रेट से।

श्री दिग्विजय सिंह : आई.सी.ए.आर. से इसका पैसा मिलता है। बाकी एग्रीकल्चर रिसर्च सेण्टर होता अपने यहां से है, डाई-रेक्ट्रेट से।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में तो इस तरह के अनुसंधान केन्द्र और कृषि विज्ञान केन्द्र हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे जयपुर जिले में मेरा क्षेत्र चौमूं, जिसमें वेजीटेबल प्रोडक्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, तो नये जो कृषि विज्ञान केन्द्र या वेजिटेबल रिसर्च सेण्टर खोलने के कुछ प्रस्ताव आपके यहां विचाराधीन हैं उनमें क्या उन क्षेत्र को आप प्राथमिकता देंगे जहां पर वेजिटेबल प्रोडक्ट सर्वाधिक राजस्थान में होता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी लेना चाहता हूं कि राजस्थान में और कितने रिसर्च सेण्टर खोलना विचाराधीन है। क्या यह सही है कि 13–1–88 को हिन्दुस्तान के कृषि राज्य मन्त्री हरि कृष्ण जी शास्त्री कोटपुतली और लालसोट आये थे और उन्होंने घोषणा की थी, शायद कोटपूतली में उन्होंने शिलान्यास भी किया था, कि दोनों स्थानों पर हम जल्दी से जल्दी कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे। उसके लिये शायद उन्होंने जमीन वगैरा भी एक्वायर कर ली, ग्राम पंचायत से जमीन का प्रस्ताव करा लिया। तो सरकार कब तक वहां पर रिसर्च सेण्टर खोलेगी या नहीं खोलेगी। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सरसों के बारे में कहा था। राजस्थान में जो सरसों की रिसर्च हुई है वह क्या नौगांवा से हुई ? उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स नौगांवा में हुए या दुर्गापुरा में हुए ? जो सरसों का नाम है, नामकरण जो राजस्थान में प्रचलित है, उससे ऐसा लगता है कि वह सारा रिसर्च दुर्गापुरा में ही हुआ। नौगांवा में कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई और जो बाजरी के बारे में कहा गया है मैं समझता हूं कि राजस्थान की बदकिस्मती है कि बाजरी में राजस्थान बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। बाजरी का बीज पूरा का पूरा हम लोग या तो महाराष्ट्र से या मद्रास से मंगाते हैं, और हम भुगतभोगी हैं कि राजस्थान में जो भी रिसर्च हुई उसके बहुत बुरे नतीजे हुए हैं। एक तो गंगानगर में हुई और गंगानगर में इतने बुरे नतीजे हुए कि किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई और वहां बीज उत्पादन हुआ ही नहीं।

इसलिए नौगांवा का जो रिसर्च सेण्टर है उसमें तो सबका एक सवाल था कि इसके बारे में स्टडी टीम ने रिपोर्ट दी है कि यह बन्द कर दिया जाये, यह यूजफुल नहीं है जिस तरह की इसकी प्रोग्रेस है इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उस इलाके का फायदा हो, या अपने क्षेत्र का फायदा हो। यह जो सरसों है, निश्चित रूप से राजस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूसा ब्रांड के बाद बरूना की जो क्वालिटी है और राजस्थान में उत्पादन है वह बहुत अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमृतलाल जी परमार।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो कृषि विद्यालय बनते हैं अगर इसकी बिल्डिंग हम बनाकर आपको दे दें, हमारे पाली जिले में कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, तो आप इस संबंध में क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां के सारे विद्यार्थी ...

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल साफ है, अब "क्योंकि" क्यों लगा रहे हैं ? कृपया आप बिराजें।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई आश्वासन संबंधी बात कही है, उससे सीधा संबंध नहीं है और मुझे कोई जानकारी नहीं है जो मैं बताऊं। आपने जो बात कही, यह सरसों का रिसर्च दुर्गापुरा में ही हुआ है। मैंने आपको इस बारे में पहले कहा है कि नौगांवा में भी यह एक पार्ट है। वहां पर जो इसके ऊपर रिसर्च हुआ है मुख्यतः वह रिसर्च आपका कहना सही है दुर्गापुरा में ही हुआ है, और उसके परिणाम जो आये मैंने आपको बताये।

दूसरा आपने बाजरे के संबंध में कहा। निश्चित रूप से तीन वर्षों के अन्दर पहले जब बाजरे की फसल बिगड़ी थी उसमें काफी चिन्ता का विषय रहा था और उसमें चेपा का रोग भी लगा था और उससे हजारों मन बाजरा नष्ट हो गया था। उस पर मैंने जानकारी की है, उसका किस प्रकार से रोकथाम करेंगे। मैं इतना ही कह सकता

(श्री दिग्विजय सिंह)

हूं कि अगली फसल आयेगी उससे पहले इसको चैक करने के लिए क्या हो सकता है, करेंगे।

आपको याद होगा पहले जब बीज महाराष्ट्र से हमारे पास आया था वह भी गलत आ गया था। इतना गलत था, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं मुझे याद है, मैं तब विपक्ष में बैठता था तब यह इश्यू उठा था, टाइम बार्ड बीज आया था। उसमें घोटाला भी काफी हुआ था, जांच आदि के आदेश भी दिये थे, यह एक अलग प्रश्न है। निश्चित रूप से हमारी फसल किस प्रकार से बच सके यह विषय इन सेन्टर का मुख्य काम है। इनको और सक्रिय करेंगे, ताकि हमारे काश्तकारों की फसल को बचाया जा सके।

चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने वेजिटेबल जो अधिक होता है उसके बारे में रिसर्च सेन्टर खोलने की बात कही है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूं सब क्षेत्र बंटे हुए हैं चौमूं और आस-पास का क्षेत्र दुर्गापुरा रिसर्च सेन्टर के साथ अटैच्ड है दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र उसको कवर करता है। इसलिए अलग से अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य जो चौमूं से पधारते हैं वे खुद सवेरे चौमूं जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। इतना नजदीक है। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमृत जी का जवाब नहीं आया है।

श्री दिग्विजय सिंह : भवन बना देंगे तो हम खोलेंगे। हम कॉलेज खोलेंगे तब भवन मांग लेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, इसमें मूल प्रश्न एक ही है। क्या रिसर्च सेण्टर में कॉलेज खोला जा सकता है? इसको आप एग्जामिन कर लें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया है कि रिसर्च सेण्टर में कॉलेज नहीं खोला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप इसको एग्जामिन कर लें।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने आदेश दिया है तो मैं इसको एग्जामिन करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का अन्त बहुत अच्छा हो गया है। आप बिराजें। आपका काम मैंने कर दिया है।

श्री जुबेर खां : एक मिनिट

श्री अध्यक्ष । आप बिराजें एक ही सवाल नहीं है।

नेक्स्ट। माननीय श्री लक्ष्मीचन्द जी।

सवाल और भी हैं। कृपया बिराजें। बीस मिनट हो गये।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय मैंने तो बीस मिनट नहीं लिये हैं। मैंने तो सदन

(श्री जुबेर खां)

के सामने अपनी बात नहीं कही है । मैं सदन के सामने....

श्री अध्यक्ष : आपको और मौका मिलेगा, बिराजिये ।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, एक बात मंत्री जी ने कही है कि रिसर्च सेण्टर में कॉलेज नहीं खोला जा सकता है । हर जगह खुलते हैं । कितने ही उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं । दूसरा आपने कहा खैरथल में खोलने के लिए, जहां नये सिरे से सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा । और वहां आप बनाने को तैयार नहीं हैं जहां सब कुछ मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, लाखों रुपया खर्च हुआ है, होस्टल मौजूद है । इस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की नीति क्या है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, आप बिराजें ।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, हमको दबाया जा रहा है । यह बिल्कुल दबाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप जो बोलें वह रिकार्ड न करें । इनका भाषण रिकार्ड न किया जाये ।

श्री जुबेर खां : ठीक है हम सवाल ही नहीं किया करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मत करें । माननीय श्री लक्ष्मीचन्द ।

सांचौर क्षेत्र की सड़कें

78, **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता(सांचौर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालोर जिले में सांचौर से भवातड़ा, सांचौर, से झाब, सांचौर से भीनमाल झाब से चितलबाना, झाब से रानीवाड़ा सड़कें कौन–कौन से साल में स्वीकृत हुई हैं व इन पर मेटल व डामर प्रत्येक सड़क पर किस-किस साल में कितना-कितना किलोमीटर पर डाला गया है ?

(2) क्या यह सही है कि सांचौर से भवातड़ा रोड को बने 40 साल हो गये हैं ? यदि हां, तो इस पर कितना किलोमीटर मेटल और डामर कब डाला गया तथा इस सड़क को सांचौर से जाणवी तक कब तक पूरा करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी):

(1) चाही गई सूचना सूची "1" में संलग्न है ।

(2) जी नहीं । इस सड़क पर कि. मी. 7×0 से 10/0 में मेटल कुटाई कार्य वर्ष 1985 में, कि. मी. 11/0 से 15/0 में मेटल व डामरीकरण कार्य वर्ष 1987 में कि. मी. 7×10 से 11/0 (4 कि. मी.) में मेटल सड़क कार्य एवं डामरीकरण का कार्य वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में किया गया । सड़क सांचौर से जाणवी को धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय खण्ड एक में चाही

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सूची "1" संलग्न है उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं। सांचौर से भवातड़ा यह सूची दी हुई है उसमें दूसरे कालम में वर्ष तथा किलोमीटर, मेटल डाला गया, वर्ष तथा किलोमीटर, इसमें दूसरी पंक्ति में जो 1986–87 है उसमें गलती से 7 से 11 किलोमीटर लिख दिया गया था यह 11 से 15 किलोमीटर है। इसी प्रकार तीसरे कालम में 1986–87, पहली जो लाइन है उसमें 7 से 11 किलोमीटर के बजाय 11 से 15 किलोमीटर है। यह कृपया प्रश्नकर्ता शुद्धि कर लें।

(सूची के लिये परिशिष्ट–2 देखें)

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : 7 किलोमीटर कौन बनायेगा। गिनती एक से शुरू होती है। आपने बीच की सड़क बना डाली। बीच की सड़क बनाने का कारण क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, सांचौर से भवातड़ा जो सड़क है उनकी कुल लम्बाई 52 किलोमीटर है, इस सड़क पर 9.5 किलोमीटर जो पहले है उसमें डामर कार्य हुआ है, 35.5 किलोमीटर ग्रेवल है और 7 किलोमीटर मार्ग कच्चा है। जो प्रश्नकर्ता ने पूछा वह मैंने बताया है कि इन वर्षों में किया गया है। इसके पहले सड़क बनी हुई है उसका वर्णन करने की आवश्यकता मैंने नहीं समझी है।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1987 में माननीय भैरोंसिंह जी इस सड़क पर चले थे। आपने डामर बताया, पर वहां कंकड़ थे। और गाडी के पंचर हो गया था। सांचोर से 7 किलोमीटर एक पालड़ी गांव आता है, आपने पालड़ी को बीच में छोड़ दिया है ताकि रोड़वेज की बसें नहीं चल सकें। 7 से 11 किलोमीटर तक सड़क क्यों नहीं बनीं, इसका क्या कारण है ? यह बीच की सड़क आप कब तक बनायेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। एक सवाल का जवाब आ रहा है। आप तसल्ली रखिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता महोदय, ने इस सड़क के हालात की जानकारी दी है कि इस पर चलने से गाड़ी पंचर हो गई थी। तो निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी करवाऊंगा और जांच कराने के बाद इसको ठीक कराऊंगा और ठीक निर्माण हो इसका प्रयत्न करूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : मेरा प्रश्न यह है कि एक से सात किलोमीटर तक आप सड़क बनायेंगे या नहीं बनायेंगे। आपने बीच में सड़क बना दी।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल मंत्रीजी से करना चाहता हूं। सांचौर से भीनमाल जो सड़क है, यह जिले की सड़क है। जालौर से यह शुरू होती है, भीनमाल से यह सड़क सांचौर तक जाती है और भीनमाल नगरपालिका के क्षेत्र में से होकर गुजरती है। इस सड़क की किसी तरह से मरम्मत नहीं होने के कारण जगह-जगह गड्डे हैं, रेल्वे स्टेशन के आगे पानी भरा रहता है, दो–दो महिने तक पानी भरा रहता है, यह बहुत बड़ी समस्या

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

है। आपने बताया कि यहां डामर हुई है परन्तु एक जगह तो सड़क इतनी ऊंची बना दी गई है कि दुकानें नीचे रह गई हैं। वर्षा का पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी दुकानों में भरता है। सड़क पर गड्डे हैं, इससे आवागमन में दिक्कत होती है, रेल यात्री बाहर आते हैं तो उनके कपड़े भीगते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है उसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सड़क निर्माण कार्य में बहुत बड़ा असन्तुलन राजस्थान में है। जालौर जिले में 1500 से अधिक की आबादी के 118 गांव हैं जिसमें से 113 गांव चाहे डामर हो, चाहे ग्रेवल हो, चाहे मेटल हो उससे जुड़े हुए हैं, केवल 5 गांव शेष हैं। यह बात सच है कि ये 5 गांव सांचौर तहसील के हैं यानि असन्तुलन निर्माण करने में इस जिले में भी यह भेदभाव बरता गया है आपके साथ ? इसी प्रकार सारे राजस्थान की स्थिति को हम लें तो इस जिले में तो पांच गांव ही हैं, किन्तु राजस्थान में ऐसे जिले भी हैं जहां, 44,46,48 गांव तक शेष हैं। राज्य सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि यह जो असन्तुलन का निर्माण हुआ है, उसके कारण चाहे कुछ भी रहे हों, जिसका वर्णन मैं यहां नहीं करना चाहता, राज्य सरकार अवश्यमेव इस असन्तुलन को दूर करेगी। इस दृष्टि से हम वित्त मुहैया करेंगे। इसमें थोड़ी देर होगी, आपको कष्ट होगा, उसको सहन करना पड़ेगा। इस रीति नीति के साथ अब राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह सारा असन्तुलन दूर कर देंगे। माननीय श्री जगजीतसिंह.

श्री जगजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ने का क्या राज्य सरकार विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप बिराजिये।

श्री जगजीत सिंह : यह नीतिगत प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई नीतिगत सवाल नहीं पूछा जा सकता।

श्री जगजीत सिंह : आज भी दो-दो किलोमीटर पर ग्राम पंचायत हैं जिनको डामर की सड़क से नहीं जोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न–काल में नीतिगत सवाल नहीं पूछा जा सकता आप बिराजिये। श्री चम्पालाल बांठिया,

श्री चम्पालाल बांठिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष में जो डामरीकरण सड़कों का किया गया है उन सड़कों में से अनेक सड़कों पर केवल मेटल के ऊपर डामर को छिड़का गया है, इसलिये पत्थर निकले हुए हैं और उसके ऊपर पैदल चलना भी कठिन हो गया है। क्या विभाग ने कोई इस तरह का

(श्री चम्पालाल बांठिया)

नीतिगत निर्णय लिया है ? आधी सड़क की तो कुटाई हुई है, रोलर चले हैं और आधी पर रोलर भी नहीं चले हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल।

आप पूछें, गुलाबसिंहजी,

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही सवाल माननीय मंत्रीजी से करना चाहता था कि आज तक जितने घपले दूसरे डिपार्टमेंट में हुए हैं, सबसे ज्यादा घपले सार्वजनिक निर्माण विभाग में हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजिये। हो गया यह सवाल।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : जालौर जिले से लगते हुए पाली जिले और सिरोही जिले....

श्री अध्यक्ष : आप पाली जिले को छोड़िये अब, यह सवाल आपका आ गया। आप घपलों की जांच पूछ रहे हैं इसमें पाली भी आ जायेगा, सब आ जायेंगे। आप बिराजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी की ओर ध्यान निश्चित रूप से दिया जायेगा। जैसा पाली जिले से आने वाले माननीय सदस्य सवाल कर रहे थे, पाली और सिरोही जिले में एक भी गांव शेष नहीं रहा है। क्राइटेरिया के अनुसार जो सड़क से नहीं जुड़ा है। यह दोनों पाली और सिरोही जिले वैसे हैं जो कि पूरे जुड़ गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बिराजिये। गुलाबसिंहजी, आप बिराजिये।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, यह गलत जवाब है कि पाली और सिरोही का एक भी गांव बाकी नहीं बचा है सड़क से जुड़े बिना। यह सिरोही को भी देख चुके हैं, पाली को भी देख चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौन बोल रहा है ? बिराजिये आप। यह क्या तरीका आपने अपना रखा है। आप पांच आदमी एक साथ बोल रहे हैं। हाउस के डेकोरम को मेनटेन करने का तरीका यह नहीं है। सवाल बिल्कुल साफ हो गया है। संतुलन रखने की बात कह दी है, घपलों की जांच करेंगे। अब आप बार बार जो भी आपको कहना है, व्यक्तिगत रूप से आप अपनी-अपनी सूचना दे देवें इनको। आप यहां सारी बात करेंगे तो और सवाल रह जायेंगे। नैक्स्ट

प्रश्न संख्या 79 श्री मोहनलाल बारूपाल (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट—श्रीमती विद्या पाठक

सहकारी ऑडिट का पृथक विभाग

80. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) क्या यह सही है कि सन् 1988 में राजेन्द्र जैन मितव्ययता समिति ने सहकारी ऑडिट को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान से पृथक करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सिफारिश को तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने अगस्त, 1988 में स्वीकृत कर दिया था तथा 30 अगस्त, 1988 को सहकारिता विभाग तथा बजट अनुभाग (वित्त) को एक पत्र भेजकर उस सिफारिश को लागू करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना की दिशा में क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों और उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(4) अब सरकार कब तक तत्संबंधी निर्णय को लागू करायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहती हूं पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में। माननीय मंत्री महोदय, ऐसा लगता है विभाग ने यह जवाब आपको सही नहीं दिया है। राजेन्द्र जैन मितव्ययता समिति ने मितव्ययता के संबंध में को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिये पांच सिफारिशें की, उनमें से जो इस प्रश्न से संबंधित हैं, ऑडिट को रजिस्ट्रार से अलग करने की बात, उसकी फिफ्थ रिकमण्डेशन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से यहां सुनना चाहूंगी :

"The Cooperative Department:- Finance Department may examine the issue of separation of Audit Wing from the Executive Wing and making the Audit independent of Executive Wing in the Cooperative Department." इसकी कंसोनेन्स में, अनुपालना में, फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने एक पत्रक निकाला, बजट आफिसर एण्ड डिप्टी सैक्रेटरी टू गवर्नमेंट ने, उसमें फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लिख कर दिया, मैं इसका थोड़ा सा आपरेटिव पोर्शन पढ़ कर सुनाऊंगी, यह राजेन्द्र जैन महोदय के विषय में है :–

"The Secretary to Government, IGN Department, while examining the expenditure of Audit Wing of Cooperative Department, has recommended that the issue of separation of Audit Wing from the Executive Wing and making the Audit Wing independent of Executive Wing in Cooperative Department may be examined and implemented after

(श्रीमती विद्या पाठक)

taking the approval of the Minister concerned." इस पत्र के बाद दूसरा पत्र निकाला है फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने। उसका भी आपरेटिव पोर्शन थोड़ा पढ़ कर सुनाऊंगी :–

"In respect of Audit Wing of Cooperative Department, which are also endorsed to you vide this Department letter of even number dated 18-8-88, all the recommendations of the Committee, as contained in para 15, have been accepted by the State Government at the level of Chief Minister. Your particular attention is invited towards recommendation No. 15 which is made to improve the working and efficiency of the Department. The Department may implement these recommendations after taking the approval of the Minister concerned and you are requested to take necessary action on these recommendations in under intimation to the Finance Department,"एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने दिया था, इसी विषय में दिया था, कि क्या इसको सेपरेट करने की बात सरकार सोच रही है। उसके संबंध में जो मुझे उत्तर दिया है उसका लास्ट पैरा, तीन लाइनें हैं, पढ़ कर सुनाना चाहूंगी," राज्य सरकार ने राजेन्द्र जैन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर अपने यू. ओ. नोट, दिनांक 30-8-88 एवं 31-8-88 द्वारा यह निर्णय लिया है कि ऑडिट अनुभाग को एक्जीक्यूटिव से पृथक कर सीधा राज्य सरकार के अधीन किया जाय, इसकी क्रियान्विति की कार्यवाही चल रही है।"

आज, माननीय मंत्री महोदय, आपसे जवाब दिलवाया गया है कि इसका प्रश्न ही नहीं उठता और ऐसी कोई रिकमण्डेशन नहीं है। एक तो मैं यह पूछना चाहूंगी इस तरह के उत्तर जो आपसे दिलवाना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अभी कहा कि साहब, "जी नहीं, जी नहीं" कर दिया और स्पष्ट उत्तर नहीं है और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन उत्तर कहीं गलत नहीं है। एक्चुअली माननीय सदस्या को यह रिपोर्ट कहां से मिली, मैं इस बारे में नहीं कह सकता।

श्रीमती विद्या पाठक : डिपार्टमेंट से।

श्री चतुर्भुज वर्मा : लेकिन राजेन्द्र जैन की जो कमेटी बैठी थी उसने अलग करने के लिये सिफारिश नहीं की थी। उसने खर्चों के ऊपर, मितव्ययता के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें क्या सुधार लाया जाय ऑडिट विभाग में, इन दो बातों के लिये चार सिफारिश की हैं, पांच सिफारिश नहीं की हैं। इनकी फीस बढ़ा दी जाय, ऑडिट फीस की दरों में तुरन्त संशोधन कर दिया जाय, पहली सिफारिश है। दूसरी है, ऑडिट के वर्तमान 44 समितियां के स्थान पर 50 समिति कर दी जायं।

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

यह दो हो गई । तीसरी है, केवल दस या पन्द्रह सदस्यों की कोई सोसायटी होती है तो उसका ऑडिट निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं करवाया जाय, ऐसी समितियों का ऑडिट चार्टेर्ड अकाउण्टेण्ट या रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, द्वारा अनुमोदित आडिटर से करवाया जाय । चौथी सिफारिश उन्होंने की है कि सहकारी विभाग व वित्त विभाग आडिट विंग को कार्यकारी विंग से अलग करने के मुद्दे का परीक्षण करके निर्णय लेवें, सोच विचार कर निर्णय लेवें, कि क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा । तो इसमें कहां गलत उत्तर है ? अभी तो विचार चल रहा है । इसमें कैसे निर्णय होगा, यह समय आएगा तब देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : सिफारिश तो यह की है उन्होंने मंत्री जी, अब आप यह कहिए कि विचार नहीं कर पाये हैं ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, अध्यक्ष महोदय । अगर ऑडिट विभाग को एकाधिकार दे दिया गया तो समिति का ऑडिट करना पड़ता है और विभाग के आदमी होते हैं इसलिए एकाधिकार उनको देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । हां ठीक है, उनका एक ही चीफ आडिटर जो हमने बनाया है, अन्य विभागों में भी राजस्थान लेखा सेवा के सुपर टाइम स्केल के अधिकारी के बराबर उनका पद है । आप किसी भी विभाग को ले लें, पी.डब्लू.डी. को ले लें, अन्य विभागों को ले लें, कहीं अलग नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वह मंजूर करें या न करें यह आपकी मर्जी है । इस समिति ने आपको सिफारिश की है कि आप इसकी जांच कर लें कि इसकी ऑडिट रजिस्ट्रार के अलावा आडिटर से करवाई जा सकती है या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा । यह सही है कि राजेन्द्र जैन कमेटी ने इस प्रकार की सिफारिश की थी और सरकार ने उस पर विचार करने के बाद अभी पहले जो निर्णय लिया था उसी निर्णय की दृष्टि से, मैं समझता हूं, और विचार करने की आवश्यकता है । मैं चाहूंगा कि सहकारी विभाग में जिस प्रकार की ऑडिट की व्यवस्था है वह पूर्णतया सही नहीं है, इसलिए इस ऑडिट व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जा सके, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, और क्या व्यवस्था हो सकती है, इसमें सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी । यह मेरी जानकारी में भी है कि जो ऑडिट विभाग में आडिटर्स होते हैं, को-आपरेटिव आदि में जो आडिटर्स होते हैं वह कई बार कई संस्थाओं में संचालक मण्डल में या प्रबंधक मण्डल में शामिल रहते हैं । वही व्यक्ति अगर ऑडिट में लगा दिये जाते हैं तो इस बात के चांसेज बहुत बनते हैं कि दोनों में किसी प्रकार का तालमेल हो जाय । उस दृष्टि से, राजेन्द्र जैन ने चाहे कुछ भी सिफारिश की हो या न की हो, सरकार इस सारे प्रश्न पर नये सिरे से विचार करके शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी । जो

(श्रीमती विद्या पाठक)

आदेश निकाले हैं उनकी अनुपालना नहीं करने के लिए अब तक कौन जिम्मेदार रहा। दिनांक 31–8–88 के आदेश हैं। मंत्री महोदय इसको री–कंसीडर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी ग्रेविटी को माना भी है कि यह बहुत गम्भीर बात है। कई बार एक ही व्यक्ति 3–3 पदों पर अपने ही स्थान पर अपने ही कार्यकलापों की ऑडिट करने के कारण बहुत सारे भ्रष्टाचार और हजार करोड़ से ज्यादा रुपये सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार में अटके हुए हैं। इसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूं। परन्तु अनुपालना 31–8–88 के आदेशों की, जो सी. एम. लेवल पर स्वीकृत होकर आदेश वित्त विभाग ने निकाले हैं, उनका इम्पलिमेण्टेशन क्यों नहीं हुआ और न करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसको भी देख लिया जायेगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न यह पूछना चाहूंगा, बल्कि एक राय देना चाहूंगा, कि जो सहकारी समितियों और सहकारी विभाग में ऑडिट का सिलसिला है, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि सहकारी समितियां, मार्केटिंग और जितनी भी सहकारी संस्थायें हैं, उनमें किसी में भी लेजर एकाउण्ट नहीं बनता। जो आडिटर विभाग का होता है वही आडिट करके अपनी रिपोर्ट उस संस्था को या हायर ऑथोरिटी को देता है। कैश बुक के साथ-साथ सहकारी संस्थाओं में अगर लेजर अकाउण्ट बनें तो इसमें जितने भी घपले होते हैं उनको रोका जा सकता है। लेजर एकाउण्ट इसलिए नहीं बनता कि सहकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वह अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पर जो वर्ष के अन्त में बैलेंस शीट और प्राफिट एण्ड लॉस निकाला जाता है उसमें एडजस्टमेंट से सारी एंट्रीज कम्पलीट करली जाती हैं और लेजर एकाउण्ट अगर होता तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एण्ड लौस एकाउण्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक एक नये पैसे का मिलान नहीं होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सहकारी संस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो लेजर अकाउण्ट हर सहकारी समिति, मार्केटिंग सोसायटी में निश्चित रूप से बनना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सुझावों के लिए धन्यवाद। इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हेमराज मीणा।

आदिवासी क्षेत्रों में गेहूं का निर्धारित मूल्य

81. **श्री हेमराज मीणा**(किशनगंज) एवं **श्री बालचन्द आर्य**(डग) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों हेतु गेहूं का मूल्य रु. 1.53 पैसे प्रति किलो निर्धारित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि किशनगंज शाहबाद तहसील क्षेत्र (कोटा) में आदिवासी सहरिया लोगों हेतु गेहूं का मूल्य रु.

(श्री बालचंद आर्य)

1.65 पै. प्रति किलो निर्धारित है ? यदि हां, तो यह विसंगति क्यों है और क्या किशनगंज शाहबाद में भी गेहूं का मूल्य रु. 1.53 पै. निर्धारित कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) जी नहीं। बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों हेतु वर्तमान में गेहूं रु. 1.79 प्रति किलो निर्धारित है।

(2) जी नहीं। किशनगंज शाहबाद तहसील क्षेत्र समन्वित आदिवासी विकास क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, अतः इस क्षेत्र के आदिवासी सहरिया लोगों हेतु गेहूं का वर्तमान में मूल्य रु. 2.25 निर्धारित है। यदि भारत सरकार शाहबाद तहसील क्षेत्र को भी समन्वित विकास क्षेत्र योजना के अन्तर्गत ले लेगी और इस योजना को उस क्षेत्र में लागू करेगी, तो गेहूं के मूल्य अन्य समन्वित आदिवासी विकास योजना क्षेत्रों के समान हो सकते हैं।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। बांसवाड़ा जिले के ट्राइबल क्षेत्र में तो 1.79 रु. किलो गेहूं दिया जाता है और किशनगंज शाहबाद में 2.25 रु. है। तो यह भेदभाव कैसे दूर होगा इसके बारे में क्या सरकार का कोई विचार है ? यदि समन्वित विकास योजना सहरिया किशनगंज, शाहबाद में लागू नहीं है तो क्या मंत्री महोदय लागू रखने का विचार रखते हैं ? अगर रखते हैं तो कब तक रखते हैं, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, समन्वित आदिवासी विकास क्षेत्र योजना भारत सरकार द्वारा तय होती है कि कौनसे क्षेत्र शामिल किये जायें और कौन से नहीं किये जायें। खाद्य विभाग के द्वारा भी जन जाति विकास विभाग को लिखा गया कि वास्तव में वहां पर इस योजना को लागू किया जाना चाहिए और यह जनजाति विकास विभाग के आधीन आता है। वह भारत सरकार से निवेदन करे कि इस क्षेत्र को शामिल किया जाय। वैसे खाद्य विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है। यदि भारत सरकार से तय होकर आ गया तो इस क्षेत्र की योजना के जो रेट तय हैं उसके हिसाब से लागू कर देंगे।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार को लिखेगी ? मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में आश्वासन चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन सारी पत्रावलियों का अध्ययन कर यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार को लिखेंगे।

श्री बालचन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं भी सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि इस योजना हेतु क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिखेगी।

श्री अध्यक्ष : यह आश्वासन हो गया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 82 (कृपया आगे देखिये)

श्री जगजीतसिंह।

Page No. 17

(17)

अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि.

83. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या दी अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. अजमेर के खातों का अजमेर के अन्य विभिन्न बैंकों के खातों के साथ रिकन्साइलेशन 1972 से आज तक किया जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

2. क्या बिना रिकन्साइलेशन के उक्त बैंक में व्याप्त गबन, घपलों व अनियमित–ताओं का पर्दाफाश हो सकता है एवं बैंक की सालाना बैलेन्स शीट व लाभ हानि के खातों का विवरण सही प्रकाशित किया जा सकता है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं तो उक्त बैंक में गबन, घपलों एवं अनियमितताएं किस प्रकार प्रकाश में आई हैं ?

3. क्या दिनांक 9-3-88 को सदन में उठाये गये तारांकित प्रश्न संख्या 44, 45, 57, 39/सह. मं. दिनांक 9-3-88 के प्रश्न सूची आइटम सं. 128 के परिशिष्ट "क" के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर लेखापाल दोषी पाये गये और उनको निलंबित किया गया था ?

4. यदि हां, तो उक्त लेखापाल को बैंक की सेवाओं से तुरन्त प्रभाव से सेवा मुक्त कर राज्य सरकार द्वारा सी. बी. आई. से जांच करवाने के आदेश बैंक के सदस्यों से बार–बार अनुरोध करने पर भी क्यों नहीं प्रसारित किये गये ?

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : 1. जी हां । बैंक के विभिन्न खातों में से 11 बैंकों के खातों का मिलान करा लिया गया है । शेष 4 बैंकों के खातों का मिलान कार्य चालू है । विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट 1 पर रख दिया गया है ।

2. बैंक द्वारा अन्य बैंकों में रखे गये खातों में तथा कथित किसी गबन घपले या अनियमितता का पता लगाने में मिलान का काम सहायक होगा । रीकन्सोलिएशन में जमा राशि में अन्तर आने पर ही उसका प्रभाव बैंक के वार्षिक लेखों पर पड़ सकता है । बैंक के वार्षिक लाभ हानि व सन्तुलन चित्र का प्रकाशन संबंधित संस्था में संधा-रित लेखों के आधार पर किये गये ऑडिट के आधार पर किया जा सकता है । विभा–गीय ऑडिट निरीक्षण एवं जांच से इस बैंक में हुई विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं ।

3. जांच के आधार पर पाये गये दोषों के लिए लेखापाल के विरुद्ध अनु–शासनात्मक कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया था तथा उन्हें निलंबित किया गया था ।

4. बैंक के लेखापाल के निलम्बन के पश्चात एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है । संबंधित बैंक लेखापाल पर आरोपित दोष गबन से संबंधित नहीं होकर अनियमितताओं के बाबत थे, अतः पुलिस से जांच नहीं कराई गई । लेखापाल श्री हनुमान प्रसाद कछावा के विरुद्ध एक अन्य जांच कार्यवाही अब भी चालू है ।

(विवरण के लिए परिशिष्ट संख्या 3 देखें ।)

(18)

श्री जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया, लगता है कि अधिकारियों द्वारा उनसे गलत जवाब दिलवाये गया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बाकी के बैंकों का रीकन्साइलेशन क्यों नहीं हुआ। इसका क्या कारण रहा? क्या यह बात सही है? शेष बचे हुए बैंकों के री–कन्साइलेशन के लिए आर. बी. आई. जयपुर ने बार–बार निवेदन किया कि उनके खातों का मिलान कराया जाना चाहिए। आपने अब तक उनके खातों का क्यों नहीं मिलान किया? साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह वार्षिक प्रतिवेदन अजमेर को–आपरेटिव बैंक के अन्दर पेज 6 पर "खाते मिलानीय ऋण–गत 17 वर्षों से बैंक के खातों का बैलेन्स एवं रीकन्सीलेशन कार्य पेंडिंग चल रहा है।" यह अजमेर अर्बन को-आपरेटिव बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन है। जब इसमें यह स्वीकार किया है तो पिछले 17 वर्षों से इसका काम पेंडिंग चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : कौन से वर्ष का ?

श्री जगजीतसिंह : कोई से वर्ष का लगा लो, यह तो 17 वर्ष से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट कौन से वर्ष की है ?

श्री जगजीतसिंह : 1987–88 की है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पिछले सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 44,45,57 में क्या अजमेर अरबन को–आपरेटिव बैंक, केसरगंज, अजमेर के लेखापाल के विरूद्ध गबन एवं हेराफेरी आदि के अनेक मामले लम्बित हैं? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही के लम्बित रहने के कारण क्या हैं" इसमें आपकी सरकार का ही जवाब है—"जी हां। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1981–82 दिनांक 3–8–1983 व 1982–83 दिनांक 20–7–1984 को प्राप्त होने पर श्री हनुमान प्रसाद कच्छावा, लेखपाल के विरुद्ध गबन एवं हेराफेरी आदि के मामले पाये गये। पंजीयक, सहकारी समिति द्वारा 28–1–1985 को ही कच्छावा, को निलम्बित करने के निर्देश दिये गये। 15–2–1985 को प्रशासक ने निलम्बित कर दिया।" आप कह रहे हो कि जांच हो रही है। इसी तरह से इसको तीन दफा निलम्बित किया गया है।....

श्री अध्यक्ष : आपने पढ़ा नहीं। इसमें है कि निलम्बन हुआ है, जांच हुई, सजा दी गयी और दूसरे मामलों में भी जांच चल रही है।

श्री जगजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उसका निलम्बन हुआ तो वह अदालत के अन्दर पहुंचा।....

श्री अध्यक्ष : उस निलम्बन में तो उनको सजा हो गई।

श्री जगजीत सिंह : वह अदालत से स्टे लेकर आया था।

श्री अध्यक्ष : स्टे नहीं है।

श्री जगजीत सिंह : इसमें है, साहब।

श्री अध्यक्ष : डिपार्टमेण्ट ने उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी।

Page No. 19

(19)

श्री जगजीत सिंह : मैं पिछले प्रश्न की भी कापी लेकर आया हूं। उसमें यह लिखा हुआ है कि निलम्बन करने के बाद वह अदालत के अन्दर गया। अब आप अगर उसको निलम्बित करेंगे तो वह फिर अदालत के अन्दर जायेगा। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसके स्टे एप्लीकेशन लगाने से पहले आप भी एक केविएट एप्लीकेशन वहां लगा दें तो कोर्ट दोनों पक्षों की सुन ले ताकि वह फिर कहीं स्टे का लाभ न उठा ले। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गुनाहगार तो उधर जो बैठे, एक अपराधी को दण्ड नहीं मिले।....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया।

श्री जगजीतसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसके खिलाफ पुलिस ने एफ. आई. आर. लाज करके....

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब पढ़ा नहीं है। इसमें लिखा है कि जांच से केवल अनियमितता पायी गयी और कोई भी क्रिमिनल केस गबन का नहीं पाया गया। इसलिए एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई। यह जवाब में लिखा हुआ है।

श्री जगजीत सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर....

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि जवाब पढ़ लिया करें आप। आप जवाब पढ़ लें।

श्री जगजीत सिंह : मैंने जवाब पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, साहब।

श्री जगजीत सिंह : यह शेष चार बैंकों के खातों में क्यों नहीं....

श्री चतुर्भुज वर्मा : मिलान करवाया जा रहा है। अभी तक 15 में से 11 खातों में उनका कोई.... (व्यवधान) जब यह विधान सभा में प्रश्न आया, मिलान करवाया जा रहा है, कार्यवाही जारी है।

श्री जगजीत सिंह : कार्यवाही-कार्यवाही के अन्दर लाखों रुपयों का गबन हो गया।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आपको विश्वास दिला रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सारी कापियां लेकर और वहां बैंक जितने भी हैं उनसे मिलान करवा कर विभागीय जांच करवायी जायेगी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सही है कि को-ऑपरेटिव बैंक जितने भी हैं राजस्थान में वह अपने खातों का मिलान न अपेक्स बैंक से करवाते हैं और न ही सहकारी समिति और मार्केटिंग से। उनके खातों से को-ऑपरेटिव बैंक स्वयं करता है।....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : है, साहब।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह एक्सक्लूसिवली अजमेर को-ऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा गया है। आप जनरल सलाह देना चाहें, तो दे दीजिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मेरा निवेदन यह था कि को-ऑपरेटिव डिपार्टमेण्ट के द्वारा पिछली सरकार ने जो दो बार अभियान चलाया उसमें फिजिकल वेरीफिकेशन का एक काम दिया गया था। किसी भी बैंक ने न अपने खातों का मिलान सहकारी समिति मार्केटिंग से और न अपेक्स बैंक से करवाया। न अपेक्स बैंक करती है और न ही बैंक नीचे वाली संस्थाओं का मिलान करती है। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि अगर इन को–ऑपरेटिव एजेन्सीज के अन्दर जो व्यवस्थापक हो चाहे अध्यक्ष हो, चाहे नोमीनेटेड अध्यक्ष हो, इनके घपले अगर पकड़ने हों, तो मेहरबानी करके इनके एकाउण्ट्स का मिलान अपेक्स बैंक से जरूर करवायें। मिलान अगर होता है तो उसमें पकड़े जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : सलाह को नोट कर लें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 84.

नैनवां राजकीय चिकित्सालय की एक्स–रे मशीन एवं रोगी वाहन

84. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय नैनवां, जिला बूंदी, के लिए एक्स–रे मशीन एवं एम्बूलेंस गाड़ी क्रय की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

2. क्या इन दोनों का उपयोग उक्त चिकित्सालय के रोगियों के लिए किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब इनका उपयोग कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :

1. जी हां। एम्बूलेंस वित्तीय वर्ष 1988-89 में तथा एक्स-रे मशीन वर्ष 1989–90 में विभाग द्वारा क्रय की गई।

2. एम्बूलेंस का उपयोग किया जा रहा है तथा एक्स-रे मशीन को स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : सम्माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय कोटा डिविजन के हैं, नैनवां तो इनका कार्य क्षेत्र है, इनको सारी जानकारी है।.... (व्यवधान) राजस्थान में तो श्री भैरोंसिंह शेखावत हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि नैनवां बूंदी जिले का सब से बड़ा नगर है।....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ लें।

श्री रामनारायण वर्मा : नैनवां में जो एम्बूलेंस गाड़ी दी गई है, वह गाड़ी उपयोग में नहीं आ रही है, और माननीय मंत्रीजी इस बारे में मालूमात कर सकते हैं। उसके लिए डीजल का पैसा भी नहीं है। कोई भी मरीज तड़फती हालत में यदि एम्बूलेंस के लिए जाता है तो कहा जाता है कि डीजल नहीं है। गाड़ी केवल मात्र खड़ी है, उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। हो सकता है अस्पताल का स्टाफ उसमें घूमने या इधर उधर जाने के लिए उपयोग कर रहे हों।

(श्री रामनारायण वर्मा)

जहां तक एक्स–रे मशीन का सवाल है, यह विदित ही है कि नैनवा कस्बा बहुत दूर है, वहां से 80 किलोमीटर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहां जाकर तुरन्त कोई एक्स–रे करवा लें। यदि तुरन्त एक्स–रे कराने वाली पोजीशन आ जाती है, तो आदमी को मरना पड़ता है। तो यह सारी स्थिति है। तो एक्स–रे मशीन कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? डीजल गाड़ी कब तक मेन्टेन कर दी जायेगी और कितने पैसे दिये जायेंगे ? मैं यह भी जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, एक तो आप यह बतायें कि "प्रयास किया जा रहा है," इसको जरा स्पष्ट कर दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि डीजल नहीं होने से इस वाहन का उपयोग नहीं हो रहा है। वह मेरी जानकारी में लाये, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके उपयोग के लिए डीजल की कमी को कभी भी कोई बहाना विभाग किसी भी कीमत पर नहीं बनायेगा और रोगियों की सेवा के लिए डीजल की जितनी आवश्यकता होगी वह मुहैया करवाया जायेगा।

एक्स–रे मशीन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 21–12–1989 को यह मशीन नैनवां को आवंटित की गई है जिस समय इस मशीने को देने का विषय आया था, उस समय वहां यह बात हुई थी कि इसके लिए भवन बनाने की व्यवस्था जन सहयोग से की जायेगी। माननीय सदस्य इसी क्षेत्र के विधायक हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमिटमेण्ट वहां किया गया है उसको अविलम्ब पूरा करेंगे, और जैसे ही पूरा करेंगे, तुरन्त इस मशीन को वहां लगा दिया जायेगा और मशीन को चालू करवा दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि आपका सहयोग, जो मैंने मांगा है, उस सहयोग को आप दे करके भवन बनवाने की व्यवस्था जन सहयोग से करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक इसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर भवन का निर्माण नहीं हुआ तो क्या एक्स–रे की मशीन वहां पर...।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। देखिये, आपकी वजह से यह सरकारी गैलरी के लोग भी खड़े होकर चले जाते हैं। आपकी वजह से जाते हैं क्योंकि मैं खड़ा हूं और आप खड़े हैं, अनुशासन में रोज आपत्ति उठती है, आपको देखकर सरकारी अधिकारी भी जाने लगते हैं, इसलिए आप बिराजिये। प्रश्न काल 12 बजे समाप्त हो जाता है। आइन्दा आप पूछ लेना।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टालणियाऊ एवं कांगसिया ग्रामों (नागौर) को पेयजल

79. **श्री मोहनलाल बारूपाल**(जायल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि तहसील जायल, जिला नागौर के ग्राम टालणियाऊ तथा कांगसिया में पानी एक रुपया लोटा बिकता है और पाइप लाइन डालने के बावजूद भी वहां पानी नहीं दिया जा रहा है ?

2. यदि हां, तो आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार वहां के लिए क्या योजना बना रही है एवं उक्त क्षेत्र में कब तक नियमित रूप से पानी दे दिया है जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. इतना मंहगा पानी बिकने की सूचना विभाग को नहीं है । ग्राम टाली–णयाऊ तथा कांगसिया में जल वितरण नियमित एवं पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है ।

2. योजना के स्त्रोत गांव मिठा–साजरा में दो नलकूपों का निर्माण किया गया है इनको चालू कर नियमित पानी दिया जायेगा ।

ग्राम आकोली जालौर तक सड़क एवं पुलिया निर्माण

82. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि सरकार ने जालौर तहसील के आकोली ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये सड़क एवं पुलिया बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो कब ?

2. क्या अब सरकार उस पुलिया एवं सड़क का शीघ्र निर्माण करवायेगी ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

1. जी नहीं । तहसील जालौर के ग्राम आकोली को सड़क से जोड़ने का एवं पुलिया बनाने की राज्य सरकार द्वारा कोई स्वीकृति नहीं जारी की गई ।

2. वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार ही कार्य कराना संभव हो सकेगा ?

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में हैण्ड पम्प की संख्या

61. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. राज्य से जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस-किस जिले में कितने-कितने हैन्ड पम्प लगे हुए हैं ? नगर-पालिका क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: लगे हुए हैन्ड पम्पों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

2. राज्य में हैन्ड पम्पों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

3. हैन्ड पम्प मरम्मत का कार्य

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

राज्य सरकार ने किस संस्था को सौंप रखा है ? क्या समय-समय पर हैन्ड पम्प की देख-रेख की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. वांछित सूचना परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

2. वास्तविक राशि संकलित करने में समय लगेगा अनुमानित खर्च लगभग 171 करोड़ रुपये हैं ।

3. हैन्डपम्प मरम्मत का कार्य पंचायत समितियों को सौंप रखा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग वर्ष में लगभग दो बार अभियान चलाकर हैन्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य करता है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें ।)

मानसरोवर योजना (जयपुर) के व्यावसायिक प्लाटों की बिक्री

62. **श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास** (जोधपुर) एवं

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड ने मानसरोवर योजना (जयपुर) जनवरी, 1990 में लगभग 152 व्यावसायिक प्लाट जिनकी कुल भूमि 30 हजार वर्गमीटर है को 750/–रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव से बेच दिया है ? यदि हां, तो क्रेताओं के पतों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

2. क्या यह सही है कि अब से लगभग 1 वर्ष 6 माह पूर्व मानसरोवर की आवासीय भूमि नीलामी में 1500 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रय हुई थी तथा आजकल व्यावसायिक भूमि की दर तो 4000 रुपये प्रति वर्गमीटर है उस हिसाब से इस व्यावसायिक जमीन का बाजार मूल्य 12 करोड़ रु. होता है जबकि उपरोक्त विक्रय से मात्र 2 करोड़ 25 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो लगभग 19 करोड़ रुपये को इस हानि का दायित्व किसका है ?

3. क्या यह सही है कि व्यावसायिक प्लाटों का विक्रय खुली नीलामी से किया जाता है परन्तु इन प्लाटों का विक्रय चुपचाप किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा किसके आदेश से किया गया है ?

4. क्या यह सही है कि उक्त समस्त कार्य तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने अधिकारों के प्रयोग द्वारा करवाया ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस अनियमितता के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

1. जी हां, जयपुर की मानसरोवर योजना में सम्पत्ति आवंटन समिति की दिनांक 9–11–89 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सैनेट्री डीलर्स एसोसियेशन को एक ही स्थान पर गोदाम/दुकान कम निवास के लिये रुपये 750/– प्रति वर्गमीटर के हिसाब से भूमि आवंटन करने

(आवासन मंत्री)

का निर्णय लिया गया था। उक्त समिति के निर्णय को संचालक मण्डल की 150 वी बैठक में संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। निर्णय की अनुपालना में दिनांक 25-1-90 को सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से 152 सनेट्री डीलर्स को उक्त प्रयोजनार्थ कुल 21,888 वा वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु लाटरी निकाली गई। भूमि आवंटन के पत्र अभी जारी नहीं किये गये हैं। भूमि क्रेताओं की सूची नाम मय पते के परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रखी गई है।

2. मण्डल द्वारा अक्टूबर, 1988 में जयपुर की मानसरोवर योजना के सैक्टर संख्या 6 में कुल 6 आवासीय भूखण्डों की नीलामी की गई थी जिसमें से 4 भूखण्डों की नीलामी की दर 644 से 870 रुपये प्रति वर्गमीटर तक आई थी। निरस्त किये गये शेष 2 प्लाटों में से एक प्लाट की दर 1000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर व दूसरे की 1001 रुपये प्रति वर्गमीटर आई थी लेकिन बोली लगाने वाले द्वारा मौके पर 1/4 राशि जमा नहीं करवाने पर निरस्त कर दिये गये। उक्त नीलाम किये गये।

3. प्लाटों की औसत दर 760/- रु. प्रति वर्ग मीटर होती है। वर्तमान में प्लाटों की आरक्षित दर 187/-रु. प्रति वर्गमीटर है, जिससे व्यावसायिक प्लाटों की दर 748/-रु. वर्ग मीटर आती है जो छोटे भूखण्डों के लिये है। एक साथ बडे भूखण्डों की दर कम आना स्वाभाविक है। इसलिये हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

4. जी नहीं, व्यावसायिक प्लाटों का विक्रय/आवंटन खाली नीलामी एवं सम्पत्ति आवंटन समिति दोनों द्वारा होता है। सामान्यतया नीलामी से विक्रय किया जा सकता था परन्तु एक ही व्यवसायिक के लोगों को वहां बसने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से समान दर निर्धारित करना आवश्यक था। इन व्यवसाइयों को शहर से बाहर ले जाने की मंशा प्रमुख रही क्योंकि यातायात में अवरोध हो रहा था। जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ईसरदा से सोलपुर एवं ईसरादा से सीतारामपुरा सड़क का निर्माण

63. **श्री चुन्नी लाल (खण्डार)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि ग्राम ईसरदा तहसील सवाईमाधोपुर में कृषि उपज मण्डी सवाई माधोपुर ने ईसरदा से सोलपुर व ईसरदा से सीतारामपुरा सड़क निर्माण हेतु 1989-90 में 9 लाख रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया है ?

2. यदि हां, तो सड़क का सर्वे करवाकर कार्य कब तक चालू करने का सरकार विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. वर्ष, 1989-90 में सम्पर्क सड़क ईसरदा से सोलपुर 3 किलोमीटर एवं ईसरदा से सीतारामपुरा 5 कि. मी. के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, कोई राशि अंकित नहीं की गई।

(कृषि मंत्री)

2. सर्वे कराने के उपरान्त मण्डी की वित्तीय स्थिति के अनुरूप कार्य कराने हेतु विचार किया जाना संभव हो पायेगा।

कुन्दीगर भैरू के रास्ते की क्षतिग्रस्त सड़क

64. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि कुन्दीगर भैरू का रास्ता (मठ का कुआ) जौहरी बाजार, जयपुर में मठ के कुएं से साभरियों के चौक तक की सड़क पर जगह-जगह गहरे खड्डे पड़े हुए हैं तथा सड़क के ज्यादातर ढेबे उखड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते की सड़क पर ढेबे के स्थान पर डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

2. क्या यह भी सही है कि उक्त रास्ते में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं तथा सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है एवं रास्ते की रोड़ लाइट ज्यादातर खराब रहने व गटर लाइन के हमेशा ओवर फ्लो रहने से यहां के नागरिकों का जीवन नारकीय बना हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस अव्यवस्था के सुधार हेतु क्या-क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. कुन्दीगर भैरू का रास्ता (मठ का कुआ) जौहरी बाजार, जयपुर में मठ के कुएं से साभरियों के चौक तक की सड़क में कुछ स्थानों पर ढेबे उखड़े हुए है, जिनको ठीक करवाया जा रहा है। फिलहाल इस सड़क पर डामरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

2. इस रास्ते में हड़ताल के दौरान कुछ स्थानों पर कचरे के ढेर एकत्रित हो गये थे, परन्तु अब नियमित सफाई की व्यवस्था प्रारम्भ हो गई है तथा पुराना कचरा शीघ्र ही उठवा दिया जावेगा। कोई रोड लाइट अभी खराब नहीं है। यहां की गटर लाइन की सफाई करवा दी गई है। एक स्थान पर मैनहोल की सफाई किसी व्यक्ति द्वारा मकान का अहाता बना दिये जाने एवं उसके नीचे दबे हुए होने के कारण नहीं हो सकी है। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र की पेयजल समस्या

65 **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में पेय जल की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो इस समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है ?

2. क्या शाहबाद में पेयजल की दृष्टि से 24 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं यदि हां, तो कौन-कौन से तथा समस्या के समाधान हेतु क्या योजना बनाई गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिन नल योजनाओं पर स्रोत की कमी है वहां पर नलकूप व खुले कुएं कन्टीजेन्सी प्लान में प्रस्तावित किये गये हैं एवं जिन गांवों में हैण्डपम्प आधे से अधिक सूख गये हैं या अवरूद्ध हो गये हैं वहां पर कन्टीजेन्सी प्लान में हैण्डपम्प प्रस्तावित किये गये हैं।

(2) शाहबाद तहसील के 21 गांवों व किशनगंज तहसील के 3 गांवों में पेयजल की समस्या अधिक है। इनकी सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है। सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इनमें से 15 गांवों में 16 अधिक गहराई के हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति जारी हो गई है। शेष 9 गांवों में कन्टीजेन्सी प्लान के तहत हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

टोडाभीम क्षेत्र के हैण्ड पम्प

66. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये एवं उनमें से कितने हैन्डपम्प चालू हैं ? कितने हैण्ड–पम्प अधूरे पड़े हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश हैण्डपम्प खराब हैं ? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक ठीक करा दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रेकार्ड में जल स्तर तक की गहराई कुछ दर्शायी गई है और वास्तव में इससे भिन्न है और बन्द पम्पों को भी चालू दिखाया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 491 हैण्डपम्प लगाये गये हैं, जिनमें से 409 हैण्डपम्प चालू हैं व 82 हैण्डपम्प सूखे हुए हैं अथवा अवरूद्ध हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता है।

(2) जी नहीं। मरम्मत योग्य हैण्ड–पम्प 15 अप्रेल, 1990 तक ठीक करवा दिये जायेंगे।

(3) इस प्रकार का मामला जानकारी में नहीं आया है।

मालवीय नगर (जयपुर) सब्जी मण्डी का निर्माण

67. **श्री काली चरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मालवीय नगर जयपुर में उपहार व्यावसायिक केन्द्र के पीछे वाले पार्क के कुछ हिस्से को सब्जी मण्डी बनाया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सब्जी मण्डी बनकर कब तक तैयार हो जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं। ऐसी कोई योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन नहीं है।

Page No. 27

(27)

सहरिया विकास परियोजना हेतु आवंटित राशि

68. **श्री हेमराज मीणा**(किशनगंज) एवं **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की किशनगंज तथा शाहबाद तहसीलों में सहरिया विकास परियोजनाओं के लिये अब तक कितनी-कितनी राशि का वर्षवार आवंटन हुआ एवं उक्त राशि का उपयोग वर्षवार मुख्यतः किन-किन, मदों में कितना-कितना किया गया ?

(2) इस परियोजना के माध्यम से कितने आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर उठा ? प्रारम्भ से अब तक की वर्षवार प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहरिया विकास परियोजना वर्ष 1977–78 से प्रारम्भ हुई। वर्ष 1977–78 से वर्ष 1989–90 तक कुल आवंटित राशि में से 279.54 लाख रु. का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	कुल आवंटित राशि (लाख रु.)
1977-78	7.00
1978-79	20.00
1979-80	20.00
1980-81	20.00
1981-82	20.00
1982-83	20.00
1983-84	19.50
1984-85	29.80
1985-86	8.00
1986-87	18.85
1987-88	40.07
1988-89	29.32
1989-90	27.00
योगः—	279.54

वर्ष 1977-78 से 1989-90(फरवरी, 1990 तक) निम्नांकित मदों पर कुल 259.814 लाख रु. की राशि व्यय की गई।

क्रम सं	मद	व्यय राशि लाख रु.)
1.	कृषि	11.120
2.	लघु सिंचाई	70.753
3.	पशु पालन	1.930
4.	वानिकी	2.532
5.	शिक्षा	84.103
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	14.207
7.	पेयजल	31.190
8.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.626
9.	विद्युतीकरण	0.480
10.	सड़क पुलिया निर्माण	1.000
11.	सहकारिता	2.820
12.	ग्रामीण गृह निर्माण	7.050
13.	मुफ्त कानूनी सहायता	0.050
14.	बचत समूह योजना	0.034
15.	वृद्धावस्था पेंशन हेतु सर्वे कार्य	0.050
16.	राजस्व रिकार्ड में सुधार कार्य	0.729

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)		
17.	परियोजना भवन, आवासीय भवन आदि निर्माण	3.590
18.	कोर बजट	0.750
19.	प्रशासन	25.800
	योग:—	259.814

(2) सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत-वर्ष 1977-78 से फरवरी, 1990 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 4262 परिवारों को लाभान्वित किया गया : —

क्रम सं.	कार्यक्रम	लाभान्वित परिवार सं.
1.	बैलगाड़ी/बैलजोड़ी	660
2.	कृषि प्रदर्शन	1070
3.	फल विकास	85
4.	कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करना	414
5.	कुओं के निर्माण हेतु अनुदान	186
6.	जलोत्थान सिंचाई परियोजना (दो जलोत्थान परियोजनाएं और निर्माणाधीन हैं)	174
7.	सामूहिक डीजल पम्प-सैट वितरण	282
8.	पम्पसैट हेतु सहायता	32
9.	एनीकट निर्माण (आठ एनीकट और निर्माणाधीन हैं)	242
10.	रेहट हेतु सहायता	20
11.	बकरी इकाई वितरण	32
12.	दुधारू पशु वितरण	26
13.	मुर्गा इकाई वितरण	40
14.	ग्रामीण गृह निर्माण	888
15.	कृषि आदान हेतु रिवोल्विंग फंड	111
	कुल:—	4262

सांगानेर क्षेत्र के ग्रामों हेतु सड़क

69. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के अधिकतर ग्रामों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रारूप में सदन की मेज पर रखें :—

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	पक्की सड़क है अथवा नहीं	पक्की सड़क नहीं है तो निकटतम पक्की सड़क की दूरी	क्या उस ग्राम को सड़क से जोड़ने की कोई योजना है, यदि हां, तो विवरण

(2) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में सन् 1980 से 1989 के मध्य में किन-किन ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया तथा कितनों की प्रशासनिक स्वीकृति हुई परन्तु सड़क डामर युक्त नहीं बन पाई ? इन

(श्रीमती विद्या पाठक)

सब गांवों का नाम, सड़कों की लम्बाई, वर्ष तथा राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सांगानेर क्षेत्र की बनी हुई सड़कों की मरम्मत हेतु गत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि बजट में स्वीकृति हुई? उसमें से कितनी उपयोग में आई व कितनी लेप्स हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के जो ग्राम सड़क से जुड़े हुए हैं, अथवा नहीं जुड़े हैं, उनकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है (सूची "अ")

(2) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980 से वर्ष 1989 के मध्य में जिन गांवों को सड़कों से जोड़ा गया तथा जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति हुई उनकी स्थिति की सूचना संलग्न है (सूची "ब")

(3) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में सड़कों की मरम्मत हेतु राशि का आवंटन, बजट में स्वीकृत तथा उपयोग में आई राशि का विवरण सूची "स" में दर्शाई गई है (सूची "स")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्रामों हेतु पेयजल

70. **श्री हुकमा राम** (सिवाना) एवं **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिवाना विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में अब तक पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो गयी है, तथा कितने ग्राम वंचित हैं?

(2) इस वर्ष कितने ग्रामों में पेयजल पहुंचाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिवाना विधान सभा क्षेत्र के 1981 की जनगणना के 131 गांवों को पेयजल योजना से लाभान्वित किया जा चुका है, तथा एक गांव पेयजल सुविधा से वंचित है।

(2) वर्ष 1989–90 में 8 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था जो प्राप्त कर लिया गया है। विवरण परि–शिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

हस्तकला के कार्य हेतु पानी की दर

71. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में स्वर्णकारों, लुहारों एवं छीपों से जो हस्त-कला लुहारी एवं छपाई का कार्य करते हैं पानी की उपभोग दर व्यावसायिक रूप से ली जाती है?

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(2) क्या राज्य सरकार हस्तकला एवं हाथ से कार्य करने वाले कारीगरों को पेय-जल प्रदाय सामान्य उपभोक्ता दर पर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) हस्तकला, लुहारी एवं छपाई का कार्य करने वालों से व्यावसायिक दर या औद्योगिक दर जो भी लागू होती है, ली जाती है।

(2) इस पर विचार किया जावेगा।

जालौर जिले में कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के चुनाव

72. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार चुनाव कब तक कराने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला जालौर में उक्त सहकारी समितियां कितनी हैं और किन-किन स्थानों पर हैं ? उक्त सहकारी समितियों के संचालक कौन-कौन हैं समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। जालौर जिले की कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के चुनाव माह सितम्बर व अक्टूबर, 1986 में कराये गये थे। लोक सभा व विधान सभा चुनावों के कारण सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हो सके। अब शीघ्र ही सरकार इन संस्थाओं के चुनाव करायेगी।

(2) जालौर जिले में कुल 157 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां है। समितिवार वांच्छित सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट–1 पर रख दी गई है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

व्यवस्थापकों को वेतन भुगतान

73. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में व्यवस्थापकों को वेतन का भुगतान केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जालौर द्वारा पिछले दो माह से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है उनके नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब कब तक वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बैंक में 151 व्यवस्थापकों में से 32 को वेतन भुगतान नहीं हो सका। क्योंकि इनमें से 31 व्यवस्थापकों द्वारा अपनी उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा एक व्यवस्थापक द्वारा बैंक आदेशों की अवहेलना करना है।

(सहकारिता मंत्री)

विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ठ "अ"।

(2) व्यवस्थापकों द्वारा अपनी उपस्थिति का प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत कर देने पर उन्हें वेतन भुगतान कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

ग्राम सायला से बागरा (जालौर) सड़क का निर्माण

74. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने जालौर तहसील के ग्राम सायला से बागरा, वाया बाकरा रोड़-सांथू, पक्की सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त सड़क का कितना निर्माण कार्य हो चुका है तथा कितना कार्य शेष है ? अब कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, इस सड़क के निर्माण हेतु निम्नांकित स्वीकृतियां जारी की गई थी—

(अ) आदेश संख्या एफ–2 (79) पी. डब्ल्यू /एस/79 दिनांक 27–7–1979 द्वारा रु. 6.00 लाख (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)

(ब) आदेश संख्या एफ–(976) सेक्शन–2/86/ डी– 764/ एस दिनांक 26–9–1986 द्वारा रु. 10.00 लाख (आर. एल. ई. जी. पी.–II)

(स) आदेश संख्या एफ–(976) सेक्शन–2/86/डी–764/एस दिनांक 26–9–1986 द्वारा रुपये 7.00 लाख (आर. एल. ई. जी. पी.–II)

(द) वार्षिक मरम्मत कार्यक्रम वर्ष 1988–89 के द्वारा रु. 2.00 लाख।

(ई) आदेश संख्या एफ–2 (37) पी. डब्ल्यू./एस/89/ दिनांक 21–10–1989 के द्वारा रु. 12.00 लाख (एम. एन. पी.)

(एफ) वार्षिक मरम्मत कार्यक्रम वर्ष 1989–90 के द्वारा रु. 4.00 लाख।

(जी) जवाहर रोजगर कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु. 1.20। कुल रु. 42.20 लाख

(2) इस सड़क की 9 कि. मी. लम्बाई में डामर का कार्य तथा 19.500 कि.मी. लम्बाई में मेटल का कार्य हो चुका है। अब सड़क के 1.500 कि. मी. लम्बाई के कच्चे भाग में तथा 2.00 कि. मी. लम्बाई में नदी का भाग शेष है। वित्तीय वर्ष 1990–91 में और 7.500 कि. मी. लम्बाई में मेटल सड़क पर डामर का कार्य कराया जायेगा। शेष कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

मालवीय नगर (जयपुर) में भू-खण्डों का आवंटन

75. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मालवीय नगर, जयपुर में भू–खण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मांगे गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवंटित भू–खण्डों की 300 वर्ग गज तक अधिकतम दर 65/–रुपये प्रति गज रखी गयी थी लेकिन 200 वर्ग गज से अधिक और 300 वर्ग गज क्षेत्र से कम आवंटित भू-खण्डों की दर आवंटितियों से 65/– रुपये के स्थान पर 100/– रुपये प्रति वर्ग गज वसूल की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब आवंटितियों से अधिक वसूल की गई राशि वापिस करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । यह सही है कि मालवीय नगर योजना में स्थित 300 वर्ग गज तक के आवंटन योग्य भूखण्डों की आवंटन दर 65/– रु. (सुरक्षित दर) प्रति वर्ग गज रखी गई थी । परन्तु तकनीकी कारणों से जिन भू-खण्डों का क्षेत्र निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक हो गया था उनके आवंटियों से भंग नगर विकास न्यास जयपुर के आदेश क्रमांक 29660 दिनांक 20-11-81 के क्रम में बढ़ी हुई दर से राशि वसूल की गई थी । जिसमें 201 वर्ग गज से अधिक की श्रेणी वाले भू-खण्ड जिनका की तकनीकी कारणों से क्षेत्रफल बढ़ गया था के भू-खण्ड आवंटियों से बढ़े हुए क्षेत्रफल की राशि रु. 100/–प्रति वर्गगज से वसूल की गई थी, क्योंकि आवासीय प्रयोजनार्थ मालवीय नगर में सन् 1981 में भूमि का बाजार मूल्य 100/– प्रति वर्गगज ही था ।

(3) जी नहीं ।

पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पंजीयन

76. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाडमेर जैसलमेर में पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पंजीयन नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक पंचायत का क्षेत्रफल काफी अधिक है ? ऐसी स्थिति में दो पंचायतों में एक सहकारी समिति का होना जनहित में नहीं है ।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार के सामने नई समितियों के पंजीयन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्तावित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) सरकार उक्त विचाराधीन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय करेगी ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी, हां। समितियों के गठन के विभिन्न मापदण्डों मे मुख्य मापदण्ड सक्षमता होता है। और जिसके आधार पर ही समितियों का गठन किया जाता है।

(3) जी, हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पुनः पुनर्गठन बाबत खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रारों से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर सक्षमता, के आधार पर मापदण्डों के अनुसार नई समितियों के पंजीयन कराना संभव होगा।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त वर्तमान में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समिति पर पड़ने वाले प्रभाव एवम राज्य के वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस पर गुण व दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निःशुल्क दवाईयां

77. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना नकद भुगतान किये एलोपैथिक दवाइयां प्राप्त करने की सुविधा मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज में स्थित राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दुकान पर उपलब्ध है ?

(2) क्या राज्य सरकार यह सुविधा जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. मालवीय नगर, जयपुर में भी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के राजस्व ग्राम

78. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में कुल कितने नये राजस्व ग्राम हैं ?

(2) क्या नये राजस्व ग्रामों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नये राजस्व ग्रामों में कब तक पीने के पानी का इन्तजाम करने का सरकार का लक्ष्य है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना के बाद बाड़मेर जिले में 765 व जिला जैसलमेर में 63 नये राजस्व गांव घोषित किये गये हैं।

(2) बाड़मेर जिले में 52 नये गांवों के

(३९)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लिये 47 योजनायें स्वीकृत की गई हैं। सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(3) 1981 की जनगणना के ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित करने के पश्चात नये गांवों को लाभान्वित किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों के लिये जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए, उनकी जांच के बाद जो नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

राजकीय उपक्रम समिति 1990–91

श्री भंवर सिंह (99), श्री मोहम्मद माहिर आजाद (122), श्री गोपालसिंह खंडेला (33), श्री प्रद्युम्न सिंह (87), श्री परसराम मदेरणा (75), श्री हीरालाल देवपुरा (194), श्री गोविंद सिंह गुर्जर (36), श्री शिवजी राम (166), श्री मोहनलाल चितौड़िया (118), श्री राजेन्द्र राठौड़ (134), डा. रतन लाल (126), श्री जनार्दन सिंह गहलोत (53), श्री सुरेन्द्र व्यास (179), श्री सम्पत सिंह (172), श्रीमती विद्या पाठक (159), श्री हीरालाल आर्य (192), श्री कुंजी लाल (20), श्री राजेंद्र गहलोत (133), श्री गोविंद सहाय (35), श्री रामनारायण (141), श्री हेतराम बेनीवाल (197), श्रीमती उजला अरोड़ा (10) श्री सुरेन्द्र गोयल (178) श्री शांतीलाल (162) श्री रामसिंह विश्नोई (148)

जन लेखा समिति

श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री राम सिंह विश्नोई, श्री सुरेंद्र व्यास, श्रीमती रमा पायलट, श्री सांवरलाल, श्री मदन मोहन सिंघल, श्री परसराम मदेरणा, श्री संपत राम, श्री हीरालाल देवपुरा, श्री कालीचरण सराफ, श्री बंसीलाल पटवा, श्री अनंग कुमार, जैन श्री हरिश्चंद्र कुमावत, श्री मदनलाल सैनी, श्री अमृतलाल परमार, श्री हीरासिंह चौहन, श्री चंपालाल बांठिया, श्री गोपीराम जाट, श्री जगतसिंह दायमा, श्रीमती मदन कौर,

प्राक्कलन समिति (क)

श्री भरोसी लाल जाटव, श्री खंगार सिंह, श्री पूनम चंद विश्नोई, श्री रामकरण, श्री मनोहर सिंह, श्री उम्मेदसिंह, श्री मिश्रीलाल चौधरी, श्री संपतराम, श्री गोपाल सिंह, श्री अब्दुल हादी, डा. हरिसिंह, श्री परसादी लाल मीणा, श्री रामस्वरूप, श्री हरिकुमार औदिच्य, श्री शिव किशोर सनाढ्य, श्री जगजीत सिंह, श्री रमाकांत शर्मा, श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री चुन्नीलाल, श्री बालचंद आर्य, श्री कन्हैया लाल मीणा, श्रीमती सुमित्रा आर्य, श्री बहादुर सिंह श्री मांगीलाल मेघवाल।

प्राक्कलन समिति (ख)

श्री महेन्द्र परमार, श्री इंद्रसिंह पूनियां, श्री हीरालाल इंदौरा श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री मदनमोहन सिंघल, श्री निर्भयलाल जाटव, श्री चुन्नी लाल इंदलिया, श्री गोपाल सिंह, श्री अब्दुल हादी, श्री कृष्णाराम, श्री जीत-

(श्री अध्यक्ष)

मल जैन, श्री लक्ष्मीचंद मेहता, श्री फूल चंद गुर्जर, श्री टीकमचंद कान्त, श्रीमती सूर्यकान्ता, श्री रामकरण सिंह, श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर, श्री गुलाम मुस्तफा खान, श्रीमती तारा भण्डारी, श्री रामप्रताप कासनिया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों की गरीब महिलाओं के कताई, कशीदा व बुनाई के धन्धे के शोषण को रोकने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय, लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा मार पीट करने आदि की घटना के सम्बन्ध में।

सदन में दिनांक 26-3-1990 को इस विषय में चर्चा हो चुकी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट के कस्बे में पिछले माह से सट्टे व जुआ का धंधा शुरू होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट के लिये बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की जल वितरण व्यवस्था गड़बड़ाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जुबेर खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामपुरा, आगूंचा जिंक माइन्स के निकट अग्निकांड में मृतकों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह क्षेत्र में बीसलपुर प्रोजेक्ट की डूब में आने वाले गांवों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले, विशेष कर लूणी विधान सभा क्षेत्र के अकालग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

आपके दो आये थे। लेकिन हमने इसको स्वीकार किया है। एक बार एक ही होता है। (व्यवधान) तो मुझे पता नहीं, आप कहते पहले, वह कर लेता। लूणी विधान सभा से आपका ज्यादा इंट्रेस्ट था इसलिये इसमें जोधपुर से....

श्री रामसिंह विश्नोई : पानी की ज्यादा किल्लत है.... (व्यवधान)

Page No. 36

श्री अध्यक्ष : और वह जोधपुर से सम्बन्धित था, यह लूणी से सम्बन्धित है।

(5) श्री रघुवीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान बीज प्रमाणीकृत संस्था द्वारा किसानों को अशुद्ध बीज का वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्रीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजगढ़ जिला अलवर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

(7) श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य विधान सभा की ओर से टीबी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के रख रखाव के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवा–सन मण्डल के कार्य कलापों के सम्बन्ध में।

(9) श्री प्रकाश चन्द बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से जीवनधारा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति चाकसू में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(10) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में भूमिहीन गरीब किसानों को भू-आवंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के समाव के सम्बन्ध में।

(12) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक जिले में कृषि, घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम में बिजली की समस्या के सम्बन्ध में।

(14) श्री राम प्रताप कासनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में किसानों को जमीन के बेचान की मंजूरी लेने में कठिनाई के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय श्री परसादीलाल मीणा। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइंट आफ आर्डर, सर। आपने एक व्यवस्था दी थी मेरे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जो गंगानगर जिले में तस्कर पकड़े गये हैं, हथियारों के सिलसिले में और आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके सिलसिले में तीन दिनों के अन्दर-अन्दर उसका वक्तव्य देंगे। उस स्थगन प्रस्ताव को चार पांच दिन हो गये हैं, अभी तक, मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद में एक घटना और हुई है और सारे....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं परसों इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगा कि कितने आतंकवादी पकड़े गये, कितने असली पकड़े गये, उस सम्बन्ध में सदन को मैं परसों जानकारी दूंगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, तीन माननीय सदस्यों ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में अकाल और अभाव की स्थिति के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आज अथवा 29 तारीख को वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया जाये ताकि राजस्थान के विभिन्न जिलों में अकाल और अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत के कार्य कब शुरू किये जायेंगे, अब तक क्या कोई टैस्ट वर्क वगैरह प्रारंभ कर दिये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : आपके द्वारा दिया गया है ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : हां, मेरे द्वारा दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मिल लीजिये, हो जायेगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : थैंक्यू ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मेरे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर व्यवस्था दी है, आपने कहा सदन में काफी चर्चा हो चुकी है, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें और इसमें बहुत अंतर है। वह कल जो डिस्कशन हुआ, वह डकैतियों के मामले में हुआ है। यह प्रदेश में कहीं डकैतियों का प्रश्न नहीं है। करौली शहर में पिछले दिनों के अन्दर विधान सभा चुनाव समाप्त होने के बाद कम से कम 20-25 घटनायें करौली शहर में हो चुकी हैं, कितनी एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से इसके बारे में चैम्बर में मिलिये। अपन इसका रास्ता निकालेंगे । विराजिये। मेरे से बात-चीत कर लीजिये। अपन इसका रास्ता निकालेंगे कैसे उठाया जायेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप जैसा कहते हैं, कर लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको सवाल उठाने से मतलब है, आप बात कर लें ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : प्रश्न यहां पर है, अध्यक्ष महोदय, सरकार का मैं ध्यान आकर्षित कर दूं या परसों आप लगवा दें ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल, आप बिराजिये। अपन बात कर लेंगे ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अच्छा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से परिचित हैं। मुझे आप यह जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, पाइंट आफ आर्डर । एक आफिसर सहकारी समिति की भूमि पर कब्जा करके खुद ही अपने हिसाब से बेचान कर रहा है, उसके लिये प्रस्ताव दिया था, उसमें तीन दिन के लिये जवाब आने की बात थी ।

श्री अध्यक्ष : आप वहीं बातचीत कर लीजिये, विराजिये ।

श्री रामनारायण बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर । यह 22 तारीख को सदन में चर्चा हुई थी, चंबल की नहरों के पानी के मामले में । माननीय मंत्री जी ने उस दिन बताया था कि एक दो दिन में इस बारे में व्यवस्था करके सदन को जानकारी दे दी जायेगी । आज 27 तारीख है, दो दिन की जगह पांच दिन हो गये हैं, कोई सदन को जानकारी इस तरह की नहीं दी गई है । न वहा पानी....

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी मिल जायेगी । माननीय परसादी लाल जी । दो मिनट में बोलेंगे आप ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : ××××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से इजाजत मांगने की कोई प्रक्रिया नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन नोटिस कोई बात कही जाय किसी अधिकारी के या किसी सदस्य के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : मैं इसीलिये आप से कह रहा हूं कि प्रक्रिया के विपरीत है और जो कुछ भी इस बारे में लिखा है वह काट दिया जाय । हां, बोलिये परसादी लाल जी ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही लोक महत्व और सामाजिक अपराध की तरफ दिलाना चाहता हूं । लालसोट कस्बे में पिछले 25 सालों से जुए एवं सट्टे का धन्धा चलता था । मेरे विधायक चुनने के बाद 1985 में उस धन्धे को जनता के सहयोग से, जन आन्दोलन से बन्द किया गया और तब से लगातार विधान सभा चुनावों तक सट्टे और जुए का धन्धा वहां पर बंद रहा परन्तु दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ दिनों से, पन्द्रह बीस दिनों से लालसोट में सट्टे और जुए का धन्धा बहुत ही जोरों पर है । मुख्य मंत्री जी, मैंने पुलिस अधिकारियों को भी इसे सम्बन्ध में जानकारी दी और एस. पी. साहब को मैंने टेलीफोन किया तो एस. पी. साहब का जवाब था कि परसादी लाल जी परिस्थितियां बदल गयीं पर आप नहीं बदले ? मैंने कहा कि मैं तो पहले भी एम. एल. ए. था और अब भी एम. एल. ए. हूं, मेरा नैतिक कर्त्तव्य है कि इस बुराई को बन्द करने के लिए मैं आवाज उठाऊं, आप नही सुनेंगे तो मैं विधान सभा में इस मामले को ले जाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि जो बुराई पांच साल तक बराबर बंद रही, उस बुराई को कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिये, जो चुनाव हार गये वह एक परम्परा थी कि पहले कोई भी एम. एल. ए. बनता था वह उस सट्टे को चलाने के लिए पांच हजार रुपये पर मन्थ लेता था, बिल्कुल फैक्ट है, मैं वहां का रहने वाला हूं, मैंने इसको वहां बंद किया । फिर

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

दोबारा जो चुनाव हारने वाले लोग हैं उन्होंने इस धन्धे को यह कर कर चालू किया कि हमारी सरकार है, हम इसको शुरू करायेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि भ्रष्टाचार को या अनैतिक कर्तव्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा देंगे तो मैं यही जानकारी चाहता हूं और यह विश्वास लेना चाहता हूं जनता के लिए कि क्या यह जो बुराई पांच साल तक बंद रही उसको आप बंद करेंगे और सख्ती से दबायेंगे ? इस प्रकार से जो पुलिस अधिकारी उल्टी सीधी बातें टेलीफोन पर कहते हैं उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे ? मेरा यही निवेदन है कि यह अनैतिक अपराध है, आज बच्चों का भविष्य क्या होगा ?, हमारे बच्चे जो पांच साल तक इससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहे, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ? जो बुराई पांच साल तक बंद रही, क्या उससे सरकार की बदनामी नहीं होगी ? सट्टे को चालू करने, वाले वही लोग हैं जो लगातार पिछले पच्चीस सालों से इसको शुरू करा रहे थे और इधर जब स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई, मेरे से, बराबर उनकी पांच साल तक लड़ाई रही, वह इधर से उधर चले गये....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका ।

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने जाकर अब कहा कि हमारी सरकार आ गई, हम दोबारा चालू करायेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से यही कहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे थानेदार के खिलाफ, चाहे उसमें डी.वाई.एस.पी हो, सारे अधिकारी उसमें मिले हुए हैं, मैं तो यही कहूंगा, जब यह धन्धा दोबारा पांच साल के लिए चालू किया, इसको बंद करने के लिए विभाग के, पुलिस के अधिकारियों को या किसी प्रकार बंद कराने का कष्ट करें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा ।....(व्यवधान)आप बिराजिये, आपका हो गया ।

श्री परसादी लाल मीणा : निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी इस पर कुछ कहें तो ठीक रहे ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : शुरू तो आपने ही कराया था ।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरे टाइम में पांच साल बंद रहा है जनता दल के लोग हारे हैं उन्होंने शुरू करवाया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं ? विराजिये आप ।....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : अब तो सट्टे लगाने वालों के फंदे चखेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जानता कि सट्टा कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है लेकिन सट्टा बुराई है और इसको रोकने की पूरी कोशिश की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जयपुर में जल सप्लाई की जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ने लगी है वैसे-वैसे जयपुर नगर की जल व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। नलों में पानी बूंद-बूंद आता है या बिल्कुल बंद हो गया है। इस स्थिति से नागरिक परेशान हो उठे हैं। अधिकारियों से पूछने पर ज्ञात हुआ है कि मूल स्रोत जमुआ रामगढ़ बन्धे में पानी लगभग समाप्त प्रायः हो चला है। अन्य स्रोतों की स्थिति भी लगभग यही है। आने वाले समय में जल की क्या स्थिति होगी, यह चिंता का विषय है। यह भी पता चला है कि जमुआ रामगढ़ बन्धे के कैचमेंट एरिया में पिछली सरकार के दो प्रभावशाली मन्त्रियों, श्रीमती कमला बेनीवाल और श्री भारद्वाज ने चालीस एनीकट बनवा दिये हैं, यह सरकार को देखना है कि उनका क्या होगा ? पहले वह भरेंगे और फिर जमुआरामगढ़ का बन्धा ? लगता है कि जमुआरामगढ़ का बन्धा अब कभी नहीं भरेगा, फिर पानी कहां से लायेंगे ? कोई और बांध डिजाइन कब होगा, कैसे होगा, ऐसी कोई योजना नजर नहीं आती। अभी तक जो पानी है उसमें से कुछ प्रभावशाली व्यक्ति बन्धे से पानी चोरी कर के शेष पानी से सिंचाई कर रहे हैं। यह बात अधिकारियों के नोटिस में लाई जा चुकी है पर अधिकारी कौन है ? यह देखना है कि वह पानी की चोरी कैसे रुके ? जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के शहर व गांवों में हैण्ड पम्प वैसे ही नगण्य हैं, जो हैं वह खराब पड़े हैं। हमारे विकास अधिकारी ने नल मिस्त्री के नाम से जिन्हें पिछले दिनों भर्ती किया था, वे सिफारिशी लोग हैं जो मिस्त्री का काम जानते ही नहीं। अजीब स्थिति है, फिर नल कैसे ठीक होंगे ? जयसिंहपुरा खोर के कुएं जयपुर में जल सप्लाई कर रहे हैं, उनके तो सारे कुएं सूख गये और प्रश्न यह है कि वहां के लोग पानी कहां से पियें ?

एक प्रश्न और उठता है कि ढूंढ नदी में कुएं बनवाये गये हैं, उस क्षेत्र से भी पानी का पलायन हो जायेगा तब लोग खेती तो क्या करेंगे, पीने के पानी को तरसेंगे। आप कृपया उक्त क्षेत्र व जयपुर नगर की जल वितरण व्यवस्था की ओर ध्यान दें। लोग परेशान हैं। सुबह दिन निकलते ही बिना नहाये बाल्टियां लेकर घूमने व फोन करने लगते हैं। मंत्री महोदय को भी फोन करते होंगे ? मैं कहना चाहूंगी कि कृपया जल उपलब्धि के लिए जयपुर ग्रामीण क्षेत्र व सभी क्षेत्रों में तात्कालिक समाधान के लिए हैण्ड पम्प लगवायें, खराब हैं उन्हें युद्ध स्तर पर सुधरवायें। जो घोषणा की गई है उस पर जरा भी प्रवृत्ति मुझे दिखाई नहीं दी, न तो सुधरवाने की और न लगवाने की तथा आगे के लिए योजना बनायें कि शेष अन्य कालों में किस प्रकार पानी उपलब्ध होगा ? स्थिति में सुधार करायेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं तथा पूरे दबाव के साथ जल उपलब्ध करायेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। अन्यथा लोग आन्दोलित होंगे वह स्थिति ठीक नहीं होगी, यह मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकिण्ड में अपनी बात समाप्त करती हूं। ऐसी बात है कि पिछले दिनों हैण्ड पम्प लगाये जाने की योजना यहां विधान सभा में कही, उसमें

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्रियान्विति की ओर मुझे तो कोई अग्रेत्तर स्थिति नहीं दिखती। गांवों में जो हैण्ड पम्प खराब हैं वह खराब ही पड़े हैं। रोज वहां के लोग चल कर आते हैं, वह स्थिति अच्छी नहीं। जमुआरामगढ़ जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की तेरह पंचायतों की बात कर रही हूं और पूरे जयपुर नगर की जल वितरण सप्लाई की बात कर रही हूं। स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस पर तात्कालिक समाधानात्मक एक्शन लें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : भीलवाड़ा से करीब सत्तर किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी रामपुरा आगूचा जिंक माइन्स के निकट बुधवार तड़के श्रमिकों की झोंपड़ियों में लगी आग से तीन मासूम बालक जलकर मर गये जबकि अन्य कई घायल हो गये। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के श्रमिकों की झोंपडियों में यह आग तकरीबन सुबह नौ बजे अचानक लगी। आग से बीस झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। घटना के समय अधिकांश श्रमिक खान पर काम करने चले गये थे, जिससे झोंपड़ियों में रह रहे छोटे–छोटे बालक लगी आग से घबरा कर इधर–उधर भागने का प्रयास विफल रहने के कारण आग की चपेट में आने से बाहर नहीं निकल सके तथा जल कर स्वाह हो गए। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अग्नि काण्ड की न्यायिक जांच कराई जाये एवं मृतकों के परिवारजनों एवं जिनका नुकसान हुआ है उन्हें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करें एवं उनके पुनर्निवास की व्यवस्था करें। यह निवेदन मैं सरकार से आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल।

श्री घासीलाल चौपड़ा (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में बिसलपुर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में जो गांव डूब में आ रहे हैं उनके मकान, जमीन कुओं आदि का मुआवजा दिया जा रहा है वह आज की दर से बहुत कम है। इस क्षेत्र की जमीन की कीमत आज की बाजार दर से बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार कुओं की व मकान की कीमत भी आज की बी. एस. आर. रेट से बहुत कम है। तथा मुआवजा देने वाले व भूमि मूल्यांकन अधिकारी स्वयं देवली बैठकर मूल्यांकन करते हैं तथा उस मूल्यांकन में संबंधित मालिक की कोई भी राय नहीं ली जाती है। जवाबी नोटिस देकर देवली ही बुलाते हैं। जब कि उन अधिकारियों को संबंधित गांवों में जाकर सम्बन्धित लोगों के सामने बैठकर उनकी बात सुननी चाहिए व उनकी बात सुनने के बाद ही मुआवजा फाइनल करना चाहिए तथा जो गांव प्रथम चरण में डूब में आ रहे हैं उनको बिसलपुर प्रोजेक्ट के कमाण्ड एरिया में जमीन दिलाई जानी चाहिये, उनके बसाने के लिये जमीन देने के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करायें। क्योंकि जैसी मेरी जानकारी में आया है प्रथम चरण जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो समय से पहले पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलाया जाकर बसाने की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, गत चार पांच वर्षों से राजस्थान राज्य में निरन्तर भीषण अकाल पड़ रहा है और इस भयंकर प्राकृतिक प्रकोप के कारण सामान्य नागरिक एवं पशुधन भयंकर रूप से प्रभावित हो रहा है। हर एक परिवार के लिए और अपने पशुधन के लिए 3–3, 4–4 मील दूर से पेयजल की व्यवस्था करने के लिए समस्त शक्ति और श्रम कार्य में लेना पड़ता है और इस कारण से उनके जीवनयापन के लिए और कोई कार्य करना ही संभव नहीं हो रहा है। इसका प्रभाव विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर सम्भाग पर पड़ा है। इस अकाल की भयंकर विभीषिका के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जोधपुर तहसील को अकालग्रस्त घोषित किये जाने के उपरान्त भी आज दिन तक वहां के नागरिकों को एवं पशुओं के लिए न तो कोई पेयजल की ही व्यवस्था की गयी है, न ही चारे आदि का प्रबन्ध किया गया है और न नागरिकों की मजदूरी के लिए अकाल राहत कार्य खोले गये हैं। यह स्थिति नागरिकों व पशुओं के लिए आने वाली ग्रीष्म ऋतु में और भी दयनीय होने की सम्भावना है।

अतः मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर जिले विशेषकर लूणी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अकालग्रस्त समस्त क्षेत्र में अतिशीघ्र अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायें और यह अकाल राहत कार्य, जो स्थायी प्रकृति के हों ताकि इस समस्या के समाधान के लिए बार–बार राज्य सरकार का द्वार न खटखटाना पड़े और पशुधन के लिए भी चारे की व पानी की समुचित व्यवस्था अविलम्ब की जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय भूतपूर्व मंत्री बहुत अनुभवी हैं मैं उनसे एक जानकारी करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य के स्थायी कार्य क्या-क्या हो सकते हैं? यदि आप जानकारी देंगे तो मैं बड़ा अभारी होऊंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान नहर को जोधपुर सम्भाग में ले आते हैं तो यह सबसे बड़ा स्थायी कार्य है।

श्री अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए कि यह स्थायी कार्य है।

श्री शिवचरण माथुर : नाड़ी है, तालाब हैं यह स्थायी कार्य हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी माननीय सदस्य स्थायी कार्य क्या–क्या हो सकते हैं, मैं सारे सदन से ही निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य में किस प्रकार के कार्य स्थायी कार्य हो सकते हैं। यदि आप सुझाव देंगे तो सरकार आपके प्रति आभार व्यक्त करेगी।

श्री परसादी लाल मीणा : इस पर आप एक दिन चर्चा रख लें।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे ख्याल से आप तीस चालीस साल से जानते हैं आपसे ज्यादा कोई जानकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन फिर भी।

Page No. 43

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने खुद ने न मालूम कितनी बार सुझाव दिये हैं मेरे ख्याल से आपको सुझाव देने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा कोई सुझाव जानने वाला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कहीं भूल न जाऊं। यह बात सही है कि अकाल राहत कार्य में आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि स्थायी कार्य हों, यदि किसी भी माननीय सदस्य की जानकारी में हों अपने-अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में अमुक प्रकार के स्थायी कार्यों से अकाल का स्थाई समाधान हो सकता है तो जानकारी देने में और जानकारी लेने में हम सही काम करवा पायेंगे। मैंने इस दृष्टि से निवेदन किया, जानकारी मेरी भी है आपकी भी है और सदन के सभी माननीय सदस्यों की भी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे तो केवल इतना कहना है कि हम तो खुद सरकार में थे, सरकार ने वाकई करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, हम खुद बार-बार अकाल की बात करते हैं तो हम खुद को शर्म आती है। सरकार जब करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है और स्थायी कोई समाधान हुआ नहीं। ऐसी स्थिति में हम बार–बार काम मांगते हैं यह सही बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ठीक कहता हूं कि इस बार जमाना कुछ ठीक हुआ है लेकिन फिर भी हमारे जोधपुर सम्भाग में और मेरे एरिया से 100 गांव ऐसे हैं जहां एक बूंद पानी नहीं बरसा है। अब ऐसी स्थिति में आप फर्मा रहे हैं उनको तो जब पूरा करेंगे तब करेंगे कब सुझाव लेंगे, लेते रहे लेकिन कोई काम तो खोलें जिससे लोगों को राहत, रोजगार मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, गत खरीफ में राजस्थान बीज निगम का राजस्थान बीज प्रमाणिकृत संस्था द्वारा प्रमाणिकृत होकर ज्वार का बीज किसानों ने बुवाई के लिये खरीदा था। बुवाई के पश्चात् जब ज्वार की फसल में भुट्टे आये तो वे शंकर ज्वार के नहीं थे। शंकर ज्वार की फ़सल को काटने के पश्चात् दूसरी फसल बोयी जाती है। क्योंकि यह फसल जल्दी पक जाती है। बीज निगम द्वारा वितरित यह बीज संकर ज्वार का ही नहीं था। पैदावार तो कम हुई ही किन्तु काफी विलम्ब से भी फसल तैयार हुई जिससे कृषक दूसरी फसल की बुवाई नहीं कर सके। किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है यह धोखाधड़ी राज्य बीज निगम एवं राज्य बीज प्रमाणिकृत संस्था द्वारा किसानों के साथ की गयी है। उक्त दोनों संस्थाओं की विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। राज्य बीज निगम की स्थापना किसानों को शुद्ध बीज वितरित करने के लिये की गयी थी। किन्तु यह संस्था अशुद्ध बीज वितरित कर रही है। पूर्व में भी लाखों रुपयों का संकर बीज अमानक वितरित किया गया था जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई थी। इस बार इसकी फिर से पुनरावृत्ति हुई है और जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है।

उक्त दोनों संस्थाओं के प्रति कृषकों में भारी असन्तोष है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों संस्थाओं में अमानक बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जावे। किसानों को समुचित मुआवजा दिया जावे एवं भविष्य में अमानक बीज वितरित न हों, इसकी व्यवस्था करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि असेम्बली स्थगित होने के बाद वह कृषि मंत्रीजी से मिल लें। वास्तव में गम्भीर मसला है इसमें कोई भी आदमी जिसने किसानों के साथ अन्याय करने की कोई भी कार्यवाही की हो, उनके विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। आप मिल लें, जांच कराने की आवश्यकता होगी तो जांच भी करायी जायेगी और अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैंने इस विषय में कृषि मंत्री महोदय से बात की है उनको जानकारी दी है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कुछ कार्यवाही की है। दुर्भाग्य से आज वह उपस्थित नहीं हैं वर्ना वह बताते की ऐसे लोग जिन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी। यदि वह यहां घोषणा करते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम मीणा।

श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ जिला अलवर में चारों ओर यथा ग्राम कारोठ स्टेशन के समीप व बांदीकुई गोठ रोड पर पत्थरों के मिट्टी के क्रेशर व कली पकाने के भट्टे काफी संख्या में क्रियाशील हैं जिसके कारण कस्बा राजगढ़-करोठ मार्ग, राजगढ़–बांदीकुई मार्ग, तथा राजगढ़–टेला मार्ग के आसपास के गांव में वायु प्रदूषण भयंकर रूप में व्याप्त हो रहा है, कस्बे के आसपास के क्षेत्र में लोगों के फेफड़े खराब हो गये हैं तथा क्षय रोग बढ रहा है और धुएं के कारण आंखों को नुकसान पहुंच रहा है। अत्यधिक मात्रा में भट्टे होने के कारण मुख्य सड़कों पर अंधेरा सा छा जाता है और प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यही नहीं, राजगढ़ गोठ रोड पर कस्बे के निकट औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के कारण कैमिकल व अन्य फैक्ट्रियों के अत्यधिक मात्रा में होने के कारण काफी वायु प्रदूषण फैल रहा है। ऐसी स्थिति में राजगढ़ कस्बे व आसपास के पचासों गांवों के निवासियों को धीमी–धीमी मृत्यु की छाया से बचाने व पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से यह निवेदन है कि क्रेशर व कली के भट्टे तत्काल बन्द करवाये जावें और इनको कस्बे से 8–10 किलोमीटर दूर जंगल में लगाने की व्यवस्था करावें। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है इनके अपेक्षित लाभ उतना नहीं हो रहा है जितना कि लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः औद्योगिक क्षेत्र को कस्बे व गांव की आबादी से दूर निरापद स्थान पर शिफ्ट कराने के लिए तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त प्रस्ताव राज्य...

(12.30 मध्याह्न)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

(श्री श्रीराम मीणा)

सरकार से क्रियान्वित करवाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह पूरी जानकारी मैं जिलाधीश अलवर के पास भेज देता हूं वह एण्टी पोल्यूशन बोर्ड को साथ लेकर इस मामले की जांच करेंगे और अनाधिकृत रूप में जो भट्टे चल रहे हैं उनको बन्द कराने की कार्यवाही करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं जानकारी के लिए माननीय नेता महोदय से पूछना चाहता हूं कि 295 की प्रक्रिया यह रही है कि यहां पर माननीय सदस्य पढ़ कर बोल देते हैं उसके बाद गवर्नमेण्ट का जवाब आता है लेकिन यहां मंत्री जी स्वयं उठ कर जवाब दे रहे हैं उसका मतलब यह समझा जाये कि बाद में जवाब नहीं आयेगा। जवाब तो आना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में क्या जरूरत है ? आपने मामला उठाया और मैं जिलाधीश को भेज रहा हूं। निश्चित रूप से जिलाधीश को कार्यवाही करनी पड़ेगी। जैसे आपने उठाया कि वहां पर यह सट्टे हो रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सदस्यों को भेजा जाता था। आज तक सेक्रेटेरियट में एक सैल बनाया हुआ था, वहां यह देखा करते थे। मैं तो केवल तत्काल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात से सहमत हूं। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी दी जायेगी।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : सभापति महोदय, यह कम से कम जवाब तो दे देते हैं। जब इनकी सरकार थी तो हम 295 में नियम पढ़ते थे उसका आज तक हम लोगों को जवाब नहीं मिला।

श्री सभापति : श्री डूंगरराम पंवार। (अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदय, सरकार गृह निर्माण समितियों के भ्रष्टाचार और आपाधापी से तंग है और जनता गृह निर्माण समितियों से तो तंग है ही, आवासन मण्डल से और भी ज्यादा त्रस्त है। राजस्थान आवासन बोर्ड को आवास समस्या का हल निकालने के लिए स्थापित किया गया था। सन् 1971 से अब तक के 19 वर्षों में आवासन मण्डल से समस्याओं का हल तो कम निकला है परन्तु समस्यायें अधिक उत्पन्न हो गयी। आवासन बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष, श्री राम गोटेवाला ने लम्बे चौड़े दावे आवश्यक किये थे पर वे दावे खोखले ही साबित हुये। वर्ष 1971 से 1988 तक के मध्य में लगभग एक लाख पचास हजार लोगों ने पंजीकरण करवाया है। उनमें से गत वर्ष तक केवल 85 हजार लोगों को मकान मिले हैं शेष 85 हजार के लगभग मकानों की प्रतीक्षा में है। इसमें केवल जयपुर में ही आवेदकों की संख्या 35 हजार है।

राजस्थान आवासन बोर्ड ने अभी तक जयपुर शहर में चार तथा सांगानेर में एक

(श्रीमती विद्या पाठक)

कोलोनी बसायी है। इसके मकानों के निर्माण स्तर में दिन पर दिन गिरावट आती जाती है। शुरू में बनी जवाहर नगर कोलोनी की स्थिति फिर भी कुछ ठीक है। परन्तु 1980–1989 के मध्य में बनी मालवीय नगर व मानसरोवर बस्तियां तो घटिया निर्माण का जीता जागता उदाहरण हैं। वर्ष 1989 में एक शिलान्यास समारोह में स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने मकानों के घटिया स्तर और कीमतें बढ़ाने की आलोचना की थी। श्री श्रीराम गोटेवाला की उपस्थिति में यह आलोचना की थी। जगह–जगह उखड़ता प्लास्टर, छत में उबड़–खाबड़ पट्टियां हर दीवार में दरार, बाथरूम से पानी रिस्ता हुआ, आवासन मण्डल के मकानों की यह आम शक्ल है। 1981 तथा 1983 में बरसात की मार से मकान ढहने की घटनायें हो चुकी हैं। 1983 में मालवीय नगर के 56 फ्लेट पानी में बरसात से ढह गये थे। उनके नजदीक में ही विधान सभा के तत्कालीन सदस्य श्री शिवसिंह जी जो बाड़ी से आते थे, को एक फ्लेट आवंटित हुआ था। यह दृष्य देख कर उन्होंने तो अपना रजिस्ट्रेशन ही निरस्त करवा लिया।

यही नहीं एक साथ निर्मित मकानों की कीमतों में भारी अन्तर देखा गया है। ऐसा उदाहरण वल्लभ बाड़ी कोटा में है। जहां कब्जा देने में थोड़ा सा अन्तर होने पर भी मकानों में 50 हजार का अन्तर देखा गया। एक साथ बने मकानों के आवंटन में देरी सरकार की तरफ से हुई परन्तु उसका नुकसान आवंटी को हुआ। उदाहरण के लिए 30 अक्टूबर, 1986 को वहां आवास लाटरी में ई-7, ए-6, एफ-2 व एफ-22 का आवंटन किया गया था, लागत का निर्धारण करके ई-7 का आवंटन एक पत्र द्वारा जारी कर दिया गया। शेष तीन का कब्जा 1989 में दिया गया। उनकी कीमत ई–17 इसके मुकाबले में 50 हजार अधिक ली गयी। जबकि मकान समान है। जबकि चारों आवासों की संशोधन प्रक्रिया 1981 के नियम 3, ए (3) के तहत एक होनी चाहिए। यों घटता फ्लेट, घटिया स्तर कम एकोमेडेशन को सरकार मनमाने तरीके से आवंटित कर रही है इसको पुनः देखिये।

इसके अतिरिक्त आवंटन पत्र में आवासन बोर्ड लिखता है कि मकान की रजिस्ट्री के सम्बन्ध की सूचना बाद में दी जायेगी। यह कार्य आवासन बोर्ड 1980 तक करता था परन्तु उसके बाद में आवासन बोर्ड ने सूचना देना बन्द कर दिया उसके कारण हजारों आवंटी रजिस्ट्री की सूचना के इन्तजार में हैं। कुछ समय पूर्व उन लोगों को सूचना मिली कि 31 मार्च, 1990 तक रजिस्ट्री नहीं हुई तो उनको 1–4–90 के बाद में बाजार भाव पर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। इससे उन लोगों में हड़कम्प मच गयी। उन्होंने आवासन बोर्ड के कार्यालय में सम्पर्क किया तो उनके लेखा शाखा के बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया। वे लोग बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लाने तथा अन्य तरीकों से परेशान हुए। सैकड़ों लोग जुलाई, 1989 से अपनी बकाया मालूम करने के लिए परेशान हैं। उनको बार-बार आगे की तारीख देकर लौटा दिया जाता है। अब केवल दो माह की अवधि बढ़ाई गई है। परन्तु आवासन बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के

(श्रीमती विद्या पाठक):

काम करने के तरीकों से बकाया रजिस्ट्रियां दो माह में हो सकने की संभावना नहीं है। उसके लिए आवासन बोर्ड तथा पंजीयन बोर्ड को सक्रिय करना आवश्यक है अन्यथा जो भ्रष्टाचार पनप गया व वह और अधिक बढ़ेगा।

आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित मानसरोवर कॉलोनी की स्थिति बड़ी खराब है। बिजली के शोर्ट सर्किट होना, वहां हजारों प्लाटों व बहुमंजिली मकानों में रहने वाले लोग कचरा फैक्ट्री से उठने वाली बदबू और सोडाला से मानसरोवर तक छोटी सी खराब सड़क तथा भारी ट्रेफिक और वाहनों के आवागमन के कारण कई बार दुर्घटनायें हो चुकी हैं। मानसरोवर के मकानों में बरसात में पानी टपकता है। बिजली फिटिंग ठीक नहीं है। सरकारी कोई बड़े स्कूल नहीं हैं। आबादी बहुत है आबादी के अनुरूप स्कूल नहीं है। पुलिस थाने में टेलीफोन नहीं है। चोरी और अपराध बढ़ रहा है। स्टाफ कम है। एक तरह से यह इलाका गुण्डागर्दी की शरण स्थली बन चुका है। शाम ढलने के बाद तो औरत बाहर जाने से कतराती है।

यही नहीं मानसरोवर में लगभग 152 आवासीय प्लाट हैं। जिनकी भूमि लगभग 30,000 मीटर है, उसको जनवरी, 1980 में मात्र 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया गया। जबकि आज से एक डेढ़ वर्ष पूर्व इसी कोलोनी में आवासीय भूमि की नीलामी 1500 प्रति वर्ग मीटर की दर पर हुई थी। यह चार सौ वर्ग मीटर भूमि जिसकी मार्केट रेट 12 करोड़ रुपये है वह मात्र 2 करोड़ 25 लाख रुपये में बेच दी गयी। व्यवसायिक भूमि की सदा खुली नीलामी होती है परन्तु यह 152 प्लाट तो चुपचाप जयपुर नगर के कुछ व्यक्तियों को तत्कालीन अध्यक्ष श्री गोटेवाला ने दिलवा दिये। वर्तमान में इनका बाजार भाव 4000 रुपये वर्ग मीटर है। इस प्रकार आवासन बोर्ड को 10 करोड़ की हानि पहुंचायी गयी है। इस काण्ड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मानसरोवर सहित समस्त कोलोनियों में सफाई एवं सड़कों तथा रोशनियों की उचित व्यवस्था है ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो वहां के के लोगों को रहने में आ रही है, माननीय सभापति महोदय, वहां एक कचरा फैक्ट्री है उसकी वजह से न केवल मक्खियां होती हैं। इतनी गन्दी बदबू आती है और उधर से हजारों कर्मचारी, अधिकारी और मानसरोवर में रहने वाले, छात्र और ग्रामीण लोग गुजरते हैं। यह बीमारी की दुकानों जैसी बनी हुई है। प्रिन्सीपली इसको वहां से हटाने का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया जा चुका है। अब इस निर्णय में जो अनावश्यक देरी हो रही है उसको दूर किया जाये। राशन की दुकानों और स्कूलों और अस्पतालों का वहां विस्तार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने हाउसिंग बोर्ड और उसके द्वारा निर्मित कालोनियों के बारे में जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, मैं स्वयं भी अभी मानसरोवर कालोनी में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जाकर आया हूं और यह जो वर्णन है यह काफी हद तक ठीक है। जिन अनियमित–ताओं का आपने उल्लेख किया है उसका यकायक तो मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप तो नहीं माननीय मंत्री महोदया दे सकती हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो मैं जानता हूं किस तरफ संकेत कर रहे हो। आपकी उनकी नाराजगी है, हमारे बीच में नहीं आयेगी। तो जो भी वहां कठिनाइयां हैं मैं उन पर निश्चित रूप से विचार करूंगा और जो आपने अनियमितताओं का जिक्र किया है उनकी जांच करायेंगे और यदि उसमें कोई अनियमितता पाई गई या कोई दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और अनियमितताओं को ठीक करेंगे। जो सामान्य सुविधाएं हैं नागरिकों के लिये उसका भी जितनी वित्तीय स्थिति होगी उस गति से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : देखिये यह मिली भगत है और कुछ नहीं है। न तो यह अनियमितताओं को पूरी करने वाले हैं जो बात हो गई है उनको कहां से ठीक करेंगे।

श्री सभापति : माननीय प्रकाश चन्द बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : जयपुर जिले की चाकसू पंचायत समिति में जीवनधारा के अन्तर्गत राज्य सरकार की नीति के विपरीत बड़े किसानों के लड़कों के नाम जिनके एक बीघा जमीन नहीं है, उनके नाम कुओं की स्वीकृतियां की गई तथा जो वस्तविक रूप से योजना में लाभा-न्वित किये जाने थे उन्हें खास तौर पर अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को वंचित रख दिया गया है।

इस योजना में जैसे कई किसानों के भी कुएं स्वीकार किये गये हैं जिनके पूर्व में कुएं बने हुये थे। पम्प सैट लगे हुए थे लेकिन भ्रष्ट प्रवृति के कारण भूमिधारी के लड़कों के नाम जमीन न होते हुए भी सिंचाई के कुएं स्वीकृत कर उन्हें गलत लाभान्वित कराकर अनुचित लाभ उठाया गया है।

पंचायत समिति चाकसू द्वारा जिन्होंने कुएं नहीं बनाये उन्हें भुगतान कर दिया गया। यही नहीं भूमि विकास बैंक से ऋण लेकर पांच वर्ष पूर्व बने हुए कुएं को जीवनधारा में बना हुआ बता कर भुगतान कर दिया गया। जबकि वास्तविक गरीब आदमी को काम करने के बाद भी भुगतान बिना लिए-दिए नहीं किया जा रहा है।

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये पंचा–यत समिति चाकसू जीवनधारा में कुओं की स्वीकृति व भुगतान में जो भारी गफला हुआ है, व खुले रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है, समस्त प्रकरण की जांच कराये जाने एवं जिन गरीब किसानों ने कार्य करवा लिया है, उन्हें बिना रिश्वत लिए भुगतान कराये जाने की राज्य सरकार से मांग करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मेरा विशेष उल्लेख का जो वक्तव्य है, वास्तव में जो जाने वाली सरकार है, उसकी समाजवादी नीति का क्रियान्वयन क्या हुआ, किस तरह वह चली उसकी पोल खोलता है । जो आने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार है वह क्या करेगी, चलेगी तो क्या करेगी इसके बारे में है ।

गंगानगर जिले में भूमिहीन किसानों की जनसंख्या काफी ज्यादा है । लगभग ढाई लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत मामूली जमीन है या कम जमीन है । जो मजदूरी से अपना गुजारा करते हैं । उनकी राजस्थान कैनाल में विशेष आवंटन के नाम से कांग्रेस के प्रशासन में बड़े–बड़े भू–पतियों और सामन्तों को भूमि अलाट की है जो अप्रत्यक्ष रूप में नीलामी है क्योंकि विशेष आवंटन की कीमत जो सरकार ने रिजर्व प्राइस रखी है वह चार लाख के लगभग है । एक अच्छी क्वालिटी की जमीन एक मुरब्बा उसकी चार लाख रुपये कीमत है और 35 पर्सेण्ट पहले दिन अलाट होते ही उसको देना पड़ता है । इसलिए गरीब किसान जो भूमिहीन है इसे प्राप्त करने का सपना ही नहीं देख सकता । इस भूमि के अलाटमेंट में अधिकारी वर्ग की इच्छा ही एकमात्र आधार रहती है । यह जो जमीन निकाली गई है वह भी बहुत सी अच्छी–अच्छी जमीनें हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में स्टे चल रहे थे । यह जो जमीनें निरस्त हुई हैं गलत आवंटन के कारण वह बहुत अच्छी क्वालिटी की जमीनें थी । इसमें अधिकारियों ने अपनी इच्छा से इसका अलाटमेंट किया और यहां तक कि कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनके पास तलाशी में करोड़–करोड़ रुपये की जायदाद निकली है, इस राजस्थान कैनाल के अलाटमेंट करने वाले अधिकारियों में । इसलिए इस भूमि की गंगा में बहुत बड़े–बड़े अधिकारी डूबे रहे, करोड़ों की लूट हुई । इस क्षेत्र के सभी अधिकारी लगभग सभी जो वहां ए. सी. सी. रहे, करोड़ या डेढ़ करोड़ से कम कोई भी नहीं इस इकट्ठी करने में कामयाब हुये हैं । भूमि का गलत तरीके से बड़े–बड़े लोगों को अलाटमेंट किया गया । यहां तक कि बहुत से लोगों ने जो पड़ौस में हरियाणा और पंजाब में है बड़े भू–पति उन्होंने भी राजस्थान के निवासी बनकर इस तरह की जमीनें ली है और गरीब किसान व खेतिहर परिवारों को जहां मौजूदा सरकार अन्त्योदय का आश्वासन देती है यह जो हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नीति निर्देशन हुआ है उसमें एक अन्त्योदय का नारा दिया गया है । मैं समझता हूं उसके लिये इस भूमि के अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं । भू–पतियों को जमीन बेचे और गरीब लोगों को उसी पैसे से बकरी भेड़ ऊंट गाड़ी की योजनाएं बनाये । यह तो वास्तव में पैसे का अपव्यय व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है । राजस्थान कैनाल के दूसरे चरण में लाखों एकड़ भूमि में पानी पहुंच गया है सरकारी भूमि बिना काश्त पड़ी है । इस भूमि को भूमिहीन गरीब किसानों को बांटा जावे और विशेष आवंटन फौरन बन्द किया जाना चाहिये ।

विशेष आवंटन के सारे मामलों की इन अधिकारियों ने और वहां के असरदार

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कांग्रेसी नेताओं ने किये हैं, जांच करने की व्यवस्था की जावे। यदि सारे मामलों की जांच हो गई तो हजारो मुरब्बे भूमि सरकार को वापस मिलेगी व अधिकारी वर्ग की गम्भीर लूट का पता चलेगा। इसकी फौरन उच्च स्तरीय जांच बैठाई जावे। विशेष आवंटन को फौरन बन्द किया जावे और भूमिहीन गरीबों आवंटन करने का प्रावधान किया जावे।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बाहुल्य है। साथ ही कृषि प्रधान क्षेत्र होने से सड़कों की अधिक आवश्यकता है तथा क्षेत्र में काली चिकनी मिट्टी होने से बरसात के दिनों में तो यह क्षेत्र सड़कों के अभाव में नर्क बन जाता है। यह क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से नर्क बन जाता है। कहने के नाम पर सरकार पंचायत केन्द्रों को सड़कों से जोड़ने की बात बार-बार करती है लेकिन गेता, बमोरी कलां, लुहबदर तथा ठीपरी आदि बड़ी आबादी के रास्ते हैं जिनकी 3–4 हजार होते हुए भी अभी तक सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। इन्द्रगढ़ से ठीपरी, इटावा स्टेट हाइवे नं. 19 का भाग है लेकिन अभी तक सड़क बनी हुई नहीं है बमोलिया कलां ठीपरी, ककरावदा रोदिया जोरावरपुरा, बागली, नीमोला, भटवाड़ा आदि बड़े पंचायत हैडक्वार्टर है लेकिन अभी तक सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। कहने के नाम पर इस क्षेत्र में तीन डिवीजन कोटा, बूंदी तथा बारां कार्यरत हैं यदि उक्त तीनों डिवीजन एक-एक सड़कें भी बनावें तो तीन सड़कें बनाई जा सकती हैं लेकिन उक्त कार्यालयों की उदासीनता की वजह से क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जिससे आवागमन की भारी समस्या होती है। बरसात के दिनों में नदियों में बाढ़ आने से रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। अतः उक्त स्थानों पर पुलियाओं का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। पूर्व सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति से क्षेत्र पिछडा रहा लेकिन इस नई सरकार से कुछ आशायें हैं कि निम्न सड़कों को आवश्यक रूप से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने की व्यवस्था कर इस क्षेत्र हेतु सार्वजनिक मंत्री महोदय का ध्यान सड़क का निर्माण करने हेतु आकर्षित करता हूं। ये सड़कें निम्न हैं :–

मांगरोल से बमोरी कलां सुरथाग सड़क, इन्द्रगढ़ से ठीपरी सड़क, रजोपा से ठीपरी, सड़क, इटावा से नोनेरा सड़क, बयाना से पीपल्दा कलां वाया लुहावद–गंडावद सड़क, गेता से ठीपरी वाया बमूलिया ककरावा सड़क, सीसवाली मांगरोल सड़क, दो किलोमीटर निर्मित किन्तु बोरदा के पास अधूरी, अंता से मांगरोल वाया पचेल महुवा, किशनपुरासड़क, सुमेरगंज मण्डी से लोनापा सुमेरगंज मण्डी से कमलेश्वर सड़क, करवाड़ से खातोली सड़क, पीपल्दा कलां से फूसोद सड़क, ठीपरी कालीसिंध से अयाना वाया अयानी सड़क अयाना से बमोरी कलां सड़क, इटावा से बाडौली सड़क, वाया भाडोल लुहावद, लिकरोड जोरावरपुरा रारोण, रनोदिया, बमोलिया, रथावदा, भटवाड़ा जालोदा, तेजाजी डोली, ककरापदा आदि।

(श्री हीरालाल आर्य)

कोटा से ग्वालियर सड़क पर बड़ौद के पास काली सिंध पर, खातोली में पार्वती पर ठीपरी एवं गेता में चम्बल पर, गुढला में चम्बल पर पुलियाओं का निर्माण इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षेत्र के विकास के लिए उक्त सड़कों एवं पुलियाओं को बनाने की अविलम्ब व्यवस्था करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई गांव रह तो नहीं गया।

श्री हीरालाल आर्य : ये तो वे पंचायतें हैडक्वाटर हैं जिनकी आबादी 3-3, 4-4, हजार है।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सूचना देना चाहता हूं सरकार को।

आबू पर्वत सात दिन से चल रहा है। सभापति महोदय, ओरिया अचलगढ़ और गुरू शिखर के जंगल जल रहे हैं। निरीह पशु उसके अन्दर भुने जा रहे हैं। आग की लपटें चहचहाते पंछियों को जला रही है। इस प्रकार से यह वन सम्पदा जल रही है आबू के अन्दर। अभी यह सूचना यहां तक मेरे ख्याल से किसी ने दी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुरन्त इसका प्रबन्ध करवाया जाय। यह एक प्रकार का ऐसा बना हुआ है कि सारे जंगलों के अन्दर आग लगा दी जाती है। पहले जंगल काट दिये जाते हैं और उनकी कटाई पकड़ी नहीं जाय, इसलिए उनके अन्दर आग लगा दी जाती है। आज सात दिन से वहां पर धुआं भरा हुआ है। रात को आग की लपटें बिल्कुल सामने दिखती हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार तुरन्त इस ओर ध्यान दे और तुरन्त कार्यवाही करे। इतनी ही मुझे सूचना देनी है।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : न केवल आबू बल्कि सिरोही में भी सारी पहाड़ियां बुरी तरह से जल रही हैं। मैं परसों रात को ही देख कर आयी हूं, सारी पहाड़ियां भयंकर आग की लपटों से घिरी हुई हैं। अवैध कोयला निकाला जा रहा है वहां से। आबू इसी तरह जलता रहा, सिरोही की पहाड़ियां जलती रहीं तो वहां हमेशा हमेशा के लिए अकाल हो जायेगा, सभापति महोदय, ध्यान दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, कई दिनों से वहां आग लग रही है, इस बात की जानकारी इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने दी है। मैं चाहता था कि माननीय सदस्य, यदि उनको यह जानकारी उस समय मिल गयी थी, तो यह जानकारी मुझे देते। आज सदन में कहा है, लेकिन मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त की है। 25.3.1990 को, जो मुझे जानकारी मिली है, 25.3.1990 से यह आग लग रही है। कोई एक महीने से जल रही हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आग लगी है, जो सूचना मिली है उसके अनुसार, पेड़ों की टकराहट के कारण। लोगों ने जानबूझकर आग लगायी है या पेड़ों की टकराहट से लगी है आग, मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है वह यही है। इस समय आग

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के ऊपर काबू पा लिया गया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कि आग लगने की भयंकर समस्या हो तो केवल विधान सभा तक ही उसको सुरक्षित नहीं रखें, यदि पहले भी सरकार को सूचना दी जाय तो उनको भी आपत्ति नहीं होगी और सरकार को खुशी होगी।

एक माननीय सदस्य : सिरोही की सदस्या ने बताया कि आग लगायी गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह देख लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सभापति महोदय, कृषि घरेलू, औद्योगिक या व्यावसायिक कनेक्शन हेतु टौंक जिले में लम्बे समय से फाइलें जमा हैं, परन्तु विभाग द्वारा एस्टिमेट नहीं बनाये जाते हैं। जो एस्टिमेट बनाये भी गये हैं, इतनी भारी राशि के डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं कि आम आदमी उसको जमा नहीं करा सके। जब उनकी तारीख निकल जाती है तो एस्टिमेट करने के बाद दोबारा फाइल जमा होती है, दोबारा एस्टिमेट बनते हैं और उसके बाद कनेक्शन दिये जाते एस्टिमेट बनाने में, डिमाण्ड नोटिस जारी करने में, एल फार्म जमा करने के बाद कनेक्शन जारी करने में भारी अनियमिततायें की गयी हैं। विभाग के अधिकारी इन सब कामों को अपनी बपौती समझकर चलते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है एवं नियमों और कानूनों को ताक में रख दिया है। योजनानुसार गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के आधार पर गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है, कनेक्शन दिये जाते हैं, शिफ्टिंग केस तय किये जाते हैं। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर निवेदन करना चाहता हूं। विद्युत विभाग में इस प्रकार की हालत है कि चाहे समाज कल्याण की बस्तियों, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ट ट्राइब्स की बस्तियों में विद्युतीकरण का सवाल हो, विभाग किसी प्रकार की कार्यवाही बिना पैसे के, बिना भ्रष्टाचार के नहीं करता है। हालत यहां तक है कि चार–चार साल से, पांच–पांच साल से फाइलें पैण्डिग पड़ी हुई हैं लेकिन उन पर नियमानुसार एस्टिमेट बनाने की कार्यवाही किसी प्रकार नहीं की जाती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल लिखा हुआ बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक निवेदन यह करना चाहता हूं, मैंने लिखा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण 1982–83 में मंजूर हुआ तो तीन साल में सारे गांवों में विद्युतीकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन 1982–83 के बाद आज तक भी उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। 1984 में 33 के. वी. की लाइन खिच जानी चाहिए थी वह लाइन भी आज तक नहीं खिची है। सारा पैसा जो ब्याज के रूप में हमने लिया है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल लिखा हुआ बोलिये। अब आप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन

Page No. 53

(53)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

करना चाहता हूं कि इन सबकी जांच हो और जांच होकर इस पर कार्यवाही की जाय।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय श्री जीतमल जैन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अलवर में भू-खण्डों का अधिग्रहण

श्री जीतमल जैन (अलवर) : सभापति महोदय, नगर विकास न्यास की स्थापना राजस्थान में इसलिए की गयी थी कि नगरों का विकास समुचित एवं सुनियोजित तरीके से हो सके। दूसरा, नगरों के सामने जो बढ़ती हुई आवास की समस्या हैं उसके समाधान में नगर विकास न्यास सहयोग कर सकें। तीसरा उद्देश्य मैं समझता हूं कि नागरिकों को उचित मूल्य के ऊपर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जायं। चौथा, सुनियोजित विकास तभी होगा जब अनधिकृत निर्माण को रोका जायेगा। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं, राजस्थान के अन्य शहरों की स्थिति मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन अलवर नगर के अन्दर जो स्थिति है, शायद नगर विकास न्यास इन सारी धारणाओं को पूर्ण करने के अन्दर अक्षम सिद्ध हुआ है। न्यास के द्वारा जिन नयी अधिकृत कोलोनीज का निर्माण हुआ है उनके अन्दर सुख-सुविधायें, आवश्यक सुविधायें जो होनी चाहिए वह प्रदान नहीं की गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप आज तक उनका विकास रुका हुआ है। जैसे मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर यह बात कही है कि विजयनगर स्कीम का प्रारम्भ 1986 के अन्दर हुआ था। इसके अन्तर्गत 350 प्लाट अलाट हुए, जबकि योजना 1400 प्लाट की थी। 148 एकड़ भूमि इसमें अधिकृत कर ली गयी, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार केवल 70 एकड़ भूमि अभी तक न्यास के कब्जे में आयी है। मालवीया नगर स्कीम जो 1987–88 में प्रारम्भ हुई थी, 86 एकड़ जमीन उसके अन्दर अधिगृहित करनी थी लेकिन केवल 48 एकड़ जमीन ही अधिगृहित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 1180 प्लाट कुल बनाने थे लेकिन केवल 300 प्लाटों के भू-खण्डों का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार से हसन खां मेवाती नगर, रणजीत नगर, 86-87–88 इतनी सारी स्कीम्स बनी थीं लेकिन दुर्भाग्य से जब आप आवंटन....

(1.00 मध्याह्न)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

करते हैं उससे पूर्व यह आवश्यक है कि उनमें बिजली, सड़क पानी की सुविधायें उपलब्ध करवा दें ताकि आवंटियों को अपने मकान बनाने के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हो सकें। अगर पानी नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह मकान का निर्माण कर सकेगा, बिजली नहीं है तो किस प्रकार से मकानों और भवनों का निर्माण हो सकेगा ? आज 1086 से लेकर 90 आ गया, किसी स्कीम को 4 साल हो गये, किसी स्कीम को 3 सालो हो गये, किसी को 2 साल हो गये और किसी को 1 साल लेकिन इन सारी स्कीमों के अन्दर आज तक सड़क, बिजली और पानी की जो मूल-भूत आवश्यकताएं

(श्री जीतमल जैन)

हैं, विकास के लिये वह आज तक उपलब्ध करवायी नहीं गयी हैं।

इसके साथ-साथ जो अनधिकृत निर्माण हैं उनको भी न्यास रोकने में असफल रहा है। एक प्रश्न के जवाब में, जो सरकार की ओर से मिला है अलवर जैसे शहर के अन्दर, जयपुर की तो मैं नहीं कह सकता कि यहां पर कितना हुआ है लेकिन अलवर जैसे शहर के अन्दर लगभग जो सूची मुझे मिली है 25 अनधिकृत कालोनियों का निर्माण हो गया है। इस सारे के अन्दर न्यास कितना असफल रहा है, हम योजनाबद्ध शहरों का विकास करना चाहते हैं और इस प्रकार से अनधिकृत निर्माण निरन्तर होते जाते हैं उनको रोक नहीं पाते हैं। एक दयानन्द स्कीम जो न्यास के अन्तर्गत ली गयी है केवल उसके अन्दर 13 कालोनियों का निर्माण हो गया है। इसका मतलब इन अनधिकृत निर्माणों को रोकने के अन्दर न्यास बिलकुल असफल रहा है, अक्षम सिद्ध रहा है।

इन सब बातों के पीछे कारण क्या है ? यह तो माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से एक स्कीम बनी थी इन्दिरा कालोनी की, वह स्कीम के अन्तर्गत थी, योजना बनी थी लेकिन दुर्भाग्य से अनधिकृत निर्माणों को नहीं रोका गया और आज वह इस युग का सबसे बड़ा स्लम अलवर के अन्दर बन गया है जैसे पुराने शहरों के अन्दर जिस प्रकार के स्लम बने हुये हैं उसी प्रकार से इन्दिरा कालोनी बिलकुल स्लम बन गयी है। आप उसके अन्दर, बरसात के अन्दर जा नहीं सकते हैं, गोड़े-गोड़े तक उसमें कीचड़ रहता है। इस प्रकार की अव्यवस्था है। अगर इस प्रकार से अनधिकृत निर्माण को नहीं रोका गया तो जो सौन्दर्यकरण की बात कर रहे हैं, नियोजित विकास की बात करते हैं उसके अन्दर हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिये कौन–कौन लोग, कौन–कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं इस बात के लिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उन सब की जानकारी प्राप्त करके इन्क्वायरी करें और उन अक्षम अधिकारियों को दण्ड दें और भविष्य के अन्दर इस प्रकार के अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं ने घोषणा की है कि भविष्य में इस प्रकार के अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिये कठोर से कठोर कार्यवाही की जावेगी। लेकिन अनधिकृत निर्माण तभी होते हैं जबकि उसके अन्दर वहां की संस्थाओं के, न्याय के अधिकारियों की सांठ–गांठ होती है उसके बिना अनधिकृत निर्माण नहीं हो सकते हैं। इसलिये आपको यह काउन्टिबिलिटी भी करनी पड़ेगी कि जिन लोगों के जिम्मे यह काम छोड़ा गया है, इस प्रकार से अनधिकृत निर्माण नहीं हों, उनको किस प्रकार रोकें और अगर नहीं रोकें तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3-4 साल से जो कालोनियां बनायी जा रही हैं उनके अन्दर पानी, बिजली और सड़क की सुविधायें तुरन्त प्रदान करवायी जायं ताकि योजनाबद्ध तरीके से कालोनियों का विकास हो सके।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की कालोनियों का निर्माण

(श्री जीतमल जैन)

हो रहा है और आवश्यक सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है, नगर बढ़ते जा रहे हैं इसके परिणामस्वरूप जब लोगों को नगर विकास न्यास भू–खण्ड उपलब्ध नहीं करवा सकता तो परिणाम यह होता है कि कृषि की जो भूमि है उसके ऊपर अनधिकृत निर्माण शुरू होते हैं, कालोनिया बनती हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि भविष्य में इस प्रकार की अनधिकृत कालोनियों के निर्माण को रोकें और न्यास इस प्रकार की अधिक से अधिक योजनायें बनाकर लोगों को उचित मूल्य के ऊपर भू–खण्ड उपलब्ध करवाये ताकि अनधिकृत कालोनियों का निर्माण रुके और नगर ठीक प्रकार से, सुनियोजित ढंग से विकसित हो सकें। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजना मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यानाकर्षित किया है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा विजय नगर योजना में आवासीय भू–खण्डों का आवंटन कम्प्यूटर द्वारा लाटरी निकाल कर वर्ष 1988, मालवीय नगर योजना में, वर्ष 1987–88, हसन खां मेवाती नगर योजना में, 1988 व 89 वर्ष, एवं रणजीत नगर योजना में वर्ष 1989 में किया गया था।

जहां तक योजनाओं में सड़कें, पानी की लाइन विद्युत एवं अन्य विकास कार्य भू–खण्ड आवंटन से पूर्व किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि किसी भी योजना हेतु भूमि अवाप्त करने के लिये लाखों रुपये की धनराशि की आवश्यकता होती है जो न्यास को स्वयं के स्रोतों से वहन करनी पड़ती है जबकि यथार्थ यह है कि शहर की आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु इतनी बड़ी धनराशि जुटाने एवं खर्च करने की सामर्थ्य विकास न्यास में सामान्यतया नहीं होती। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त योजनाओं में भू–खण्डों के आवंटन तथा विकास कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त योजनाओं में भू–खण्डों के आवंटन तथा विकास की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त योजनाओं में भू–खण्डों के आवंटन तथा विकास की कार्यवही जो परस्पर करनी पड़ती है जिसके लिये योजनाओं में उपलब्ध भू–खण्डों के लिये विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों से आवंटन नियमों के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रार्थना–पत्रों के प्राप्त होने के उपरान्त भू–खन्डों के आवंटन की प्रक्रिया कम्प्यूटर द्वारा लाटरी निकाल कर पूर्ण की जाती है और लाटरी से जिन लोगों को भू–खण्ड का आवंटन होते हैं उन्हें भू–खण्डों के आवंटन किये जाते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थना-पत्रों के साथ लोगों से अमानत राशि भी प्राप्त होती है जिन लोगों को भू-खण्डों का आवंटन नहीं होता है उन्हें वापस राशि लौटा दी जाती है। जो धनराशि न्यास के पास बनी रहती है उस धनराशि से सम्बन्धित योजनाओं में विकास कार्य करवाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है। उसके उपरान्त और भी धनराशि आवंटियों

(श्री भंवरलाल शर्मा)

से प्राप्त होने पर इसका प्रयोग भी विकास कार्यों पर किया जाता है। यह कहना उचित नहीं है कि योजनाओं को बने एवं भू-खण्डों को एक वर्ष से 3 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी आज तक सड़कें, पानी व बिजली की लाइनें नहीं बिछायी गयी हैं। नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा न्यास की उक्त योजनाओं में सड़कों पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष	सड़कों पर व्यय
1.	रणजीतसिंह नगर	1988–89	1,97,104
		1989–90 (फरवरी, 90 तक)	1,62,519
		योग—	3,59,623
2.	मालवीय नगर	1986–87	4,66,711
		1987–88	47,741
		योग—	5,14,452
3.	विजय नगर	1985–86	48,902
		1986–87	4,83,211
		1987–88	5,55,712
		1988–89	32,290
		योग—	11,20,115
4.	हसन खां मेवाती नगर	1987–88	9,21,127
		1988–89	6,17,612
		1989–90 (फरवरी, 90 तक)	3,03,141
		योग—	18,41,880

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह कहना भी सही नहीं है कि विजय नगर, मालवीय नगर एवं रणजीत नगर योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में न्यास के अधिकारियों द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। उक्त योजनाओं की शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही खातेदारों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त करने, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजे की राशि के सम्बन्ध में व्यक्तियों के मध्य विवाद होने के फलस्वरूप जिला जज अलवर के यहां कार्यवाही विचाराधीन होने एवं अन्य कारणों की वजह से ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रुकी हुई है। योजना में सड़कों के अलावा बिजली की लाइन, पानी की लाइन डालने के लिए न्यास द्वारा राज्य विद्युत मण्डल, अलवर एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अलवर को समय पर धनराशि भिजवाई गई उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

जलदाय विभाग

रणजीतसिंह नगर	तीन लाख
मालवीया नगर	तीन लाख
विजयनगर	तीन लाख
हसनखां मेवाती नगर	तीन लाख

यह पैसा जलदाय विभाग को जल कनेक्शन के लिए भेज दिया गया है। **विद्युत विभाग** रणजीतनगर के लिए 6 लाख 17 हजार 411, मालवीया नगर 5 लाख 89 हजार 432, विजयनगर 11 लाख 93 हजार 633 हसनखां मेवाती नगर 15 लाख 8 हजार 203 और उसी में दूसरा अमाउण्ट भेजा है 2 लाख 6 हजार 522। इन विभागों में, इन योजनाओं में पानी की लाइन या बिजली की लाइन डलवाये जाने का कार्य प्रगति पर है। पानी की लाइन, सीवरेज व ड्रेनेज कार्यों के लिए नगर विकास न्यास अलवर में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की ओर से एक अधीक्षण अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति भी हो गई है जिन्होंने अपने पद का कार्यभार संभालने के पश्चात् अब न्यास स्वयं यह कार्य करवाने में समर्थ होगा। नगर विकास न्यास, अलवर की उक्त पांच योजनाओं एवं नगर विकास न्यास की योजनाओं में तथा कृषि भूमि पर अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में नगर विकास के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा दिनांक 1-1-89 से अब तक 665 मामले नगर विकास न्यास एक्ट 1959 की धारा 91 क व 91 ग के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर नोटिस जारी किये गये। इनमें से 209 मामलों में अन्तिम रूप से निर्णय किया गया। अन्तिम रूप से दिये गये निर्णय 209 मामलों में से 119 मामलों से निर्माण ध्वस्त कराने व बेदखली के आदेश दिये गये। इनमें से 13 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक न्यायालयों में अभियोजन भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

जहां तक अवैध निर्माण को रोकने का प्रश्न है उसके सम्बबंध में निवेदन है कि अतिक्रमण निरोधक अधिकारी को जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल उस पर कार्यवाही की जाकर न्यास एक्ट के प्रावधानों के अनुसार नोटिसेज दियें जाते है। प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को अपना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाता है। उसके पश्चात् अवैध रूप से किये गये निर्माणों को हटाने तथा ध्वस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। आदेश पारित करने के उपरांत भी न्यास एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत एवं निर्माण हटाने के लिये समय दिया जाना होता है, जो दो माह तक अवधि प्रावधित की हुई है।

इसी प्रकार सारी कानूनी प्रक्रिया के अपनाने पर समय लग जाता है। तब तक सम्बंधित व्यक्ति द्वारा न्यायालयों में दावा दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाते हैं। इस समय नगर विकास न्यास के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में हुक्म हम्त-रूनंही तथा रेफरेन्स आदि के 219 मामले विचाराधीन हैं।

इसके अलावा न्यास एक्ट में न्यास अधिकारियों को लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 की भांति सिविल कारावास तथा शास्ति आदि के अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया है जिससे सीधे ही कार्यवाही की जा सके।

मैं, माननीय सदस्य को अलग-अलग योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है वह भी बताना उचित समझता हूं। रणजीत नगर योजना, इसमें 541 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्त करनी थी, 410 बीघा एक बिस्वा अवाप्त कर ली गई, 541 में से 410 बीघा अवाप्त की गई, 131 बीघा 14 बिस्वा अभी प्राप्त नहीं की जा सकी, इसमें से 16 न्यायालयों में पैण्डिग है, एवं 115 बीघा 15 बिस्वा को अवाप्त करना है। यू. आई. टी. एक्ट के तहत जो अवाप्ति का अधिकार है, कानूनी प्रावधान था उसकी मियाद 31-7-87 तक थी। 31-7-87 तक कार्यवाही नहीं हुई, उसके बाद जो सैन्ट्रल एक्ट है एक्वीजिशन का, वह लागू हो गया। उसकी कार्यवाही राज्य सरकार की अनुमति से की जा सकती है, इसलिए यू. आई. टी. अलवर ने इन कॉलोनियों के बचे हुये भाग को अवाप्त करने के लिए दिनांक 12-3-90 को राज्य सरकार को स्वीकृति के लिये बुलवाया।

इसी प्रकार दूसरी योजना हसनखां मेवाती, इसमें 542 बीघा जमीन अवाप्त करनी थी, इसमें से 376 बीघा 11 बिस्वा अवाप्त करली गई। 29 बीघा के कोर्ट में केसेज पैण्डिग हैं, 139 बीघा के लिए भी वही कानून बीच में आ गया। इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति के लिए पत्रावली आना बाकी है इसके साथ ही विजयनगर योजना में 568 बीघा भूमि प्रस्तावित थी जिसमें से 321 बीघा एक्वायर की जा चुकी है, 247 बीघा जो बची हुई है उसमें से 143 बीघा के कोर्ट में केसेज पैण्डिग हैं और 103 बीघा अवाप्त करनी है उसके लिए भी केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार की अनुमति के लिए प्रस्ताव आना बाकी है। मैं इन योजनाओं के बारे में अभी यह विवरण दे रहा हूं। माननीय सदस्य का जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है मैं उस बात से सहमत हूं कि अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए जो शक्ति से काम होना चाहिये था उसमें थोड़ी सुस्ती रही है, उसमें अनेक कारण रहे होंगे। अब मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं इन योजनाओं में जिन्होंने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भी अनाधिकृत निर्माण किये हैं, एन्क्रोचमेंट किये हैं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को निवेदन किया था हम उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेंगे और जो भी सख्त कार्यवाही करके उनको हटाया जा सकता है उनको हटाने की कोशिश करेंगे। रहा सवाल विकास का जैसा मैंने आपको विवरण दिया, विकास के लिए यह धनराशि मैं भी पर्याप्त नहीं मानता हूं लेकिन जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा यह विकास किये जायेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि विकास में गति लाने के लिए जलदाय विभाग का एक सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर यहां से भेज दिया जो यू. आई. टी. में ही डेपूटेशन पर रहेगा और इस सारे काम की गति को देखेगा और जल्दी से जल्दी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं पिछले कार्यकाल में जो कुछ हुआ है उसके बारे में तो कह नहीं सकता लेकिन आगे तीव्र गति से, अवाप्ति की कार्यवाही बाकी है तो वह करेंगे और जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा किसी भी प्रकार से वहां के नागरिकों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और विशेषकर अतिक्रमण हटाने में आपके सहयोग के लिए प्रार्थना करूंगा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने में आपका सहयोग हमें मिलें, हम मिलजुल कर इस काम को करें तो आपकी जो शिकायत है, जो तकलीफ है उसको हम दूर कर सकेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदया, आपने यह नहीं बताया कि पी. एच. ई. डी. की लाइन के लिए कब-कब रुपया दिया गया, यह तो जरूर बताया कि इतना रुपया दिया लेकिन पी. एच. ई. डी. विभाग ने अब तक इसे क्यों नहीं डाला उसके लिए कौन जिम्मेदार है क्योंकि वह विभाग भी आज आपके पास है और स्वायत्त शासन विभाग भी आपके पास है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आप चाहेंगे, किसने शिथिलता बरती, उसमें हमारा समय लगे तो वह भी मैं आपको बताने को तैयार हूं और आगे प्रगति हो, जल्दी से जल्दी इसमें समय देना चाहें तो उधर भी देने को तैयार हूं। जल्दी काम शुरू हो उसके लिये मैंने, आपको निवेदन किया, एक सुपरिण्टेण्डिंग इंजीनियर वहां पर डेपुटेशन पर लगा दिया है कि वह जल्दी से जल्दी इस पानी की योजना को पूरा करें। अगर आपका यह आग्रह रहेगा कि इसमें जो ढिलाई रही है, सुस्ती रही है, उसके बारे में जांच की जाय तो आप मुझे बता दीजिए मैं वह भी करने को तैयार हूं। वर्ना तो आगे काम होने दीजिए।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि अधिसूचनायें

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना क्रमांक प. 19 (1) राज/ उप/ 86, दिनांक 24 जनवरी, 1990,

(2) अधिसूचना संख्या एफ 1 (1) रेव/ कोल/ 87, दिनांक 1 फरवरी, 1990,

(3) अधिसूचना संख्या एफ 4 (13) रेव/कोल/87, दिनांक 1 फरवरी 1990,

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4 (7) रेव/कोल/80, पार्ट–II दिनांक 16 मार्च, 1980।

श्री सभापति : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) माननीय सभापति महोदया, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप–धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988–89 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987–88, एवं (II) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1987-88 सदन की मेज पर रखती हूं।

शासकीय संकल्प

श्री सभापति : मुख्यमंत्री महोदय।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यतः संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस विधान सभा में मई, 1971 के बारहवें दिन इस आशय का संकल्प किया कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण तथा जल की स्वास्थ्य प्रदाता के अनुरक्षण या पुनर्वीकरण संबंधी मामले इस राज्य में संसद द्वारा विधि के जरिये विनियमित किये जावें।

और यतः उक्त संकल्प के आधार पर इस राज्य के लिये संसद के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अधिनियमित किया था,

और यतः पूर्वोक्त अधिनियम के इस राज्य में कार्यकरण से प्राप्त व्यवहारिक अनुभव है उक्त अधिनियमन में इसके साथ संलग्न जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) द्वारा किया गया संशोधन राज्य में लागू करना आवश्यक समझा गया है,

अतः अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित उसके खण्ड

(श्री लक्ष्मी सिंह)

(1) के अनुसरण में यह विधान सभा, एतद् द्वारा संकल्प करती है कि जल, (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) राजस्थान राज्य द्वारा व उसके सम्बन्ध में अंगीकार किया जावे।

श्री सभापति : कोई बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि यह सदन राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प का अनुसमर्थन करता है ?

(स्वीकृति)

सदन द्वारा संकल्प का अनुसमर्थन किया गया।

लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार एवं पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदया, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान 1990-91 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 12,90,62,25,000 रु. (एक हजार दो सो नब्बे करोड़, बासठ लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिये अनुदत्त कर दी जावे।"

श्री सभापति : कोई बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि लेखानुदान सम्बन्धी जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक 1990

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1990 पर विचार

सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(संख्या–3) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : सभापति महोदया, मैं सदन के नेता, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि इस सदन में उन्होंने अपना पहला बजट चाहे वह अधूरा ही हो प्रस्तुत किया है । सभापति महोदया, मुझे इस बात से बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने अपने भाषण को वक्तव्य कहा । मैंने 1952 से लेकर आज तक विधान सभा में जितने भी बजट पेश हुए हैं चाहे वह वोट आन अकाऊंट के लिये हों, चाहे वह पूरा बजट हो, हमेशा भाषण कहा गया है, वक्तव्य कभी नहीं कहा गया है । मुझे पता नहीं, वह अपना जब जवाब देंगे तो हमें बतायेंगे कि उन्होंने खास तौर से इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है । वह यह कहते हैं कि हम खजाना खाली छोड़कर गये और जाते-जाते हमने बहुत से फिजूल खर्च कर दिये । मैं उनके इस वक्तव्य से या भाषण से यह साबित करना चाहता हूं कि यह बात जो वह कह रहे हैं सही नहीं है । 1989–90 का अनुमानित घाटा 203.66 करोड़ रुपये था उसके बजाय वह खुद कह रहे हैं कि संशोधित बजट का घाटा 70.75 करोड़ रुपये रहेगा यानि एक साल में, इतने साल हम रहे, उतने साल में अनुमानित घाटे को हमने 203.66 करोड़ से घटाकर 70.75 करोड़ रुपये कर दिया । अगर हम फिजूल खर्ची करते तो यह जो 203 करोड़ रुपये का घाटा था वह बढ़ता, घटता नहीं । हमने मितव्ययता की और हमने फिजूल खर्ची पर रोक लगाई और हमने इस बात की पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस बजट घाटे को हम कम करें । यही कारण है कि हमने अनुमानित घाटे को 130 करोड़ से कम किया । माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर हम फिजूल खर्ची करते, अगर हम अनाप शनाप खर्चा करते, अगर हम पैसे को लुटाते, अगर हम पार्टी के लिये पैसा खर्च करते, तो क्या हम 130 करोड़ रुपये की बचत कर सकते थे ? इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं कि हम भागते-भागते या चलते-चलते पैसे को लुटा गये, फिजूल खर्ची कर गये, यह आपका चार्ज सही नहीं है । आपके इस वक्तव्य से या आपके इस भाषण से यह साबित होता है हमने 130 करोड़ रुपये का सुधार किया है । माननीय सभापति महोदया, कल नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि रेवेन्यू बजट के घाटे को कैपिटल बजट के घाटे से पूरा नहीं करना चाहिये और मुझे खुशी है इस बात की कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस का जवाब दिया, उन्होंने यह कहा कि नहीं यह बहुत अच्छा पाइन्ट उन्होंने उठाया है और कभी भी रेवेन्यू बजट के घाटे को कैपिटल एकाउंट के घाटे से पूरा नहीं किया जाना चाहिये । माननीय सभापति महोदया, दो बजे तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया और चार बजे उन्होंने अपना यह वक्तव्य दिया । इस वक्तव्य से ही मैं यह साबित करना चाहता हूं कि उन्होंने रेवेन्यू एकाऊंट के घाटे को कैपिटल अकाउंट से पूरा करने की कोशिश की है । 1990–91 के बजट अनुमानों में 132.56 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा और कुल मिलाकर 29.76 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है

(श्री चन्दनमल बैद)

तो 132 करोड़ रुपये का जो घाटा था यह 29.76 करोड़ रुपये का घाटा कैसे हो गया? यह इस वास्ते हो गया कि इन्होंने कैपिटल अकाऊंट में से पैसा ट्रांसफर कर इस रेवेन्यू एकाऊंट के घाटे को कम किया है। माननीय सभापति महोदया, यह जो नया ट्रेण्ड चला है यह जयपुर में ही नहीं दिल्ली में भी चला है। दिल्ली में यह जो उन्होंने घाटा दिखाया है 7206 करोड़ रुपये का, उन्होंने भी कैपिटल अकाऊंट का 5826 करोड़ रुपये का जो मुनाफा था वह उसमें मिलाया है। अगर सही मायने में माना जाये तो उनका रेवेन्यू घाटा 13 हजार करोड़ से ज्यादा है....

सभापति महोदया, यह जो नया ट्रेण्ड चला है, यह खतरनाक है। आज इसको कण्ट्रोल करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेन्ट करने के बजाय, परमानेन्ट असैट्स बनाने के बजाय अगर आप केपिटल अकाउण्ट के पैसे को रेवेन्यू अकाउण्ट में खर्च करते हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसा साधारणतया कोई समझदार आदमी नहीं करता है। जो किसान ट्रैक्टर के लिये पैसा लेता है, वह अगर अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देता है तो वह अच्छा किसान नहीं कहला सकता है। जो बनिया एक नई दुकान खोलने के लिये, या फैक्टरी लगाने के लिये पैसा लेता है, अगर वह अपना पैसा फैक्टरी खोलने की बजाय या नई दुकान खोलने के बजाय उस पैसे को फिजूलखर्ची में खर्च कर देता है तो वह अच्छा बनिया नहीं कहला सकता है। चाहे मजदूर हो, चाहे कारीगर हो, चाहे बनिया हो, चाहे किसान हो। कोई भी केपिटल को, पूंजीगत पैसे को उसको अगर रेवेन्यु अकाउण्ट में इस तरह से फिजूल खर्ची में लगाता है तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है। यह सरकार के लिये भी मैं आप से कहना चाहता हूं। अगर सरकार ने घाटा पूरा करने के लिये केपिटल अकाउण्ट के पैसे का उपयोग किया है तो मैं समझता हूं कि बुरी बात है।

दूसरी बुरी बात सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने केपिटल अकाउण्ट का पैसा रेवेन्यु अकाउण्ट में ट्रान्सफर किया तो बताया क्यों नहीं? इसको छिपाकर क्यों रखा गया? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी आप तो नये हैं, आपका पहला बजट है, परन्तु आपके पीछे बैठे हुए वित्त विभाग के अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह छिपाया क्यों? क्या वित्त विभाग में इतनी गिरावट आ गई है कि इस तरह से किसी चीज को मिला दें और मिला करके विधान सभा को बतावें नहीं। मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्रीजी को यह बात मालूम नहीं होगी इसके लिये उनको क्षमा किया जा सकता है परन्तु वित्त विभाग को इसके लिये क्षमा नहीं किया जा सकता है। क्या उनमें इतनी गिरावट आ गई है कि वे इस तरह से छिपा कर विधान सभा को धोखा देने की कोशिश करते हैं।.... (व्यवधान).... क्या फर्माया। आप फर्मा दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कहा, क्षमा मांगे जब करें ....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदया, हमारे सदन के नेता बड़े साधारण तरीके से कह दिया कि फाइनेन्स कमीशन ने हमको जो डिबोल्यूएशन दिया है, वह ठीक है लेकिन इसमें कई अड़चनें हैं। माननीय सभापति महोदया, हमारे सदन के नेता ने यह भी कहा कि हमको रेलवे मंत्री जी को बधाई का प्रस्ताव पास करना चाहिये कि उन्होंने तीन, चार रेलवे लाइन हमको दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको बधाई का कोई भी प्रस्ताव इस सदन में पास करना चाहिये तो नवें फाइनेन्स कमीशन के लिये करना चाहिये। उन्होंने हमको जो डिवोल्यूएशन दिये हैं, नवें फाइनेन्स कमीशन ने सबसे ज्यादा डिबोल्यूएशन हम को दिये हैं, 1675 करोड़ के डिवेल्यूएशन हमको आठवें वित्त आयोग से मिले थे और 6400 करोड़ से ज्यादा के डिवोल्यूएशन अब हमें मिले हैं यानि करीब–करीब चार गुना डिवेल्यूएशन हमको नवें फाइनेन्स कमीशन ने दिये हैं। 4800 करोड़ रुपये हमको पांच साल में ज्यादा मिलेंगे इस नवें फाइनेन्स कमीशन की मेहरबानी से या उनके डिवेल्यूएशन के कारण से, उनकी रिपोर्ट के कारण से। इसलिये अगर धन्यवाद, या बधाई का कोई प्रस्ताव पास करना चाहिये तो इस नवें फाइनेन्स कमीशन के लिये करना चाहिये, रेलवे मंत्री के लिये नहीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बहुत वर्षों से यह मांग थी, सन् 1972 से हम यह मांग कर रहे थे कि क्लेमिटी फन्ड की स्थापना होनी चाहिये। राजस्थान बार-बार अकालों से जूझता रहता है। उस स्थिति में हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं वे अकाल में चले जाते हैं। इस वास्ते बराबर इसकी मांग करते थे कि इस तरह से क्लेमिटी फण्ड की स्थापना हो। नवें फाइनेन्स कमीशन ने एक क्लेमिटी फण्ड की स्थापना की है जिसमें सभापति महोदया, उन्होंने अपनी तरफ से यह लिखा है कि पांच साल में 465 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और वन थर्ड या 25 प्रतिशत राजस्थान सरकार उसमें मिलायेगी। इतना बड़ा बोझ जो फेमिन का हमारे ऊपर था उसको उन्होंने किस चतुराई से टाला है इसके लिये हमें तारीफ करनी चाहिये। साथ–साथ ही अकाल से जूझने के लिये पिछले जितने भी कर्जे लिये थे, उन कर्जों का भी माफ कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात नवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट से हुई है। सभापति महोदया, चाहे हमारे नेता इस वास्ते उनको बधाई नहीं देना चाहें कि इसकी सारी प्लीडिंग इधर बैठने वाले हम लोगों ने की थी, श्री शिवचरण माथुर ने और श्री हरिदेव जोशी ने। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान के शुभचिन्तक, राजस्थान के हितचिन्तक इस बात को मानेंगे और हम सब मिल कर उनको इस बात के लिये बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे....

श्री केदारनाथ : 125 करोड़ रुपया अगले पांच साल में स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं देगी तो मतलब माफ ही कर दिया है।

माननीय सभापति महोदया, गंगानगर

(श्री चन्दनमल बैद)

से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे इन मुख्यमंत्रीजी के आने से यह सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य प्रोफेसर सहाब, मुख्य मंत्री तो मार्च में आये हैं, रिपोर्ट तो दिसम्बर में आ गई थी। मंत्रिमंडल में आने वाले प्रत्याशी खुल कर के आपकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की। मैं इस चीज के लिये बेकरार हूं, मंत्रिमण्डल में जो सदस्य आ गये हैं, उनसे भी मैं आपकी तारीफ सुनू, इसके लिये मैं बेकरार हूं। उन्होंने अभी तक आपकी तारीफ नहीं की है लेकिन जो प्रत्याशी हैं, चाहे वे नदबई से आ रहे हों, चाहे वे गंगानगर से आ रहे हों, वे भरतपुर आपकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की....(व्यवधान).... अभी तक नहीं की है आपने।

माननीय सभापति जी, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री कह रहे थे प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से उन्होंने इस विधान सभा में सब से ज्यादा समय गुजारा है। सबसे ज्यादा समय तक वे प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है और वे कह रहे थे कि प्रतिपक्ष को शिक्षा देने के लिये वे हमारी क्लास लेना चाहते हैं। बड़ी खुशी से मैं उनकी क्लास में हाजिर होऊंगा लेकिन सभापति महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि इस विधान सभा में सबसे ज्यादा बजट मैंने प्रस्तुत किये हैं। इस हैसियत से मुझे भी एक क्लास लगाने का हक पैदा होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस क्लास में आना चाहिये। जिससे मैं आपको बता सकू कि किस तरह से फाइनेन्स का प्रबन्ध किया जा सकता है। पहली क्लास मैं आज ही शुरू करता हूं। उस दिन आपने क्लास शुरू नहीं की थी। अगर कागज, पेंसिल आपके पास है तो आप पहली क्लास मेरी नोट करें। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि किस तरह से इन बजट प्रबन्धन को ठीक कर सकते हैं। इसके लिये पांच सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव यह है कि योजना कमीशन जो हमारी योजना तय करे हमें उससे आगे नहीं जाना चाहिये। यह वित्तीय प्रबन्धन का पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि गैर योजना खर्च को खास तौर से प्रशासनिक खर्च को हमें कम करना चाहिये। किसी भी तरह से हो गैर योजना खर्च को हम कम नहीं कर सकते हैं जितना कि प्रशासनिक खर्च को हम कम कर सकते हैं क्योंकि योजना खर्च का बहुत सा पैसा गैर योजना खर्च में जाता है ज्योंही योजना बंद होती है वह गैर योजना में आ जाता है और उसको हमें चलाना पड़ता है लेकिन प्रशासनिक खर्च को हम कम कर सकते हैं। वसूली की प्रक्रिया को तेज करना चाहिये। चौथा मेरा सुझाव है कि राजस्व कमाने वाले विभाग को हमेशा मानिटर करते रहें और उनको जो टारगेट दिये हैं वह टारगेट पूरे कर रहे हैं या नहीं उसका हमें मानीटरिंग करना चाहिये। राजस्व कमाने वाले विभाग में ज्यादा अच्छे से अच्छा आफिसर लगाने चाहिये जिससे हमारे टैक्सेज पूरी तरह से वसूल हों। पांचवी बात यह कहना चाहता हूं कि जो राजकीय सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके बजट को सन्तुलित करना चाहिये। इसके विषय में एक निवेदन यह कहना चाहता हूं कि हम किसानों को सस्ती बिजली दे रहे हैं

(श्री चन्दनमल बैद)

इस वास्ते हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में जा रहा है। लेकिन अगर हम किसानों को सस्ती बिजली देना चाहते हैं तो हमें दो उपाय करना पड़ेगें। या तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम अनुदान दें जितनी सस्ती बिजली दे रहे हैं, उनके बदले में अनुदान दें, जो किसान को सस्ती बिजली दे रहे हैं, हैं उसके विपरीत दूसरे कन्जूमर को उतनी महंगी बिजली दें जिससे कि आर. एस. ई. बी. का बजट सन्तुलित हो सके।

माननीय सभापति महोदया, मैं थोड़ा सा इंदिरा गांधी नहर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा इससे दो तरह का सम्बन्ध है। एक तो इसका यह सम्बन्ध है कि मैं इसका मिनिस्टर रहा हूं और दूसरा यह सम्बन्ध है कि नोहर साहिबा लिफ्ट के मेरे इलाके में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने की उम्मीद है। इस वास्ते इस नाते से मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था वह प्रश्न सदन में तो नहीं पूछा जा सका लेकिन उसका जो मुझे जवाब मिला है उस जवाब को मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे यह जवाब दिया गया कि चार करोड़ रुपये नौहर साहिबा लिफ्ट के लिये प्रस्तावित थे उसमें से कुल 3.26 करोड़ रुपये ही खर्च होंगे। यह भी मुझे जवाब दिया गया है कि 14.75 किलोमीटर की खुदाई होनी थी 89-90 में और 10 किलोमीटर की लाइनिंग होनी थी उसके अगनेस्ट में केवल 3.25 किलोमीटर की खुदाई हो सकेगी और पांच किलोमीटर की चिनाई हो सकेगी। कारण यह बताया गया है कि फरवरी में बारिश हो गई थी इस वास्ते यह काम पूरा नहीं हो सका। केवल फरवरी में बारिश होने से 14.75 की खुदाई के बदले 3.25 की खुदाई होगी और फरवरी में बारिश होने के कारण 10 किलोमीटर चिनाई के बजाय 5 किलोमीटर की चिनाई होगी, यह सोचनीय बात है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस नौहर साहिबा लिफ्ट के खर्चे में से चार करोड़ के प्रस्ताव के बदले में 3.26 करोड़ खर्च होंगे लेकिन सारी इंदिरा गांधी नहर पर 56 करोड़ के प्रस्तावित खर्चे के अगेन्स्ट में 60.60 करोड़ रुपये का प्रस्तावित खर्चा बताया गया है। यानि सारी नहर पर 4.6 ज्यादा खर्चा होगा लेकिन केवल इस नौहर साहिबा लिफ्ट पर खर्चा भी कम होगा और काम भी कम होगा। मैं थोड़ा सा इस बारे में चिंतित हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके इस तरफ वह ध्यान दें और मेरी जो पीड़ा है उसको कम करने की कोशिश करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदया, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वर्तमान सरकार अपनी कथनी और करनी में बड़ा फर्क कर रही है। दो बजे कुछ कहा, चार बजे वहां पर कुछ कह दिया। इसी तरीके से यह महंगाई के नाम पर चुनाव में जीत कर आ गये कि भाई, हम महंगाई कम करेंगे।

माननीय सभापति महोदया, अब महंगाई कम करने के नाम पर दाल की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, प्याज की कीमत बढ़ गई, तम्बाकू की कीमत बढ़ गई, बीड़ी की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत

(श्री चन्दनमल बैद)

बढ़ गई और न मालूम किस–किस चीज की कीमत बढ़ गई। लेकिन संतोष एक है कि गरीब की इन चीजों की कीमत तो बढ़ गई लेकिन उन पूंजीपतियों और अमीरों के काम में आने वाले सोने की कीमत घट गई। क्या बढ़िया बात है ? गरीबों के नाम पर, गरीब को गणेश कहने वाले के नाम पर, गरीबों की भलाई के नाम पर यह आप गरीब के उपयोग में आने वाली चीजों के दाम तो बढ़ा रहे हो, शायद यह कह रहे हैं गरीब से कि यह दाल का क्या करोगे, सोना खरीद लो। जो पूंजीपति बड़े लोग खरी–दते हैं सोना उस सोने की कीमत 10–15 पर्सेन्ट आपने घटायी है गोल्ड कंट्रोल हटा कर। अब क्या कह रहे हैं कि हम पैट्रो–लियम प्रोडक्ट का कंट्रोल करेंगे, राशन करेंगे। क्या मतलब हुआ ? अब आपके घर में जो एक कैरोसीन की डिब्बी जलती थी उसको भी हम कंट्रोल कर देंगे। आपके ट्रैक्टर में जो डीजल लगता था उसको भी हम कंट्रोल कर देंगे। सोने से कंट्रोल तो हटा देंगे आप। बहुत अच्छी बात है, सोना सस्ता हो गया लेकिन जो गरीब के काम में आने वाला कैरोसिन तेल है, गरीब के काम आने वाला डीजल है उस पर राशन और कंट्रोल करना चाहते हैं, यह आपकी कथनी और करनी में फर्क है। हम तो आपके शुभचिंतक हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पांच साल तक रहो, आप पांच साल तक रहोगे, हमको 20 साल चांस मिलेगा लेकिन आपके लक्खन ऐसा बताते हैं कि आप बहुत दिन निकालने वाले नहीं हैं। माननीय सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : चाय, चीनी और घी और तेल की कीमत तो सस्ती हुई है, शायद माननीय बैदजी खुद ने कभी खरीदा नहीं है इसीलिये ध्यान नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो बाजार में रोज जाता हूं। दालें और चाय की कीमतें बढ़ी हैं, तेल की कीमत भी बढ़ी है।

एक माननीय सदस्य : चीनी और चाय की पत्ती और घी, तेल और दाल सस्ती हुई है। आपको सही ध्यान नहीं है। इन सारी चीजों की कीमत सस्ती हुई है, कम हुई है।

श्री चन्दनमल बैद : अब मैं आप ही से ले लूंगा सारा सामान।

एक माननीय सदस्य : ठीक है, मैं तैयार हूं सप्लाई करने के लिए (व्यव–धान)।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। श्री रामकिशन।

एक माननीय सदस्य : जो रेट हैं उनके मुकाबले में अब रेट सस्ती हुई हैं।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। मान–नीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। श्री रामकिशन शर्मा।

श्री रामकिशन शर्मा (भरतपुर) : सभापति महोदया, आज राजस्थान सर–कार ने अपने कामकाज को चलाने के लिए केवल चार महीने के लिए हमसे रकम मांगी है, हाउस से। उसमें सरकार ने यह

(श्री रामकिशन शर्मा)

वायदा किया है कि जो रकम ली जायगी उसमें से हम छोटे किसानों के कर्जे माफ करेंगे। सबसे पहले तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि उनको इस बात की तारीफ करनी चाहिये कि हिन्दुस्तान की राजनीति में पहली बार बाएदे की पूजा हो रही है अन्यथा होता यह था कि जो कुछ चुनाव घोषणा-पत्र में लिख दिया जाता था चाहे वह कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र हो, चाहे विरोधियों का घोषणा पत्र हो, उसका निराकार रूप होता था कोई साकार चीज समझ में नहीं आती थी। मैं इस बात के लिए राजस्थान सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने पहला जो हमारा वायदा था कि हम दस हजार तक के जिन किसानों पर कर्जे हैं उनको माफ करेंगे। एक बात इसमें जरूर रखी गई है कि जो कर्जा लेने वाले लोग इच्छा-पूर्वक या जान बूझकर कर्जा नहीं चुकाते हैं उनका कर्जा माफ नहीं किया जायगा। कल तो मैं इस राय का था कि यह स्टेप सही है लेकिन इसमें एक दिक्कत यह खड़ी हो जाती है कि जान बूझकर कर्जा कौन नहीं चुका रहा है इसका फैसला करेंगे सरकारी अधिकारी और जब सरकारी अधिकारियों के हाथ में चीज चली जायगी तो मुख्य मंत्री जी, आप जानते होंगे, वित्त मंत्री की हैसियत से भी आपको समझना चाहिये कि उनके हाथ में अधिकार जाने के बाद भ्रष्टाचार का एक नया किवाड़ खुल जायगा और जो पैसा दे देगा उसके लिए तो लिख देंगे कि इसका कर्जा माफ कर दिया जाय अन्यथा यह होगा कि यह आदमी जान बूझकर कर्जा नहीं देता है। इस समय राजस्थान की वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं है, जिस संकट में कांग्रेस सरकार हिन्दुस्तान को छोड़ कर गई है वह संकट हमारे सामने है लेकिन फिर भी हमें कड़ा मन करके एक बार तो यह कदम उठाना ही चाहिये कि दस हजार तक के कर्जे जितने किसानों पर हैं, मजदूरों पर हैं, दस्तकारों पर हैं, हमें पूरी तरह से माफ कर देने चाहिये।

दूसरी बात मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से एक निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने यहां लेखानुदान की जो मांगे थीं, केपीटल अकाउण्ट और रेवेन्यू अकाउण्ट का जिक्र करके साबित किया कि यह परम्परा हमने चलाई है और केन्द्र में भी यह परम्परा चली और राजस्थान में भी यह परम्परा शुरू हुई है। वैसे मैं इस परम्परा का विरोधी हूं। यह निश्चित बात है कि आज जिस प्रकार से हमारे देश में विकास रुक रहा है उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी योजना के पैसे को गैर-योजना में खर्च कर रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि आज दुनियां के देशों में खासतौर से एशिया के आस पास के देशों में हमारे विकास की गति सबसे धीमी है, कम है। इसलिए इस ट्रेण्ड को हमें बदलना चाहिये, इस ट्रेण्ड को खत्म करना चाहिये। लेकिन तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना कि यह ट्रेण्ड हमने ही शुरू किया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पिछले चार साल के अकाउण्ट्स वह देखें होता यह गया है कि प्लान में जो प्रावधान किया गया उनको कम किया गया और साथ साथ रोजमर्रा के खर्च के लिए केपी–

(श्री रामकिशन शर्मा)

टल अकाउण्ट में से पैसा खर्च किया गया है अगर आप इसे समझना चाहें तो मैं अभी नहीं लाया था, मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें पिछले चार सालों का आज शिवचरण जी जैसा बोल रहे हैं ना तो आप तो अंग्रेजी पढ़े लिखे भी हैं, आज हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में एक आप लेख पढ़िये जिसमें पिछले चार साल का पूरा विवरण दिया गया गया है और यह दिखाया गया है कि केपिटल एकाउण्ट में से लेकर रेवेन्यू एकाउंट में खर्च किया गया है। लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया उस काम को करें, मैं इसको साबित नहीं कर रहा हूं, उचित नहीं बतला रहा हूं लेकिन यह कदम गलत है, इस कदम से हमें बचना चाहिये, इसलिये हमारे विकास की गति बहुत धीमी है और हम नये-नये संकट में फंसते चले जा रहे हैं। माननीय विरोधी दल के नेताओं से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप जरा गम्भीरता से सोचिये। आप कहते हैं हमें फाइनेन्स कमीशन को धन्यवाद देना चाहिये और रेल्वे मंत्री को भी देना चाहिये। निश्चित तौर पर हम उनको धन्यवाद देंगे, फाइनेन्स कमीशन को भी देंगे और हम रेलवे मंत्री को भी देंगे। लेकिन मेहरबानी करके एक बार सोचिये कि आपने हिन्दुस्तान को छोड़ा किस शक्ल में है। आप 42 साल से राज कर रहे थे, आप जरा देखिये जो आप जैसे वित्त के मामले को ठीक-ठीक समझते हैं; जो पहला बजट पेश हुआ था केन्द्रीय सरकार का, उस समय सनमुखम चैट्टी हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री थे और केवल एक करोड़ का घाटा था। उस पर भी उन्होंने अफसोस जाहिर किया था और यह कहा था कि पाकिस्तान से जो हमें मुआवजा मिलेगा उससे इस घाटे को पूरा कर देंगे। एक तरफ तो हमने शुरूआत की यहां से और आप हमें छोड़ किस हालत में गये कि अबकी साल केन्द्र का घाटा 13 हजार करोड़ का छोड़ कर गये हैं, विदेशी कर्जा का हाल यह है कि आज हम कर्ज लेकर कर्ज चुका रहे हैं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। आप यह मानते हो कि आपने जो 42 साल में खराबी की है उसको हम एक महीने में मिटा देंगे, हम नहीं मिटा सकते। और ऐसा जो वायदा करते हैं मैं समझता हूं उसको सारी वित्तीय स्थिति की जानकारी भी नहीं है। आपने हिन्दुस्तान को जिस हालत में छोड़ा है आज हमारी हालत यह है कि हम प्रति व्यक्ति एक धेला भी खर्च नहीं करें तो भी 210 करोड़ रुपया रोज का कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है, 210 करोड़ रुपया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1952 में सनमुखम चैट्टी ने बजट पेश नहीं किया था, सनमुखम चैट्टी 1952 से पहले फाइनेन्स मिनिस्टर थे और उस वक्त प्लानिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था।

श्री रामकिशन शर्मा : मैंने पहले बजट का कहा था (व्यवधान) मैं, योजना शुरू होने के समय की बात, कह रहा हूं। हमने जो बजट पहला पेश किया था उसमें केवल हमारा जो एक करोड़ का घाटा था उस पर हमने अफसोस जाहिर किया था।

श्री शिवचरण माथुर : आपने जो नाम लिया था सनमुखम चैट्टी का, उस वक्त प्लानिंग की प्रोसेस शुरू नहीं हुई थी यह माननीय सदस्य ने कहा है।

श्री रामकिशन शर्मा : यह मैं समझ गया। उन्होंने दुरूस्त कर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जो कह रहा था वह यह कि कैसी हालत में हम आजाद हुए थे, शिवचरणजी को जानकारी होगी जो कांग्रेसी आन्दोलन में हमने हिस्सा लिया उसकी जानकारी होगी कि हमारे कोष में पैसा जमा था और आज हालत हमारी यह है कि इस साल जो बजट आया है केन्द्र का उसकी 22% रकम ब्याज में देनी पड़ेगी। आखिर आज इसका जिम्मेदार कौन है ? विकास कर नहीं पाये, विदेशी कर्जा हमारा बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आमदनी एशिया के किसी भी देश से हमारे देश में सबसे नीची है। यहां तक कि लंका में प्रति व्यक्ति आमदनी हमारे से ज्यादा है। नेपाल, भूटान और 2–3 देशों को छोड़ कर सब देशों से प्रति व्यक्ति आमदनी हमारे यहां कम है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? और जिम्मेदार जब आप हैं तो आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से मामले को रास्ते पर लाते हैं। क्योंकि हमारे सामने दो जिम्मेदारी हैं। हमें वित्तीय प्रबन्ध को दुरूस्त करना है और सामाजिक न्याय का जो हमने वायदा किया है उसको भी पूरा करना है। इस हालत में देखिये अगर कोई दूसरा वित्त मंत्री होता, कोई अगर दूसरी सरकार होती तो किसानों के कर्जे माफ करने की बात को दबा जाती। क्योंकि हम जानते हैं हमारी वित्तीय हालत बहुत खराब है। लेकिन साथ ही साथ वित्त मंत्री जी हमने एक दूसरा वायदा और किया था कि हम वृद्धों को एक सौ रुपया महीना पेंशन देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तीय प्रबन्ध हमारा कितना ही खराब सही। हो सकता है उससे हमको कुछ नुकसान भी हो जाय लेकिन राजनीति में मर्यादा बने। राजनीति में वायदों की कीमत बढ़ सके, लोग मानें, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जवाब देते वक्त मेहरबानी करके उस दूसरे वायदे को पूरा करने की कोशिश करें और वह वायदा अगर पूरा होगा तो उसके रास्ते कई निकल आएंगे। हमारी हालत जो खराब है उसकी हमको जानकारी है।

तो मैं खास तौर से आपसे निवेदन करूंगा कि हमने जो चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किये थे उनको पूरा करना हमारा पहला धर्म है और इसलिए मैं समझता हूं कि उन वायदों को पूरा किया जाएगा। आप लोग अपने चुनाव घोषणा पत्र में बड़े वायदे करते रहे थे। आपने समाजवाद का वायदा किया और पूंजीवादी व्यवस्था खड़ी कर दी। आपने लोकतंत्र का वायदा किया और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं। आपकी देखभाल में चुनाव हुए थे उनको आप चुनाव कहेंगे ? यह हरिजन, आदिवासी और गरीब आदमी जिनको वोट का अधिकार है, आज हालत यह हो गई है कि गरीब आदमी जिसको संविधान में अधिकार दिया गया था वोट डालने का वह आज बूथों पर केप्चर कर लिये जाते हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन शर्मा : माननीय मुख्यमंत्री जी इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा,

(श्री रामकिशन शर्मा)

चाहे यह हमारा सबजेक्ट नहीं है लेकिन चुनाव कानून में, हम चाहे उनको रोटी नहीं दे सकें लेकिन उनको जो मौलिक अधिकार दिया था, जो सम्मान दिया था उस सम्मान की रक्षा कैसे हो इसकी सदन को चर्चा करनी चाहिए । आज चुनाव प्रेक्टिस इतनी गन्दी हो गई है कि कोई भला आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता । गरीब आदमी चुनाव जीत नहीं सकता । पैसा खर्च अलग होता है और गरीब आदमी पर डण्डे अलग पड़ते हैं । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आपको 5 साल चुप रहना चाहिए । अभी से बोलने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो सारी व्यवस्था को बिगाड़ गये ।

यह कह रहे थे कि चीनी तेज हो गई । आपने जिस दिन वोट डाला था, याद करिये प्रद्युम्नसिंह जी, उस समय चीनी के भाव 13 रुपये किलो थे, देश में चीनी मिल नहीं रही थी । तेल, दियासलाई के क्या भाव थे ? चाय की कीमत 80 रु. किलो थी और बैद जी कह रहे हैं कि चाय की कीमत बढ़ गई । भाई, चाय, घी, तेल, दाल की कीमतें घटी हैं । बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि कुछ दिन बाद मांस की कीमत भी घटी है तो आप कैसे कहते हो कि कीमतें बढ़ रही हैं । हां, बजट आया है, हो सकता है इसका प्रभाव कहीं पर कीमतें बढ़ाने वाला हो लेकिन सरकार इस पर सतर्क है और सरकार ने जो कदम उठाये हैं, कुछ लोग जो सम्पन्न लोग हैं, पैसे वाले हैं उन पर टैक्स लगाया गया और वह टैक्स लगाना जरूरी था क्योंकि हमें कर चुकाने हैं, पैसे वापिस देने हैं और विकास की गति चाहे हम आज थाइलैण्ड और फ्रांस जैसी नहीं रख सकें लेकिन लंका जैसी विकास की गति तो रखनी ही पड़ेगी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, राज्य के बजट तक सीमित रहें ।

श्री रामकिशन शर्मा : इन्होंने ही केन्द्र का शुरू कर दिया । मैं राज्य पर ही आ रहा हूं । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, उससे जुड़े बिना काम नहीं चलेगा । आपने सीमा बांध कर सीमित कर दिया तो यह तो अनर्थ हो जाएगा हमारे साथ....

श्री सभापति : कोई अनर्थ नहीं होगा । डोन्ट ट्राई टू कन्फ्यूज माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज, कान्क्लूड करें ।

श्री रामकिशन शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपकी सलाह को तो चुनौती नहीं दे सकता लेकिन राज्य और केन्द्र का बजट आप जानते हैं किस तरह का है । हमारे पास है क्या ? यह म्युनिसिपैलिटी जैसी हैसियत राज्य की है । अगर केन्द्र में बजट नहीं रखा जाय और केन्द्रीय हिस्सा नहीं आये तो बहस किस वास्ते करेंगे ? आपकी स्थिति है क्या ? तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इन्होंने जिस तरह केन्द्र को लक्ष्य किया है इनके बजट के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास आपने विकल्प छोड़ा क्या था ? हमारे पास रास्ते बचे क्या थे ? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप राशनिग करने जा रहे हैं । कोई

(श्री रामकिशन शर्मा)

राशनिंग करने नहीं जा रहे हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति क्या है ? अगर हम जिस तरह से तेल मंगा रहे हैं, आता रहा तो क्या आप देने की स्थिति में हैं ? निर्यात करने को आपके पास कुछ हैं नहीं । जीवन की आवश्यक चीजों को निर्यात करने की बात सोची जा रही है और कन्जम्पशन बढ़ाया जा रहा है। इस पर कण्ट्रोल करना ही पड़ेगा ।

इतनी बात कह कर मैं कुछ राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हम कम से कम एक वैलफेयर स्टेट की कल्पना वाले लोग हैं । चलो, समाजवादी सरकार नहीं है । मैं उनसे आशा नहीं करता कि कोई समाजवादी सरकार है इसलिए वह समाजवादी कदम उठावेंगे लेकिन हम वैल-फेयर स्टेट वाले लोग तो हैं ही । हम संशोधित पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक तो हैं ही । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धों को पेंशन का वायदा तो हमारा है ही लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और सामाजिक काम करने चाहिए । आज हालत हमारे देश की बन क्या गई है ? रिक्शा चलाते हैं लोग । आपने देखा होगा वित्त मंत्री जी, जयपुर में रिक्शा चलाने वालों की संख्या बढ़ी है जिस देश में रिक्शों की संख्या बढ़ती है, मैं समझता हूं कि उस देश में मानवता का अन्त होता है । इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है आज आदमी के ऊपर आदमी सवारी करे इससे ज्यादा किसी समाज का कोई पतन नहीं हो सकता । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिक्शा चलाने वालों को किस प्रकार मुक्ति दिलाई जाय इस पर सरकार चाहे आज किसी प्रकार से विचार करने की स्थिति में नहीं हो लेकिन इस पर विचार करना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि उन गरीबों को किस प्रकार से दूसरे जीवन का सहारा दे सकें ।

आज हमारे देश में जिस तरह खर्चा हो रहा है उसको सीमित करने के लिए, पुनर्विचार के लिए वित्त मंत्री जी ने वायदा किया, है मैं समझता हूं कि यह वायदा बहुत सार्थक और बहुत जरूरी भी है। कल जैसा कहा गया सदन में कि आज हमारे राजस्व खाते को 80% रकम सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं पर समाप्त हो जाती है। आखिर यही स्थिति बनी रही, रोजगार को केवल सरकारी सेवाओं से जोड़ा गया तो हमारा देश भी दिवालिया हो जाएगा और हम कर्ज के जाल में फंस जाएंगे । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी नौकर इस वक्त जितने हैं उन पर जरा काम का वजन बढ़ाया जाय । आज कुछ विभाग तो ऐसे हैं जहां काम नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो अब सरकारी नौकरियों के बजाय हम काम के दूसरे अवसर तलाश करें इस बात की तो हम कोशिश करें लेकिन खर्चे को सीमित करने के लिए हमें कठोर बनना पड़ेगा और हम राज करने के लिए नहीं जनमे, अगर हम अच्छा राज दे गये पांच साल में तो चाहे हम चुनाव हार जायं, चाहे हमारी दुबारा सरकार नहीं बने लेकिन निश्चित तौर पर यह वित्तीय कुप्रबन्ध जो कांग्रेस ने शुरू किया उसका हमें अन्त करना पड़ेगा और प्रशासनिक खर्चों को हमें बहुत ज्यादा काटना पड़ेगा । आज हम देखते हैं, दफ्तरों में कितना काम

(श्री रामकिशन शर्मा)

होता है। काम है नहीं, काम का वजन उनके पास है नहीं और खर्चा निरन्तर बढ़ रहा है। तो इस पर हमें सख्ती से कार्यवाही करनी पड़ेगी और जो नतीजा होगा, हम भुगतेंगे लेकिन इसको दुरुस्त कर दिया तो आगामी राजस्थान हमें याद करेगा कि वित्तीय कुप्रबन्ध जिसकी कांग्रेस जननी है उसको दुरुस्त करने का काम जनता दल और बी. जे. पी. की संयुक्त सरकार ने किया। मैं आपसे इस संबंध में इतना ही निवेदन करूंगा।

एक बात और कहनी है हमारे विकास की जो प्रक्रिया हमने जिस प्रकार से शुरू की है उसके रिजल्ट आते नहीं हैं। हमने एक तरह का पैटर्न बना लिया। सारे राजस्थान के लिए, कल राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बात कही थी धौलपुर, भरतपुर और पूर्वी राजस्थान की। हम जो लोग चुन कर आये हैं सदन में। हम धौलपुर और भरतपुर के ही नहीं हैं, हम सारे राजस्थान के हैं लेकिन पूंजी को नियोजित करते वक्त इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिये कि हम कहां पैसा लगायें जिसका नतीजा जल्दी निकल सके क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। अगर हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम फिजूल खर्चा करते चले जांय तो हमें कोई एतराज नहीं, सरकार किसी भी योजना में पैसा लगाये लेकिन आज हमारे इलाके की हालत यह हो गई है कि जहां बाढ़ आती थी वहां पीने का पानी नहीं है। तो मैं सुझाव देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेहरबानी करके हमारे इलाके में पानी के स्रोत तो हैं नहीं और गहरे ट्यूब वैल किसान अपने खर्चे से खुदवा नहीं सकते। उनका पैसा ज्यादा लगता है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जहां भी मीठा पानी उपलब्ध है, अन्यथा हमारा संकट इतना गहरा होता चला जा रहा है कि भरतपुर, अलवर सवाई माधोपुर जहां इतनी पैदावार होती थी उनकी पैदावार केवल सरसों तक सीमित हो गई है और इसकी भी हालत खराब होने वाली है। तो मैं सुझाव देना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि उन क्षेत्रों में जहां मीठा पानी उपलब्ध है वहां गहरे कुए, गहरे ट्यूब वैल जो किसान खुद नहीं बनवा सकते वहां राज को इस काम को हाथ में लेना चाहिए और इस काम के लिए अगर कुछ योजनाओं से रकम हटानी पड़े और कुछ समय के लिए उनको स्थगित भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए अन्यथा हमारी स्थिति यह हो जाएगी कि पश्चिमी राजस्थान का नियोजन तो जल्दी रिजल्ट देने वाला है नहीं और पूर्वी राजस्थान में स्रोत सूखते चले जा रहे हैं। तो हम बड़े भारी संकट में पड़ जायेंगे। आज मैं वित्त मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें। विचार करने के साथ-साथ में मैं उनसे कुछ सामाजिक सिद्धान्त का जिक्र करूंगा। मैंने रिक्शों वालों की बात कही। हमारी नजर हिन्दुस्तान में सबसे गरीब आदमी पर पड़नी चाहिये। हमारे यहां इस तरह की घुमक्कड जातियां हैं जिनका समाज में कोई सम्मान नहीं है। मेहरबानी करके इनके लिए जिस प्रकार से हरियाणा ने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए

1

(श्री रामकिशन शर्मा)

प्रोत्साहान के रूप में कुछ रकम का प्राव-धान किया है, अगर हम यह कर सके तो उनके सम्मान की रक्षा के लिए हमें जरूर करना चाहिये। जब विस्तार से बजट पर बहस होगी उस समय मैं इस पर काफी विस्तार से अपनी बात कहूंगा। केवल इस समय मैं इतनी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सर-कार ने जो कदम उठाया है, चाहे रेल्वे का कदम हो, चाहे केन्द्रीय बजट का हो और राज्य सरकार की जो दिशा है, यह दोनों दिशा मिल करके हिन्दुस्तान में नया समाज बनाने जा रही है इसकी कहीं आलोचना भी होगी, इसका हमें कुछ कष्ट भी उठाना पड़ेगा, इसके लिए हमें ताने भी सुनने पड़ेंगे लेकिन हिम्मत करके हमें सुनना चाहिये। क्योंकि हमें नया समाज बनाना है। आपको तो समाज नया बनाना नहीं है। 42 साल तक तो आप केवल नये समाज के सपने दिखाते रहे और उसके बाद आप नतीजा निकाल कर गये, हिन्दुस्तान को बरकरार छोड़ गये। विदेशों से हमारे ताल्लुकात खराब करके गये। अबकी साल हमें अपनी सेना का बजट इसलिए बढाना पड़ा है कि आपकी गलती से पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध खराब, बंगला देश से हमारे सम्बन्ध खराब, नेपाल से हमारे सम्बन्ध खराब, श्री लंका से हमारे सम्बन्ध खराब। उप-लब्धि के नाम पर आप केवल जीरो हैं। आपने राज किया है 40 साल, यह उप-लब्धि आपकी जरूर है लेकिन समाज निर्माण, देश के कल्याण की दृष्टि से, जैसी हालत आज हिन्दुस्तान की है वैसी पिछले 300–400 सालों की खराब हालत दुनियां में किसी भी देश में नहीं हुई जैसी आज हिन्दुस्तान की हालत है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वृद्धों की पेन्शन का, जब वह खड़े हों, मेहरबानी करके जरूर एलान कर दें जिससे हमारी वाणी का सम्मान हो। इन लोगों की तो कोई वाणी है नहीं। न इनकी कोई वाणी है और न इनकी वाणी की कोई कीमत है। वह तो वायदाबाज थे और जनता ने इनको अलग बैठा दिया लेकिन हमें तो जीवन में अपने मूल्यों की रक्षा करनी है। इसलिए वित्त मंत्रीजी चाहे कड़ा कदम उठाना पड़े, और वृद्धों की पेन्शन का आज ही एलान करना पड़ेगा क्योंकि हम वायदा करके आये थे कि बुढ्ढों तुम मर मत जाना, जब हम विधान सभा में पहुंचे तो किश्त लेकर चले जाना हमारी तरफ से। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बुढ्ढा मर जाय बगैर पेन्शन के। यह वायदा मैं वित्त मंत्रीजी से करवाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उनको फिर बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के कर्जे माफ की बात कही और केन्द्रीय सर-कार ने भी कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स माफ किया है। रसायन का टैक्स माफ किया है। चूंकि इनका कुछ प्रिंसिपल तो है नहीं, उन्हें जानकारी तो कुछ है नहीं। यह किसान और मजदूरों की सरकार है इसलिए हमें बजट में अगर कहीं पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा है तो वह जरूर देखेंगे, यह सरकार जरूर ध्यान देगी तो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रामकिशन शर्मा : जनता इस दल को, इस सरकार को धन्यवाद देगी और केन्द्र में भी धन्यवाद देगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रमाकांत शर्मा

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया, इसके बाद तो मेरे लिए कहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य एक-एक पार्टी से एक-एक सदस्य बोले तो अच्छा रहेगा। आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सभापति महोदया, आपके पास सूची है क्या?

श्री सभापति : आप बैठिये, माननीय सदस्य। wait please. (व्यवधान)।

माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, बीच में कोई बात नहीं बोलेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : (संगरिया) : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति : क्या पाइंट आफ आर्डर ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने एक व्यवस्था दी है की हर पार्टी के सदस्य को मौका मिलना चाहिये। दोनों पार्टियों के सदस्यों को मौका मिल गया है, तीसरे को भी मिल गया मगर मेरा नम्बर बाकी है।

श्री सभापति : चेयर को ध्यान है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलेंगे। श्री रमाकान्त शर्मा, माननीय सदस्य, बिना रिपीट किये संक्षेप में अपनी बात, सभी सदस्य इसी तरह से संक्षेप में बात कहेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदया, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सोने के भाव जो पूंजीपति खरीदते हैं उनके लिए घट गया है। वह भूल जाते हैं कि कांग्रेस सरकार के अन्दर कालाधन कमाने की बिल्कुल छूट थी और वह पूंजीपति कालाधन बहुत बनाते थे और कालेधन से सोना खरीदा जाता था। आज भारत की जो सरकार है, राजस्थान की जो सरकार है उसमें काले धन पर रोक लगी है। इसलिए काले धन के अन्दर जो सोना खरीदने की क्षमता थी वह घटी है इसलिए सोने का भाव घटा है। उन्होंने एक बात कही कि बजट का जो घाटा है, मितव्ययता के अन्दर खर्चा कम आ गया। यह बात नितान्त सही नहीं है। बजट के अन्दर जो घाटा कम हुआ वह इसलिए कम हुआ कि जो विकास के, लोगों को वायदे किये थे उन वायदों को, उन स्कीमों को वित्त विभाग ने स्वीकृति नहीं दी और दूसरी बात यह है कि जिन स्कूलों को खुलना चाहिये था पिछले सैशन के अन्दर जिन अस्पतालों को खुलना चाहिये था पिछले सैशन के अन्दर उनको फरवरी के अन्दर जो चुनाव आये तब जाकर के उनको स्वीकृति दी गई और उनमें टीचर्स नहीं लगाये, उनके अन्दर कम्पाउण्डर्स नहीं लगाये, उनके अन्दर डाक्टर्स नहीं लगाये इस वजह से बजट का जो घाटा है वह कम हुआ है। मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं कि राजेन्द्र जैन कमेटी के बारे में अखबारों के अन्दर बड़ी चर्चा थी....

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदया, थोड़ा सा यह बता दें कि चिकित्सा विभाग में कितनी बचत हुई है....

श्री सभापति : आर्डर । माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलेंगे ।

श्री रमाकान्त शर्मा : थोड़ी सुनने की क्षमता रखिये । तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजेन्द्र जैन कमेटी के बारे में अखबारों के अन्दर चर्चा की गई, बड़ी भारी मितव्ययता की गई है, 80 करोड़ रुपये की मितव्ययता की गई है । मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि जो उस समय पोस्ट एबोलिश कर दी गई थी उनमें से कितने सरप्लस डिक्लेयर किये और जो सरप्लस डिक्लेयर किये गये गये उनमें से कितने दूसरी जगह पर काम में लगाये गये । यदि उनको दूसरी जगह, उन खाली पोस्टों पर जो कि आवश्यक था उन पर काम में नहीं लिया तो वह रुपया चूंकि तनख्वाह में वैसे का वैसे ही लगा हुआ है तो वह इकोनोमी कहां हो गई 80 करोड़ रुपये की ? क्या इस बजट के अन्दर वह सारा का सारा खर्च जो 80 करोड़ की इकोनोमी की थी वह उसमें रिफ्लेक्ट है क्या ? तो जो मैंने देखा है, मैं आपको निवेदन करता हूं उस 80 करोड़ के अन्दर 8 करोड़ की इकोनोमी नहीं हुई । जिस इकोनोमी की चर्चा की गई है, एक बात कहूंगा, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि योजना समाप्त होने पर योजना का जो खर्चा है वह आटोमेटिकली गैर योजना में चला जाता है । ऐसी बात नहीं है । जो स्कीमें दूसरे प्लान के अन्दर दे दी जाती हैं । जो स्पिल ओवर स्कीमें हैं वह दूसरे प्लान में ली जा सकती हैं । वह स्कीमें तो चालू होती है अन्यथा वह स्कीमें यहीं पर समाप्त हो जाती हैं । परन्तु एक बात जरूर है कि योजना के अन्दर जो पोस्टें सेंक्शन हो जाती हैं वह एक थोड़ा सा एट्टीट्यूट होता है ब्यूरोक्रेसी के कोलेबोरेशन का । तो उन पोस्टों को तो यह कह कर कि अगले फाइनेंस कमीशन के अन्दर लाभ मिल जायेगा उनको भी गैर योजना के अन्दर जरूर ले लेते । तो मेरा निवेदन यह है कि जिस समय डिटेल बजट बने उस समय इन बातों का जरूर ध्यान रख लिया जाय । इसी प्रकार से योजना के अन्दर जो पोस्टें सेंक्शन हो गयी हैं वह पोस्टें चूंकि अब आवश्यक नहीं हैं, जिस प्रकार की जो स्कीम ले ली गयी थी वह केवल मात्र इसलिये कि योजना से गैर योजना के अन्दर रुटीन चला हुआ है उनको तब्दील करने का वह तब्दील नहीं की जावे ।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि ऐसा होता है कि कभी–कभी हमारी आर्गेनाइजेशन करते हैं डिपार्टमेण्ट्स के अन्दर और री–आर्गेनाइजेशन के अन्दर बहुत अच्छी तरह से बातें बतायी जाती हैं कि इस प्रकार काम कर लिया जाय । तो जो दूसरी जगह की पोस्टें हैं वह समाप्त हो जायेगा पर होता यह है कि वह समाप्त होती नहीं है । मैं एक उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हैल्थ विभाग के अन्दर स्वास्थ्य वर्कर थे, फेमिली प्लानिंग वर्कर थे, मलेरिया वर्कर थे, और सेनिटरी इन्सपैक्टर थे । स्कीम यह बनाई गई कि अलग अलग वर्कर 4-4, 5-5 गांवों के अन्दर होते हैं इनके बजाय एक मल्टी–परपज वर्कर बना दिया जाय । और बड़ी स्कीम बनायी गयी, स्कीम सैंक्शन हो गई । मल्टीपरपज वर्कर बढ़ा दिये गये और

1

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मलेरिया विभाग वर्कर, फैमिली प्लानिंग वर्कर और हैल्थ वर्कर आज वहीं के वहीं मौजूद हैं। आज भी गांवों के अन्दर ऐसी स्थिति है। मलेरिया के जो वर्कर हैं वे मलेरिया के मच्छर तो मारते नहीं मक्खियां जरूर मारते रहते हैं बैठे बैठे वहां पर। यह बात जरा थोड़ा सा जो विस्तृत बजट बनाया जाय उसके अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदया, आपके द्वारा वित्त मंत्रीजी से। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं पर मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। बहुत सारी इस तरह की पोस्टें हैं, जो हर विभाग के अन्दर जो नई पोस्टें क्रियेट करते हैं यह कह कर कि पुरानी पोस्ट थी वह एबोलिश कर दी जायगी परन्तु एबोलिश नहीं होती है और इस प्रकार से बहुत ज्यादा फिजूलखर्ची हैं। उस खर्चे को रोकने का प्रयास किया जाय।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। फैमिली प्लानिंग के अन्दर, बन्ध्याकरण के अन्दर जो इन्सेंटिव मनी है, यह 150 रुपया दिया जाता है। अक्षरशः आप आंकड़े देखें तो 6 बच्चों की मां और 7 बच्चों की मां का बन्ध्याकरण होता है और उनको 150 रुपया दिया जाता है। इस प्रकार से 8–10 करोड़ रुपये हमारे राज्य के अन्दर व्यर्थ में चले जाते हैं और उसी का कारण है कि पिछले सालों के अन्दर हमारी जो जन्म दर है उसके अन्दर कोई कमी नहीं आयी है बल्कि वृद्धि हुई है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे दो बच्चों की मां है, उसको डेढ़ सौ की बजाय आप चार सौ दे दीजियेगा। क्या कोई किसी प्रकार की इंसेंटिव मनी होनी नहीं चाहिये? तभी हमारी जो जन्म दर है, वह कम हो सकेगी केवल मात्र आठ करोड़ रुपये इस तरह से इंसेंटिव मनी है या बड़े-बड़े कैम्प्स लगाते रहते है, उससे हमारे जन्म दर में नहीं कमी होगी धन्यवाद।

श्री सभापति : रिपीट नहीं करेंगे। माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा। जो बोल चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदया, बजट के बारे में मेरा यह निवेदन है कि जो घाटे के बारे में इस प्रकार की बातें की जाती हैं, इसके बारे में जो व्यवहार या अनुभव की जो बातें हैं, वह इस प्रकार साबित हुई थीं यहां पूर्तियां अगर जो बड़ी योजनायें बनाई जाती हैं और उन बड़ी योजनाओं के कारण जो बाद में प्रतिफल मिलता है, उस प्रतिफल को क्या प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है? अगर उसकी ओर ध्यान दिया जाये तो वह घाटे वाली बातें नहीं आवें। जैसे उदाहरण के तौर पर सवाई माधोपुर के अन्दर पांचनद बांध है। उस पांचनद बांध पर बहुत पैसा खर्च किया गया। इतना ज्यादा खर्च सरकार का हो गया, उसका प्रतिफल मिला नहीं, कुछ थोड़े पैसों के कारण हमारा वह बांध ब्लॉक पड़ा हुआ है। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम का एक नादोती इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जिसमें कम से कम पचास हजार बीघा जमीन आती है, अगर लिफ्ट योजना के जरिए उस पानी को उधर दे दिया जाये तो उस पानी के जरिये जितना भी पैसा सरकार को मिलेगा या जो भी रेवेन्यू मिलेगा, उसका कितना बड़ा भारी लाभ

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हमको प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार की बातों की ओर ध्यान दिया जाये, जो हमारा इतना बड़ा बांध में पैसा ब्लाक हो गया है, प्रतिफल हमको मिलने वाला है और उसमें बहुत कम पैसे की आवश्यकता है। अगर ऐसी योजनाओं के ऊपर पैसा लगाया जाये तो उस पैसे का प्रतिफल ज्यादा होगा, घाटे वाली बात कम होगी।

इस प्रकार दूसरा मेरा एक निवेदन, सुझाव है, बिजली के अन्दर। बिजली के अन्दर सरकार लगातार घाटे में चल रही है, घाटे में जाता है यह विभाग। लेकिन कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि किसान को जो कनेक्शन दिये जाते हैं, उन कनेक्शनों को नहीं दिया जाता है, यह कह दिया जाता है उसको कि सरकार के पास बिजली नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है। उनको कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। लेकिन वास्तव में व्यवहार की बात यह है, जिनके बारे में ज्यादातर चोरियां होती हैं। सरकार कनेक्शन दे रही है या नहीं दे रही है, लेकिन बिजली तो लगातार काम आ रही है। बिजली में कोई असर किसी प्रकार के फायदे का नहीं पड़ रहा है। अगर सरकार इन सबको कनेक्शन दे करके पूर्ति करें तो पैसा भी आयेगा, किसानों को लाभ भी मिलेगा और चोरियां भी बंद होंगी। इसलिये इस, प्रकार के बातों की ओर आपको ध्यान देना चाहिये। सरकार कम ध्यान देती है। बजट में रख दिया; लिफाफे का बढ़ा दिया, पत्र पर पैसा बढ़ा दिया, क्या इससे पूर्ति करके उस गरीब को नहीं मारा गया है, क्या उस बहन को नहीं मारा गया है जो अपने भाई के लिये पत्र लिखती है, क्या उस मां को नहीं मारा गया है, जो अपने बेटे के लिये पत्र लिखती है, इतनी छोटी–सी बात पर ध्यान दिया गया और एक लिफाफा, पत्र जो गरीबों के काम में आने वाली चीजें हैं, उस तक को नहीं बख्शा गया है सरकार के द्वारा। क्या इस प्रकार से पूर्ति करना चाहते हैं? यह पूर्ति करने का तरीका सही नहीं है।

इसी प्रकार दूसरी बात, किसानों की आती है, वह है डीजल वाली बात। डीजल के ऊपर एक साथ इतने पैसे बढ़ाकर सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ किया है। इसलिये इस प्रकार से जो बजट सरकार ने इसके द्वारा इकट्ठा किया है, बहुत ही गलत बात है।

इसलिये मेरा यह निवेदन है, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार से, अब जो योजनायें बनाई जायें, वह इस प्रकार की बनाई जायें, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर गांव के अंदर बैंक खोले जायें, बैंक हो गांव में, बचत की प्रवृत्ति बढ़े, बैंकों में पैसा बढ़ेगा किसानों का और पैसा भी बढ़ेगा और उससे आगे और योजनायें चलेगीं। इस प्रकार की छोटी–छोटी बातें जो आगे चलकर बहुत लाभदायक हमारे लिये हो सकती हैं, उन पर अगर सरकार ज्यादा ध्यान दें तो यह बजट लाभ का हो सकता है।

इसके साथ–साथ मैं अंत में यह बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी योजनायें जो बनती हैं, वह ज्यादातर शहरों में बनती हैं, ज्यादा पैसा वहां पर खर्च होता है और उसमें बहुत सा हमारा पैसा हमारी योजनाओं के बनाने में खर्च

(श्री रामस्वरूप मीणा)

होता है। इसकी बजाय अगर सीधे गांव की ओर इन योजनाओं को ले जाया जाये, जैसे प्राकृतिक साधन वहां मौजूद हैं, जहां पर सस्ते भी पड़ते हैं, गांवों को रोजगार भी मिलेगा और अकाल के टाइम में अगर कुछ छोटे उद्योग खोल करके गांव में इस प्रकार की योजनायें लागू की जायें, तो उससे रोजगार मिलेगा और अकाल से मुकाबला भी होगा। तो यह और लाभदायक हमारे लिये सिद्ध हो सकती है।

अन्त में मेरा, सभापति महोदया, यह निवेदन है कि सरकार मेरी इस बात की ओर ध्यान देगी और बजाय बुराई करने के कि पिछली सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, अगर आने वाले समय के लिये छोटी–छोटी योजनाओं में विशेष तौर से खर्च करके गांव के विकास गांव के पीने के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या और गांव में जो इस समय सबसे बड़ी विद्युत वगैरह की समस्या है, सबकी पूर्ति करेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। और कोई सदस्य बोलना चाहेंगे? संक्षेप में पांच मिनट में खत्म करें। यह कोई फुलफ्लेज्ड बजट नहीं है, वोट आन अकाउंट है, इस पर ज्यादा बोलने को क्या है?

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदया, जो लेखानुदान प्रतिवेदन मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है, वास्तव में चाहे बजट नहीं हो, पर जो इसमें प्रोविजन्स रखे गये हैं, और जिस तरह से इसमें प्रबंध किया गया है रकम का, उससे लगता है कि सरकार की नीति स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि सरकार ने जो अपनी नीति तय की है, लगभग कांग्रेस जैसी ही है जिसको हम इतने अरसे से कोस रहे हैं। वही के वही बजट में प्रोविजन्स हमारे सामने पेश हुए हैं। मैं इसीलिये आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो 29 करोड़ का घाटा दिखाया गया है, उसी तरह से रकम को कैपिटल से लेकर पूरा करने की योजना है, जैसे कांग्रेस ने किया और यह 29 करोड़ का घाटा मैं समझता हूं, कि जिस तरह के प्रोविजन सेंट्रल बजट में हुए हैं, उसका असर हमारे राजस्थान में अभी देखा, महसूस नहीं किया गया और राजस्थान में जो हमारे उद्योग हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें इतना पैट्रोल खर्च होता है, इतना डीजल खर्च होता है, जिस तरह से उन टैक्सों का फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर से यह घाटा 29 करोड़ का नहीं रहेगा क्योंकि चार महीने का है और पूरा बजट पेश होना है, इसलिये इस रकम को दिखा दिया गया है।

मैं मुख्य तौर से इन बातों पर आऊंगा कि राजस्थान की सरकार ने चार महीने के लिये जो कुछ अपनी इस व्यवस्था में एक अरब 17 करोड़ रुपये जो लिये हैं, उस रकम से राज्य सरकार क्या करने वाली है, इससे पता लग जायेगा कि राज्य सरकार कौन से काम को प्रायोरिटी देती है। मुख्य तौर से इतना जो पैसा है, उसमें जो प्रोविजन्स हैं, उसमें भी हमको महसूस हो रहा है कि हमारा पैसा इन योजनाओं में लगा हुआ है, जिनके रीजल्ट्स हमारे सामने अभी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तक नहीं आये हैं और मैं राजस्थान की नई सरकार से यह उम्मीद करूंगा कि हमको इसके बारे में स्पष्ट ध्यान देना चाहिये कि जो बड़ी योजनाएं पर हमारा पैसा लगा हुआ है, आज भी राजस्थान कैनाल की नहर पर 60 करोड़ रुपये का प्रोविजन है, उस 60 करोड़ को हम खर्च करेंगे, इससे पहले जो भाखड़ा और गंग कैनाल की योजनायें हैं, गंग कैनाल की लिंक नहर है, जिस पर हमने 16 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। अभी जो पानी मिलना है गंग कैनाल से, उसकी स्थिति इस तरह की है कि अगर वह दो तीन साल में पूरी न हो, तो जितना पानी हम यूज कर रहे हैं, वह हर साल सौ-डेढ सौ क्यूसेक घटता जा रहा है। 27 सौ क्यूसेक की बजाय अब हम उससे दो हजार क्यूसेक पानी ले रहे हैं और एक साल और बीतेगा हम 19 सौ लेंगे, एक साल और बीतेगा हम 18 सौ लेंगे। जो उसका गंग कैनाल का प्रोविजन है, उसका 12 करोड़ का प्रोविजन था। 12 से वह 18 हुआ 18 से 22 हुआ और आज वह चार महीने का जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वह नहर लिंक कैनाल कब पूरा हो जायेगा ? और लिंक कैनाल पूरा नहीं हुआ तो निश्चित तौर से गंगा नगर जिले के उन किसानों को एक सौ क्यूसेक पानी और कम मिलेगा और फसलें बर्बाद होंगी, हमारी रेवेन्यू क्या आयेगी ? हमारी अर्थव्यवस्था (राजस्थान) पर उससे फर्क पड़ेगा।

इसी तरह से भाखड़ा कैनाल का है। भाखड़ा कैनाल और राजस्थान कैनाल का जो पानी आज हम इस्तेमाल करते है गंगानगर जिले में और बीकानेर जिले में, उसकी व्यवस्था इस तरह की है कि पानी को इस्तेमाल करने के लिये हम बीस पच्चीस साल से उन नहरों के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक हम यह व्यवस्था नहीं कर पाये कि उस पानी को इस्तेमाल करने के लिये एक व्यवस्था बनाई जाय, एक मैनेजमेंट बनाया जाये, जो तीनों नहरों के पानी को इस्तेमाल करे। उन नहरों का उदगम एक जगह से है और एक जगह से नहरें आ रही हैं एक जगह से इंटरलिंक्ड हैं हरी के पत्तन से। उसके बाद भी हमने लिंक बना रखी है राजस्थान कैनाल और भाखड़ा में। फिर भी राजस्थान सरकार ने इस बात की उपेक्षा की है कि उस पानी को इस्तेमाल करने के लिये जो हम उस पानी को लाये हैं, नहरें बनाई हैं, पक्की नहरें बनाई हैं, उस पानी का खेतों में किस तरह से इस्तेमाल हो, इसकी व्यवस्था आज तक नहीं कर पाये और उसकी वजह है कि अगर मैं आंकड़े रखूंगा सिंचाई के तो यह महसूस होगा कि आधा इलाका जो भाखड़ा और गंग कैनाल का है, उसमें सिंचाई की पर्सेन्टेज 95 पर्सेंट, सौ पर्सेंट से ऊपर है। आधा इलाका ऐसा है जिसमें पचीस और तीस पर्सेंट है। इसका मतलब कोई व्यवस्था इस तरह की है कि उन नहरों के अन्दर जो पानी है, उसको इस्तेमाल भी हम सही ढंग से नहीं कर सकते। उसका वितरण भी सही ढंग से नहीं कर सकते और इस प्रकार जो पहले की सरकार है उस सरकार ने यह आश्वासन दिया था असेंबली में आज से एक साल पहले कि वहां एक चीफ इंजी-

(श्री हेतराम बेनीवाल) :

नियर रहेगा उस कैनाल में और उसी जिले में रहेगा उसका हैडक्वार्टर वहीं बनेगा और वह पूरी नहरों की व्यवस्था एक सात एक दृष्टिकोण बनाकर, एक प्लान बनाकर करेगा ताकि पूरी यूटिलिटी उन नहरों की हो सके।

आज तक यह बात इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके बाद एक और मुख्य मंत्रीजी आ गये बीच में तीन–चार महीने के लिए, वह तो आरजी मुख्यमंत्री थे, आरजी उनका प्रोग्राम था। जो अधिकारी जोधपुर से शिफ्ट होने वाले थे उनकी सुविधा के लिए ही उनको तीन महीने तक बनाये रखा। मैं उम्मीद करूंगा कि नई राज्य सरकार इस तरह का दृष्टिकोण अपनायेगी कि कुछ लोगों की सुविधा के लिए ही उन अधिकारियों को चेंज नहीं किया जाय। नहर तो है गंगानगर में, नहर का पानी लगता है अनूपगढ़ में और उसका इन्तजाम करने के लिए एडीशनल चीफ इंजीनियर बैठता है जोधपुर में, जहां न आस-पास नहर है, न पानी, न व्यवस्था है। पांच सौ किलोमीटर दूर चीफ इंजीनियर का दफ्तर है।

मैं इसी तरह से दूसरी बात मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चीज, जो मैं समझता हूं कि राजस्थान के इस बजट में जो प्रावधान आपने किया है, एक इम्प्लीकेशन आपने महसूस नहीं किया कि राजस्थान में बिजली विभाग, पी. एच. ई. डी., सड़क निर्माण विभाग में लाखों मजदूर काम पर लगे हुए हैं। हमारे राजस्थान के संस्थान में भी मजदूर काम पर लगे हुए हैं, हमने यह ध्यान नहीं दिया। जो राज्य सरकार पहले की थी वह अब हट गई और मैं समझता हूं कि उसके हटने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि इस प्रदेश के गरीब लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। उन मजदूरों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अगर यही बजट प्रावधान रहता है तो उनको 14 रुपये रोज ही मिलेंगे, उनकी मिनिमम रेट 14 रुपये रोज होगी। हम अपने प्रदेश के आस पास नजर दौड़ायें तो निश्चित तौर से हमको महसूस होगा कि देहली में मजदूर को 28 रुपये मिलता है हरियाणा में एक मजदूर को मिनिमम 27 रुपये मिलता है, पंजाब में 25 रुपये मिलता है। कोई भी ऐसा प्रदेश पास में नहीं है जिसमें 22 या 23 रुपये से कम मिलता हो और हम भी ऐसी श्रेणी में है कि 14 रुपये रोज मिलता है। 14 रुपये में मेरी समझ में 14 कप चाय नहीं आती पूरी। यह स्थिति है हमारी इस सिलसिले में। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री महोदय को निश्चित तौर से इस बात का इन्तजाम करना पड़ेगा और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 29 करोड़ हमारा नहीं रहेगा।

इसी तरह से दो मुख्य बातें मुझे कहनी है। एक मेरे भारतीय जनता पार्टी के माननीय साथी हैं। उन्होंने जब चुनाव में वोट मांगे तो बहुत बड़ा नारा लगाया था कि हर खेत को बिजली देंगे। आपने ट्यूबवैल्स के कनेक्शन्स के बारे में निश्चित ही नीति निर्धारित की है, मैं समझता हूं कि उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। वह सही नीति है और इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सदन के नेता हैं जो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

किसान बिजली का उपयोग करते हैं उनके बारे में मैं समझता हूं कि सही नीति अपनाई है। एक दूसरा आपका और नारा था शायद आप भूल गये। यह जो नौजवान बच्चे हैं 18–18, 19–19 साल के उन्होंने आपको बहुत बढ़ कर वोट दिये थे, बहुत बड़ा समर्थन किया था राजस्थान में और आपका नारा था– हर हाथ को काम देंगे। मैं समझता हूं, यह पूरे चार महीने का बजट है, एक नया पैसा आपने इस बात का नहीं रखा कि वह सहारा आपका कैसे काम पाये, किस तरह से आप व्यवस्था करेंगे ? यह केन्द्रीय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चार महीने के बजट में कोई नई योजनाओं का समावेश नहीं हो सकता।

श्री हेतराम बेनीवाल : नई योजनाओं का नहीं है, पर आखिर यह नक्शा हम किस तरह से पूरा करेंगे कि उन लोगों को, जिनको हमने चुनाव में नारा दिया, वह चार महीने तक हमसे पूछेंगे, इन्तजार करेंगे, क्या हम 29 करोड़ रुपये के घाटे में कर पायेंगे उनको ? क्या हम किसी एक को भी रोजगार दे पायेंगे ? जिन पढ़े–लिखे नौजवानों का नाम दर्ज है रजिस्टर में, पढ़े–लिखे लोग हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के रजिस्टर में नाम दर्ज है, हमारा यह वायदा था, जो केन्द्रीय संगठन थे, जो एक साथ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की पार्टीज लड़ रही थीं, उन्होंने भी और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन्होंने भी वायदा किया किया था कि हर हाथ को काम देंगे। मेरी समझ में इस प्रावधान से या इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि इस तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि पोइंट पर इस वक्तव्य में है, वह है किसानों के कर्जे का और मैं इस बात के लिए सही मानता हूं। मैं इनकी तरफ यह नहीं समझता कि एक हजार करोड़ का प्रावधान करते क्योंकि राजस्थान में लगभग एक हजार या आठ सौ करोड़ और दें तभी सारे लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, राजस्थान सरकार अगर यह प्रावधान करे तो फिर दो–चार साल हम पता नहीं कैसे और रहें. तभी ऐसा सम्भव है। पर यह जो तीस करोड़ रुपये माफ करें, उसमें सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है–यह जो बिलफुल शब्द दिया हुआ है यह शब्द बड़ा आपत्तिजनक है। यह ऐसा शब्द है ,'बिलफुल डिफाल्टर", इससे सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायेगी। एक छोटी सी चीज उस सारी योजना का सत्यानाश कर देगी। बिलफुल डिफाल्टर कौन है इसका फैसला कौन करेगा ? इसका फैसला राजनीतिक नेता नहीं करेंगे, इसका फैसला कार्यकर्ता नहीं करेंगे, इसका फैसला सरकारी कर्मचारी करेंगे। वही सरकारी कर्मचारी करेंगे जिन्होंने कांग्रेस को इस पक्ष में बैठाया है और मैं समझता हूं, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले में शब्द अगर वह रखना चाहें, क्योंकि यह शब्द वहां भी आया है, यह शब्द इन्होंने यहां अपनी तरफ से नहीं दिया, यह केन्द्र से उधार लिया है। जो केन्द्र का बजट है उसमें दण्डवतेजी ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया है और वह का वह शब्द इन्होंने इस्तेमाल कर दिया। मैं शब्द के लिए तो आब्जेक्शन नहीं करता, उस प्रणाली के लिए जरूर आब्जेक्शन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

करूंगा कि अगर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में यह चीज छोड़ दी गई तो निश्चित तौर से बहुत बड़े भ्रष्टाचार का कारण बनेगी और इस योजना का कोई लाभ नहीं होगा, ऐसे लोग फायदा उठा जायेंगे। मुझे इस मामले में यही कहना है।

तीसरी बात बूढ़ों को पेन्शन की है। यह जनता दल तो बेचारा ऐसे ही रह जायेगा। अगर आपने बूढ़ा पेन्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, चाहे टोकन ही जिक्र करें, हमारी दोनों पार्टियां जो यहां मिल कर राज कर रही हैं, अगर राज्य की जनता को महसूस करवाना है कि वाकई इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की संयुक्त सरकार है, मिली हुई सरकार है तो आपने उन योजनाओं के बारे में तो कर लिया, जो कुछ भी थोड़ा-बहुत किया, पर इनको बिल्कुल छोड़ दिया। यह जिस दिन गांवों में जायेंगे, सबसे पहले केदारजी और राम किशन जी को लोग पकड़ेंगे कि तुम बूढ़े हो गये, हमारा क्या होगा? तो इसलिए निश्चिंत तौर से पेन्शन की व्यवस्था करेंगे और जो इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की थी वह उस तरह से नहीं हो। जैसे इन्होंने की थी कि साठ रुपये और पचास रुपये समाज कल्याण विभाग से देंगे, वह समाज कल्याण विभाग नहीं था वह तो असल में कल्याण भूमि थी जहां इन्होंने सारों कल्याण किया है। उस तरह की व्यवस्था की बजाय निश्चित तौर से जैसे हरियाणा में किया है या यू. पी. की सरकार ने किया है, हमको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : माननीय सभापतिजी, बजट पर आने से पूर्व मैं सदन का ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा कि आज तक लगभग केवल मात्र तीन वर्षों को छोड़कर चालीस साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, देश में भी और प्रांत में भी। समाजवाद के नारे भी दिये गये, यह भी कहा गया कि गरीब और अमीर की दूरी को दूर किया जायेगा किन्तु देखने में यह मिलता है कि बजाय किसी ऊंचे टीले की मिट्टी को खड्डे में भरा जाता, यहां पर खड्डों की भूमि को टीलों के ऊपर चढ़ाया गया, समाजवाद के नारे बुलन्द किये गये। आज की वर्तमान परिस्थितियों में मेरी यह मान्यता है, मैं यह मानता हूं कि बजट बनाते टाइम हमको गरीब और अमीर की दूरी को दूर करना होगा पर स्थितियां ऐसी विकराल हो चुकी हैं कि आज एक आदमी, कारीगर जिन्दगी भर और आपके लिए मकान बनाता है लेकिन बेचारे को अपना टापरा भी बना पाना नसीब नहीं होता। एक हाली और ग्वाल मेरी और आपकी उदर पूर्ति के साधन जुटाने के लिए न जाने क्या-क्या खेत और खलिहानों में करता है लेकिन आज उसके बच्चे भूख से बिलबिलाते रहते हैं। पर स्थितियां इतनी विकराल हैं कि यदि उनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो मैं यह मानता हूं कि गरीब और अमीर की दूरी बढ़ेगी और जिसको हम समाजवाद का नारा दे देकर आज भूल-भुलैया में समाज को डालते चल रहे हैं उसमें कहीं कमी नहीं आयेगी। इसलिए बजट बनाते समय इस

(श्री अर्जुनदास मदान)

बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो गरीब और अमीर की दूरी दूर हो और ऊंचे-ऊंचे टीलों की मिट्टी से खाई को भरा जाय ताकि जमीन समतल हो सके ।

दूसरा मेरा निवेदन है, मेरी योजना है कि जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, आज हम नये कल-कारखाने खोलने की बात करते हैं, कई-कई परिस्थितियां इतनी विकराल सामने दृष्टि गोचर होती हैं कि रीको के पास इतने प्लाट नहीं हैं कि वह नये-नये कल-कारखाने बनाने की कोई अनुमति प्रदान करें । लोग कृषि की आज्ञा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं वहां पर उनको तहसीलदार और एस. डी. एम. के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कनेक्शन्स के लिए भी उनको जाना पड़ता है, कनेक्शन्स की प्रायर्टी पर तो मैं बाद में निवेदन करूंगा, अभी तो मैं केवल मात्र इतना निवेदन करता हूं कि जितनी भी सामंजस्य बैठाने वाली स्थितियां हैं, सारे कल-कारखानों को बनाने वाली, चाहे वह भूमि का काम हो, कनेक्शन्स का काम हो या प्रदूषण के किसी अधिकारी से बात-चीत करने का कोई प्रश्न आये, सारे अधिकारी यदि एक ही स्थान पर एकत्रित होकर उस कार्य-कलाप को आगे बढ़ायें तो देश में शायद औद्योगीकरण का और अधिक विकास हो सकता है ।

तीसरी स्थिति आज रोजगार की है, आज एक तरफ फैक्ट्रियां बजाय बनने के बंद होती चली जा रही हैं धीरे-धीरे, नये रोजगार आ नहीं रहे । राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि वैसे तो समूचे देश में हर डेढ़ सेकण्ड में एक बच्चा पैदा होता है, यदि मैं पांच मिनट भी यहां पर बोलूंगा तो आप यह मान लीजिये कि दो सौ बच्चों ने इस देश में जन्म ले लिया, यह स्थिति है जन्म दर की । दूसरी तरफ बांग्लादेश को छोड़कर केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर जन्म दर सबसे ज्यादा है और भारत में भी राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसकी जन्म दर कम्परेटिवली दूसरे प्रान्तों से सबसे ज्यादा है फिर चाहे हम परिवार नियोजन की नीति अपनायें किन्तु परिवार नियोजन को करने के बाद भी हम किसी प्रकार से जन्म दर को नीचे नहीं कर पाये हैं । कल्पना कीजिये रोजगार के साधन नहीं होंगे, चलने वाली फैक्ट्री बंद होती जायेंगी । रोजगार की तलाश करने वाला नवयुवक बाजार में और ज्यादा आता चला जायेगा तो क्या होगा । निश्चित तौर पर जीवन दूभर बनेगा । आज स्थिति यह है कि नासिक में बनने वाला सिक्का तो बाजार में चलता है चाहे वह किसी भी प्रकार का बनकर आया हो लेकिन हमारे विद्यालयों और यूनिवर्सिटी में से निकलने वाला विद्यार्थी रूपी सिक्का बाजार में आता है तो उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, तिरस्कार और अपमान की दृष्टि से देखा जाता है । आज एक जवान रोजगार की तलाश में भटक रहा है ।

मेरी तो यह मान्यता है सभापति महोदया, कि आज जितनी फैक्ट्रियां बंद हैं यदि वह किसी भी प्रकार चल सकती हैं तो हमको चलाने का प्रयास करना चाहिये और नये उद्योग लगाना चाहते हैं तो सारी योजनाएं हैं उनको श्रमिक आधारित बनाना होगा । कभी कभी योजना बनाने में ऐसा

(श्री अर्जुनदास मदान)

देखा जाता है कि हम वातानुकूलित कमरों में बैठकर एक किसी चार्ट को सामने रखकर के कोई योजना कागजों पर बना देते हैं। यदि अधिकारी लोग भी किसी गांव में जाकर, किसी दूर दराज में रहने वाले किसान के खेत पर जाकर विचार करें और फिर योजना बनाएं और फिर उसको मजदूरी देने की कोशिश करें तो शायद यह योजना ज्यादा क्रियान्वित हो पायेगी। तो मैं इतना ही निवेदन करना करना चाहूंगा।

प्रायोरिटी के बारे में मेरा इतना ही निवेदन है कि आज जहां से मैं आया हूं लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र, वहां पर 1462 कनेक्शन ऐसे हैं जो पिछले पांच साल से कनेक्शन लेने की इन्तजार में हैं। प्रायोरिटी की जो बिजली बोर्ड ने सूची बनाई हैं उसमें 9 वें स्थान पर है और उसमें दिया है लाइव सरफेस पर ट्यूब वेल लगाये जायेंगे तो उसको प्रायोरिटी दी जायेगी।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि कुए नीचे चलते चले गये हैं। आज 2630 फुट पर पानी उपलब्ध हो सकता है, कुओं की गहराई दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है। किसानों ने आज नीचे जाकर कनेक्शन लेने की बात की है। लेकिन आज प्रायोरिटी के आधार पर कनेक्शन देने से वंचित हैं केवल मात्र 30 कनेक्शन देने की बात है, जबकि 1462 कनेक्शन की एप्लीकेशन पिछले पांच साल से इस इन्तजार में हैं कि किसानों को कनेक्शन मिलें। यदि इस बात पर भी थोड़ा अवलोकन किया जाये तो ठीक है। यह सारी स्थिति आज चिन्तन और मंथन चाहती है वह इस बात को नहीं देखता है कि हम यहां बैठकर केवल थोड़ा-सा चिन्तन और विचार विमर्श करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें और जो परिस्थितियां है उनकी सही रूप में आंकलन करें तब जाकर उनका निराकरण हो पायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप बोलना चाहेंगे। वोट आन अकाउण्ट पर क्या बोलना है ? पूरे बजट पर बोलना।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कुछ तो बोलना है, सभापति महोदया।

श्री सभापति : अच्छा बोलिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : आपने तो कभी हाथ ही नहीं उठाया। हम आधे घण्टे से इस बात के इन्तजार में हैं। आपने बहुत चान्स लिया है, हम न्यू-कमर्स हैं। इसका मतलब यह नहीं समझ लेना चाहिये कि हम बोलना ही नहीं जानते हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप पहले उन्हें बोलने दें, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री सम्पतसिंह : यानि यही बात रही कि सबसे पीछे मैं।

श्री सभापति : आप बहुत बोलते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदया, इस देश पर 43 साल में ढाई लाख करोड़ रुपये का कर्जा जनता के माथे पर है। इस देश में एक तरफ भूख और प्यास से गरीब, नंगा व्यक्ति खड़ा है।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

उसके बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ऐसे में हमारी योजनाएं वास्तविक रूप लिये हुए होनी चाहिये।

मेरा आपसे निवेदन है कि हम आय के स्रोत बढ़ायें। आय के स्रोत बढाने के लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को, जो आज मुख्य मंत्री के रूप में बैठे हैं, अपना बजट पेश कर रहे हैं या लेखानुदान की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1956 में 3 पैसे एक हजार लीटर पर बड़े बड़े केपिटिलिस्टों को पानी दिया जाता था, यह आज भी कायम है। मेरा सुझाव है कि यदि उनको पानी देने की बात करते हैं तो 1 रुपया 1 हजार लीटर पर लगाया जाये मेरा निवेदन है कि क्या जो इण्डस्ट्रीयलिस्ट हैं या बड़े केपिटिलिस्ट हैं, बड़े कारखानेदार हैं जो पानी का उपयोग कर रहे हैं उनको पानी क्या हम मुफ्त में देना चाहते हैं ?

माननीय सभापति महोदया, मैं चाहूंगा कि उसका 1 रुपया किया जाय। इससे राजस्थान के राजस्व में कम से कम 25 करोड़ की आमदनी होगी।

माननीय सभापति महोदाया, राजस्थान उद्योगों में बहुत पीछे है, हम उसको गुजरात के पेटर्न पर ले जाना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि जब तक राजस्थान का विकास औद्योगिक दृष्टि से नहीं होगा तब तक सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जायेंगी और हर हाथ को काम देने वाली बात धरी की धरी रह जायेगी और यह बात केवल कांग्रेस की घोषणा मात्र रह जायेगी कि हम हर आदमी को काम देना चाहते हैं, वह उनकी जैसीं ही हो जायेगी। यदि हमने औद्योगिकरण के लिए किसी प्रकार की कोई नीति तय नहीं की। मैं चाहूंगा कि हर गांव में एक एक उद्योग या तो सरकार लगाये या जो उद्योगपति जो उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें इन्सेंटिव दें, जिससे उनके सहारे दूसरे लोग भी उद्योग लगाकर इस गरीब जनता को 15-20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति गांव में रोजगार मुहैया करा सकें।

माननीय सभापति महोदया, इस तरीके से राजस्व में बढ़ोतरी की जा सकती है। कुछ खनिज ऐसे हैं उदयपुर जिले में और उसके आसपास खनिज सम्पदा का विपुल भण्डार है। आज तक न तो उनका सिलसिलेवार दोहन किया गया है, मनमाने तरीके से उसका दोहन किया जा रहा है और राजस्व का भी भयंकर घाटा हो रहा है, उस पर न कोई चैक है न कोई बेलेंस है। चुंगी वसूल की जाती है या रायल्टी वसूल की जाती है, वह भी ठीक ढंग से वसूल नहीं की जाती है। उसकी प्रायोरिटी भी ठीक ढंग से नहीं बनी हुई है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये राजस्थान की सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप इस खनिज सम्पदा का ठीक ढंग से दोहन करें।

इसके साथ जो पानी बड़े बड़े केपिटेलिस्ट ले रहे हैं मुझे पता है कि उदयपुर जिले में जे. के. का टायर कारखाना, एक तरफ गरीब किसान का शोषण किया जा रहा है, राजसमन्द के किसान जो किसी समय बड़े सरसब्ज थे, आज वे पानी लिए लालायित हैं। राजसमन्द जैसी

(श्री शांतिलाल चपलोत)

बढ़िया झील जिसको राजसिंह ने बनायी थी, गरीब वर्ग के लिए बनायी थी। एक ब्राह्मण की हत्या के प्रायश्चित करने के लिए बनायी थी, आज वह बिल्कुल सूख गयी है। खेत को पानी नहीं दे रहे हैं और तीन पैसे प्रति हजार लीटर का पानी उनको दे रहे हैं। इसी तरह से श्री राम फर्टीलाइजर कोटा में है, उसको तीन पैसे में एक हजार लीटर पानी दे रहे हैं। जिससे राजस्व में नुकसान हो रहा है।

मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, आपके जरिये से बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से समग्र तरीके से सोचकर ही प्रदेश का विकास करने का प्रयत्न करेंगे तो मैं समझूंगा हमारे लिए उपयुक्त कदम होगा।

आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने राजस्थान राज्य का वित्तीय विवरण जो सभा के पटल पर रखा गया है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, आपने इस बजट के अन्दर कर्ज माफी के मामले में 30 करोड़ रुपये का केवल मात्र प्रावधान रखा है। माननीय सभापति महोदया, पिछली सरकार ने 15 हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने के प्रावधान की घोषणा की थी उससे राजस्थान के अन्दर 700 करोड़ की आवश्यकता है। ऐसा लगता है 30 करोड़ केवल मात्र राजस्थान के लोगों को एक तरह से चमका देने वाली बात है। 30 करोड़ के अन्दर कर्जे माफी का कोई कार्यक्रम नहीं होना है और इसके साथ यह और जोड़ दिया है कि भारत सरकार की सलाह से यह किया जायेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि केवल मात्र बजट में प्रावधान रखकर राजस्थान की जनता के कर्जे माफ करने की नीयत राजस्थान सरकार की नहीं है। जिस प्रकार हरियाणा ने और उत्तर प्रदेश द्वारा घोषणाएं की गई थी अगर उस बात को भी वर्तमान सरकार स्वीकार करती है तो कम से कम उसका प्रावधान तो राज्य सरकार को करना चाहिए जैसा कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा है, इस बात का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में कर्जे माफी की नीयत है कि तो इसके प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता है और भारत सरकार का सहारा लेकर जो वायदा आज सदन में किया जा रहा है, उसके वापस होने की मंशा नजर आती है सलाह ली जायगी और अगर सलाह नहीं मिली तो यह बात अधूरी रह जायगी। माननीय सभापति महोदया, मैं अभी-अभी माननीय रामकिशन जी ने सदन में काफी चर्चा इस बात की कि समाजवाद तब आगे बढ़ेगा जब हम सबसे गरीब लोगों को देखें हम एस. टी. के लोगों को देखेंगे, रिक्शा चलाने वालों को देखेंगे। अभी रामकिशन जी ने स्वयं ने भैरोंसिंह जी की

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सरकार को समाजवादी सरकार नहीं माना है। उन्होंने कहा कि यह सरकार समाजवादी दृष्टि कोण से नहीं चल रही है। तो मैं सोचता हूं कि क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री जी राजस्थान के सबसे गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठायेंगे जिससे राजस्थान में समाजवादी व्यवस्था बन पाये? वैसे अब तक सदन में कई बातों के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार की सबसे ज्यादा नजर गरीब की तरफ देखने की है। मेरे को आपके माध्यम से यही कहना है कि राजस्थान में चाहे वह किसी भी जाति विशेष का हो, आज एस. सी. और आदिवासी के अलावा भी आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर वर्ग के लोग राजस्थान में है जिनको हम किसी न किसी रूप में, जो किसी परिधि में नहीं आते, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं, चाहे वह किसी भी समाज का आदमी हो, उसको न्याय पहुंचाने के अन्दर, उसको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कोई महत्वपूर्ण कदम उठायेगी जिससे राजस्थान के गरीब आदमी को हम सहयोग दे पायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी चाहूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं क्या कि समाजवादी सरकार बने इसके सम्बन्ध में सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिए जिससे समाजवाद आता हुआ देखा जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय, सभापति महोदया, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने काफी महत्वपूर्ण बात रखी। मैं उसके ऊपर चर्चा विशेष तौर से राजस्थान के अन्दर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, आज हमारी मन्शा यह होगी....

श्री परसराम मदेरणा : डाइलेक्टिक मेटेरियलिज्म।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने जिस बात का जिक्र किया मेरी मन्शा यह है कि राजस्थान के अन्दर या चाहे भारत सरकार ने, चाहे पिछली सरकारों ने आज जो भी परिभाषा बना रखी है, हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर हमारे आदिवासी क्षेत्र हों, आदिवासी भाई हों, एस. सी. के लोग हों उनको तो राहत हमें पहुंचानी है लेकिन मेरा जो इन्डीकेशन है वह यह है कि आज राजस्थान में कई ऐसे वर्ग हैं जो सही मायने में शिड्यूल कास्ट और आदिवासी से भी कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक हालत राजस्थान में इतनी बिगड़ चुकी है कि वह एस. सी. से भी नीचे की परिधि में आते हैं। राजस्थान के ऐसे आदमी को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाने के लिए कोई सरकारी योजना इस रूप में, चाहे मण्डल आयोग की बात आप स्वीकार करें, मण्डल आयोग की राय अगर मान लें तो मैं सोचता हूं उसके अन्दर भी वह कवर हो सकते हैं। अगर राजस्थान सरकार की नीयत नहीं हो तो कम से कम ऐसे वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए राजस्थान के गांवों में, ढाणियों में आज इतने लोग बैठे हैं उन लोगों की आज बड़ी कठिनाई है, न रोटी का इन्तजाम है, न खाने का इन्तजाम है, न रहने का इन्तजाम है, न सोने का इन्तजाम है। ऐसे लोगों

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

के लिए सरकारी नीति में कोई न कोई प्रावधान रखेंगे। मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी शायद मेरी भावनाओं को समझ गये होंगे।

माननीय सभापति महोदया, मैं मुख्य मंत्रीजी को एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बजट के प्रावधानों में बेरोजगारों के लिए कोई भी प्रावधान आपने नहीं किया। पिछली सरकार ने बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिए 25 हजार और कुछ लोगों को 35 हजार रुपये तक का प्रावधान किया था। पिछली सरकार के टाइम में भारत सरकार से अनुदान के रूप में राशि मिलती थी। आज बेरोजगारी की समस्या राजस्थान में इतनी बढ़ गयी है कि बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान जगह-जगह भटकते हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि क्रिमिनल भी बनने लग गये हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रावधान के अन्दर बेरोजगारों को जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिले या रोजगार नहीं मिले या धन्धा नहीं मिले तब तक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रखना चाहिए। हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने उनको छोटी सी सहुलियत देने की एक बात कही थी कि वह सरकारी नौकरियों में इन्टरव्यू के लिए जाये तो उस समय उनको रोडवेज की बसें फ्री उपलब्ध होंगी। मैं समझता हूं उसके पीछे भी एक मन्शा यही थी कि कम से कम उनके पेरेन्ट्स के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़े और इसी नीयत से कि चूंकि नौकरियां मिलती नहीं हैं, तो मैं समझता हूं जब तक उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं, बेरोजगारी भत्ते का कोई भी प्रावधान रखें तो मैं सोचता हूं राजस्थान के नौजवानों के हितों की रक्षा आप करेंगे। इसके साथ-साथ हमारी पिछली सरकार ने एक फैसला यह भी किया था कि रोजगार कार्यालयों से अब उन्हें इन्टरव्यू के लिए नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके अन्दर इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा था कि आज वहां का बाबू लोगों के नाम भेजने के लिए रुपये मांगने लग गये थे और उसी दृष्टि से आज जगह-जगह एम्पलायमेण्ट एक्सचेन्ज के अन्दर लोग भटकते फिरते थे, उनके नाम नहीं जाते थे। कम से कम यह हमने किया था कि कोई बेरोजगार नियोजन कार्यालय में अपना नाम लिखवा दे और किसी भी विभाग में नौकरी की आवश्यकता पड़े तो वह अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर उसमें लिख दे और वह कार्यालय अगर उसे सलैक्ट करता है तो सलैक्ट किया जा सकता है। कम से कम उससे भ्रष्टाचार रुकेगा। उस नीति को कम से कम आपको आगे जारी रखना चाहिए और बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सभी सरकारों ने और राजस्थान ने भी अपने कर्मचारियों को भारत सरकार से लिंक कर लिया। आज अगर भारत सरकार का कोई भी भत्ता बढ़ता है या मंहगाई भत्ता बढ़ता है तो उस समय नेचुरल है कि उसका असर राजस्थान सरकार पर भी पड़ता है। सवेरे भी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

मंत्रीजी कह रहे थे 80 प्रतिशत आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो रहा है। जब एक तरफ 80 प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो रहा है तो हम विकास की तरफ कहां जायेंगे। यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है, बडा गम्भीर प्रश्न है। राजस्थान में चाहे उधर बैठने वाले हों चाहे इधर बैठने वाले हों, हम राजस्थान का विकास कैसे कर पायेंगे ? ऐसी स्थिति के अन्दर भारत सरकार यदि कोई भी घोषणा कर दे तो राजस्थान सरकार को देनी पड़ेगी क्योंकि हम भारत सरकार से लिंक हैं। इसीलिए हमको प्रावधान और बढ़ाना पड़ेगा। आय बढ़ाने के स्रोत हमको ढूंढने पड़ेंगे तब सही मायने में राजस्थान का विकास कर पायेंगे।

इसके साथ–साथ, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों के अन्दर राजस्थान में अनबैलेंस डवलपमेंट हुआ है। विकास की दृष्टि से अनबैलेंस मैं मानता हूं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर राजस्थान के अन्दर कहीं से प्राप्त होती है तो वह जयपुर डिवीजन से प्राप्त होती है। जयपुर डिवीजन से राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्व मिलती है लेकिन आप आंकड़े उठा कर देख लीजिए अनुपात में अगर विकास की बात हम सोचें तो जयपुर डिवीजन विकास की दृष्टि से सबसे नीचा है। आप सरकारी रिकार्ड को उठा कर देख लीजिए और उसकी जानकारी आप अधिकारियों से कर लीजिए। आय तो जयपुर डिवीजन की सबसे ज्यादा है। लेकिन विकास के खर्चों के ऊपर हमारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है चाहे वह राजनैतिक कारण रहे हों चाहे अन्य कारण रहे हों। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना जयपुर डिवीजन से सम्बन्ध रखा है छवड़ा से सम्बन्ध छोड़ दिया है। तो मैं सोचता हूं जयपुर डिवीजन के साथ अन्याय नहीं होगा। जयपुर डिवीजन का विकास अनबैलेंस हुआ है वह शायद मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्दर आप रोकेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मन्जूर करो कि अब तक अन्याय हुआ है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हमने कहा है कि राजस्थान अनबैलेंस्ड हुआ है। कई जिलों के विकास के आंकड़े देखें तो कई जगह तो बहुत पैसा लगा है कई जगह बहुत कम लगा है। उस अनुपात के अन्दर मैं सोचता हूं कि आप राजस्थान के अनबैलेंस को नहीं बढ़ायेंगे और उसके विकास के ऊपर आप एक नजर से चलेंगे।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के अन्दर आज राजकीय उपक्रमों में 70 हजार करोड़ रुपये का भारत सरकार का इन्वेस्टमेण्ट है। राजस्थान के अन्दर उसका दो प्रतिशत है। राजस्थान के उपक्रमों के अन्दर सिर्फ दो प्रतिशत है और वह भी सही मायने में सही हालत में नहीं चल रहे है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं तो हमें राज्य के उपक्रमों को बढ़ाना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि बड़े

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

उद्योगपतियों को राजस्थान में लाया जाये ताकि रोजगार मिल सके, हमारी सब बेरोजगारी समाप्त हो सके। माननीय सभापति महोदया,

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे वृद्धावस्था पेन्शन के अन्दर मैं सोचता हूं जो अन्य प्रान्तों ने यह शुरूआत की है, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन है लेकिन इस समय एक आवश्यकता हो गयी कि जो 60 साल की उम्र का कोई भी वृद्ध हो गया है उनके अगर बच्चे भी हैं तो पढ़ लिखने के बाद आज अलग-अलग हो जाते हैं। आज उनको कोई संभालने वाला नहीं है। उनकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर हो गई है। वृद्धावस्था पेंशन अगर हम जारी नहीं करेंगे तो हम सही माइने में बहुत लोगों के साथ अन्याय करेंगे। इसलिये वृद्धावस्था पेंशन का भी कोई प्रावधान आपको इसमें रखना चाहिए और इसके अन्दर वह क्राइटेरिया हटा देना चाहिए, पहले यह नियम बना दिया था कि किसी के बच्चे हैं या किसी के लड़का है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल सकती। आज बच्चे जवान होने के बाद अलग हो जाते हैं। माता-पिता का कोई ध्यान नहीं रखते। इस जमाने में श्रवण कुमार तो बहुत कम हो गये हैं। इसलिए कम से कम राजस्थान के वृद्धावस्था के पेंशन के मामले को आप गम्भीरता से लेंगे और उसमें वह क्राइटेरिया हटाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी के बच्चे हो, 60 साल की उम्र में चाहे महिला हो या आदमी हो, उनको वृद्धावस्था की पेंशन की बात आपको करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय सभापति महोदया, आज सदन के नेता और वित्त मंत्री महोदय ने जो चार महीने के लिए कुल लेखानुदान मांगें, उनके पेटे में जो बहस शुरू हुई....

श्री यदुनाथ सिंह : आसन को प्रभावित मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : Let him be the last speaker, please.

श्री सम्पत सिंह : जो बहस शुरू हुई उसमें सबसे बड़ी चिन्ता और नीति गत चिन्ता व्यक्त की गई, खास तौर से उनके माध्यम से जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य पहले कभी वित्त मंत्री भी बहुत रहे हैं, कोई दोराय नहीं है कि उनकी राय में सब शामिल नहीं हों, सब सहमत नहीं हों कि राजस्व-खातों में पूंजीगत खाते से रकम नहीं लगानी चाहिए लेकिन, माननीय सभापति महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं।

Coming events cast their shadows in advance. आने वाले बजट के लिए यह वित्त मंत्रीजी ने एक बानगी पेश की है कि किस तरह का खर्चा और किस तरह की आगे आने वाले साल के लिये राजस्थान प्रान्त को आवश्यकता होगी।

सभापति महोदया, आज निश्चित रूप

(श्री सम्पत सिंह)

से साधारण आदमी भी यह मानता है कि राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। पहले मुख्य मंत्रीजी श्री शिवचरण माथुर ने अपनी सरकार बनने के महीने–दो महीने बाद ही हमसे पूछा था कि कहिये आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमारी सरकार के बाबत। सभापति महोदया, हमने विनम्र शब्दों में यही कहा था उनसे कि आपसे हमने कोई रेडिकल चेन्ज की उम्मीद तो नहीं की थी लेकिन इन दो–तीन महीनों में और आने वाले समय में भी आपकी कार्य शैली से लगता नहीं कि कोई नोबल चेन्ज हो पायेगा। मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि 40–42 साल की आर्थिक नीतियों के आधार पर चाहे कोई भी पार्टी क्यों न हो, हिन्दुस्तान में किसी प्रान्त में किसी पार्टी का राज रहा, केन्द्र में कब किसका राज रहा, एक क्षण में हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आर्थिक नीतियों के ऐसे प्रभाव आयेंगे कि रातों रात कोई परिवर्तन हमको नजर आने लगे। खास तौर से इस बानगी के ऊपर, लेखा–नुदान के पेटे के ऊपर हम यह बहस कर सकते हैं, अपने सुझाव पेश कर सकते हैं आज की तारीख में कि किन–किन मदों में हमें अपनी फिजूलखर्ची को रोकना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, 1,200 करोड़ रुपये की पूंजी अधरझूल में लटकी हुई है सिर्फ एक सहकारी विभाग में। राजस्थान प्रान्त में जहां एक दर्जन से ज्यादा बड़े–बड़े उद्योग रुग्ण पड़े हुए हैं उनकी नीति के बाबत हमारी जो विचार–धारा सामने आ रही है वह साफ झलक रही है। एक व्यापारी कर्जा लेता है उस पर सब्सिड़ी भी मिलती है और महीने–दो महीने बाद वह उद्योग बन्द हो जाता है और व्यापारी का पता नहीं लगता वह किस प्रान्त में गया। निश्चित रूप से अगर हम इस पद्धति पर काबू पायेंगे तो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आयेगी।

माननीय सभापति महोदया, एक सब्सिडी का कन्सेप्शन चल रहा है। इस प्रान्त में एक व्यक्ति, कर्जदार कोई कर्जा लेता है उसमें सब्सिडी राज्य देता है या बैंकर्स देते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विषयों के छात्र यह कहने लगे हैं और सोचने लगे हैं गम्भीरता से कि सब्सिडी को इलाके के ऊपर दीजिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिर्फ गन्ना विभाग ऐसा कर रहा है कि वह इलाकों में सड़कें बनाने का जिम्मा ले रहा है और ज्यादातर सड़कों का निर्माण हुआ है। सभापति महोदया, एक व्यक्ति को सब्सिडी मिलती है उसको वह दहेज जैसी चीज समझता है। अगर बैंकर्स यह सोचें, सरकार यह सोचे कि व्यक्ति को सब्सिडी नहीं दी जाये, क्षेत्र के लिये सब्सिडी दी जाये तो चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे सड़क की हो उसके सुधार करने में द्रुत गति से काम करने का मौका मिलेगा। सभापति महोदया, आज बिजली विभाग के माध्यम से चाहे उद्योगों में जाइये, दूसरे उपभोक्ता पर जाइये, एक–एक यूनिट पर, उद्योग पर 80–80 करोड़ रुपये और उससे भी ज्यादा रुपया सिर्फ भुगतान के लिये

(श्री सम्पत सिंह)

बकाया पड़ा हुआ है चाहे वह न्यायालय के बहाने से, चाहे वह व्यक्तिगत टालमटोल के बहाने से।

आज सभापति महोदया, हमारे प्रान्त में खनिज व्यवस्था को लकवा मार गया। जो हमारे मोनोपोली आइटम हैं, बिजनिस में पूरे देश में जिप्सम पर, दूसरे और आइ–टम ऐसे हैं जिन पर हमारी मोनोपोली हो सकती है उनको हमने सबलेट नहीं किया हुआ। आज क्या सिंचाई पर हमारी व्य–वस्था होगी ? मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि लेखानुदान में बानगी दी गई है सरकार की तरफ से, वित्त मन्त्री की तरफ से चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे स्प्रि–कलिंग सिस्टम हो आज निश्चित रूप से सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है और जब किसी सरकार की और व्यक्ति की विश्वस–नीयता बढ़ती है, मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी आप राज में थे और कभी राज में आ सकते हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : बहुत संक्षिप्त कह रहा हूं। विश्वसनीयता अगर होगी तो हमारी बजट प्रणाली हो, चाहे संसदीय प्रणाली हो, इसमें निश्चित रूप से आम आदमी विश्वास करेगा और जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि समाजवादी सरकार का कोई चेहरा सा नहीं दीख रहा है वहीं आज पूरी दुनियां में जहां खास तौर से समाजवादी मुल्क थे वहां भी प्रोलिट्रेट डिक्टेटरशिप की जगह पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सिस्टम आने की बात चल गई है। तो कोई कार्य, जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे, आप कोई प्रोग्राम बताइये वहीं हम करने के लिये तैयार हैं जिससे समाजवादी मुखौटा हमारा जाहिर हो। आज काम करने की जरूरत है सिर्फ शब्द कहने की जरूरत नहीं है। काम अगर क्रान्तिकारी होंगे तो निश्चित रूप से वह किसी भी परिभाषा में आये वह समाज के गरीब से गरीब आदमी के लिये आयेगा और जो लेखानुदान की बात कुल चार महीने के लिये, मैंने शुरू में निवेदन किया है, यह आने वाले बजट के लिए एक बानगी पेश हो रही है।

जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डीजल जैसी चीजों पर कीमतें बढ़ीं। कुल पांच या दस फीसदी उपयोग आम किसान और छोटा आदमी डीजल का करता है। राशन की बात अगर केन्द्र सरकार करती है तो उस फिजूल खर्ची पर करती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सब्जी मण्डियों में लाल प्लेट की गाड़ियां खड़ी रहती थीं, स्कूल की छुट्टी के वक्त और स्कूल शुरू होने के वक्त लाल प्लेट की गाड़ियां वहां खड़ी देखी गयी थी। इन फिजूलखर्चियों को रोकने के लिये आपको राशनिंग ही नहीं इससे कड़ी से कड़ी और भी कोई व्यवस्था करनी पड़ी तो सबसे पहले हम विपक्ष की तरफ से यह उम्मीद करेंगे कि वह अपने सुझाव दें और राज–स्थान सरकार उनको आगाह करें और आगे लागू करें।

आज सिर्फ बात यह है कि 40–42

(श्री सम्पत सिंह)

साल तक राज करने के बाद भी आपकी राजनैतिक हैसियत ऐसी हो गयी है कि आप लगते हो कि जैसे केले के छिलके पर खड़े हों कब फिसल कर गिर जायें। आपको तकलीफ इस बात की हो रही है कि चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान प्रान्त की सरकार हो, आज आम आदमी से जुड़ गयी है। राजस्थान का बजट, राजस्थान की एक-एक कार्यवाही, सरकार की कार्यवाही उस गरीब आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रही है और सिर्फ 15 या 20 दिन के अन्दर-अन्दर, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन नोबल चेंज आया है। समाजवादी नीतियां लागू हो रही हैं चाहे उनका ढिंढोरा रेडियो और टेलीविजन से नहीं पीटा जा रहा हो। इसलिए आप धैर्य रखिये। आज वित्त मंत्रीजी ने सदन के समक्ष....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैंने केवल रामकिशनजी की भावना व्यक्त की थी कि उनको भी लगता है कि भैरोंसिह जी की सरकार समाजवादी सरकार नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : यह एक फैशन बन गया कि कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, नारे पर हमने आम आदमी को छला, कभी समाजवाद के नाम पर हमने आम आदमी को छला। आपकी नीतियां वर्ड्स में नहीं डीड्स में होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने अभी पहलापहल कदम रखना शुरू किया है, आप अभी से अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 40 साल का अध्ययन तीन महीने के अन्दर नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वित्त मंत्रीजी ने दृढ़ता के साथ अपनी बात कबूल की है इस पवित्र सदन में, कि आमदनी का, हमारे राजस्व का 80 फीसदी खर्चा सिर्फ तनख्वाहों पर, नौकरशाही के ऊपर और हमारी दूसरी व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च हो रहा है। आज वह बात तो मुख्य मंत्री के मुंह से नहीं निकली जो कभी तत्कालीन प्रधान मंत्री के मुंह से निकलती थी कि अगर विकास के नाम पर मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 85 रुपए न मालूम कहां रह जाता है और उस गरीब आदमी के पास 10–15 रुपया पहुंचता है। आज मुख्य मंत्री हो चाहे प्रधान मंत्री हो, उनके मुंह से वह बात नहीं निकल रही है। वर्तमान जो कमजोरियां हैं, चाहे आर्थिक कमजोरियां हों, चाहे राजनीतिक कमजोरियां हों, उनको प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री दृढ़ता के साथ इस पवित्र सदन में कह रहे हैं। मैं समझता हूं हमें उनकी भावना की कद्र करनी चाहिए। आने वाले बजट की जो उन्होंने बानगी पेश की है उसके लिए हम उसी भावना के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लेखानुदान मांगों को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि राजस्थान के गरीब से गरीब और आम आदमी के लिए आप अपनी योजनायें लागू करें। सिर्फ एक बात और जोड़कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमने बेरोजगारों के लिए बात की। निश्चित रूप से आप धैर्य रखिये। चाहे पढ़ा-लिखा नौजवान बेरोजगार या अनपढ़ बेरोजगार है, उसके लिए निश्चित रूप से योजनायें आयेंगी। जो मजदूर है, हमने वायदा किया है कि प्रबन्ध

(श्री सम्पत सिंह)

में उसकी भागीदारी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और विपक्ष के माननीय सदस्यों के जो अमूल्य विचार हैं, उन सबके साथ हम जुड़ना चाहते हैं और चार महीनों की लेखानुदान मांगों को हम सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज राजनीतिक दृष्टिकोण बदल रहा है। गुणात्मक परिवर्तन अगर राजस्थान प्रान्त में आ रहे हैं तो हम पूरे देश के प्रान्तों से किसी तरह पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदया, पिछले दिनों केन्द्र में और राज्य में सरकारें परिवर्तित हुई, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जनता दल या भारतीय जनता पार्टी या केन्द्र में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार है वह जनता में कुछ वायदे करके आयी थी। उनका वायदा यह था कि हम सरकार परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, हम कांग्रेस को ही हटाना नहीं चाहते हैं बल्कि हम व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। मुझे खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि केन्द्रीय नेतृत्व और राजस्थान का नेतृत्व ने जनता से जो वायदे किये, उनको पूरा करने की ओर सक्षम कदम उठाये हैं। आप देखेंगी कि केन्द्रीय बजट अभी कुछ दिन पहले आया। उसमें हमारे जो प्रमुख वायदे थे उनको पूरा करने की ओर कदम उठाने का काम किया गया। हमने जनता से वायदा किया था कि हम 10 हजार तक के कर्जों को माफ करने का काम करेंगे। हमने जनता से दूसरा वायदा किया था कि जो बजट है उसका 50 प्रतिशत हम गांवों में खर्च करने का काम करेंगे। तीसरा वायदा हमने यह किया था कि हम रोजगार के अधिकार को मूल अधिकारों में देने का काम करेंगे। ये तीन प्रमुख वायदे हमने करने का काम किया था। मुझे खुशी है कि केन्द्र सरकार के बजट में यह व्यवस्था की गयी है। एक हजार करोड़ की बात करके आपका जो मंतव्य है, जो मंशा है, जो रिसोर्स है, जिस तरह आप बैलेंस आफ पेमेण्ट का झगड़ा छोड़कर गये हैं, गैप छोड़कर गये हैं, उसको देखते हुए केन्द्रीय नेतृत्व की साफ नीति है कि जो हमने जनता से वायदा किया है उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। अभी यह सरकार 300 घण्टे की पूरी सरकार भी नहीं है, आज छः बजे के बाद 300 घण्टे होंगे। 300 घण्टे की सरकार नहीं होते हुए भी इस सरकार ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों का कर्जा, बुनकरों, छोटे दस्तकारों का कर्जा माफ करने का जो संकल्प किया है वह स्वागत योग्य है। लेकिन यह कर्जे केन्द्र सरकार जो माफ करेगी वह कार्मशियल बैंकों के कर्जे होंगे और राज्य सरकार बजट में जो व्यवस्था कर रही है, जहां तक मेरी जानकारी है, वह कोआपरेटिव के कर्जे होंगे। लेकिन आपने एक अड़चन लगा दी है कि हम जो कभी डिफाल्टर रहा नहीं हो किसी प्रकार से, उनके कर्जे माफ करेंगे। पर इस डिफाल्टर को आप कैसे आइडैण्टिफाई करेंगे ? बहुत-सी बंगलिंग कोआपरेटिव उस समय हुई है। कोआपरेटिव मूवमैण्ट का जो सिद्धान्त था कि वह गरीब आदमी का सहयोगी बने, सहयोगी की बजाय कोआपरेटिव

(श्री यदुनाथ सिंह)

का आज राजस्थान में मुंह साफ नहीं है। कौनसा इंस्ट्रूमैण्ट आपका होगा कि आइडैण्टिफाई करें कि जिसके लिए लाभ पहुंचना चाहिए वह लाभ पहुंचने का काम हो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदया, 300 घण्टे की बजाय 512 घण्टे हो चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : यह विधान सभा का टाइम बता रहे हैं जिसमें 300 घण्टे ही पूरे नहीं हुए हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : 26 दिन ही तो हुए हैं।

श्री नत्थी सिंह : इन्होंने विश्राम के घण्टे हटा दिये।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, सबसे बड़ी चुनौती जो केन्द्र के सामने और हमारे सामने भी है, वह चुनौती है रोजगार देने की। रोजगार दिया कहां जाय आखिर ? क्या एम्प्लायमैण्ट देने के पीछे हमारी मंशा यह है कि वेतन पर रखकर सर्विस हैड में नौकरी दे दें। यह सम्भावना न तो केन्द्र में है न राज्य में है। इसलिए नियोजन का ढांचा बनाते समय हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसी नीतियां बनायी जायं, एम्प्लायमैण्ट स्ट्रक्चर में ऐसा परिवर्तन किया जाय ताकि पूंजी पर आधारित होकर हमें कोई पूंजी निर्माण का काम नहीं करना पड़े। जब भी चर्चा चलती है इस देश में या राज्य में तो पापुलेशन ग्रोथ का कांस्टेण्ट मान लिया जाता है, हमेशा उसको बाधक बता दिया जाता है कि इस-कारण देश का विकास रुका हुआ है। इस दिशा में कभी कोशिश नहीं की गयी, प्रयास नहीं किया गया। मैं नेहरूजी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, नेहरू बहुत बड़े देशभक्त थे, नेहरूजी आधुनिक भारत के निर्माता थे, नेहरूजी ने संसार में नान अलाइड मूवमैण्ट चलाकर हिन्दुस्तान को बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा किया, लेकिन उनकी पाश्चात्य परिकल्पना कि कैपिटल फार्मेशन होगा, नयी पूंजी का निर्माण होगा, सैविंग्स होंगी और उसका बाई प्रोडक्ट एम्प्लायमैण्ट होगा, वह बात उनकी पूरी नहीं हुई और अनएम्प्लायमैण्ट दिन पर दिन बढ़ता चला गया। हमने कभी सोचा नहीं कि पूंजी का निर्माण किस प्रकार मैन पावर से हम करने का काम करें। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें यह प्रयास करें कि जो मैन पावर है, क्योंकि जो आंकड़े आये हैं, प्लानिंग कमीशन कहता है कि चार से पांच करोड़ अनएम्प्लायड हैं और बजट स्पीच में पढ़ रहा था मधु दण्डवते साहब की, वह कह रहे हैं कि 20 करोड़ अनएम्प्लायड हैं। एक सर्वे हुआ उसके मुताबिक गांवों में तो सिर्फ 4 पर्सेण्ट लोग ही एम्प्लायड हैं बाकी सब अनएम्प्लायड हैं, अण्डर एम्प्लायड छोड़िये। तो किस प्रकार से हम अनएम्प्लायड का रोजगार देने का काम कर पायेंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। पूंजी का जो बंटवारा है, पण्डितजी उस दिन बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक खर्चे पर रोक लगाने का इस देश में काम नहीं होगा, देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। बाहरी कम्पनियों, विदेशी पूंजी निवेश के कारण

(श्री यदुनाथ सिंह)

देश में जो अर्थव्यवस्था बनी, देश में जो औद्योगिक ढांचा खड़ा हुआ उस औद्योगिक ढांचे के तीन परिणाम सामने आये हैं। पहला तो उच्च वर्ग है, उसकी तो आमदनी में बढ़ोतरी होती जा रही है। मध्यम वर्ग है उसकी मांग की पूर्ति के लिए इण्डस्ट्रियल हाउसेज लगे हुए हैं। लेकिन गरीब आदमी की मांग की पूर्ति किस प्रकार की जाय, इस आर्थिक ढांचे को आज बनाने की आवश्यकता है। मैं इतने छोटे समय में ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी, क्योंकि बहुत-सी मीटिंग्स में मुझे भी इनके साथ जाने का मौका मिला है।

मुझे उम्मीद है कि जो जनता से हमने वायदे किये हैं, हम जनता से किये गये वायदों को निभायेंगे, जो वचन दिया है वचन भंग करने वाले नहीं कहलायेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आप उधर ही बैठने की व्यवस्था करेंगे। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ सुझाव है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको पूरा करेंगे।

श्री सभापति : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : सभापति महोदया, पिछले 10 वर्षों में जिस एक विषय ने बजट को प्रभावित किया है वह विषय है मजदूरों और कर्मचारियों का। कर्मचारियों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं होने के कारण, उनके प्रति विचार नहीं किये जाने के कारण कितने कार्य दिवसों की हानि हुई यह किसी से छिपी हुई नहीं है। इसी कारण से आन्दोलन हुए, हड़तालें हुई, घेराव हुए, कई प्रकार के कार्यक्रम हुए जिससे पता लगता है कि कर्मचारियों ने पूरे मन से काम नहीं किया और ऐसा आरोप अधिकारियों की ओर से लगता है। यह बात अर्द्ध सत्य भी है कि उनके आन्दोलनों और समस्याओं पर चिन्तन नहीं किया गया। पिछले तीन वर्ष पहले न्यूनतम वेतन कर्मचारियों का बढ़ना चाहिये था, मजदूरों का बढ़ना चाहिये था। सरकार के साथ एग्रीमेण्ट भी था लेकिन वह न्यूनतम वेतन कई बार मीटिंग्स करने के बाद भी, आश्वासन देने के बाद भी नहीं बढ़ा इस कारण से मजदूरों में एक बड़ा असंतोष है। यह असन्तोष आने वाले समय में बजट को और अन्य योजनाओं को प्रभावित करेगा।

मैं वित्त मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से और सम्यक विचार किया जाना चाहिये कि आने वाले समय में, यह तो छोटा बजट है लेकिन जो पूरा बजट आये उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। पिछली सरकार ने जो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का वायदा किया था वह वायदा पूरा नहीं करने के कारण से कर्मचारियों में और असन्तोष नहीं भड़क जाय, योजनाओं को प्रभावित नहीं कर सके और बजट पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो।

दूसरा, जो पिछली सरकार ने पिछले समय में मजदूरों और कर्मचारी संघों को बांट बांट कर काम चलाने की कोशिश की, कई प्रकार की जेबी यूनियन्स खड़ी करने की उसके कोशिश की, कारण से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिये श्रम संघों को आपस में लड़ाया और इस कारण से अधिकारियों ने और राजनेताओं ने अपना

(श्री मदनलाल सैनी)

स्वार्थ सिद्ध किया । इसकी अन्ततोगत्वा जो हानि होनी थी वह राज को हुई, इससे बजट प्रभावित हुआ । मेरा सोचना है और मेरी मांग भी है कि सब उद्योगों में श्रम संघों की मान्यता के चुनाव, जो जनता सरकार ने उस समय कराने प्रारम्भ किये थे जिसके कारण से श्रम जगत में एक शान्ति हुयी थी और उत्पादन भी बढ़ा था । उसी प्रकार से श्रम संघों को मान्यता का जो प्रश्न है उसका समाधान करना चाहिये ताकि एक उद्योग में एक ही मान्यता प्राप्त यूनियन होने के कारण से कर्मचारियों और मजदूरों की समस्याओं पर एक ही यूनियन से बात–चीत करने के कारण समस्या का समाधान जल्दी हो जाय । इससे भी इस कार्य दिवस की हानि को रोक सकेंगे और बजट योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव इसका नहीं हो पायेगा ।

कुछ इस प्रकार के बोर्ड और डाइरेक्टरेट्स हैं अलग अलग; राजस्थान मे आज 442 कार्पोरेशन्स हैं, बोर्ड और ट्रस्ट बने हुये हैं उनमें भी मजदूरों का प्रतिनिधित्व होने से समस्या का समाधान होगा । उन पर भी एक जिम्मेदारी आवेगी, काम में वह भी भागीदार बनेंगे तो काम करने की अच्छी स्थिति बनेगी और जो हम योजनायें जितने समय में लागू करना चाहते हैं वह योजनायें पूरे समय में लागू हो सकेंगी । आन्दोलन और हड़ताल में वह जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय करेंगे । इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे हमारा बजट प्रभावित हो, हमारी योजनायें प्रभावित हों तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्रीजी से यह चाहूंगा कि वह आने वाले बजट में इस प्रकार के प्रावधान पर विचार करें जिससे कि मजदूरों और कर्मचारियों की वेतन की जो विसंगतियां हैं, न्यूनतम वेतन है उस पर विचार कर उसको बढ़ाया जाना चाहिये ।

आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति : मानीय श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति महोदया, सदन में वित्त विभाग की डिमाण्ड पर विचार–विमर्श हो रहा है । मैं भी मेरी ओर से राज्य के मुख्य मंत्रीजी को जिस ढंग से डिमाण्ड पेश की हे उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदया, जिन लोगों के हाथों में लम्बे अरसे तक राजस्थान रहा वह गलत लोगों के हाथों में रहा । जिससे आज राजस्थान में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी है, गांवों का विकास नाम मात्र का रहा और जो भी बजट राजस्थान में लम्बे अरसे से पेश किया गया वह बडे लोगों के लिए किया गया । सभापति महोदया, राजस्थान में आजादी के बाद जो शासन हाथ आया उस जमाने से लेकर आज तक सदियों से जो अकाल पड़ता था उस अकाल को नाम मात्र के लिये भी कमजोर नहीं किया गया । इसका कारण यह है कि राजस्थान में सदियों से पड़ने वाले अकाल की ओर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया । यदि सही हाथों में सरकार होती तो निश्चित रूप से इसका एक प्लान बनता और योजना

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बनाकर के इस अकाल को समाप्त किया जा सकता था ।

सभापति महोदया, आज राजस्थान में धरती के नीचे मीठा जल है, पीने का पानी काफी है, पर राज्य सरकार ने आज तक जो योजनायें बनायी थीं, चाहे राजस्थान अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड हो, चाहे और कोई योजना हो, ट्यूब वैल्स खोदे जा रहे हैं, पीने के पानी के लिए स्कीम्स बनायी जा रही हैं, मेरे नोखा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में (बीकानेर जिले में) खास तौर से, एक प्राइवेट एजेन्सी है जो गुजरात से आयी हुयी है वह ट्यूबवैल्स खुदवा रही है और पड़ौस में राजस्थान का पी. एच. ई. डी. भी ट्यूब वैल्स खुदवा रहा है, उन ट्यूब वैल्स पर सरकारी धनराशि खर्च करीब साढ़े चार और 5 लाख रुपये हो रही है । और जो प्राइवेट एजेन्सी है, आप ताज्जुब करेंगे मुख्य मंत्री महोदय सिर्फ 25 हजार रुपये में ट्यूब वैल खुद रहा है । मदेरणा साहब बैठे हुए हैं, बहुत होशियार आदमी हैं इनके गांव के पड़ौस में मेरा क्षेत्र लगता है सालूण्डा गांव, उस सालूण्डा गांव में 100 दिन में करीब 25 ट्यूब वैल मुख्य मंत्रीजी खोदे गये हैं और उन ट्यूब वैल्स पर प्राइवेट एजेन्सी की कीमत सिर्फ 25 हजार रुपये आती है और 8 घण्टे में ट्यूब वैल्स खोद रहे हैं 600 फीट तक ले जाते हैं और वहां खेती का काम शुरू हो गया है । लेकिन खेद इस बात का है कि सरकार जो ट्यूब वैल्स खुदवा रही है, पास में खुदवा रही है उनकी मुख्य मंत्रीजी 5 लाख रुपये कीमत है । इस तरह के भ्रष्टाचार को आप नहीं रोकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे । जिन लोगों के साथ में लम्बे समय तक राज रहा है, उस पैसे को खर्च करने का जो रास्ता है, धन को दुरुपयोग करने का जो रास्ता है उसको आप तुरन्त ध्यान देकर रोकना चाहिये । जब आप नई योजनायें बनायेंगे खेती की और दिल्ली में बनने वाले फाइव स्टार होटलों पर आप ब्रेक नहीं लगायेंगे, आप प्रस्ताव नहीं भेजेंगे भारत सरकार के पास, यह फाइव स्टार होटल बन रहे हैं, जब मुख्य मंत्रीजी हम दिल्ली में जाते हैं तो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, मंजिलें गिनते हैं सिर्फ । एक आदमी के लिये 50 करोड़ रुपये दे दिये जाते हैं, ऐसी फिजूल खर्ची को आप चाहे पूरी बन्द नहीं कीजिये मुख्य मंत्रीजी, 90 पर्सेण्ट बन्द करके वह धनराशि राजस्थान के गांवों में लायेंगे तो हम निश्चित रूप से, दावे के साथ कहता हूं कि धरती के नीचे जो मीठा पानी है, वह पानी ऊपर आयेगा और गांवों का विकास होगा । गरीबी समाप्त होगी । लेकिन खेद है कि लम्बे टाइम तक राज भोगने वाले लोग कई मुख्य मंत्री बैठे हैं आपके सामने भैरोंसिंह जी साहब आपको बहुत बड़ा चैलेन्ज उन लोगों का है, उस चैलेन्ज को अपने को स्वीकार करना है और मजबूती से करना तभी इन लोगों का जो बनाया हुआ गलत रास्ता है धन के दुरुपयोग का, उसको हम सदुपयोग का कर सकेंगे ।

सभापति महोदया, इन्होंने राजस्थान कैनाल, दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल उसको पूरा करने में कई शताब्दियां बिता दी लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाये । अगर थोड़ा बहुत किया है तो उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है । उसके खाले

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बनाकर के किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचाया, इससे क्या हुआ, नहर का खाली नाम है, खेती हमारी सूखी पड़ी है, खेत में पानी नहीं पहुंचा 40 साल से । सभापति महोदया, इससे साफ जाहिर है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही उनका मन साफ नहीं था । उनके दिल में यही था कि गांवों को कमजोर रखिये, गांव कमजोर होगा तो राज हमारे हाथ में रहेगा । बिल्कुल साफ है । इसलिए मुझे इस बात का खेद है कि इतने लम्बे समय तक राज का स्वाद और भोग करने वाले लोग आज भी भैरोंसिंह जी, गुर्राहट कर रहे हैं । इनके गुर्राहटों से आपको नहीं डरना है, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर कोई राजस्थान में आजादी के बाद समाजवादी सरकार के चेहरे लेकर बढ़े तो आज यह दावा है, आज गांव की ग्राम सभा में, भैरोंसिंह जी साहब मुख्यमंत्री जी, आप जाओगे तो लोगों के चेहरे से गरीबी झलकेगी कि यह ग्राम सभा है लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लम्बे समय तक ऐसे सम्राटों से संघर्ष करके जो गरीबी के चेहरे लेकर के, समाजवादी शक्लें लेकर के आप अन्दर आये (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप किन सम्राटों की बात कर रहे हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं । आपका उनमें नाम नहीं है । मैं ऐसे सम्राटों का नाम नहीं ले हूं जिनको थोड़े से समय से निकाल दिया गया, लेकिन सम्राट बहुत सही थे जो जल्दी ही समय पर वापिस आकर सफाया किया सभापति महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि समाजवादी सरकार है, भैरोंसिंह जी साहब, आप भी एक समाजवादी हैं । आपके चेहरे पर कोई शोषण की झलक नहीं है, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूं न मुझे कोई मंत्री बनना है । लेकिन मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूं । ऐसी कोशिशें कई बार की हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लेकिन मैं आपको वह बात बता रहा हूं जो आपके सामने बहुत बड़ा चेलेन्ज हैं । आपके सामने जो हमारी घोषणाएं थी कि गांव के आदमी का 10 हजार तक का कर्जा माफ करेंगे, क्यों कर्जा माफ करेंगे । कॉपरेटिव एक्ट लागू होने के बाद, ग्रामीणों का सहकारी समितियों के मार्फत बहुत शोषण हुआ, अर्जी लिखाकर के ऊंट गाड़ा, गाय और भैंस उनको ऊंचा उठाने की बात करके उन गरीबों को खा गये, उनको तबाह कर दिया । उन लोगों को राहत पहुंचाने का चेलेन्ज आपके सामने हैं । उनको गरीबी से मुक्ति दिलाकर के 10 हजार रुपये की कर्जे की जो माफी है उसमें देरी नहीं करनी है । साथ ही पेंशन का मामला भी छोटा नहीं है । जनता के दरबार में जनता के बीच में गांव गांव, ढाणी चार साल तक हमने इस बात का प्रचार किया कि हमारी योजना यह है । शोषण करने वाले लोगों को दिल्ली से साफ करेंगे और उनके आसन पर भारत का प्रधानमन्त्री हम वी. पी. सिंह को को बनायेंगे । जनता ने आपका साथ दिया और यही नहीं गांवों में हम यह कह रहे

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

थे, कि दिल्ली का बजट जयपुर तक आ गया लेकिन जयपुर से बजट आगे नहीं आयेगा क्योंकि शोषण की दीवार है और शोषण की जो सरकार बैठी है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रधानमंत्री तो वी. पी. सिंह हो गये लेकिन लाल किले पर झण्डा कौन फहरायेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत - राजीव गांधी नहीं फहरायेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लाल किले पर झण्डा वहीं फहरायेगा, जो गांव की भावनाओं की कद्र करेगा, दूसरा नहीं फहरायेगा। माननीय सभापति महोदया, मैं बात कर रहा था हमारी नई सरकार के सामने जो चुनौतियां है, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान कैनाल पर भूमिहीन हरिजनों को ऊंचा उठाने वाली सरकार है। आज से 15 साल पहले भूमि का अलॉटमेन्ट किया गया, मुख्यमन्त्री महोदय, आपने उस जमीन को देखा है जो राजस्थान कैनाले के टीबों से निकली हुई है और आगे जाकर समतल है। हरिजनों को ऊंचा कैसे उठायेंगे ? टीबों पर जमीन है। उनको ऊंचा उठाने के लिए टीबों पर जमीन का अलॉटमेंट किया गया। सदियों तक वहां पानी नहीं आयेगा, इतना उठा दिया कि––

श्री डूंगरराम पंवार : उनके प्राण निकल जाय, इतना ऊंचा उठा दिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : गरीबों के साथ इस तरह दंगा किया। उस दंगे का फल यह हुआ कि वहां का गरीब आदमी जान गया, समझ गया कि तेरा शोषण करने वाले लोग, इस वक्त साइड में बैठे हैं, उनको ढकेल कर यहां भेजा। इज्जत से भेजा है कि चारों आ जावो और चारों देखते रहो बैठे बैठे। इसलिए जिन हरिजनों के साथ राजस्थान कैनाल में भूमि अलॉट करके जो अन्याय किया, मुख्यमंत्री महोदय, जो अच्छी भूमि थी उस भूमि को खारिज करके अच्छी हैसियत वालों को दे दी। आज भूमिहीन बैठा है। आज पाकिस्तान से लगने वाला 600 से अधिक मील का बोर्डर खाली पड़ा है, खेती करने वालों की भूमि खारिज करके दी, आप इसकी जांच कराओगे तो कितने लोगों की जमीन 5 सालों में इन्होंने खारिज की। अगर आप इनके आंकड़े देखोगे तो कोई भी हरिजन वहां खेती करने वाला नहीं मिलेगा, सारी मिसाले मिलेगी जिसमें खारिज करके दूसरों को अलॉटमेंट कर दिया। मैं चाहूंगा कि यह चुनौती है आपके सामने, उन लोगों की, इस चुनौती को आप स्वीकार करोगे और जो भूमिहीन लोगों को पुख्ता जमीन मिली है उसको आप वापिस दिलाने की चेष्टा करोगे।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य,।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं दो मिनिट और बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह बड़ी चुनौती है, लोग सड़कों पर पड़े हैं, छप्पर नहीं है, मकान नहीं हैं और वे आदमी आज खड़े होने की चेष्टा कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र होंगे, यदि उन लोगों की तरफ ध्यान दोगे यदि आप उनकी ओर ध्यान नहीं देओगे

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

तो लोग जिनका शोषण किया है वे सड़क पर खड़े होंगे, पहले उनसे मुकाबला किया है और करेंगे और उनका सफाया भी किया है। लेकिन आप बधाई के पात्र होंगे जो भूमिहीन है, गरीब है, और उनका सदियों तक शोषण हुआ है और इस शोषण को समाप्त करेंगे। उनका कर्जा माफ करने की घोषणा करेंगे, उन लोगों को पेंशन देंगे, उन लोगों को आप रोजगार देंगे और साथ-साथ में कांग्रेस की हमारी समाजवादी सरकार इस पर बहुत बड़ा दाग है हरिजनों का नाम लेने वाले लोग हिन्दुस्तान की आजादी मिलने के बाद इस हरिजन के सिर पर से मैले का टोकरा नहीं उतार सकें और कह रहे हैं कि हम समाजवाद में विश्वास करते हैं। हम गांधीवादी हैं। गांधी की कब्र पर खड़े होकर असत्य बोलने वाले लोगों, दुनियां आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए उनको चेलेन्ज इस बात का है कि 40 साल तक मैले का टोकरा नहीं उतार सके तो मुख्यमंत्री महोदय, इनका जो चैलेन्ज है उसको स्वीकार करके उनके सिर पर जो मैले का टोकरा है उसको उतारने की तरफ भी आपको ध्यान देना है समय का अभाव है आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदया, विनियोग विधेयक पर चर्चा कर माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं सभापति महोदया, यह बात सही है कि मैंने पहला ही बजट प्रस्तुत किया और यह बात भी सही है कि पूर्व वित्त मंत्री तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बार बजट प्रस्तुत किया। मैं आशा तो यह करता था कि जिन्होंने कई बार बजट प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार की चर्चा करने के पहले पुरानी व्यवस्था को देख लें। सभापति महोदया, जब कई बार शैतान कुरान की आयत पढ़ता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता मैं ऐसा कह सकता हूं कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पहली आपत्ति की, कि यह वक्तव्य है या भाषण है और इस भाषण को वक्तव्य क्यों कहा। इसके साथ ही उन्होंने मेरा आह्वान किया कि मैं उनसे प्रशिक्षण भी प्राप्त करूं। सभापति महोदया, आदमी मरता है उस समय तक प्रशिक्षण लेने की उसकी इच्छा होती है। लेकिन वह प्रशिक्षण लेता है उसको यह तो विचार करना पड़ेगा कि प्रशिक्षण देने वाले किस प्रकार के हैं? और इस आधार पर यदि उसने सही निर्णय लिया तो प्रशिक्षण देने वाले का भी भला होगा और लेने वाले का भी भला होगा।

सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि 26 मार्च, 1985 को इसी प्रकार का वोट आन अकाउन्ट पेश हुआ था और उस पर लिखा है राजस्थान सरकार के 1985-86 के बजट के सम्बन्ध में विधान सभा में 26 मार्च, 1985 को मुख्यमंत्री का वक्तव्य, मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अब मैं केवल एक प्रशिक्षण नहीं देना चाहता। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई आलोचना करें तो होम वर्क करके आया करें और यदि होम वर्क करने की आपकी आदत है तब तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पांच वर्ष के अवकाश के बाद आप यहां आये हैं वह आदत आपकी शायद नहीं रही। इसलिये आदत डाल लें और यदि आदत डाल लेते और पहले वाले वक्तव्य या भाषण क्या हुए हैं इनका थोड़ा बहुत भी आप अध्ययन कर लेते तो इस प्रकार की बात कहने की आवश्यकता नहीं होती और आपको मुझे प्रशिक्षण देने का श्रम भी नहीं करना पड़ता। सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने एक दूसरी बात कही....

एक माननीय सदस्य : भूतपूर्व मंत्री....

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां भूतपूर्व माननीय सदस्य ने एक बात और कही।

श्री चन्दनमल बैद : अपोजीशन के चक्कर से अभी निकल नहीं रहे हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन तथ्य है मैं यहां बैठा हूं और आप वहां बैठे हैं। सभापति महोदया, एक बात और कही और बड़े जोर से कही कि रेवेन्यू खाते के अन्दर कैपिटल अकाउंट का पैसा यदि राजस्व खर्च की पूर्ति के लिये लिया जाता है तो उससे विकास नहीं होता। मैं समझता हूं सिद्धान्ततः उन्होंने बात सही कही है और यह बात इस रेफरेंस में कही कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा में नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था और उन्होंने यह कहा था कि कैपिटल अकाउंट का पैसा रेवेन्यू खाते में एडजस्ट करने के लिये या उसको पूरा करने के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाये ताकि सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में रहे और विकास के कामों में खर्च हो। सिद्धांत बहुत बढ़िया है। इस सिद्धांत का पालना करना चाहिये। इस सिद्धांत का पालन करने के लिये कई बार मैंने भी विपक्ष के नेता के नाते इस सदन में कहा, मैं इससे इन्कार नहीं करता। लेकिन माननीय सदस्यों को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 1983–84 के पहले इस प्रकार की स्थिति थी कि हम कैपिटल अकाउंट से रेवेन्यू खाते की कमी की पूर्ति करने के लिये ट्रांसफर नहीं किया करते थे लेकिन सन् 1983–84 में 44.65 करोड़ रुपये हमने कैपिटल अकाउंट से लेकर राजस्व खाते में लिया, घाटा पूरा करने के लिये। 1984–85 में 76.86, 1985–86 में 2.16, 1986–87 में 7.17, 1987–88 में 356.10, 1988–89 में 218.54, 1989–90 में 90.01। इसका मतलब एक तो मानकर यह चलेंगे, कि सन् 1983–84 से लेकर 1989–90 तक इस प्रकार की स्थिति रही है। जिस स्थिति की आपने आलोचना की जिस स्थिति को आपने बुरा बताया, मैं समझता हूं उस स्थिति के लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उस स्थिति के लिये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और इस लिये मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी की कसकर आलोचना की। मैं समझता हूं इस प्रकार की आलोचना आप करते रहेंगे तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदन को भी जानकारी मिलेगी और कम से कम कांग्रेस पार्टी को भी आपकी सेवा करने का मौका मिलता जायेगा। सभापति महोदया, मैं इस लिये यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने 26-3-85 को जो वोट आन अकाउण्ट पेश किया, आपने कहा इसमें कैपिटल अकाउण्ट में कितना घाटा हुआ उसको राजस्व खाते में कितना लिया गया, उसका उसमें उल्लेख नहीं किया गया है मैं वही पांच लाइन पढ़ देना चाहता हूं जो 26-3-85 को प्रस्तुत किये गये वोट आन अकाउण्ट के भाषण में या वक्तव्य में दी गई है। यही की यही लाइनें हैं सिवाय इसके कि आंकड़ों में अन्तर है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर भी आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सभापति महोदया, एक बात बड़े जोर शोर से कही गई कि मुख्य मंत्री यह बार-बार कहते रहे हैं कि खजाना खाली कर गये, खजाना खाली कर गये, अगर खजाना खाली कर दिया जाता तो डैफिशिट कम नहीं रहता। 100 करोड़ के लगभग जो डैफिशिट रहा है उतना डैफिशिट नहीं रहता, डैफिशिट ज्यादा रहता। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि सरकार की आय और व्यय यह दोनों इस प्रकार की चीजें हैं आय यदि बढ़ती जाये और व्यय कम हो तो यह एक स्थिति रहती है आय कम हो और व्यय बढ़ता जाये यह दूसरी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में आय के स्रोत हमारे चालू रहें और आय ज्यादा हो और खर्चे पर यदि किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो तो उसके कारण से निश्चित रूप से खजाना खाली होगा। अब आप कहते हैं 100 करोड़ के लगभग डैफिशिट क्यों रहा। उसके लिये मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के बजट भाषण में 203 करोड़ रुपये का डैफिशिट था बजट भाषण में भी है और आपके आंकड़े देख लिये होंगे, अब आपका कहने का मतलब यह है कि 203 करोड़ रुपये का डैफिशिट 100 करोड़ रुपये पर क्यों हो गया और 100 करोड़ पर हो गया तो खजाना खाली कैसे मान लिया जाये। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं मैं समझता हूं राजस्थान में वह दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष था कि जिस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष के अन्दर प्लान में से हमने 63 करोड़ रुपये इस पिछली सरकार ने योजनागत खर्चों में से काटे और उसी के कारण से और उसी आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि एक्साइज और इनकमटैक्स का हमारा शेयर बढ़ा जिसके कारण से 57 करोड़ रुपये की इनकम हुई और मैं आपको जानकारी के लिये यह और बता देना चाहता हूं जब केन्द्र में नई सरकार आई उसके बाद एक्साइज और इन्कम का जो ग्राफ है वह ग्राफ इस तेजी से बढ़ा है कि उस तेजी से बढ़े हुए ग्राफ के कारण राजस्थान का उसमें हिस्सा बढ़ा और उस के कारण से हमको 57 करोड़ रुपये और मिले। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा टैक्स कलैक्शन में भी उसके कारण से आय के हमको ज्यादा साधन मिले हैं और उसी प्रकार से 1989-90 में जो ब्याज पर रुपया लिया था उसके ऊपर इन्ट्रैस्ट में हमको रिलीफ मिला 38 करोड़ रुपये का। यह सब कुछ आइटम्स ऐसे हैं इनको मिलाने के बाद में हमारी आय तो बढ़ी खर्चा कितना था उस खर्चे में कोई कमी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है, और इसलिये मैं कहता हूं आज यही आय यदि कैपिटल अकाउण्ट में शामिल होती और हम राजस्थान का विकास कर पाते, तो आज यह समस्यायें खड़ी नहीं होतीं। हमारी आय बढ़ी है इसके कारण से डेफिशिट कम हुआ है, खर्चा हमने कम किया हो इस कारण से डेफिशिट कम नहीं हुआ, यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं इसी के साथ सभापति महोदया, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह से चिन्तित है कि राजस्थान का खर्चा, राजस्थान की मितव्ययता, इसमें मितव्ययता लाकर जो प्रशासनिक खर्च है इसको "घटाया" जावे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या करना चाहती है मैं आगे बताना चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन कर दूं कि यहां पर फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा की गई। सभापति महोदया, फाइनेंस कमीशन ने दिया है डिवैल्यूशन अच्छा हुआ है। मैंने कभी भी फाइनेंस कमीशन की निन्दा नहीं की। फाइनेंस कमीशन ने जो दिया है, मैं पिछले भाषण में भी उसकी प्रशंसा कर चुका, आज भी प्रशंसा करना चाहता हूं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अकाल के कामों के लिये जितना पैसा हमें मिल सकता था, भारत सरकार ने जिस प्रकार की अब व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के आधार पर हमको कम पैसा मिलेगा। राजस्थान में पिछले वर्षों में कितना पैसा खर्च हुआ मैं कहना नहीं चाहता, पिछली बार सदन को मैंने पूरी जानकारी दी है और इस नये फार्मूले से राजस्थान को कितना पैसा कम मिलेगा, इसकी जानकारी भी मैं आंकड़े देकर सदन को दे चुका हूं उसको दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। मैंने केवल यह चर्चा की थी कि फाइनेंस कमीशन से हमको कुछ मिला है लेकिन यह बात भी सही है कि फाइनेंस कमीशन ने अकाल के मामलों में राहत देने की जो व्यवस्था की है, वह व्यवस्था आठवें फाइनेन्स कमीशन की दूसरे प्रकार की है। उस व्यवस्था को बदला। इसके कारण से आज तक राजस्थान सरकार को भारत सरकार से जो रुपया मिलता था या हम जितना रुपया खर्च कर पाते थे उतना रुपया खर्च नहीं कर पायेंगे। एक नया फार्मूला उन्होंने बनाया जिससे राजस्थान को नुकसान होगा। मैं केवल इतना ही आपको निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, यहां चर्चा हुई कि चीजों के भाव बढ़ गये। माननीय सदस्य बैद जी ने यहां तक कह दिया, वे रोज बाजार में जाते हैं। सभापति महोदय, बाजार के भावों की उनको जानकारी नहीं है। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि रोज बाजार क्यों जाते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बाजार में भाव गिरते जा रहे हैं। भगवान जाने सोने के भाव कम हो गये इस पर माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने गोल्ड कण्ट्रोल आर्डर जो हटाया गया है उसकी आलोचना की। माननीय सदस्य जानते हैं कि गोल्ड कण्ट्रोल आर्डर हटने के कारण राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में स्वर्णकारों को रोजगार मिलेगा। मैं कह नहीं सकता कि स्वर्णकारों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से आपको विरोध है तब तो मैं समझता हूं कि आपने जो कहा वह सही है। लेकिन अगर विरोध नहीं है स्वर्णकारों से और उनको रोजगार मिलेगा तो आपको आपत्ति क्यों है ? यदि सोना सस्ता हो गया तो गरीब भी सोना खरीद कर अपना स्वप्न पूरा कर लेगा इसमें आपत्ति किस बात की होनी चाहिये ? मैं समझता हूं गरीब सोना नहीं पहन सके इस प्रकार का यदि आपका दृष्टिकोण है तो इसको बार बार कहिये, उसका हमारे ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण यह है कि स्वर्णकार बिलकुल बेकार बैठे रहें तो मैं समझता हूं कि आपके भाषण की स्वतन्त्रता पर मैं कोई अंकुश नहीं लगाना चाहता। हमारी सहानुभूति इन स्वर्णकारों के साथ है गोल्ड कण्ट्रोल आर्डर के कारण जो बेकार बैठे थे, करोड़ों की संख्या में, उनको रोजगार मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप इन गरीब स्वर्णकारों का विरोध नहीं करेंगे। आप कह गये इसकी कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन भविष्य में इस बात को रिपीट नहीं करेंगे इतना ही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यहां पर करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया है कि एम्पलायमेण्ट एक्सचेन्ज में बहुत भ्रष्टाचार है। उसके जरिये नाम निकालने में कई बार परेशानी होती है और रुपया, रिश्वत देनी पड़ती है। इस सदन के कई माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, जब पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, इस बात का फैसला किया गया था कि एम्पलायमेण्ट एक्सचेन्ज के थ्रू, इम्पलायमेण्ट जहां जहां भी लोगों को मिला हो, उसके थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग एप्लीकेशन दे दें और देने के बाद नम्बर बतादें कि इम्पलायमेण्ट एक्सचेन्ज में फलां तारीख को उन्होंने अपना नाम एन्टर करवाया है और उसके बाद कहीं भी इन्टरव्यू में चले जायें, किसी भी सलेक्शन में चले जायेंगे। किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है लेकिन 1981 में मुझे याद है अच्छी तरह से इस प्रसंग पर चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी के माननीय नेताओं ने, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उस समय यहां बहुत जोरों से आवाज उठाई कि यह परिवर्तन इसलिए किया गया है कि आर. एस. एस. के लोगों को नौकरी मिल जाये। मैं समझता हूं कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यदि यह चाहते हैं तो मैं एम्पलायमेण्ट एक्सचेन्ज की पाबंदी आज से ही खतम करने को तैयार हूं। मुझे किसी प्रकार का सोच नहीं है लेकिन विचार करना पड़ेगा कि हमने जो अच्छा काम किया था उसको भी आपने बुरा बताकर बंद कर दिया। मुझे भय है कि अब भी मैं अच्छा काम करूंगा तो आपके दिमाग में कहीं यह न आ जाये कि आर. एस. एस. के लोग, जनता दल के लोग या बी. जे. पी. के लोग कहीं न आ जाये। लेकिन मुझे इसकी चिन्ता नहीं होगी। आप लोगों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उन सुझावों के अनुसार एम्पलायमेण्ट एक्सचेंज की पाबंदी हटाने के बारे में निश्चित रूप से विचार करूंगा और निर्णय लेकर आपको जानकारी दूंगा।

सभापति महोदय, यहां पर ओल्ड एज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पेंशन के बारे में भी चर्चा की गई कि हमने चुनावों के दिनों में इसके लिए वायदा किया था। यह सही है कि हमने चुनावों के दिनों में वायदा किया था लेकिन यह बात भी सही है कि बजट स्टडी और बजट के डाक्युमेण्ट्स को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि पहले इसके लिए आठ करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस प्रावधान को बढ़ाकर मैंने 12 करोड़ रुपये किया है। आज मैं आपको कह देना चाहता हूं कि यह सदन आज फैसला करले कि क्या हमने जो वायदे किये थे वह वायदे पहले बजट भाषण में पूरे करने हैं या इन वायदों को पांच वर्ष में पूरा करना है। पांच वर्ष के लिए हमने वायदे किये हैं। पहले बजट के अन्दर उन सबका समावेश आप करना चाहते हैं तो समावेश करने में आपत्ति नहीं होगी। लेकिन राज्य का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा जायेगा। इसलिए सदन इस पर विचार कर ले जो हमने जनता से वायदे किये हैं उन वायदों को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। एक वर्ष में कितने वायदे पूरे किये जा सकते हैं, दूसरे वर्ष में उससे कितने आगे बढ़ा जा सकता है और तीसरे वर्ष में कैसे और आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह सोचना कि एक ही वर्ष में सारे वायदे पूरे कर लिये जायं, इस प्रकार की स्थिति किसी भी राज्य सरकार की नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जरा धैर्य रखें। अब तो बजट प्रस्ताव आयेंगे चार महीने के अन्दर, उसमें कुछ चीजों का समावेश होगा और जो बाकी रहेंगे वह अगले वर्षों में पूरा करेंगे। यह चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये लोग इधर आ जायं। यहां आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि दुबारा चुनाव होंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह गिनती भी पूरी नहीं होगी। इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है, कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, यहां पर कर्जा माफी के मामले में कहा गया कि कि यह बिल्कुल डिफाल्ट्स "बिल्कुल डिफाल्टर" क्या बला है? यह बात सही है कि केन्द्र सरकार ने जब अपना बजट प्रस्तुत किया तो उसमें दस हजार तक कर्जा माफ करने की बात कही और इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। हमने अपने बजट में तीस करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और इसके साथ ही बिल्कुल डिफाल्टर की बात कही है। कई माननीय सदस्य पक्ष–विपक्ष के अच्छी तरह से जानते हैं कि को-आपरेटिव्ज में बड़ी बंगलिंग होती है, काश्तकारों को कर्जा, रुपया दे दिया गया और काश्तकार कहता है कि मुझे नहीं मिला। को-आपरेटिव बैंक्स कहती हैं कि हमने इसको रुपया दिया। प्राइमरी सोसायटीज और बैंक्स के खातों का कई बार रीकंसाइलेशन नहीं होता। यह कुछ समस्यायें हैं, कुछ लोगों की आदत पड़ गई हैं, कर्जा एक बार ले लिया और उसको देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप विचार कर लें, जिसने जानबूझकर कर्जा नहीं दिया और जिसकी आर्थिक स्थिति इस बात के लिए तकाजा नहीं कर रही थी कि वह बैंक से कर्जा ले और कर्जा चुका सके। मैं फिर भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल डिफाल्टर की परि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

परिभाषा क्या होगी इस पर हमने विचार किया है, और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बिल्कुल डिफाल्टर की परिभाषा भी हम तय करेंगे । बिल्कुल डिफाल्टर को तय करने का काम प्रशासनिक मशीनरी पर छोड़ जाय और उसको करने से करप्शन बढ़े, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और न रहने दी जायेगी । यदि इस प्रकार की गुंजाइश रहती है तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का आह्वान करना चाहता हूं कि जिस समय उनकी जानकारी में इस प्रकार का कोई तथ्य आवे तो सरकार की जानकारी में लावें और उसके बाद में सारी स्थिति को ठीक कर दिया जावेगा । उसमें आवश्यक सुधार भी कर दिया जावेगा ।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि रेलवे मंत्री को किसी भी प्रकार की बधाई देने की आवश्यकता नहीं है । मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं कि फाइनेन्स कमीशन को हमें धन्यवाद देना चाहिये और मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे भी खड़े होकर कम से कम यह कह देंगे कि रेलवे मंत्री को भी हमें धन्यवाद देना चाहिये कि जिस रेल मंत्री ने पहली बार राजस्थान में 1050 किलोमीटर की रेलवे लाइन एक्सपेन्शन और इम्प्रूवमैण्ट की बात कही है और जिस पर लगभग 930 करोड़ रुपया खर्च होगा । मैं फाइनेन्स कमीशन को धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं कि आप यह न कहें कि हम धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं । फाइनेन्स कमीशन की जिस दिन रिपोर्ट आयी, आपने सारी रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी मैंने उसी दिन टेलीफोन करके बधाई दी है । और यदि सदन के माध्यम से देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन मैं समझता हूं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करेंगे कि हम फाइनेन्स कमीशन को धन्यवाद दें और रेल मंत्रालय को भी धन्यवाद दें जिन्होंने राजस्थान में इस प्रकार से रेल एक्सपेन्शन का प्रोग्राम हाथ में लिया है ।

सभापति महोदया, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया और खास तौर से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव में गरीब आदमी को वोट देने की पूरी स्वतन्त्रता नहीं होती है । मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यदि गरीब आदमी स्वतन्त्र रूप से अपना वोट नहीं दे सके तो इससे बुरी चीज किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती है और इसी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव तो पिछली सरकार ने करवाये हैं लेकिन भविष्य में कोई चुनाव होते हैं तो इस बात की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि कोई आदमी दवाव से अपना वोट नहीं दे और उसको स्वतन्त्र रूप से अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होगा । और वह उसको ठीक प्रकार से एक्सरसाइज कर सकेगा ।

सभापति महोदय, यहां पर राजस्थान कैनाल के बारे में चर्चा की गयी, मिनिमम वेजेज के बारे में चर्चा की गई, लेबर की व्यवस्था में सुधार करने की चर्चा की गयी और इसी प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के सुझाव दिये हैं मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सुझावों पर सरकार विचार करेगी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और विचार करने के बाद उस पर जो भी निर्णय होंगे, उसकी जानकारी सरकार आपको निश्चित रूप से देगी।

सभापति महोदया, यहां चर्चा हुई कि फिजूलखर्ची को कैसे रोका जाय। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस दिन से मैं मुख्य मंत्री बना हूं और जब से मंत्रिमंडल बना है तब से, लगातार हम इस बात की चिंता करते आ रहे हैं कि फिजूलखर्ची को किसी न किसी प्रकार से रोका जाय और अगर हम फिजूलखर्ची नहीं रोक पाये, जनता के ऊपर टैक्स लगाकर आय बढ़ाने की स्थिति में ही हम रहे तो राजस्थान को ठीक प्रकार का प्रशासन नहीं दे सकेंगे। मैंने यहां सदन में यह भी कहा था कि हमारी सरकार न तो हम सरकार चलाने की दृष्टि से आये हैं, हम व्यवस्था बदलने की दृष्टि से आये हैं और व्यवस्था बदलने में हम सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। इसी दृष्टि से, सभापति महोदया, हमने कोशिश की है, इसकी एक शुरूआत अच्छे ढंग से की जाय। राज्य सरकार सभी प्रकार के अनावश्यक राजकीय खर्च में कमी एवं सरकारी खर्च की मितव्ययता के लिये कटिबद्ध है। सरकारी खर्च में कटौती करने के सुझाव मैं सभी से आमंत्रित करता हूं। सभापति महोदया, कई बार चर्चा होती है कि सरकार फिजूलखर्ची कर रही है। कई भाषण भी देते हैं, बाहर भी देते हैं और सदन में भी देते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से, सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता से, सदन के माध्यम से राजस्थान के संसद सदस्यों से और सदन के मार्फत राजस्थान में जितने भी सेवाओं के संघ बने हुए हैं उनसे, इसी सदन के माध्यम से राजस्थान के पत्रकारों का आह्वान करता हूं कि कौन कौनसी फिजूलखर्ची उनके दिमाग में है, किस-किस प्रकार की फिजूलखर्ची की उनको जानकारी है वह जानकारी सरकार को दें। इसलिये मैं सबके सुझाव आमंत्रित करता हूं और उनके सुझावों के ऊपर काम करने के लिये मैं एक समिति की घोषणा करता हूं जिसके अध्यक्ष होंगे श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, जिसके सदस्य होंगे श्री चंदनमलजी बैद, श्री मानिकचंदजी सुराणा, श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल, श्री माधोसिंह दीवान, श्री मंगलबिहारी, भूतपूर्व वित्त आयुक्त, वित्त आयुक्त इसके सदस्य होंगे और राजेन्द्र जैन इसके सदस्य सचिव होंगे।

मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता और जिन वर्गों से मैंने अपील की है वह सारे के सारे इस सरकार को इस बात के सुझाव भेजें कि अमुक प्रकार की फिजूलखर्ची को रोका जाय, उस पर ईमानदारी से विचार किया जायगा और विचार करने के बाद ईमानदारी से ही उस पर निर्णय लिये जायेंगे। आपकी और हमारी सबकी इच्छा है कि फिजूलखर्ची रुके।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त इस शीर्ष समिति के अलावा सरकारी खर्चे की समीक्षा एवं मितव्ययता सुझाने के लिये वर्तमान में गठित राजेन्द्र जैन समिति को पुनः रिवाइव किया जायेगा। राजेन्द्र जैन समिति उपरोक्त वर्णित शीर्ष समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। राजेन्द्र जैन समिति के निम्न सदस्य होंगे। श्री राजेन्द्र जैन, अध्यक्ष, वित्त आयुक्त, सदस्य, आयुक्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एवं विशिष्ट सचिव योजना, सदस्य, विशिष्ट सचिव वित्त, सदस्य, सम्बन्धित सचिव प्रशासनिक विभाग, सदस्य, बजट ग्राफिसर, सदस्य सचिव। और जो मैंने इनको पांच बातें कही हैं, आपके सुझाव आयेंगे, जानकारी मिलेगी और उसमें शामिल करूंगा लेकिन पांच बातों को विशेष रूप से मैंने अभी इनको बताया है कि वाहनों की संख्या में कटौती होनी चाहिये, सरकारी वाहनों में। यहां पर आज आम चर्चा है कि सरकारी वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस दुरुपयोग के सम्बन्ध में यह समिति विचार करेगी और सदन के माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि सरकारी वाहनों का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है इसकी वह निश्चित रूप से इस समिति को जानकारी दें, इस समिति को जानकारी देने में संकोच हो तो किसी मंत्री या मुझे भी जानकारी देंगे तो मैं इस समिति को इस प्रकार की सूचना प्रेषित करूंगा।

दूसरा, मैं इस कटौती के रूप में कहना चाहूंगा, टेलीफोन की संख्या में कटौती। टेलीफोन में लगे एस. टी. डी. सुविधा की यथा सम्भव कटौती। आज, सभापति महोदया, सरकार के दफ्तर में टेलीफोन लगा है तो उसका तो कोई ओनर ही नहीं है, जो चाहे जितने टेलीफोन कर लेओ, जो चाहे जितने एस. टी. डी. काल्स कर लेओ। आखिर यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। दफ्तर में हमने टेलीफोन लगा दिया उस टेलीफोन का यदि दुरुपयोग होता रहे, उस पर यदि खर्चा बढ़ता रहे, कोई न कोई तो उसको नियंत्रित करेगा। नियंत्रण के सम्बन्ध में तो अलग से व्यवस्था होगी लेकिन यह समिति इस पर विचार कर ले किस प्रकार से टेलीफोन और किस प्रकार के एस. टी. डी. पर कितना नियंत्रण किया जा सकता है, उस आधार पर विचार करें। सभापति महोदया, सरकारी कार्यालय जो निजी मकानों में चल रहे हैं उसके बारे में परीक्षण एवं संख्या में कमी। आज दुर्भाग्य यह है कि सरकार के कार्यालय निजी मकानों में चल रहे हैं और सरकार के मकानों पर लोग काबिज होकर बैठे हैं या सरकार के भवन खाली हैं या बहुत सस्ती दरों के ऊपर किराये पर चल रहे हैं। मैंने, सभापति महोदया, आज तो नहीं लेकिन आजके तीन चार महीने पहले कुछ ऐसे सरकारी कार्यालय देखे हैं जिसमें राजस्थान का चीफ मिनिस्टर होने के नाते मेरे कार्यालय से बड़ा एक गजेटेड आफिसर का आफिस है। क्या उनको छोटा नहीं किया जा सकता? क्या उनमें सेपरेट वाल्स नहीं बनाई जा सकती? पर्दे उनमें नहीं लगाये जा सकते? आज हम निजी मकानों को लेकर किराया देते रहे और सरकारी मकान खाली पड़े रहें या उनका पूरा उपयोग नहीं हो, इस दृष्टि से भी यह समिति विचार करेगी।

एक, सभापति महोदया, मैंने स्वयं ने देखा है और सभी माननीय सदस्यों का अनुभव है कि सरकारी कर्मचारी यह एक प्रकार का स्टेट्स सिम्बल हो गया कि सरकारी अफसर के पास, दो चार आदमी, चाहे वर्कचार्ज के एम्पलाई हों, चाहे और कोई हों, उन एम्पलाइज से काम लेते हैं और सरकारी खर्चे से उनका भुगतान किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाता है। मैं इसको बिल्कुल बंद करना चाहता हूं और बंद करके मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं जिसमें इस प्रकार का खर्चा यह सरकार के मत्थे नहीं पड़े और हम टैक्स पेयर से उस प्रकार का खर्चा वसूल नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : अफसरी करने वालों की मनमानी व तानाशाही ठीक करना जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी तरह से कई विभागों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी तो मेरे पास प्राप्त नहीं हुई, ऐसा सामान पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। इधर तो उन्होंने मकान भरे हुए हैं, मकान के तो खाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन ऐसे पुराने सामान को नीलाम करके या डिस्पोज आफ करके कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे सरकार को तो पैसा मिले और जंक पड़ा है उस जंक से मकान खाली हो। इस सम्बन्ध में यह समिति विचार करेगी।

स्टेशनरी फार्म्स आदि, सभापति महोदया, कई माननीय सदस्यों को आज यह अनुभव होगा कि लगातार फार्म छपते जाते हैं। वह फार्म किस काम में आते हैं और किस काम में नहीं आते, कितने फार्म काम आये और कितने फार्म काम नहीं आये इसका कोई हिसाब नहीं रहता। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कई फार्म जो आब्सीलेट हो गये वह फार्म भी लगातार छपते रहते हैं। इस कमेटी का यह भी काम होगा कि हर विभाग में कितने-कितने फार्म रजिस्टर किस प्रकार के बनाये जाते हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करे और देखे कि अनावश्यक रूप से इस प्रकार से फार्म नहीं छपते हों।

सभापति महोदया, मैंने एक फैसला और भी किया है, लागू तो मैं आज से नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि अंत तक इस लक्ष्य के ऊपर पहुंचना चाहता हूं कि सरकारी दफ्तरों में मंत्रिगण स्वयं और सरकारी अधिकारी कम से कम बिजली के बिलों में 10 पर्सेन्ट की कटौती करें। यह नहीं होगा बिजली में, राजस्थान का किसान यह तो बिजली के लिये त्राहि–त्राहि करे और हम बिजली की कमी के कारण किसान की बिजली की मांग की पूर्ति नहीं कर सकें। मैं आपके माध्यम से जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि बिजली के खर्च में कटौती करने की एक आदत डालें। जितनी बिजली बचेगी उसका सदुपयोग होगा। जनता कब करेगी यह तो मैं कह नहीं सकता लेकिन सरकार के दफ्तर, मंत्रिगण और बाकी के विधायकगण और बाकी के सब नेताओं से जो सरकार की सुविधा का उपभोग कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के बिलों में कम से कम दस पर्सेन्ट की कटौती होनी चाहिये। यह, मैं समझता हूं, हम एक आदर्श जनता के सामने उपस्थित कर पायेंगे।

इसी प्रकार से, सभापति महोदया, देवस्थान विभाग के मकान किराये पर दिये हुए हैं, बहुत सस्ते किराये पर दिये हुए हैं। मुझे याद है आज के 6 महीने पहले या एक साल पहले सरकार इस सम्बन्ध में एक

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

संशोधन लाई थी और संशोधन लाकर सरकार की यह इच्छा थी कि देवस्थान के मकानों पर जिन लोगों ने मामूली नाममात्र का किराया देकर कब्जा कर रखा है उनका किराया बढ़ाया जायेगा। किराया बढ़ायें और वह किराया नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके उनको बेदखल किया जायगा। यह कमेटी इस प्रश्न के ऊपर भी विचार करेगी कि देव–स्थान विभाग की कितनी सम्पत्ति और कितने भवन ऐसे हैं जिन भवनों के अन्दर लोग कम किराया दे रहे हैं, उन भवनों का किराया किस प्रकार से बढ़ाया जाय और जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है उनको किस प्रकार से हटाया जाय। ऐसे ही सरकारी भवनों पर भी कब्जा है। इसलिये, सभापति महोदया....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मान–नीय मुख्य मंत्रीजी, देवस्थान के साथ–साथ वक्फ को भी शामिल कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कर लेंगे, आपका सुझाव ठीक है।

सभापति महोदया, एक यहां पर रोज चर्चा होती है भ्रष्टाचार की। मैं भी करता था। अब माननीय सदस्य भी चर्चा करने लगे। यह खुशकिस्मती है कि भ्रष्टाचार का विरोध अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य ने नहीं किया।

अनेक माननीय सदस्य : हमने खूब किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : किस–किस ने किया ? नहीं, किस–किसने किया ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए.... (व्यवधान)

सभापति महोदया, इस सरकार ने जनता से वादा किया है। इस सदन में भी वादा किया है कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि अंकुश लगाएंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी पूरे मंत्रिमण्डल को मिल जाय या मुख्य मंत्री को मिल जाय यह आवश्यक नहीं है हालांकि जिस प्रकार की प्रशासनिक मशीनरी है उसको इस लाइन पर लगाया गया तो जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं आज एक निवेदन करना चाहता हूं इसी सदन के माध्यम से पूरे सदन को और राजस्थान की जनता को कि वह भ्रष्टा-चार के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी है वह और कहीं देते हुए डरते हों उसकी चिन्ता छोड़ें, वह जानकारी सीधे मुझे दें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्य–मंत्री के कार्यालय में एक विजिलेंस सैल जो पहले से चला आ रहा है उसको सशक्त बना कर इन भ्रष्टाचार की शिकायतों का निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और इसी दृष्टि से मैं निवे-दन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यदि किसी अधिकारी के सम्बन्ध में कोई जानकारी रखते हों, चाहे सत्ता पक्ष में हों चाहे विपक्ष में हों, इस बात का संकोच नहीं करें। यदि आप चाहेंगे तो आपका नाम आउट होगा और यदि आप नहीं चाहेंगे तो नाम आउट नहीं करूंगा यह मैं इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदन में विश्वास देता हूं । लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा करने के पहले कई बार हम इन्तजार करते हैं कि विधान सभा आएगी तो यह भ्रष्टाचार का मामला उठाएंगे। वह भ्रष्टाचार का मामला उस स्थिति में उठायें कि हमने भ्रष्टाचार की शिकायत की और उसके उपरान्त भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । मैं समझता हूं इसका दोष आप मेरे पर मंढ़ सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जिस प्रकार की जानकारी जनता के किसी वर्ग को, जनता में किसी व्यक्ति को, सदन के माननीय सदस्यों, संसद के सदस्यों को जानकारी मिले वह जानकारी मुझे देंगे तो मैं निश्चित रूप से इस सैल के माध्यम से जिस जिस विभाग के संबंध में जानकारी लेनी है उस प्रकार की जानकारी लेकर मैं निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश करूंगा ।

सभापति महोदया, साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं । यहां पर कई वर्षों से राज्य कर्मचारी किसी न किसी विषय को लेकर आन्दोलन करते रहे हैं । कई बार उनका संबंध वित्त से होता है, कई बार प्रशासनिक मामलों से होता है । हमारी सरकार ने निर्णय किया है प्रशासनिक स्तर पर या प्रशासनिक दृष्टि से जो मामले वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं उनका चार महीनों में निपटारा किया जाय । आज कइयों को पेंशन नहीं मिलती, बीमा के मामले उलझे रहते हैं । कइयों के फिक्सेशन के मामले चलते रहते हैं, सेवाओं के संबंध में कई प्रकार की विसंगतियां हैं । उन सारी चीजों को दूर कर सर्विसेज में एक प्रकार का सन्तोष पैदा किया जाय । मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यह नई बात नहीं है । 1977 से लेकर 1980 तक जैसे राजस्व अभियान चला था गांवों के मामलों का निपटारा करने के लिए । हमने उसी प्रकार का अभियान इन सेवाओं की जो भी इस प्रकार की शिकायतें हैं उनका निपटारा करने के लिए व्यवस्था की थी और मैं समझता हूं यदि मुझे सही याद है तो 70% मामलों का निपटारा हो गया । सरकारी कर्मचारियों में उनके कारण से सन्तोष बढ़ा । उनकी आम दिनों की जो शिकायतें थी जिनके कारण फ्रस्ट्रेशन पैदा होता था वह उनका खतम हुआ और सारे के सारे राजस्थान की सेवा करने लगे । ऐसी मैं इस संबंध में व्यवस्था करूंगा लेकिन इस सदन के माध्यम से मैं उन सरकारी सेवाओं के संघों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की राज्य की वित्तीय स्थिति है उसको देख कर वह कम से कम इस सरकार को कम से कम एक वर्ष तक काम करने का मौका दें ताकि धन बचाया जाकर गरीबों की सेवा में पैसा लगाया जा सके । राजस्थान में जो गरीब जिनको रोटी नहीं मिलती, जिनके मकान नहीं हैं जिनके बच्चों के लिए कपड़ा नहीं है इस प्रकार के लोगों की भी सेवा करने का अवसर मिले । इसलिए एक वर्ष तक किसी प्रकार का आन्दोलन न हो जिसमें गरीबों का पैसा काट करके मुझे उस आन्दोलन के कारण से उनकी मांग पूर्ति के लिए लगाना पड़े । मेरा विश्वास है इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से मुझे उनकी तरफ से सहयोग मिलेगा ।

मैं जिन मामलों का निपटारा इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभियान में करना चाहता हूं वह मामले हैं–सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्यूइटी। सभापति महोदया, मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 5-6 आदमी इस बात के लिए न आते हों कि हम फलां तारीख को दो वर्ष पहले, तीन वर्ष पहले, एक वर्ष पहले रिटायर हुए, अभी तक हमारा पेंशन का मामला नहीं निपटा। मैंने यह समझा है इन पेंशनर्स को न्याय मिले इस दृष्टि से एक अभियान चलवा कर इनके मामलों का निपटारा करवाया जाय।

इसी प्रकार से सभापति महोदया, सेवा निवृत्त कर्मचारियों को जी. पी. एफ. तथा राज्य बीमा के मामले भी काफी संख्या में पेंडिग पड़े हैं। राज्य बीमा का प्रश्न तो ऐसा है कि रिटायरमेंट होने के साथ ही उसकी पालिसी का निपटारा हो जाना चाहिये लेकिन मैं नहीं कह सकता क्या व्यवस्था है जिसके कारण लोग वर्षों तक बीमा पालिसी को क्लियर कराने में लगे रहते हैं। इस अभियान में इस बात को भी शामिल किया जायगा।

सभापति महोदया, कर्मचारियों के नवीन वेतनमान, फिक्सेशन और सेलेक्शन स्केल देने के मामले भी काफी संख्या में विचाराधीन पड़े हैं। राज्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सम्बन्धी मामले तथा बकाया विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के मामले इतने पेंडिग पड़े हैं कि किसी आदमी को प्रमोशन नहीं मिल पाता, विभागीय बैठकें पर नहीं होती। इन सभी मामलों का भी निपटारा इस अभियान में किया जाएगा।

कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही प्राथमिक जांच विभागीय जांच आदि के शीघ्रता से निपटारे हेतु आज कई कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्षों से निलम्बित बैठे है। उनके मामले का निपटारा नहीं होता और न वह निपटारा होगा। मैं कई बार देख चुका हूं कि 10 वर्ष के बाद निपटारा होगा तो नीचे से फाइल आएगी कि इसको बहाल किया जाय और 10 वर्ष के वेतन का भुगतान किया जाय। यह समस्या कई बार पैदा होती है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के मामले जिसमें कोई निलम्बित हो गये हैं या जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है शीघ्रातिशीघ्र उन सबका निपटारा हो।

सभापति महोदया, एक ऐसी स्थिति और है, कर्मचारियों के हक में जो न्यायालय और ट्रिब्यूनल के निर्णय हैं जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की उनको क्रियान्वित किया जाना है। कई लोगों के हाई कोर्ट से फैसले हो गये। सर्विसेज ट्रिब्यूनल से फैसला हो गया उनकी सरकार ने कोई अपील नहीं की लेकिन उन फैसलों का पालन नहीं किया इसके कारण से बहुत मामले उलझे पड़े हैं। मैं समझता हूं इस अभियान में इस प्रकार के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। जिन अधीनस्थ सेवाओं, विभागीय सेवाओं के नियम बने हुए नहीं हैं, उन्हें बनाया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के सम्बन्ध में भी करेंगे और मेरा विश्वास है कि इस व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों में जो अनावश्यक रूप से असन्तोष पैदा होता है वह भी समाप्त होगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदया, यहां पर शहरी जमीनों के मामलों का भी जिक्र किया गया। मैंने कल भी कहा 1981 के रूल्स के बाद राजस्थान में गृह निर्माण सहकारी समितियां और एग्रीमेंट टू सैल इस प्रकार का नियमों में प्रावधान होने के कारण ऐसी उलझन पैदा हो गई है जिससे आसानी से निकला नहीं जा सकता । आज सरकार कोई निर्णय भी ले ले और निर्णय किसी व्यक्ति के खिलाफ हो तो कोई भी आदमी सरकारी आदेशों के अन्तर्गत जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसको चेलेन्ज करेगा और वहां से स्टे ले लेगा और कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसलिए इसको व्यवहारिक रूप से युक्ति संगत और सरल बनाने के लिए राजस्व मण्डल के अध्यक्ष श्री तेज कुमार की अध्यक्षता में राजस्व सचिव जिसके सदस्य होंगे, एम. एल. मेहता जिसके सदस्य होंगे अरुण कुमार जिसके सदस्य होंगे, सचिव स्वायत्त शासन विभाग सदस्य होंगे और आसकरण अग्रवाल, उप सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। यह कमेटी सारे रूल्स और उसके बाद में जो सब्सिक्वेण्ट अमेण्डमेंट हुए हैं, सरकार ने जो सर्कुलर्स निकाले हैं। केबीनेट ने जो डिसीजन्स लिये हैं या जिस प्रकार के संशोधन हुए हैं उनको ध्यान में रख कर इसकी दो माह के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर इस सारी व्यवस्था पर विचार किया जा सके।

सभापति महोदया, आज से कुछ दिन पहले मैं, और तो नहीं कहता, मैं अपने गांव जा रहा था और गांव जाते वक्त एक प्राइमरी पाठशाला में मुझे रुकने का अवसर मिल गया। वहां पर रुका था पानी पीने के लिए लेकिन वहां गरीब बच्चों को मैंने सुना कि उनको वर्दी के लिए मजबूर किया जाता है। गांव में पढ़ने वाले लड़के अमुक प्रकार की नेकर, कमीज, मौजे, जूतियां पहनेंगे यह सब एक प्रकार से मुझे कुछ ऐसा लगा। बाद में मैंने कई माननीय सदस्यों और लोगों से बातचीत की मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल से यह ड्रेस की पाबन्दी आवश्यक नहीं है और आज के बाद ड्रेस की पाबन्दी नहीं रहेगी। यहां माननीय सदस्य गरीब की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या गरीब का बच्चा नंगा रह कर पढ़ नहीं सकता? क्या फटा कपड़ा पहन कर प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकता? क्या गरीब का बच्चा यदि नंगा, मैला और बिना जूते के स्कूल में जाकर पुस्तक लेकर यदि ज्ञान वर्द्धन करना चाहता है तो हम उसके ऊपर इस प्रकार की पावन्दी से कोई रोक नहीं लगने देंगे और इसलिए मैं आज से चाहता हूं कि किसी प्राइमरी स्कूल में इस प्रकार की पाबन्दी है तो उसको हटाया जाय। गरीब का बच्चा किसी प्रकार का फटा-पुराना कपड़ा पहन कर स्कूल जा सकता है। इस पर कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिये। सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि सारी घोषणायें मैं आज ही कर दूं....

श्री यदुनाथ सिंह : आप कुछ घोषणायें बाकी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका सुझाव मैं मानता हूं। सारी घोषणायें यदि मैं आज ही कर दूंगा तो उचित नहीं होगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यह चाहता हूं कि सारी वित्तीय व्यवस्था में विपक्ष का मुझे पूरा सहयोग मिले। मैं विपक्ष को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरे मंत्रिमण्डल के साथी या हमारा सत्ता दल, आप कोई भी, किसी प्रकार की गलती करता हो जिसमें राजस्थान को वित्तीय हानि हो रही हो तो आप इस बात में स्वतन्त्र हैं, आप हमको जानकारी दें और यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम आपको विश्वास में लेकर उस जानकारी के आधार पर उस समस्या का समाधान करा कर आपको सन्तुष्ट करने की कोशिश करेंगे। यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में यहां नहीं बैठा हूं। जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस सरकार का और जनता का एक ट्रस्टी के रूप में हूं मैं अगर जनता का विश्वास सम्पादित नहीं कर सकता तो मुख्यमंत्री का पद मेरा न कोई सम्मान का कारण बन सकता है और न मेरे लिए किसी प्रकार का प्रलोभन का कारण है। इसलिए एक खुली सरकार के रूप में मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि सरकार को वित्तीय संकट से उभारने में मैंने जो आपके सामने सुझाव रखे हैं उस पर आप विचार करेंगे।

सभापति महोदया, राजस्व सम्बन्धी भी कई मामले हैं और राजस्थान कैनाल सम्बन्धी भी कई मामले हैं और पीने के पानी के सम्बन्ध में भी कई मामले हैं। अभी जैसे यदुनाथसिंह जी ने कहा कि 300 घण्टों की सरकार है और शायद करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 500 घण्टों की सरकार है। आखिर है तो कुछ समय की सरकार उससे ज्यादा आप अपेक्षा कर सकें तो केवल मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। इसलिए समय मिला है, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि एक-एक दिन में जितनी सर–कार की बचत कर सकूंगा बचत करूंगा और जनता की सेवा जितनी मुझसे, मेरे साथियों से, मेरी सरकार से और इस विधान सभा के सदस्यों के माध्यम से हो सकेगी उसको करने का आपको आश्वासन देता हूं और इसी आश्वासन के साथ मैं चाहूंगा कि इस वित्त विधेयक को आप पारित करायें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री डूंगरराम पंवार : सभापति महो–दया, पक्के खालों की वसूली के बारे में तो बोले ही नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

नियम 138 व 150 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 138 और 150 का हवाला देते हुए आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसमें लेखानुदान पारित करने का कोई जिक्र नहीं था और न ही हमें इस बात की सूचना है कि इसके लिए महामहिम राज्यपाल की परमीशन ली गई है। बिना परमीशन के यहां कोई भी वित्तीय कार्य नहीं हो सकता।....(व्यवधान) हमारे पास

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कोई सक्युलेट नहीं हुआ है। इसलिए सभापति महोदया, आप इस बात की व्यवस्था दें। हमेशा यह सदन की परम्परा भी रही है कि महा महिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जैसे राजस्थान विक्रय कर विधेयक, राजस्थान भूमि एवं भवन कर के बारे में जिक्र किया गया है उसी तरह से उसमें भी इसका जिक्र किया जाना चाहिये था और अलग से राज्यपाल महोदय की जो परमीशन वितरित होनी चाहिये थी। वह नहीं हुई। क्या इसकी परमीशन ले ली गई है ? यदि परमीशन लेकर किया गया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसके साथ-साथ अभिभाषण में इसका जिक्र जरूर आना चाहिये यह मेरा एतराज है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन समितियों की घोषणा की है उस बारे में मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब यह डिबेट ओपन नहीं होगी। माननीय सदस्य फिर किसी अवसर पर।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदया, आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने अभी-अभी भ्रष्टाचार वाली बात कही है ....

श्री सभापति : अब इस तरह से नहीं होगा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं डिबेट को ओपन नहीं करा रहा हूं। हमारे कोटा में करोड़ों रुपये की पुलिया बनी है, दो साल नहीं हुए कि अभी से टूटनी प्रारम्भ हो गई है। वहां अधिकारियों ने मिल कर पैसा खाया है वह चाहे किसी भी पक्ष के हों, किसी भी पक्ष के आदमी हों उसके बारे में जांच करवायेगी क्या ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभिभाषण में उसका जिक्र आना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, गवर्नर की परमीशन की आप बात कर रहे थे। वह आ गयी है, मंगवायी जा रही है। उन्होंने जब परमिशन दी है तो उसको पुट-अप किया जायगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह माननीय सदस्यों को बांट भी दी गई है, सदस्यों के पास पहुंच भी गई है। That is a different thing.

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधान सभा में क्या-क्या कार्यवाही होगी उसका जिक्र हमेशा किया गया है और उसमें लेखानुदान का जिक्र नहीं आया है। आप अभिभाषण को पढ़ लेवें। उसमें केवल दो बातों का जिक्र किया गया है।

श्री सभापति : गवर्नर महोदय की सहमति, परमीशन आ गयी है, आप सबको सक्यूलेट कर दी गयी है। Order, order, this is not the way.

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने दूसरा पाइंट रेज किया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र होना चाहिये कि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विधान सभा में क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री सभापति : उसमें कोई आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आय व्ययक वगैरह के बारे में, लेखानुदान के बारे में हमेशा उसका जिक्र किया जाता रहा है ।

श्री सभापति : उसका कोई आवश्यक नहीं था। जब राज्यपाल महोदय की फारमल परमीशन मिल गयी है then it is no relevance. सदस्य, आर्डर प्लीज ।

(4.17 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 1990 को पारित कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (सं.-3) विधेयक, 1990 का पारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (सं-3) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3) विधेयक, 1990 को पारित किया गया।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि एवं भवन (कर संशोधन) विधेयक, 1990 परविचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आपकी अनुमति से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि एवं भवन कर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो यहां पर भूमि एवं भवन कर के बारे में अमेण्डमेण्ट बिल लाया गया है इस बिल को यदि इस ढंग से लाया गया, एक वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिए, यहां कई बार बिल आता है और उसकी अवधि बढ़ाने की चर्चा की जाती है। मैं चाहूंगी, मेरा सरकार को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सुझाव है कि या तो इस की अवधि एक बार ही बढ़ा दें वरना यह इतना अव्याव-हारिक बिल है कि इसको समाप्त कर देना चाहिये। मेरा यह सुझाव इस बारे में है कि नगर परिषद के द्वारा जो गृह कर वसूला जाता है इसको भी नगर परिषद, नगर-पालिकायें वसूल करलें और जो डिपार्टमेण्ट है जिस पर अनावश्यक रूप से व्यय होता है इसको समाप्त कर देना चाहिये। इसको कहीं गृह कर जैसे सवा छह पर्सेण्ट करीब लिया जाता है उसी में कोई इसका भी प्रावधान करके जितना भूमि और भवन कर उसका टैक्स ले लिया जाय तो एक व्यावहारिकता स्थापित हो जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि रिविजन अधि-कार सैल्स टैक्स के अन्दर ट्रिब्यूनल को दे देना चाहिये अन्यथा इसमें अव्यावहारिकता एक और बढ़ जायेगी। यह मेरा सरकार को सुझाव है। किस प्रकार से करें और इस एक्ट को इस रूप में जिस रूप में है इसको समाप्त करें। यह मेरा आग्रह है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम को जनमत जानने के सम्बन्ध में मैंने मेरा प्रस्ताव दिया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह भवन एवं भूमि कर जब से लगा है इसके असेसमेण्ट का कार्य नान-टेक्निकल स्टाफ को दिया जाता है। जो कुछ भी नहीं जानते और जो असेसमेण्ट करते हैं, वे अपनी मर्जी से करते आ रहे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन आना चाहिये और टेक्निकल स्टाफ को लगा कर असेसमेण्ट का काम उनके माध्यम से करना चाहिये। दूसरी बात, कि राजस्थान में जबसे यह कर लगा है, नगर परिषदों ने अपनी ओर से हाउस टैक्स लगा रखा है। तो राज्य की जनता को हाउस टैक्स अलग, भूमि एवं भवन कर अलग। हाउस टैक्स एवं बिल्डिंग टैक्स एवं भूमि कर से काफी आर्थिक भार पड़ता है। अभी पिछले दिनों में राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया था जिस निर्णय के अन्तर्गत आठ वर्ष का एक साथ टैक्स जमा कराने पर उस व्यक्ति को भविष्य में भूमि एवं भवन कर नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छा निर्णय था, उसका लोगों ने स्वागत किया और उस निर्णय के बाद लोगों को काफी राहत मिली। लेकिन दूसरी समस्या यह है कि भूमि एवं भवन कर के बकाया मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष के प्रारम्भ में 13813 मामले अवशेष में थे। लेकिन नवम्बर, 1998 के अन्त में अवशेष मामलों की संख्या 13973 हो गयी। जहां तक मामलों के निपटारे का मामला है, केवल चार हजार मामले निपटाये गये। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक वर्ष में चार हजार मामले निपटायें तो तेरह हजार मामलों के लिये लगभग चार वर्षों की अवधि और चाहिये। इन्सपेक्टर जो समय देता है, उस समय पर यह पहुंचता नहीं, दो तीन महीने इन्तजार करने के बाद में जब पहुंचता है तो वह भी कई तरह की परेशानियों में डालने वाले काम करता है। मैं चाहता हूं कि....

श्री भंवरलाल शर्मा: यह तो पुरानी कथा का वर्णन है। अब ऐसा नहीं होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला: आपने तो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

एक रटा रटाया फार्मूला कर दिया पुरानी कथा, पुरानी कथा । जो बातें हैं, उनको आप दूर कीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपकी सरकार की कथा है, और किस की है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके 77–80 में यह कथा नहीं थी क्या ? आपने कर माफ कर दिया था ?

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इंस्पेक्टर्स लोगों को परेशान करते हैं, उसके ऊपर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिये । दूसरी बात, राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम के अन्तर्गत 1.4.1982 को राज्य में एक लाख से कम आबादी वाले नगरों में इस टैक्स को माफ कर दिया गया था । इस सीमा को भी और बढ़ाया जाना चाहिये, । कम से कम शहरों की आबादी जिनकी दो लाख से कम है, वहां पर इस टैक्स को नहीं लगाया जाना चाहिये । एक विसंगति और है कि जिस किसी व्यक्ति ने अपने नाम से जमीन ले ली और भवन उसके बाद उसके लड़कों ने बनाया, तो एक लाख रुपये तक की सीमा तक उनको छूट मिलेगी लेकिन उन चार भाइयों को, जिन्होंने उस जमीन पर, अपने पिताजी की जमीन पर चार अलग-अलग मकान बनाये हैं, उनको किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गयी है । मैं चाहता हूं कि जब यह अलग–अलग प्रकार के इनकम टैक्स और संपत्ति कर के जो प्रावधान हैं, उनमें यह इस प्रकार के रिलेक्सेशंस देते हैं, तो भूमि एवं भवन कर में जितने भाई उतने ही घर यह बात राजस्थान में लागू होती है और पूरे देश में भी लागू होती है । इसलिए केवल मात्र एक लाख रुपये तक की जमीन और भवन की कीमत को छूट देने के बाद जो पूरा कर ले लिया जाता है, निश्चित रूप से इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिये । जहां तक भूमि एवं भवन कर के कर निर्धारण के मामले में जैसा मैंने आपको बताया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा । यह प्रश्न आपकी सरकार में भी उठा था और मैं समझता हूं कि आज जो अमेंडमेंट्स आये हैं, यह तो बहुत छोटे हैं । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । आप बैठ करके तय कर लीजिये सरकार से । यह इतना जरूरी नहीं है । या तो इसको हटाया जाये, हो सकता है क्योंकि उस समय भी विचार दोनों ही तरफ से आ रहे थे । आपकी तरफ से विचार आये थे और इनकी तरफ से भी । बैठ करके, यह रहना चाहिये कि नहीं रहना चाहिये, इसकी रिकवरी में ज्यादा खर्च होता है, वह बात भी कर लीजिये अभी तो फॉर्मल अमेंडमेंट है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । सन् 1977–78 में आय के मुकाबले में व्यय का प्रतिशत 21.81 था और 1978–79 में 26.77 था ।

श्री अध्यक्ष : मैने कहा आप रखें या नहीं रखें, यह दोनों को मालूम है । इसको जल्दी समाप्त करें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसको जल्दी समाप्त करूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस बिल के ऊपर अगर बैठकर के बात करने की बात है तो बैठकर के बात की जा सकती है। इसकी अव्यावहारिकताओं के सारे आस्पेक्ट्स को देखा जा करके जो भी उचित निर्णय है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बिल पास नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह तो टेक्निकल अमेंडमेंट है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे मालूम है। जनमत जानने के लिये परिचालित किया जायेगा तो आपस में बैठ कर के निश्चित रूप से बातचीत हो जायेगी और जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जायेगा। 1978–79 में व्यय का प्रतिशत आय के मुकाबले में 26.77 था, 1979–80 में यह बढ़कर 32.60 हो गया लेकिन 1987–88 में आय के मुकाबले में व्यय का प्रतिशत 9.29 प्रतिशत हुआ। इसको कम किया गया इसके लिये विभाग को और तत्कालीन सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि नान-टेक्निकल स्टाफ को खत्म किया जाये। नगर परिषद् और लैण्ड एवं बिल्डिंग टैक्स, ये दोनों अलग-अलग प्रकार के टैक्स एक ही विषय पर लिये जा रहे हैं, एक कंसोलिडिटी के लिए लिये जा रहे हैं, इसको भी समाप्त करके इसमें एकरूपता लानी चाहिये और जो विसंगतियां और परेशानियां हैं, इनको कम किया जाना चाहिये। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने इस बिल के बारे में इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने का निर्णय किया है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, मेरा प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में भी है।

आपका कथन सही है कि यह अमेंडमेंट जो इसमें मूव किया गया है, वह फार्मल है। और फार्मल अमेंडमेंट में जो आर्गूमेंट्स दिये गये हैं, और जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक के इतिहास के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। जब 1964 में यह विधेयक बना, तो राजस्थान के अरबन लैंड्स पर ही टैक्स लगाया गया था, और वह टैक्स बहुत साल तक सिर्फ अरबन लैंड पर था। सोशलाइजेशन ऑफ अरबन लैंड्स उसका मेन आब्जेक्ट था, उसका लक्ष्य था और उसके बाद में 1–4–73 से अरबन बिल्डिंग को भी इसमें शामिल कर दिया गया और इसलिये इसका नोमिनक्लेचर राजस्थान लैंड्स एण्ड बिल्डिंग टैक्स एक्ट 1964 हो गया 1–4–73 के अमेंडमेंट से। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि आपका आब्जेक्ट पहले था कि जो फालतू लैंड है, उसकी प्राइसेज जो एप्रीशिएट होती हैं, समाज के कंट्रीब्यूशन से और उसका लाभ कुछ लोग उठाते हैं, इसलिये उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाना चाहिये जिनके पास में बड़ी-बड़ी लैंड्स पड़ी हैं। उसके बाद में राजस्थान अलसर एक्ट भी

(श्री परसराम मदेरणा)

1976 से इस राज्य में लागू हो गया और अडाप्ट किया गया। उसके अडाप्ट करने के बाद में एक सीलिंग मुकर्रर कर दी गयी कि किसी व्यक्ति के पास में, जो "ए" क्लास शहर है उसमें एक हजार स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी। "बी" क्लास है, उसमें 15 सौ से ज्यादा नहीं रहेगी, इसलिये जब वह एक्ट आ गया और इस एक्ट के जो आब्जेक्ट्स थे, वह रिडन्डेन्ट हो गये। अब आप जो आर्गुमेंट्स यहां पर देते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत कम समय बचा है, फार्मल अमेंडमेंट जो लाये हैं आप सैक्शन–14 के अन्दर, 13 की जगह आप 14 साल रीप्लेस करना चाहते हैं, वह इतना ही है अमेंडमेंट। लेकिन जो आर्गुमेंट्स इसमें आपने दिये हैं, उसमें आर्गुमेंट यह दे रहे हैं:

"The said period is to expire on March 31, 1990. The revision of the tax shall have to be made thereafter". यह बात गलत है। रिविजन ऑफ टैक्स का सेक्शन तीन है और इस टैक्स का जो रिविजन पहले भी किया गया है वह एक मोडिफिकेशन है। गवर्नमेंट एम्पावर्ड है सेक्शन थ्री के अन्दर, मोडिफिकेशन के जरिये इसका रिविजन करने को, इसलिए आप रिविजन कर सकते हैं। इसलिए आप जो यह आरग्यूमेंट देते हैं क्योंकि इस टैक्स के डिटरमिन करने के दो ही तरीके हैं, एक तो रेट ऑफ टैक्स और दूसरा मार्केट प्राइस। इसलिए रेट ऑफ टैक्स का नोटिफिकेशन, जब उसमें अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं तो आपके सामने तो समय है, अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी क्या आवश्यकता है? और आप जो कह रहे हैं revision of the tax is not possible before 31st March. यह बहुत लंगड़ा आरग्यूमेंट है और यह आरग्यूमेंट ठीक नहीं है। इट्स नोट साउण्ड आरग्यूमेंट। यह बात ठीक है कि आज आपने मार्केट प्राइस जो फिक्स किये हैं या जो डेट फिक्स की है, ड्यू डेट, वह 1-4-73 है और 1-4-73 के साथ, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस प्रकार के भी आदेश दिये थे और शायद मैं यह समझता हूं कि वह आदेश आज भी प्रचलित हैं और फोर्स में है और आदेश यह दिये गये थे कि यह टैक्स एनुअल टैक्स है और जब एनुअल टैक्स है तो आठ वर्ष का टैक्स कोई एक साथ जमा कर देगा तो फिर उसको कभी भी इस टैक्स को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने विभाग के प्रगति विवरण दिये हैं, दो-तीन ही आये हैं, इसमें नगर भूमि एवं भवन कर विभाग का प्रगति विवरण हमको मिल गया है और 1987-88 में जो आय हुई है वह 263 लाख से एकदम 523 लाख चली गई और फिर 1988-89 में वह 1045 लाख, एकदम डबल हो गई। यह डबल इस टैक्स के डिटरमिन होने की वजह से नहीं हुई है लेकिन काफी लोगों ने इस हरेसमेंट से बचने के लिए आठ साल की, यह सोच रहे हैं कि 13 साल के बाद में मार्केट प्राइस में आप पर्टिकुलर ईयर से एन्फोर्स करेंगे। मार्केट प्राइस दिनोंदिन बढ़ रही है और इसलिए उन्होंने यह सोचा कि 73 की मार्केट प्राइस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है और आठ साल का सम्मिलित टैक्स देने से अगर

(श्री परसराम मदेरणा)

पिण्ड छूट जाता है तो हमेशा के लिए पिण्ड छुडाना चाहिए। जो शहर में आज सीमित आमदनी वाले लोग बैठे हुए हैं जिसमें इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य भी होंगे, हाउस टैक्स लग रहा है, डवलपमेंट चार्जेज लग रहे हैं और भूमि व भवन कर भी लग रहा है। इसलिए बिजली और पानी के अलावा कई प्रकार के टैक्स लग रहे हैं। वह सिर्फ रेजीडेन्स के परपज में ही अगर अपने मकान को काम में लेता है, जो किराये पर दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं उन लोगों के ऊपर यदि यह टैक्स लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका एक ही मकान है और फिक्स आय है और फिर इस प्रकार के टैक्स लगें, वह भी एक नहीं, तीन प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं, मैं समझता हूं उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ लादा जा रहा है। इसलिए जहां तक रिविजन ऑफ रेट का सवाल है यह आरग्यूमेंट ठीक नहीं है। जहां तक मार्केट रेट और मार्केट वेल्यू का प्रश्न है, निश्चित तौर से सरकार को इस अमेण्डमेंट के बाद ही निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता था कि रिविजन रेट और मार्केट वेल्यू के सम्बन्ध में जिनके केवल आवासीय मकान है और एक ही मकान इस शहर में एक आदमी के पास है और दूसरा कोई मकान नहीं है उनको इस टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए और यदि एग्जम्प्ट नहीं करते हैं तो आठ साल का टैक्स एक साथ जमा कराने का, 1973 की मार्केट वेल्यू पर जो अभी आदेश प्रचलित है और फोर्स में है, इस सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है। और सरकार सोच रही है या जो आदेश दिये गये हैं वह एग्जीक्यूटिव आदेश हैं और उसको कोई लॉ का फ्रेम नहीं दिया गया, मैंने नहीं पढ़ा, एग्जीक्यूटिव आदेश तो दिया है, लोगों ने जमा भी करवाया है लेकिन अगर इसको लीगल फ्रेम नहीं दिया गया है तो इस प्रकार का एग्जीक्यूटिव आदेश कानून की निगाह के अन्दर सिर्फ लोगों की आशाओं के ऊपर कुठाराघात करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सब बिन्दुओं के ऊपर सलेक्ट कमेटी को सौंपा जाय। प्रश्न 13 और 14 साल का नहीं है, प्रश्न यह है कि इन सब मुद्दों के ऊपर अब जो आठ साल की थोड़ी सी-आमदनी बढ़ी है, नहीं तो टैक्स का यह हाल था कि जितनी आपकी आमदनी हो रही थी उतना ही उस पर खर्चा हो रहा था। फिजूलखर्ची आप बंद करना चाहते हैं। एक स्टेज पर तो राज्य सरकार ने यह निर्णय करीब-करीब ले लिया था कि यह वह डिपार्टमेंट है जिसकी आमदनी और खर्च में करीब–करीब पांच–सात लाख का फर्क है, हजारों लोगों का हरेसमेंट है जिनको नोटिस दिये जाते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में प्रभारी मंत्री इन सब पहलूओं पर गौर करके मैं समझता हूं कि अगर यह फार्मल अमेन्डमेंट आज यहां पर स्वीकृत होता है, मुझे कोई एतराज नहीं है फोर्मल अमेण्डमेंट में, क्योंकि यह असेसीज और टैक्स पेयर्स के हक में है। अभी तक तो एक साल आप बढ़ा रहे हैं, एक साल में जो आप मार्केट वेल्यू रखेंगे वही मार्केट वेल्यू रहेगी जो 1-4-73 को है इसलिए मुझे इस अमेण्डमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर, सिद्धान्तों के ऊपर कम्पलेन्ट नहीं है लेकिन पूरे टैक्स के वर्किंग और जिस तरह का रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों का हरेसमेंट हो रहा है, उन सब इश्यूज

(श्री परसराम मदेरणा)

और उसके जो रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान भूमि एवं भवन कर संशोधन विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के लिए मैंने निवेदन किया है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान है कि कानून जितना सिम्पल होगा उतनी दिक्कतें कम होंगी। यह जो राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम है इसकी आमदनी और जब से इसको पास किया गया है, लागू किया गया है तब से आज दिन तक का यदि खर्चा जोड़ा जाय तो मेरा ख्याल है कि सरकार को इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसा कोई कानून फोर्स में रखा जाय या नहीं रखा जाय, यह सारी की सारी बातें हमें इसके साथ देखनी है। अभी आज ही माननीय मुख्य मंत्रीजीने इस बारे में सदन के समक्ष कुछ निवेदन भी किया था कि इस तरह के कानूनों में संशोधन, जो खामियां हैं, भ्रष्टाचार के जनक जो कानून हैं, उन सारी बातों के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। यह अधिनियम भी भ्रष्टाचार की जड़ है। किस तरह से भूमि एवं भवन कर का असेसमेंट किया जाय, ज्यादा–कम का निर्णय कैसे किया जाय, एक ही आदमी नीचे के स्तर से लगा कर, अपील के स्तर से लगा करके हाई कोर्ट तक जाता है, सरकार को और आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्थिति में सारा का सारा प्रकरण एक साथ देखा जाए और इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के विषय में अपने विचार रखे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, किन्तु मैं आपके माध्यम से, जैसा जोधपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने इस टैक्स के इतिहास की चर्चा की थी उससे आगे थोड़ी–सी चर्चा करना चाहूंगा ताकि अपने सामने स्पष्ट दृष्टिकोण हो जाय कि यह संशोधन सदन के समक्ष मैं क्यों लाया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम वर्ष 1973 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में समस्त नगरपालिका क्षेत्र, केन्टोनमेंट बोर्ड और नगर परिषद् आते थे। सभी नगर पालिका, नगर परिषद् और केन्टोनमेंट बोर्ड उन्हीं क्षेत्रों में भूमि एवं भवन पर कर लगाने की प्रक्रिया, कर की सीमा और कर की वसूली के प्रावधान इस अधिनियम में किये गये हैं। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत भूमि एवं भवन कर दर की सीमा निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। वर्ष 1973 के बाद इस भूमि-भवन कर की दर एवं भवन के बाजार मूल्य 50 हजार रुपये तक शून्य थे। शेष पर आधा प्रतिशत था। 1977 में कर दर इस प्रकार निर्धारित की गयी जो निम्न प्रकार रही है—

प्रथम एक लाख रुपये तक शून्य, अगले

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दो लाख रुपये पर आधा प्रतिशत, उससे अगले 7 लाख रुपये पर एक प्रतिशत, 10 लाख रुपये से ऊपर शेष मूल्य पर डेढ़ प्रतिशत। कर निर्धारित की वह दर वर्तमान में प्रभावशील है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982 में इस अधिनियम में यह संशोधन किया गया कि अन्तिम जनगणना रिपोर्ट के आधार पर एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिका या नगर परिषद् अथवा केण्टोनमेण्ट बोर्ड क्षेत्र को इस अधिनियम के अन्दर कर मुक्त कर दिया जाय और उसके कारण से वर्तमान में यह अधिनियम केवल 11 शहरों तक ही लागू है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, सीकर, भरतपुर और अलवर। अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि धारा 10 और 11 के अन्तर्गत निर्धारित कर की मात्रा अथवा उसमें किये गये संशोधन—एक इस अधिनियम के प्रभावशाली होने अथवा वर्ष 1973 से चार वर्ष की अवधि लागू रहेगी। दो–चार वर्ष के बाद अगले 13 वर्षों से अधिक और उस बढ़ायी गयी कालावधि से अधिक नहीं होगी जैसा राज्य सरकार निर्धारित करें। यह उक्त कालावधि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् कर का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है। चूंकि कर की विद्यमान निर्धारण अवधि समाप्त होने वाली है। अतः सरकार द्वारा उक्त कर निर्धारण में पुनः निरीक्षण अथवा कालावधि में वृद्धि के आदेश दिया जाना आवश्यक है। चूंकि कर का ऐसा पुनः निरीक्षण 31 मार्च, 1990 से पहले सम्भव नहीं है। कई सुझाव दिये हैं, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये, उधर प्रसारित करने के लिये जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने दिया और इसके कारण से 31 मार्च, 1990 इतना नजदीक समय था कि हमने तो केवल 1 वर्ष का समय मांगा है कि 13 वर्ष को 14 वर्ष किया जाय। 31 मार्च, 1991 तक का समय हमको दे दिया जाय ताकि इस विषय में इसके बारे में जो संशोधन करने हैं, क्या करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, कुछ नगर निकालने हैं, कुछ उसमें से नहीं निकालने हैं, समाप्त करना है और लाना है सब प्रकार की बातों की दृष्टि से इसे छोटा सा संशोधन 13 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष स्थापित करने की दृष्टि से सदन के समक्ष राज्य सरकार लायी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा परिचालित करने के लिए कहा या प्रवर समिति के लिए कहा, समय तो जा रहा है। अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की उसकी भी चर्चा मैं करूंगा लेकिन इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर नयी सरकार बनी है। 31 मार्च, 1990 तक समय जा रहा था, इस बारे में सभी प्रकार की राय सब दृष्टि से करना आवश्यक है और इसलिए इतने समय की मांग करने की दृष्टि से हमने आपके समक्ष इस प्रकार की बात रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय यहां कहा गया कि आय व्यय बराबर हो रहा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है । भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उसकी जानकारी बतायी है । मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1986-87 में आय 262 लाख थी खर्चा 38 लाख था 14 प्रतिशत केवल मात्र खर्चा हुआ, 87–88 में 523 लाख आय थी और खर्चा हुआ 48 लाख केवल मात्र 9 प्रतिशत, 88-89 में आय 1045 लाख और व्यय हो गया 55 लाख 15.4 प्रतिशत इसमें बढ़ा । इस कारण यह कहना कि आय व्यय बराबर हो रही है यह तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लेवी है यह राज्य सरकार के खजाने में आती है । हाउस टैक्स एक म्युनिसिपेलिटी लेवी है । उसमें नगरपालिका, नगर परिषद के विकास की दृष्टि से जाती है । मैं दोहराना तो नहीं चाहता लगाई वहां से, वहां से चल रही है । जैसी स्थिति में सरकार को छोड़ा है, उसकी जानकारी पक्ष और विपक्ष के सभी बन्धुओं के बीच में है । इसलिए यह सुझाव आना कि थोड़ी बहुत कठिनाई की वजह से आउट राइट समाप्त कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह इस दृष्टि से विचार करना ठीक नहीं रहेगा । सवाल आया थोड़ी सी कठिनाई का कि असेसमेण्ट में कठिनाई बहुत हो रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मार्केट वैल्यू के असेसमेण्ट करने के लिए राज्य सरकार ने एक व्यवस्था कर दी है । जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नॉन टैक्निकल स्टाफ रहता है, वैसे उन्होंने कहा वह बात अलग है मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं किन्तु राज्य सरकार ने सुविधा देने की दृष्टि से व्यवस्था की है कि जनता प्राइवेट वेल्युवर से भी अपने मकान का वेल्युएशन करा सकती है । डिग्री होल्डर्स इंजीनियर्स को भी इस कार्य हेतु पंजीकृत किया जा रहा है । इस व्यवस्था के पश्चात् जनता को वेल्युएशन कराने हेतु भूमि एवं भवन कार्यालय के अनावश्यक रूप से चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे व उनको मामले बहुत ही कम समय में निपटाये जा सकेंगे और इसीलिए यह जो शंका प्रकट की गयी थी कि लगातार परेशानी इसमें हो रही है । मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा एक इस प्रकार की व्यवस्था करने के पश्चात् जनता को राहत मिलेगी और असेसमेण्ट करने में मार्केट वेल्यू में जितनी कठिनाई आती थी उतनी नहीं रहेगी ।

भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि रिवीजन ऑफ टैक्स से एक दम टैक्स का भार बढ़ सकता है और इसलिए उस पर टैक्स को रिवाइज करना उचित होगा इस पर विचार करना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह टैक्स की दर हम एक वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं । इस बीच में जो सुझाव आयेंगे उनके ऊपर विचार किया जायेगा । इन सुझावों को मद्देनजर रखा जायेगा । उसके आधार पर इस प्रकार का निर्णय लेने की बात होगी । ऐसा मेरा निवेदन है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैठक का समय कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में यह दोनों बिल हैं। इनके पारित होने का समय 29 तारीख तक का है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की मंशा यह है कि इस विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक जो सुविधा 1973 के मार्केट रेट पर आठ गुना जमा कराने की है वह व्यवस्था है और व्यवस्था चल रही है उसमें कोई व्यवधान नहीं है। वह काम भी चल सकता है किन्तु जो बन्धु इतना टैक्स जमा कराने की स्थिति में नहीं है उनके लिए लगातार यह प्रक्रिया अभी चालू है। मैं फिर आपसे–निवेदन करना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1990 सरकार आई फोर्स में, मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की 3 मार्च के दिन। बाकी मंत्रिमण्डल बना फिर विधान सभा आहूत हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस कारण से इतना समय बढ़ाया जाय और मैं तो उन्हीं से निवेदन कर रहा हूं जिन्होंने पहले चार साल, फिर तेरह साल, सत्रह साल तो बढ़ा लिया, बहुत अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। इस छोटे से संशोधन को स्वीकार करेंगे यही मेरा निवेदन है।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा जनमत जानने के लिए दिया गया प्रस्ताव वापस लेती हूं। सदन से आग्रह करती हूं कि मुझे वापस लेने की अनुमति दें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आपने रखा था आप दुबारा रखें।

श्री अध्यक्ष : जब तक मैं घोषणा नहीं करूंगा, पारित नहीं होगा। अभी मैंने कुछ नहीं कहा है। आप वापस ले रहे हैं माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष : फिर से सुन लीजिए।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड–दो श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें संशोधन यह दिया है कि जो काम हम एक-दो महीने में कर सकते हैं उसमें एक-दो साल लगाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा है कि एक वर्ष की जगह 6 महीने में उस काम को निपटा दें। अभी बड़ा लच्छेदार भाषण दिया प्रभारी मंत्री जी ने। जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के बारे में कोई रिप्लाई नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप +++ क्यों कर रहे हैं। आप विशेषण क्यों लगा रहे हैं आपको लगाने ही नहीं आते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यानि यह वास्तविकता को आपने लच्छेदार समझा है इसी का ही परिणाम है। वास्तविकता को वास्तविकता समझिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने आपके माध्यम से एक प्रश्न उठाया था कि एक परिवार में पिताजी के नाम से जमीन है उसके चार भाई या तीन भाई मकान बनाते हैं तो....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था और मंत्री जी ने भी कहा कि यह ओपन है। यह समय इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि उसमें आगे क्या करना है? आप लोग मिल बैठ कर विचार कर लें। आज तो यह एक छोटा सा संशोधन है। अब आपको बोलना है बोल ले आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कह रहा हूं कि जो काम एक वर्ष में हो उसको

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

6 महीने में कर लीजिए, यह मेरा संशोधन है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिन्होंने 17 साल लिये, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री बुलाकीदास कल्ला ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : थर्ड वाचन में मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आपको अधिकार है। मैं आपके अधिकार को चैलेन्ज नहीं करता। आप बोलना चाहें, बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन दी प्रिन्सिपल ऑफ दी बिल पर हर एक माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है और मैं इस सदन का अमूल्य समय लेना नहीं चाहता। मैंने प्रारम्भ में ही अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठाया था कि ऑब्जेक्ट्स के जो रीजन्स दिये गये हैं उसमें आपने You have advanced a very wrong argument, the Minister Incharge इसका मुझे जवाब नहीं मिला है। वह यह कह रहे हैं कि

"The said period is to expire on March 31, 1990. Revision of the Tax shall have to be made thereafter." यही पर मेरा एतराज था कि आप इसका रिवीजन पहले कर सकते हैं। आप एम्पावर्ड हैं अण्डर सैक्शन 3, और यह जो आर्ग्यूमेण्ट दिया है ओपन वह बहुत लंगड़ा आर्ग्यूमेण्ट दिया है। यह सम्भव नहीं है। Since such revision is not possible before 31st March,

(श्री परसराम मदेरणा)

क्या सम्भव नहीं है ? और आग्यूमेण्ट आप दे सकते थे। मार्केट रेट का दे सकते थे लेकिन रिवीजन आफ रेट का आग्यूमेण्ट देकर के जो आब्जेक्टस् के रीजन हैं यह आपका आग्यूमेण्ट कहीं पर भी तर्क पर टिकता नहीं है। धराशाही होता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं हम रिवीजन कर सकते हैं किन्तु रिवीजन क्या करना है, लोगों के जो सुझाव आये हैं उनको कितना निहित करना है। इसीलिए समय मांग रहे हैं (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप कह रहे हैं इससे पहले हम कर ही नहीं सकते। यह आग्यूमेण्ट गलत है। अध्यक्ष महोदय, वह कह सकते थे कि समय कम है।

It is not possible, and I say, it is possible under the law. You are advancing a very wrong argument.

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मुझे बैठा दिया, उनको बुलवा दिया और मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं पहले खड़ी हुई और वह बोल लिये। आपके इशारे को समझ कर मैं बैठ गयी। और आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। यह मेरे अधिकारों का हनन आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मैंने कहा आपको अधिकार है आप बोलिये, मैं बैठ गया, आप भी बैठ गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा आप रुकिये, मैं दो बात बोल लेती तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 23 मार्च, 1990 को सदन द्वारा पारित अभिभाषण के उत्तर में निम्न सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है। अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ. 78/रा. भ./90 दिनांक 23 मार्च, 1990 श्री अध्यक्ष महोदय, आपका अ. शा. पत्र संख्या–एफ–(10) सदन/विकास/90 17010 दिनांक 23 मार्च, 1990 को प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिये मैं उनका आभारी हूं।

(श्री अध्यक्ष)

आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें। भवन्निष्ठ, डी. बी. चट्टोपाध्याय।

समितियों का गठन

वित्तीय समितियों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों अर्थात जन लेखा समिति 1990–91, राजकीय उपक्रम समिति 1990–91, प्राक्कलन समिति (क) 1990–91, प्राक्कलन समिति (ख) 1990–91 के लिये निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं।

जन लेखा समिति 1990–91

1. श्री मोहम्मद माहिर आजाद
2. ,, जर्नादन सिंह गहलोत
3. श्रीमती रमा पायलट
4. श्री सांवरमल
5. ,, मदन मोहन सिंघल
6. ,, परसराम मदेरणा
7. ,, हीरालाल देवपुरा
8. ,, बंशीलाल पटवा
9. ,, अनंग कुमार
10. ,, हरीश चन्द्र कुमावत
11. ,, अमृत लाल परमार
12. ,, चम्पालाल बांठिया
13. ,, गोपीराम जाट
14. श्री जगत सिंह दायमा
15. श्रीमती मदन कौर

राजकीय उपक्रम समिति 1990–91

1. श्री प्रद्युम्न सिंह
2. ,, गोविन्द सिंह गुर्जर
3. ,, शिवजीराम
4. ,, मोहन लाल चित्तौड़िया
5. ,, डा. रतनलाल
6. ,, सुरेन्द्र व्यास
7. ,, सम्पत सिंह
8. श्रीमती विद्या पाठक
9. श्री कुंजीलाल
10. ,, राजेन्द्र गहलोत
11. ,, गोविन्द सहाय
12. ,, रामनारायण
13. ,, हेतराम बेनीवाल
14. ,, रामसिंह बिश्नोई
15. रिक्त

प्राक्कलन समिति (क) 1990–91

1. श्री खंगार सिंह
2. ,, पूनमचन्द विश्नोई
3. ,, रामकरण
4. ,, मनोहर सिंह
5. ,, उम्मेद सिंह
6. ,, डा. हरिसिंह
7. ,, परसादी लाल मीणा
8. ,, रामस्वरूप
9. ,, हरिकुमार औदिच्य

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री शिवकिशोर सनाढ्य
11. ,, जगजीत सिंह
12. ,, रघुवीर सिंह कौशल
13. ,, चुन्नीलाल
14. श्रीमती सुचित्रा आर्य
15. श्री बहादुर सिंह

प्राक्कलन समिति (ख) 1990–91

1. श्री महेन्द्र परमार
2. ,, इन्द्र सिंह पूनिया
3. ,, हीरालाल इन्दौरा
4. ,, बुलाकीदास कल्ला
5. ,, निर्भय लाल जाटव
6. ,, चुन्नीलाल इन्दलिया
7. ,, गोपाल सिंह
8. श्री अब्दुल हादी
9. ,, किशनाराम नाई
10. ,, जीतमल जैन
11. ,, लक्ष्मीचन्द मेहता
12. ,, फूलचन्द गुर्जर
13. ,, टीकम चन्द कान्त
14. श्रीमती सूर्यकान्ता
15. श्री रामकरण सिंह

सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार, दिनांक 29 मार्च, 1990 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्नतर सदन की कार्यवाही सायं 5 बज कर 2 मिनट पर बृहस्पतिवार, दिनांक 29 मार्च, 1990 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 77 का विवरण

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा (अलवर)

1	2	आई. सी. ए. आर. से प्राप्त धनराशि 3	खर्च 4
1.	प्राइमरी डाटा कलेक्शन पाइलट सैम्पल, सर्वे एस्टीमेशन कास्ट आफ कल्टीवेशन आयल शीडस पलस	3,39,400	4,62,278
2.	प्लस इम्प्रूवमेन्ट	21,54,635	26,62,310
3.	आयल शीड्स राई एवं सरसों	2,53,672	11,67,969
4.	ओन फार्म रिसर्च एनुअल आयल सीडस क्राप्स	18,000	9,000
	कुल योग :–	27,65,707	43,01,557

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा राज्य सरकार से वर्ष 1982 में विश्वविद्यालय को स्थानान्तिरण हुआ, इसमें निम्न योजनायें आई. सी. ए. आर. की सहायता से विभिन्न अनुसंधान कार्यों में कार्यान्वित हुई ।

(1) प्राइमरी डाटा कलेक्शन, पाइलट, सैम्पल, सर्वे एस्टीमेशन कास्ट आफ कल्टीवेशन आयल सीड्स व पलसस ।

यह योजना वर्ष 1984 से वर्ष 1988 तक रही ।

आई. सी. ए. आर. से प्राप्त राशि		खर्च हुआ	
		84–85	
3,39,400	वेतन एवं भत्ते	11,575	11,575

	85–86	
वेतन एवं भत्ते	1,91,506	
कन्टीजेंसी	20,000	
नान रेकरिंग फार प्रिंटिंग व शिड्यूल	10,000	
	2,21,506	2,21,506
	86–87	
वेतन एवं भत्ते	1,54,653	
कन्टीजेन्सी	2,000	
	1,56,653	1,56,653
	87–88	
वेतन एवं भत्ते	71,544	
कन्टीजेन्सी	1,000	
	72,544	72,544
कुल व्यय :–		4,62,278

(2) पलसिस इम्प्रूवमैन्ट (दलहन) (विकास)

यह योजना जून, 84 से अक्टूबर, 89 तक नौगांवां में चलती रही ।

आई. सी. ए. आर. से प्राप्त राशि	राशि खर्च		
21,54,635	1984–85 वेतन भत्ते	1,74,707	
	कन्टीजेन्सी	15,000	1,89,707
	1985–86 वेतन भत्ते	3,71,633	
	कन्टीजेन्सी	54,000	4,25,633

1	2	3	4
	1986-87 वेतन भत्ते	4,75,739	
	कन्टीजेन्सी	60,000	5,35,739
	1987-88 वेतन भत्ते	6,84,613	
	कन्टीजेन्सी	56,000	7,40,613
	1988-89 वेतन भत्ते	6,50,618	
	कन्टीजेन्सी	1,20,000	7,70,618
21,54,635	योग		26,62,310

(3) आयल सीड्स राई व सरसों योजना :

जनवरी, 87 से अब तक

आई. सी. ए. आर. से प्राप्त राशि		खर्च राशि	
2,53,672	1986-87 वेतन भत्ते	1,38,720	
	कन्टीजेन्सी	20,205	1,58,925
	1987-88 वेतन भत्ते	2,50,000	
	कन्टीजेन्सी	38,000	2,88,000
	1988-89 वेतन भत्ते	2,41,776	
	कन्टीजेन्सी	41,217	2,82,993
	1989-90 वेतन भत्ते	4,02,481	
	कन्टीजेन्सी	35,570	4,38,051
2,53,672	कुल व्यय		11,67,969

1	2	3	4

(4) ओन फार्मस रिसर्च ऐनियुअल आयल सीड्स क्राप्स
अप्रैल, 89 से अब तक

आई सी. ए. आर. से प्राप्त राशि	खर्च राशि		
1	2	3	4
18,000	1989–90 वेतन एवं भत्ते	1,000	
	कन्टीजेन्सी	8,000	9,000
18,000	कुल व्यय		9,000

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 78 की सूची

क्र. सं	सड़क का नाम तथा वर्षवार दी गई स्वीकृतियां वर्ष	कि. मी.	राशि (लाखों में)	वर्ष तथा कि. मी. जिसमें मेटल डाला गया वर्ष	कि. मी.	वर्ष तथा कि. मी. जिसमें डामर डाली गई वर्ष	कि. मी.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	सांचौर से भवातडा :–						
	1984	13	13.00	1985	7/0 से 10/0	1986–87	11/0 से 15/0
				1986	11/0 से 15/0	1988–89	7/0 से 11/0
				1988–89	7/0 से 11/0	1989–90	7/0 से 11/0
				1989–90	7/0 से 11/0		
2.	सांचौर से भाब :–						
	1979	8	8.00	1981	8.5	1981	8.5
	1984	10	10.00	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	सांचौर से भीनमाल :–						
	1984	14	14.00	1985	6/0 से 10/0	1985	42/0 से 48/0
	1985	9.5	6.00	1986	6/0 से 22/0	1986	49/0 से 58/0
	1985	–	10.00	1986	30/0 से 42/0	1989	3/0 से 6/0
	1986	–	20.00	1986	49/0 से 58/0	1989	16/0 से 22/0
	1987	3	2.40	1998	22/0 से 35/0	1989	6/0 से 10/0
	1988	6	4.08	–	–	1989	22/0 से 27/0
4.	झाब से चितलाना :–						
	-1981	9	9.60	-1981	9	1984	9
	1984	13	13.00	1987	1	1989	8
	1988–89	4	1.08	1988	3		8 1989
5.	झाब से रानीवाड़ा :–		–	–	–	–	–

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 83 का विवरण

अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., अजमेर के विभिन्न बैंकों में रखे गये खातों का रिकन्सीलिएशन सम्बन्धी विवरण।

क्र.सं.	नाम बैंका जिसमें अरबन कोआ. बैंक ने खाता खोला	समायोजन का दिनांक	विवरण
1.	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा	22-3-90	आवश्यकता नहीं होने पर खाता बन्द किया गया।
2.	भारतीय स्टेट बैंक सायंकालीन शाखा	30-6-80	समाधान विवरण प्राप्त 1985
3.	अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर रोड, अजमेर।	30-6-89	कोई गबन या घपला नहीं निकला।
4.	अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., खाईलैण्ड	30-6-89	" " "
5.	दी राज. स्टेट बैंक लि., जयपुर।	30-6-74	समाधान विवरण प्राप्त 1889
6.	बैंक आफ इण्डियाँ	7-8-89	आवश्यकता नहीं समझे जाने पर खाता बन्द किया गया।
7.	एस. बी. बी. जे. अजमेर	1972	
8.	एस. बी. बी जे. किशनगढ़	30-8-89	आवश्यकता नहीं समझे जाने पर खाता बन्द किया गया।
9.	बैंक आफ बड़ौदा, रेल्वे केम्पस	8-8-89	" " "

(138)

1	2	3	4
10.	बैंक आफ बड़ौदा, मुख्य शाखा	6-9-89	आवश्यकता नहीं समझे जाने पर खाता बन्द किया गया।
11.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	2-8-89	" " "
12,	विजया बैंक	30-6-89	समाधान विवरण प्राप्त 1985
13.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	1-8-89	आवश्यकता नहीं समझे जाने पर खाता बन्द किया गया।
14,	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया अजमेर	30-12-89	कोई गबन या घपला नहीं निकला
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, जयपुर	28-2-90	कोई गबन या घपला नहीं निकला।

139

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जमवारामगढ़ नौकायन केन्द्र

85. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जमवारामगढ़, जिला जयपुर में एशियाड में आयोजित नौकायन केन्द्र के लिए केन्द्र सरकार ने प्रतिवर्ष कितनी राशि सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया था तथा कब से ?

(2) क्या उक्त राशि सरकार द्वारा उठाली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पटियाला क्रीड़ा परिषद केन्द्र की कौनसी ऐसी शर्तें थीं जिन्हें निवर्तमान सरकार पूरी नहीं कर पाई और प्रशिक्षण का कार्य ठप्प पड़ा है ?

(4) विश्व के मानचित्र में क्रीड़ा के क्षेत्र में जमवारामगढ़ नौकायन केन्द्र क्रियाशील रहे इसके लिए सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नौकायन केन्द्र के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राशि सुरक्षित रखने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) भारत सरकार द्वारा मुख्यत: रामगढ़ में एशियाड, 1982 के दौरान निर्मित रोईंग कम्पलेक्स की मांग की गई थी। महाराजा जयपुर ने संबंधित भूमि 17 जुलाई, 1989 को दान स्वरूप प्रदान करने की सहमति दी। सहमति प्रदान होने पर रोईंग कम्पलेक्स को भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 29 जुलाई, 1989 को सूचित कर दिया गया। परन्तु इस नौकायन केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार ने स्थान चयन करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों का दौरा करने के पश्चात राष्ट्रीय नौकायन केन्द्र को हैदराबाद में स्थापित करने की सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप इस नौकायन केन्द्र की स्थापना अब हैदराबाद में करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जा चुका है। रामगढ़ में अब क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जावेगा।

(4) राष्ट्रीय नौकायन केन्द्र को अब भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है। परन्तु क्षेत्रीय नौकायन प्रशिक्षण केन्द्र को, जमवारामगढ़ में स्थापित करने का निर्णय भी भारत सरकार द्वारा लिया जा चुका है। इस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं हेतु भारत सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उत्तर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जालौर जिले में स्पेशल आडिट कार्यालय

86. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में स्पेशल आडिटर सहकारी समितियों का कार्यालय वर्ष 1976 के आस पास खोला गया था ? यदि हां, तो फिर उसे सिरोही स्थानान्तरण करने के क्या कारण है जबकि जालौर जिले में सिरोही जिले के बनिस्पत अधिक सहकारी समितियां क्रियाशील हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार अब पुनः उक्त कार्यालय को जालौर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। स्पेशल आडिटर का कार्यालय जालौर व सिरोही दोनों ही जिलों के लिए मुख्यावास सिरोही में 21–7–76 को खोला गया था। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। इसी दिन गलती से इस पद पर श्री एन. एस. कुम्भट की नियुक्ति करते समय आदेश में मुख्यावास सिरोही के स्थान पर जालौर लिख दिया गया। चूंकि पद स्वीकृति के राज्यादेश में मुख्यावास सिरोही था। अतः बाद में 6–8–76 को नियुक्ति आदेश में मुख्यावास सिरोही होने का संशोधन कर दिया गया।

(2) जी, नहीं। जालौर में स्पेशल आडिटर का एक नया कार्यालय खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(Co-operative Department)

No. F. 8 (50) Coop/65 Jaipur, the 21st July, 1976

ORDER

In Supercession of all previous orders, the Governor has been pleased to order that the jurisdiction of the Dy. Chief Auditor, Regional Auditor and Special Auditors Cooperative Societies will be as under :—

S. No.	Designation	Jurisdiction	
1.	Dy. Chief Auditor Hd. Quarter,	1. Jaipur 2. Ajmer	District "

1	2	3	4
		3. Sikar	District
		4. Jhunjhunu	,,
		5. Alwar	,,
		6. Bharatpur	,,
2.	Regional Auditor Kota	1. Kota	,,
		2. Bundi	,,
		3. Jhalawar	,,
		4. Tonk	,,
		5. Sawaimadhopur	,,
3.	Regional Auditor Udaipur.	1. Udaipur	,,
		2. Banswara	,,
		3. Dungarpur	,,
		4. Chittorgarh	,,
		5. Bhilwara	,,
4.	Regional Auditor Jodhpur	1. Jodhpur	,,
		2. Jaisalmer	,,
		3. Barmer	,,
		4. Pali	,,
		5. Jalore	,,
		6. Sirohi	,,
5.	Regional Auditor	1. Bikaner	,,
		2. Churu	,,
		3. Ganganagar	,,
		4. Nagaur	,,
6.	Special Auditor Jaipur	1. Jaipur	,,

1	2	3	4
7.	Special Auditor Sikar.	1. Sikar	District
		2. Jhunjhunu	„
8.	Special Auditor Ajmer.	1. Ajmer	„
		2. Tonk	„
9.	Special Auditor Bhilwara.	1. Bhilwara	„
10.	Special Auditor Kota	1. Kota	„
		2. Bundi	
		3. Jhalawar	„
11.	Special Auditor Pali	1. Pali	„
12.	Special Auditor Sirohi	1. Sirohi	„
		2. Jalore	„
13.	Special Auditor Jodhpur.	1. Jodhpur	„
14.	Special Auditor Nagaur.	1. Nagaur	„
		2. Barmer.	„
		3. Jaisalmer	„
15.	Special Auditor Ganganagar.	1. Ganganagar	„
16.	Special Auditor Bikaner.	1. Bikaner	„
		2. Churu	„
17.	Special Auditor Alwar	1. Alwar	„
18.	Special Auditor Bharatpur	1. Bharatpur	„
19.	Special Auditor Sawai Madhopur	1. Sawai Madhopur	„
20.	Special Auditor Udaipur	1. Udaipur	„

1	2	3	4
21.	Special Audtior Chittorgarh.	1. Chittorgarh	District
22.	Special Auditor. Banswara	1. Banswara	"
		2. Doongarpur.	"

BY ORDER

Sd./–

(V. I. Rajagopal)
Secretary to Government.

Copy forwarded to :—

1. All Secretary as to Government.
2. All Private Secretaries to Minister/State Ministers.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Addl. Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, Jaipur.
5. All Regional Jt. Registrar, Cooperative Societies,
6. All Dy. Registrar, Cooperative Societies,
7. Chief Auditor, Cooperative Societies.
8. Dy. Chief Auditor, HD. Quarter jaipur.
9. All Regional Auditors, Cooperative Societies.
10. All Special Auditor, Cooperative Societies.
11. All Asstt. Registrar, Cooperative Societies.
12. All Cooperative Institutions.
13. Guard file.

Sd/–

(Surendra Kumar)
Deputy Secretary to Government.

फलासिया क्षेत्र में सड़क निर्माण

87. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1989–90 में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कहां–कहां कितनी–कितनी राशि की कितनी–कितनी किलोमीटर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति कब–कब दी गई ? उक्त क्षेत्र की सड़कों की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेशों का विवरण सदन की मेज रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? प्रत्येक सड़क कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

(3) अब तक प्रत्येक सड़क पर कितनी–कितनी राशि व्यय की जा कर कितनी–कितनी कि. मी. सड़क का क्या–क्या कार्य पूर्ण करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989–90 में निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में स्वीकृत सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	राशि (लाखों में)	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक
1.	सम्पर्क सड़क बागपुरा से मादड़ी	1.5	3.00	प. 15 (7) कृषि ग्रुप–2 बी/89 दि. 18/19-10-89
2.	सम्पर्क सड़क उण्ड़ावेला	2.0	4.00	,, ,,

(2) कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 पर अंकित सड़क का निर्माण पूर्व के वर्षों में सम्पन्न किया जा चुका है तथा क्रम संख्या 2 पर अंकित सड़क का गांव मुख्य डामर सड़क पर स्थित होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया गया।

(3) वर्ष 1989–90 में इन सड़कों का कृषि उपज मण्डी के माध्यम से कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(कृषि मंत्री)

(4) वर्तमान में नई सड़कों की स्वीकृति हेतु कोई विचार नहीं है।

करौली क्षेत्र में सड़कें

88. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने वर्ष 1988–89 में करौली प्रवास के समय कतिपय सड़कों के निर्माण की घोषणा की थी ?

(2) क्या यह सही है कि डोली खार सड़क के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है किन्तु अभी तक सड़क निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ ?

(3) सरकार का कब तक सड़क निर्माण आरम्भ करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग के सड़क निर्माण कार्यों से संम्बन्धित घोषणाओं की सूची "1" संलग्न है।

(2) डोलीखार नाम का मौहल्ला कस्बा करौली के नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है, अतः उक्त मौहल्ले के लिए विभाग द्वारा सड़क बनाना संभव नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फसल बीमा योजना

89. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : एवं

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार फसल बीमा योजना पुनः प्रभावी तरीके से लागू करने पर विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वित्तीय साधनों की कमी एवं राज्य पर पड़ने वाले अधिक वित्तीय भार के कारण फसल बीमा योजना को राज्य में अभी लागू करना सम्भव नहीं है।

जयपुर जिले के प्राथमिक एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

90. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989–90 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवम् कितने मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर जिले में सभी नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मातृ एवं

(श्री परसादी लाल मीणा)

शिशु कल्याण केन्द्रों पर कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक पदस्थापन कर दिया जाएगा ?

(3) स्थान व रिक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1989–90 में 161 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं जिनकी सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई है। दो मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र एक तिलकनगर, जयपुर में तथा दूसरा बीकानेर में सिटी डिस्पेन्सरी नं. 3 में स्वीकृत किया गया है।

(2) 19 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 17 में स्टाफ स्वीकृत किया गया है जिनमें 9 में चिकित्सक अधिकारी कार्यरत हैं। मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तिलक नगर में, महिला चिकित्सक प्रसाविका वार्ड बाए एवं पार्ट टाइम हरिजन कार्यरत हैं। शेष पदों पर कर्मचारियों का पदस्थापन किया जा रहा है। नियुक्ति में विलम्ब का कारण स्वीकृति देर से प्रसारित होना एवं प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है।

(3) स्थान एवं रिक्तियों का विवरण (परिशिष्ट "ख" एवं "ग") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर जिले में पेयजल व्यवस्था

91. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा–भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में पेयजल की भयंकर समस्या है ?

(2) यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु कहां–कहां के लिये क्या-क्या योजनायें विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक क्रियान्वित करने का सरकार का विचार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विचाराधीन योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया है। वित्तीय उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाये जायेंगे।

विचाराधीन योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	तहसील	गांवों की संख्या	प्रस्तावित हैण्डपम्प	प्रस्तावित नलकूप/खुला कुआ/डी./सी./बी.
1.	महुवा	23	26	3
2.	टोडाभीम	52	48	13
3.	हिन्डौन	88	97	10
4.	नादौती	18	18	6
5.	बामनवास	27	29	10
6.	गंगापुर सिटी	68	116	6
7.	करौली	88	200	8
8.	बौली	40	42	14
9.	खण्डार	13	16	3
10.	सपोटरा	51	51	10
11.	सवाई माधोपुर	32	61	5
	कुल—	500	704	88
	शहरी क्षेत्र			
1.	सवाईमाधोपुर	1	30	2
2.	गंगापुर	1	—	4
3	हिण्डौन	1	15	3
4.	टोडाभीम	1	—	2
5.	करौली	1	10	3
	कुल	5	55	14

गंगानगर जिले के पक्के खाले

92. **श्री राम प्रताप कासनिया** (पीलीबंगा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पक्के खाले बनाये जाने थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि द्वितीय चरण में बने पक्के खालों की कीमत सरकार ने माफ करदी है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या द्वितीय चरण की भांति प्रथम चरण में बने पक्के खालों की कीमत सरकार द्वारा माफ करदी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1974–75 से वर्ष 1987–88 तक।

(2) कीमतें माफ करने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) द्वितीय चरण में खालों की कीमत वसूल किये जाने का योजना के अन्तर्गत प्रावधान नहीं है तथा इस पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार बराबर में अर्थात् पचास-पचास प्रतिशत अनुदान वहन करती हैं। जहां तक प्रथम चरण के खालों की वसूली का प्रश्न है यह उस समय की योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की योजना का कोई प्रावधान नहीं था पर समय-समय पर इस सवाल पर मांग आती रही और जिस पर पूर्व सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस ऋण को माफ करने हेतु निवेदन किया था पर इस पर तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया। अब पुन: केन्द्रीय सरकार के उपप्रधान मंत्रीजी को राज्य सरकार की ओर से निवेदन किया गया है कि खालों की कीमत को द्वितीय चरण की भांति अनुदान में परिवर्तन करके माफ करने का शीघ्र निर्णय करें।

वर्तमान में इन खालों की कीमत वसूल नहीं की जा रही है।

बाड़मेर जैसलमेर जिलों में सड़क निर्माण

93. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार का बाड़मेर व जैसमेर जिलों में पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? अभी कितने मुख्यालय सड़कों के जुड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में सीमा विकास के अन्तर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जिन सड़कों की स्वीकृति दी गई है, उनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अभी तक बाड़मेर जिले के 246 तथा जैसलमेर जिले के 79 पंचायत मुख्या-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लय सड़कों से जुड़े हुए हैं (सूची–1 तथा सूची–2 संलग्न है) इन जिलों के शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में सीमावर्ती विकास योजना के अर्न्तगंत सड़क कार्यों हेतु दी गई सड़कों की सूची संलग्न है (सूची–3)

(3) सूची–3 में वर्णित क्रम संख्या अ (1 से 6, 9 व 10) तथा व (2) के कार्यों को छोड़कर शेष कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे। इन छोड़े गये कार्यों को भारत सरकार के द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के अनुरूप धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नहीं कराया जा सका।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कोटा जिले में पेयजल व्यवस्था

94. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बांरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा जिले के एक बड़े क्षेत्र में अकाल के कारण पेयजल की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि अनेक गांवों के हैण्डपम्पों में जल स्तर नीचे जाने के कारण वे बेकार हो गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको गहरा करके पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी है कि गांवों में पशुओं के पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो इस समस्या के हल की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक योजनाएं बनाई गई है। वित्तीय उपलब्धता के अनुसार आवश्यक कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जायेंगे।

(2) जी हां। जिन हैण्ड पम्पों को गहरा कराया जाना सम्भव होगा उनको गहरा कराया जाना विचाराधीन है।

(3) जी हां। कोटा जिले में पशुओं के पीने के पानी के लिए विभागीय योजनाओं में पानी का प्रावधान नहीं रखा जाता है।

ग्राम चाईया से टी. बी. व गन्धेली तक सड़क निर्माण

95. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में ग्राम चाईया से टी बी, तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो कब से ? राज्य सरकार का कब तक इसकी मरम्मत कराने व चौड़ाई बढ़ाने का इरादा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या वह भी सही है कि ग्राम टी. बी. से संगरिया सड़क भी क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उसकी कब तक मरम्मत

(श्री डूंगरराम पंवार)

कराने व चौड़ाई बढाने का विचार है ? यदि हां तो उसको कब तक मरम्मत कराने व चौड़ाई बढ़ाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या ग्राम चाइया से गन्धेली सड़क स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में स्वीकृत की गयी ?

(4) क्या उक्त सड़क का कुछ निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? अब इस सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला गंगानगर में ग्राम चाईया से टी0 बी0 की सड़क सात कि0 मी0 लम्बाई में (कि0 मी0 2/0 से 3/0 तक व 6/0 से 12/0 तक) विगत कुछ वर्षों से क्षतिग्रस्त है शेष सड़क ठीक है। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं सुधार कार्य के प्रस्ताव विचाराधीन है जिन पर वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। ग्राम टी. बी. से संगरिया सड़क 12 कि. मी. लम्बाई में (कि0 मी0 15/0 से 27/0 तक) क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत एवं सुधार कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। ग्राम चाईया में गन्धेली सड़क के निर्माण हेतु राशि की वर्ष वार वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

वर्ष	स्वीकृति की राशि
1984–85	रु0 7.50 लाख
1989–90	रु0 12.50 लाख

(4) जी हां। उक्त सड़क निर्माण कार्य कि. मी. 0/0 से 3/500 तक पूरा हो चुका है। कि. मी. 3/500 से 7/500 तक निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 में पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 6 कि. मी. लम्बाई (कि0 मी0 7/500 से 13/0 तक) का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

मनोहर थाना क्षेत्र के हैण्ड पम्प

96. **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मनोहर थाना क्षेत्र में वर्ष 1989-90 में कितने हैंड पम्प स्वीकृत हुए तथा कितने हैंड पम्प लगाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने गांव हैं जिनमें एक भी हैंड पम्प नहीं लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ? इन गांवों में हैंड पम्प लगवाने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ गांवों में हैंड पम्प वांछित गहराई तक नहीं खोदे गये ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे हैंड पम्पों की जांच करवाकर कब तक गहरे खुदवाकर हैंड पम्पों की व्यवस्था करा देगी ?

(श्री जगन्नाथ)

(4) जिन गांवों में हैन्डपम्प असफल रहे हैं, क्या उन गांवों में सरकार क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मनोहर थाना क्षेत्र में वर्ष 1989-90 में 11 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये जिनमें से 10 हैण्डपम्प चालू कर दिये गये हैं एवं एक हैण्ड पम्प में पानी प्राप्त न होने के कारण परित्यक्त कर दिया है। विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) मनोहर थाना क्षेत्र अकलेरा तहसील के ग्राम देवली बर तथा पंचपीथली में वित्तीय सीमितता के कारण हैण्डपम्प नहीं लगे हैं। इन दोनों गांवों में वित्तीय वर्ष 1990–91 में हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है।

(3) विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नही है।

(4) जी नहीं। हैण्डपम्प जहां सूख गये हैं वहां दूसरे स्थान पर हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 1989–90 में स्वीकृत व लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची
विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना (जिला झालावाड़)

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड न.	स्वीकृत हैण्डपम्पों की सं.	लगाये गये हैण्डपम्पों की सं.	असफल रहे हैण्डपम्पों की सं.
1.	अकलेरा	ल्हास	58	1	–	1
2.	,,	मनोहरथाना	379	1	1	–
3.	,,	अर्जुनपुरा	157	1	1	–
4.	,,	दहलनपुर	119	1	1	–
5.	,,	बडागांव	376	1	1	–
6.	,,	डोकरिया खेडी	362	1	1	–
7.	,,	खूरी	83	1	1	–
8.	,,	थमारी	150	1	1	–
9.	,,	बिन्दा	76	1	1	–
10.	,,	भालतामंजरा	214	1	1	–
11.	,,	लकीपरा बांसखडी	304	1	1	–
		योग		11	10	1

भवानी मंडी का रेफरल हॉस्पिटल

97. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या यह सही है कि गत सरकार द्वारा भवानी मण्डी कस्बे के चिकित्सालय को रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत कर दिया गया था ? क्या उसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(2) क्या उक्त अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार का उसे ठीक करवाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । एक्सरे मशीन को ठीक कराने के लिए सीमेन्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड द्वारा चाही गई 1700 रु. की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भेजी जा रही है, तत्पश्चात् संबंधित कम्पनी द्वारा एक्सरे मशीन की मरम्मत की जा सकेगी ।

गंधेली साहवा योजना से जल प्रदाय

98. **श्री इन्द्रसिंह पूनियां**(सादुलपुर) एवं **श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गन्धेली साहबा के प्रथम चरण में कुल कितने गांव सम्मलित हैं ? तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त योजना में सम्मिलित सभी गांव "कमीशंड" किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कमीशंड गांवों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो कौन से गांव वंचित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें । शेष गांवों को कब तक पेय-जल उपलब्ध करा दिया जावेगा ।

(3) क्या सभी लाभान्वित गांवों में निर्धारित माप दण्ड के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त योजना के प्रथम चरण में तारानगर कस्बे को भी निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(5) क्या उक्त कस्बे में स्थानीय स्रोतों का पेयजल भी वितरित किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गन्धेली साहबा के प्रथम चरण में 87 गांव स्वीकृत हुए थे । तहसीलवार गांवों की सूची परि-शिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त योजना के 87 गांवों में से 71 गांवों को इसी योजना से लाभान्वित किया जा चुका है । शेष 16 गांवों को इस योजना से अभी तक लाभान्वित नहीं किया जा सका है । इन गांवों को गन्धेली साहबा योजना के द्वितीय चरण में पूर्ण होने पर पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा । लाभांवित एवं अलाभान्वित गांवों की स्थित परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गई है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं । योजना के कुछ गांवों में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप पानी नहीं मिल रहा है । क्योंकि तारानगर कस्बा व 89 ग्राम जो कि मूल योजना में स्वीकृत नहीं थे, उनको भी इस योजना से जोड़ दिया गया है ।

(4) योजना के प्रथम चरण में तारा-नगर कस्बा सम्मिलित नहीं था । कस्बे की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्रोतों के साथ–साथ इस योजना का पानी भी दिया जा रहा है । द्वितीय चरण पूरा होने पर मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा ।

(5) जी हां । गन्धेली – साहुवा योजना से पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय स्रोतों से पानी वितरित किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गन्धेली–साहुवा प्रथम चरण में स्वीकृत गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	पुनसीसर	तारानगर	लाभान्वित
2.	सोमसीसर	”	”
3.	रेयाटुन्डा	”	”
4.	साहुवा	”	”
5.	धीरवास	”	”
6.	रांगेडी	”	”
7.	कालवास	”	”
8	लूडनिया	”	”
9.	डाबडी	”	”
10.	झाडसर	”	”
11.	मेघसर	”	”
12.	रेडी	”	”
13.	भाड़ंग	”	”
14.	भुरावास	”	”
15.	सारायण	”	”

1	2	3	4
16.	वास सारायण	तारानगर	लाभान्वित
17.	थेलाणा	,,	,,
18.	पुनरास	,,	,,
19.	विलियां	,,	,,
20.	भांभरा	,,	,,
21.	भांभनी	,,	,,
22.	भाडसर कांचलान	,,	,,
23.	देवगढिया	,,	,,
24.	बांय	,,	,,
25.	भोवड़ा	,,	,,
26.	श्योपुर	,,	,,
27.	पन्डरेऊ टीब्बा	,,	,,
28.	बनडा	,,	,,
29.	भनीणा	,,	,,
30.	दुलेरी	,,	,,
31.	भलाऊ टीब्बा	,,	,,
32.	नेठवा	,,	,,
33.	रेवासी	,,	,,
34.	लुणांस	,,	,,
35.	गडाणां	,,	,,
36.	मादावास	,,	,,
37.	गलगटी	,,	,,
38.	लाखनवास	,,	,,
39.	तोगावास	,,	,,
40.	बुचावास	,,	,,
41.	गाजुवास	,,	,,
42.	ढाणी भाकरान	,,	,,

1	2	3	4
43.	खरतवास	तारानगर	लाभन्वित
44.	कैलाश	,,	,,
45.	सुखवासी	,,	,,
46.	पन्डेरेऊताल	,,	,,
47.	घासला आथुणा	,,	,,
48.	पासला अगूणा	,,	,,
49.	रोभाणी	,,	,,
50.	चंगोई	,,	,,
51.	मिखाला	,,	,,
52.	जिमसाना ताल	,,	,,
53.	ओभरिया	,,	,,
54.	जिगसाना टीब्बा	,,	,,
55.	महात्मा	,,	,,
56.	गोगटिया चारणान	,,	,,
57.	गोगटिया कच्छावतान	,,	,,
58.	गोगटिया चंगोई	,,	,,
59.	बालिया	,,	,,
60.	करणपुरा	,,	,,
61.	गोडास	,,	,,
62.	चलकोई खिडान	,,	,,
63.	गोगटिया खरतवासिया	,,	,,
64.	गोगटिया वागावतान	,,	,,
65.	बिगरान	,,	,,
66.	ढाणा पट्टा साह्यू	,,	,,
67.	ढाणी कुम्हरान	,,	,,
68.	अलायला	,,	,,
69.	रामपुरा	,,	,,

1	2	3	4
70.	सात्यू	तारानगर	लाभान्वित
71.	अमरसर	"	"
72.	कोहिना	"	"
73.	भालेरी	"	"
74.	राजपुरा	"	"
75.	अभयपुरा	"	"
76.	भोरथल	"	"
77.	ढाणी मोतीसिंह	"	"
78.	ढाना पटवा राजपुरा	"	"
79.	ढ़ीगी	"	"
80.	आनन्दसिंहपुर	"	"
81.	चलकोई बीकान	"	"
82.	ढाणी पूनियान	"	"
83.	झाडबर छोटा	"	"
84.	हठियाल	"	"
85.	झाडबर बड़ा	"	"
86.	चाहर बाला	रामगढ़	"
87.	जोधावास	"	"

भारतीया अस्पताल, चूरू

99. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू स्थित भारतीया अस्पताल में कौन–कौन से पद कब से रिक्त हैं तथा कब तक इनको भविष्य में भर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि 150 शैय्या वाले अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहियें वह उक्त अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी ?

(3) चूरू जिले में कितने रैफरल अस्पताल हैं तथा भविष्य में कितने रैफरल अस्पताल खोलने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि चूरू तहसील के रतन नगर कस्बे में रैफरल अस्पताल स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब कब तक खोल दिया जायेगा।

(5) क्या यह भी सही है कि रतन नगर कस्बे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की इमारत जन सहयोग से बना दी गयी है परन्तु अभी तक स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है ? अब कब तक स्टाफ की नियुक्ति कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) चूरू जिले में निम्न स्थानों पर रैफरल अस्पताल स्वीकृत हैं:—

1. साण्डवा 2. राजगढ़
3. डूंगरगढ़ 4. तारानगर
5. सिरसिला
6. सुजानगढ़ 50 शैय्यायुक्त अस्पताल
7. रतनगढ़ 100 शैय्यायुक्त अस्पताल

रतनगढ़ पंचायत समिति में 100 शैयायुक्त सामान्य चिकित्सालय रतनगढ़ में स्वीकृत हैं जो रैफरल अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

रैफरल अस्पताल एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक के हिसाब से खोले जाते हैं। चूरू में सिर्फ पंचायत समिति सरदारशहर एवं राजगढ़ जिनकी अनुमानित जनसंख्या वर्ष 1993 के आधार पर क्रमश: 1.71 लाख एवं 2.22 लाख है, में एक–एक रैफरल अस्पताल और भविष्य में खोले जाने पर विचार किया जा सकता है।

(4) रैफरल अस्पताल, रतननगर की स्वीकृति निरस्त करते हुए इसके स्थान

(चिकित्सा मंत्री)

पर सिरसिला में स्वीकृत किया गया है।

(5) रतननगर में ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जहां मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की सुविधाएं जन सहयोग से निर्मित भवन में उपलब्ध हैं, एक पद चिकित्सा अधिकारी का स्वीकृत है; जो भरा हुआ है।

चूरू स्थित भरतीया अस्पताल में स्वीकृत, रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	5	3	2	1 बालरोग 7/88 से 1 सर्जरी 26-9-88 से
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	10	9	1	1 हड्डीरोग 22-8-89 से
3.	उप नियंत्रक	1	1	—	
4.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	2	—	
5.	चिकित्सा अधिकारी	5	5	—	
6.	मेलनर्स श्रेणी–2	10	8	2	12/89 से रिक्त
7.	सिस्टर	5	3	2	6/89 से रिक्त
8.	मेलनर्स श्रेणी–2	9	8	1	1/90 से रिक्त
9.	रेडियोग्राफर	2	2	—	
10.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	1	—	
11.	स्टाफ नर्स	6	4	2	10/89 से रिक्त
12.	लेबोरेटरी टेक्निशियन	1	1	—	
13.	वरिष्ठ लेबोरेटरी टेक्निशियन	1	1	—	

1	2	3	4	5	6
14.	मेकेनिक	1	—	1	4/89 से रिक्त
15.	इलेक्ट्रिशियन	1	1	—	
16.	डेन्टल टेक्निशियन	1	1	—	
17.	कार्यालय सहायक	1	1	—	
18.	वरिष्ठ लिपिक	2	2	—	
19.	कनिष्ठ लिपिक	2	2	—	
20.	वाहन चालक	2	2	—	
21.	च. श्रे. कर्मचारी/ हरिजन	26	19	7	8/88 9/88 1/90

बांदीकुई क्षेत्र के हैण्ड पम्प

100. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले के हैण्ड पम्पों की कुल संख्या कितनी है ? उनमें से कितने हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं तथा कितने खराब पड़े हैं ?

(2) बांदीकुई क्षेत्र में लगे हैण्ड पम्पों में चालू व बन्द पड़े हैण्ड पम्पों का क्या प्रतिशत है ?

(3) बन्द हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करवाने की योजना है ?

(4) जयपुर जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में कितने हैण्ड पम्प लगाने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जलाशयों व कुओं का पानी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है अथवा कुए सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुए खुदवाने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह भी सही है कि बांदीकुई शहर में पीने के पानी की टंकी जनसंख्या की तुलना में अपर्याप्त है ? यदि हां, तो पेयजल उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 12,320 हैण्डपम्प हैं जिसमें से 11,562 हैण्डपम्प चालू हैं तथा 758 हैण्डपम्प खराब हैं।

(2) बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में लगे हैण्डपम्पों में से लगभग 80 प्रतिशत चालू तथा 20 प्रतिशत बन्द हैं।

(3) जो हैण्डपम्प ठीक हो सकते हैं उनकी मरम्मत 15 अप्रेल तक करवादी जावेगी। सूखे एवं अवरुद्ध हैण्ड पम्पों की एवज में दूसरे हैण्डपम्प वित्तीय उपलब्धता के अनुसार लगाये जावेंगे।

(4) जयपुर जिले में वर्ष 1990–91 में 261 हैण्ड पम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया है।

(5) जी हां। नल योजनाओं के जल स्रोतों में जल उत्पादन बढ़ाने हेतु कुओं को गहरा करवाने एवं नलकूप बनवाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

(6) जी हां। योजना के अभिवर्धन के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर राजकीय चिकित्सालय

101. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय चिकित्सालय खानपुर में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वहां कितने व कौन–कौन से पद लम्बे समय से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि खानपुर चिकित्सालय को रैफरल अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया गया है लेकिन उसके अनुसार स्टाफ एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक पूरी व्यवस्था करवा देगी ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा रैफरल अस्पताल हेतु भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक बजट आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, खानपुर में चिकित्सकों के कुल 6 पद स्वीकृत हैं। केवल 4 नवसृजित पद जिनकी स्वीकृति दिनांक 23-1-90 को जारी हुई है, रिक्त हैं।

(2) जी हां। आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) जी नहीं, भवन व्यवस्था के लिए वर्तमान में कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इसकी व्यवस्था जन सहयोग द्वारा पूरी की जाती है।

जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कें

102. श्रीमती सूर्यकांता व्यास : (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद् के अधीन सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा कब तक ?

(2) इन सड़कों पर गत तीन वर्षों में नगर परिषद द्वारा कितना व्यय प्रत्येक वर्ष किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नगर परिषद् द्वारा इन सड़कों की मरम्मत कराया जाना संभव नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर परिषद् के अधीन आई हुई सड़कें कुछ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नगर परिषद ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार समय-समय पर करवा रही है। परन्तु प्रतिमाह वेतन देना भी कठिन हो रहा है। अतः विशेष व्यय करना सम्भव नहीं है। यह प्रयास किये जा रहे हैं कि बड़ी-बड़ी सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. को सौंप दी जावें।

(2) गत तीन वर्षों में नगर परिषद, जोधपुर द्वारा इन सड़कों पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न है

(3) जी हां। नगर परिषद की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब है। राज्य सरकार द्वारा भी सड़क एवं नालियों हेतु 2.00 लाख रुपये विशेष अनुदान दिया गया है।

कार्यालय नगरपरिषद, जोधपुर द्वारा सड़कों पर किये गये व्यय का विवरण

मद सं.	मद का नाम	वर्ष 1986–87	1987–88	1988–89	1989–90 (अप्रेल, 89 से फरवरी, 90 तक)
1	2	3	4	5	6
(1)	विकास कार्य :—				
	नये कार्यों का निर्माण				
1.	नई सड़कों के निर्माण पर व्यय	244864	1076443	193678	30000
2	अन्य नये निर्माण कार्यों पर व्यय	321577	1166780	507147	324955
3.	रख रखाव पर व्यय (नाली सड़क भवन	1604707	1916725	1582276	1480635
4.	सस्ता फ्लश शौचालय अनुदान	—	—	—	—
5.	सार्व. शौचालय व मुगालयों का निर्माण	—	73488	122035	42508
6.	मुआवजा विभिन्न योजनाओं हेतु	—	—	16262	—

1	2	3	4	5	6
7.	बिजली लाइनों में वृद्धि	—	—	—	—
8.	उद्यान निर्माण	—	—	—	—
9.	पाइप लाइन डालने का व्यय	—	—	—	—
	योग :—	2171148	4233436	2421398	1878098
(2)	प्राप्त अनुदान की राशि का व्यय :—				
1.	सड़कों व नालियों पर विशेष अनुदान का व्यय	94839	—	—	44986
2.	पर्यावरण सुधार योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान का व्यय	154678	—	361859	—
3.	सफाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु अनुदान का व्यय	—	—	—	—
4.	अग्निशमन उपकरण हेतु अनुदान का व्यय	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
(3)	ऋण की राशि का व्यय	—	—	—	—
(4)	अन्य व्यय	79367	—	—	—
	योग :—	2500032	4233436	2783257	1923084

लेखा शाखा द्वारा प्रेषित वास्तविक व्यय के मानचित्र के अनुसार।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 की सूची

भाग I की सूची

परिशिष्ट "क"

जिलेवार राज्य के नगर पालिका क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रामीण क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	योग (नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र)
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	5482	25122	7994
2.	अलवर	5223	189	5412
3.	बांसवाड़ा	5945	167	6112
4.	भरतपुर	3383	228	3611
5.	बाड़मेर	419	52	471
6.	भीलवाड़ा	6194	769	6963
7.	बीकानेर	000	000	000
8.	बूंदी	2738	194	2932
9.	चित्तौड़गढ़	5909	351	6260
10.	चूरू	000	000	000
11.	डूंगरपुर	5565	174	5739
12.	श्रीगंगानगर	2863	179	3042
13.	जयपुर	10954	1366	12320

1	2	3	4	5
14.	जैसलमेर	298	35	333
15.	जालौर	222	149	371
16.	झालावाड़	3521	152	3673
17.	झुन्झुनू	1099	207	1306
18.	जोधपुर	1046	1954	2900
19.	कोटा	5538	232	5770
20.	नागौर	662	242	904
21.	पाली	2690	559	3249
22.	सवाई माधोपुर	4137	196	4333
23.	सीकर	5325	457	5782
24.	सिरोही	2023	236	2259
25.	टोंक	3429	165	3594
26.	उदयपुर	10078	1681	15759
27.	धौलपुर	2812	158	2970
	कुल योग	1,01,555	12,504	1,14,059

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची

गर्मियों में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने वाले 24 ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	सहरिया कार्यक्रम में स्वीकृत हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1.	मुहाल	शाहबाद	—
2.	गणेशपुरा	,,	—
3.	सेमरा	,,	—
4.	धतूरिया	,,	—
5.	सेमली फाटक	,,	—
6.	खराई	,,	—
7.	सूखा सेमली	,,	—
8.	होण्डापुरा	,,	—
9.	मुण्डीयार	,,	1
10.	मझारी	,,	1
11.	कलोनी	,,	2
12.	मामोनी	,,	1
13.	सेमली तलेटी	,,	1
14.	रामपुरा तलेटी	,,	1
15.	रटईकलां	,,	1
16.	नारायण खेडा	,,	1
17.	खरदा	,,	1

1	2	3	4
18.	पीपल खेड	शाहबाद	1
19.	सिरसोद कलां	,,	1
20.	महोदरा	,,	1
21.	आगर	,,	1
22.	जेतपुरा	किशनगंज	1
23.	माधोपुरा	,,	1
24.	मालीमाटी	,,	—

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्ष 1989–90 में पेयजल योजना से लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	कोड संख्या	योजना का नाम
1.	कांखी	सिवाना	52	पनघट योजना कांखी
2.	डंडाली	गुडामालानी (बाड़मेर)	227	क्षेत्रीय योजना मिठुडा सिण्धी
3.	गंगाली	,,	228	,,
4.	घरगुडा	,,	296	,,
5.	मण्डावला	,,	297	,,
6.	झरोखा	,,	221	रेन वाटर टांका योजना
7.	शिरलीकिटपाल	,,	223	,,
8.	गिरली चारना	,,	224	,,

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 का विवरण

दी जालौर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालौर

सूची ऐसे व्यवस्थापकों की जिन्हें माह जनवरी व फरवरी, 1990 का वेतन नहीं दिया एवं नहीं बनाने का कारण।

क्र. सं	व्यवस्थापक का नाम	वर्तमान में कार्यरत समिति	माह जनवरी	माह फरवरी	वेतन नहीं बनाने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आदाराम लुकड़ा	लेटा	—	नहीं बना	बैंक आदेशों की
2.	,, उम्मेद सिंह	सांकरना	—	,,	अवहेलना कर प्रशि-
3.	,, जगतसिंह	गोदन	—	,,	क्षण में न जाकर
4.	,, उदयसिंह देवड़ा	आहोर पं.	नहीं बना	,,	अवकाश में रहने
5.	,, बगदाराम गर्ग	बिठुडा	—	,,	के कारण उप–
6.	,, शैतानसिंह	सराणा	नहीं बना	,,	स्थिति प्रमाण पत्र
7.	,, अशोक कुमार	रायथल	—	,,	प्राप्त नहीं हुआ।
8.	,, ईश्वरदान चारण	भवरानी	—	,,	,, ,,
9.	,, देवेन्द्रसिंह	जीवना	नहीं बना	,,	,, ,,
10.	,, गंगादास संत	पोषणा	,,	,,	,, ,,
11.	,, जोरावर सिंह	देताकला	—	नहीं बना	,, ,,
12.	,, कैलाशदान चारण	तिलोड़ा	—	,,	,, ,,
13.	,, देवेन्द्रसिंह	जीवाना	—	,,	,, ,,
14.	,, पारसमल	आसाना	नहीं बना	—	,, ,,
15.	,, सकाराम मीना	विशनगढ़	,,	—	,, ,,
16.	ब्रह्मदत मुणोत	रेवतड़ा	—	नहीं बना	,, ,,
17.	ब्रह्मदत मुणोत	,,	नहीं बना	—	,, ,,

[redacted]

173

(171)

1	2	3	4	5	6
18.	श्री सकाराम मीना	विशनगढ़	—	नहीं बना	बैंक आदेशों की
19.	,, नरपतसिंह	सावधर	—	,,	अवहेलना कर प्रशि-
20.	,, भैराराम	दांतिवास	—	,,	क्षण में न जाकर
21.	,, भीमसिंह चारण	मिण्डावास	—	,,	अवकाश में रहने
22.	,, मानसिंह चम्पावत	जुजांणी	—	,,	के कारण उप-
23.	,, धनराम शर्मा	बागोड़ा	—	,,	स्थिति प्रमाण पत्र
24.	,, मफतलाल	लूड़ा	नहीं बना	,,	प्राप्त नहीं हुआ।
25.	,, आसूराम विश्नोई	चोरा	—	,,	,, ,,
26.	,, हरिराम	डेड्या	नहीं बना	,,	,, ,,
27.	,, उदाराम विश्नोई	विरोल	,,	,,	,, ,,
28.	,, रामाराम शुक्ला	सांकड	,,	—	,, ,,
29.	,, हमीराराम	धमाना	—	नहीं बना	,, ,,
30.	,, हरिराम	डेडवा	—	,,	,, ,,
31.	,, मदननाथ	शिवपुरा	नहीं बना	,,	,, ,,
32.	,, कनकराज	चितलवाना	,,	,,	,, ,,

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 78 की सूची

नये राजस्व ग्रामों की स्वीकृत योजनाओं की सूची, जिला बाड़मेर

क्र. सं.	तहसील	योजना का नाम	योजना में सम्मलित नये राजस्व गांव का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	शिव	विस्तार योजना गिराब	1. देतानी	1.58
2.	,,	विस्तार योजना तुबीं हरसानी	1. तानुमानजी	4.20
3.	,,	पी. एण्ड टी. जैसिन्दर	1. खड़ीन	
			2. सहदादका पार	8.00
4.	,,	हैण्डपम्प योजना	1. मण्डालिया	1.05
5.	,,	बिस्तार कोटड़ा मुंगेरिया	1. जुनेजों की बस्ती	3.10
6.	,,	विस्तार गिराब चेतरोड़ी	1. बहाला	6.86
7.	,,	विस्तार गहरा मेदूसरा	1. बरसा	4.33
8.	,,	विस्तार गंडरा जैसिंदर	1. मक्शन का पार	—
9.	,,	विस्तार शास्त्री गांव डाबर	1. जैने का पार	4.66

1	2	3	4	5	6
10.	,,	विस्तार राजबेरा	1.	राजबेरा	10.50
			2.	मुडने की ढाणी	
11.	शिव	विस्तार पी. एण्ड टी. आगासरी	1.	आगासरी	6.00
12.	,,	विस्तार सरगिला	1.	सरगिला	10.00
13.	बाड़मेर	विस्तार योजना वाऊ पदमसिंह	1.	पूनियों का तला	4.70
14.	,,	विस्तार गिराब सालारिया	1.	अजबानी	1.17
15.	,,	क्षेत्रीय पाटालियों की नाडी बायतु	1.	पाटाली की नाडी	2.24
16.	,,	विस्तार रातड़ी भाक	2.	कालानाडा	5.37
17.	,,	क्षेत्रीय भाडखा	1.	खारिया तला	7.08
18.	,,	विस्तार दुरगामा की ढाणी	1.	खानजी का तला	8.50
19.	,,	विस्तार भीमड़ा बायतु	1.	हकाली	9.00
			2.	लुनाडा	
20.	,,	विस्तार भाकडों का तला	1.	भाकड़ों का तला	7.40
21.	,,	विस्तार एण्ड पानावडा	2.	मदासर	2.80
22.	,,	विस्तार भीमडा बायतु	1.	धारासर का तला	3.86
23.	,,	विस्तार नांद आदर्श बस्ती	1.	नांद आदर्श बस्ती	3.60

1	2	3	4	5	6
24.	बाड़मेर	विस्तार विशाला आगोर	1.	विशाला आगोर	3.20
25.	,,	विस्तार महाबार पीथल	1.	महाबार पीथल	3.60
			2.	महाबार मीठड़ा	
26.	,,	विस्तार गुडा–बांटा	1.	बारासन	5.78
			2.	मौखाब	
27.	,,	विस्तार होडू सनाबडा	1.	भाकडों की ढाणी	6.10
28.	,,	विस्तार होडू भटाला	1.	जोगासर	5.39
29.	,,	विस्तार पी.एण्ड टी. आडेल	1.	आडेल पनजी	–
30.	,,	विस्तार यवा पूनियां की बस्ती	1.	पूनियों की बस्ती	4.63
31.	,,	विस्तार रावतसर	1.	रामसर का कुआ	5.18
32.	,,	विस्तार वानेका-गंगासरा	1.	गंगासरा	12.00
33.	,,	विस्तार बाड़मेर आगोर	1.	बाड़मेर आगोर	
34.	,,	विस्तार हैण्डपम्प गादान	1.	बाडमेर गादान	0.40
35.	,,	विस्तार बाडमेर मगरा	1.	बाडमेर मगरा	13.19
36.	,,	क्षेत्रीय जगराम का तला	1.	जगराम की ढाणी	6.00
37.	,,	पी.एण्ड टी.नेडी नाड़ी	1.	नेडी नाडी जयपुर	6.00

1	2	3	4	5	6
38.	बाड़मेर	विस्तार सुरते की बेरी	1.	सुरते की बेडी	5.33
39.	,,	बिस्तार खूमे की बेरी	1.	खूमे की बेरी	5.00
40.	,,	विस्तार नया नगर	1.	नया नगर	3.00
41.	चौहटन	विस्तार सहानियां बछावसी	1.	बछावसी	3.93
42.	,,	विस्तार रातरा मठ	1.	तारातरा मठ	4.00
43.	,,	विस्तार नेतराह–साईयों का तला	1.	साईयों का तला	3.00
44.	,,	विस्तार धनाऊ बिसारनियां	1.	मेहरों का तला	4.25
45.	सिवाना	विस्तार बामशीन खंडप	1.	गोलिया चौधरियान	3.31
46.		वि. पादस गोलिया	1.	दुधाला	4.35
47.	,,	विस्तार मोकेलर महिलाबास	1.	मोकेसर महिलाबास	4.81

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	43	फोलियो	अनु. सद. के अता.	अनु. सद. के ता. प्रश्नोत्तर
2.	72	27	श्री भैरोंसिह शेखावत	श्री भैरोंसिह शेखावत